Monday, 07 April, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

Chamber Fumigated 18\X\23

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 4 1 84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol.XXVII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

अंक—34, सोमवार, 7 अप्रैल, 1969/ 17 चैत्र, 1891 (शक)

No. 34—Monday, April 7, 1969/ Chaitra 17, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
901.	गुजरात में बाढ़-नियंत्रण के उपाय	Flood Control Measures in Gujarat	1—2
916.	बाढ़ नियंत्रण योजनाएँ	Flood Control Schemes	2—8
903.	अगिनगुण्डाला क्षेत्र में तांबे के निक्षेप	Copper Deposits in Agnigundala Area	8—11
904.	जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of Life Insurance Corporation	11—16

अल्प-सूचना प्रश्न

S. N. Q. NO.

13.	पश्चिमी बंगाल में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत	Per capita consumption of cereals in West Bengal	17—27

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

902.	मैसूर राज्य में कुछ खान मालिकों द्वारा स्वामित्व की राशि के भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints Re: non-payment of Royalty against Mine owners in Mysore State	28

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
905.	नेपाल से भारत को पाकिस्तानी माल की तस्करी	Smuggling of Pakistani Goods from Nepal to India	28
906.	मैसर्स साराभाई कैमिकल्स को दी गई औषधियाँ तथा रसायन	Medicines and Chemicals supplied to M/s.Sarabhai Chemicals	29
907.	भारत में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी	Capital invested by Foreign Oil Companies in India	29—30
908.	पी० एल० 480	P. L.480	31
909.	रूस से लिये गये ऋण की अप्रयुक्त राशि	Unutilized Soviet Credit	3I
910.	नेपाल में पश्चिम कोसी नहर का मार्ग-रेखांकन	Western Kosi Canal alignment in Nepal	3I—32
911.	जीवन बीमा निगम पालिसी धारियों से शिकायतें	Complaints from L. I. C. Policy holders	32
912.	होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का विकास	Development of Homoeopathic System of Medicines	32—33
913.	उर्वरक कारखानों में कारोसन सैल	Corrosion Cells in Fertilizer Units	33—34
914.	दिल्ली में एक आय-कर अधिकारी के छुरा भोंका जाना	Stabbing of Income-Tax Officer in Delhi	34
915.	कालागाढ़ नहर परियोजना	Kalagarh Canal Project	34—35
917.	लुब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड	Lubrizol India Ltd.	35—36
918.	औषधियों का निर्माण	Production of Pharmaceuticals	36—37
919.	पन्ना खानों से हीरे निकालना	Extraction of diamond from Panna Mines	37
920.	मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertilizer Factory in Madhya Pradesh	37
921.	फुटबाल के खिलाड़ियों द्वारा लाई गई निषिध वस्तुएँ	Contraband Articles Brought by Football Players	37—39

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
922.	जीवन बीमा निगम तथा डाक जीवन बीमा का व्यय और प्रीमियम की दरें	Expenditure and Premimum Rates of L. I. C. and Postal Life Insurance	39
923.	मानसिक अस्पताल	Mental Hospitals	39—40
924.	वाणिज्यिक सिंचाई परि-योजनाओं में लाभ अथवा हानि	Profits or losses of Commercial Irrigation projects	40
925.	हरियाना में भूमि में पानी जमा हो जाना	Water Logging in Haryana	40—41
926.	सरकारी कारखाने तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Government factories and public Sector Undertakings	41—42
927.	प्राणरक्षक औषधियों की उपलब्धता	Availability of Life Saving Drugs	42
928.	आपातकालीन सैनिक कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को नई दिल्ली में मोहन सिंह मार्केट में एक जलपान गृह का आवंटन	Allotment of Restaurant in Mohan Singh Market, New Delhi to Emergency Commissioned Officers	42—43
929.	पुरानी दिल्ली का पुनविकास	Re-development of Walled city of Delhi	43—44
930.	पश्चिम उड़ीसा में हीरे तथा सोने के निक्षेप	Diamond and Gold in West Orissa	44

अता० प्र० संख्या
U. S.Q. Nos.

U. S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5353.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खनिज लाइसेंसों का दिया जाना	Grant of Mining licences by Minerals and Metals Trading Corporation	44—45
5354.	कोलार की सोने की खानें	Kolar Gold Fields	45—47
5355.	कलकत्ता में गाँजे का अवैध व्यापार	Illegal Ganja Trade in Calcutta	47
5357.	देश में बनाई गई औषधियाँ	Medicines produced in the country	48
5358.	महाराष्ट्र में विद्युत्-चालित करघों के मालिक	Power loom Holders in Maharashtra	48—49
5359.	कोरबा एल्यूमिनियम योजना	Korba Aluminimum Project	49—50

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5360.	मध्य प्रदेश में चौथी योजना में सिंचाई सुविधायें संबंधी कार्यक्रम	Programme for Irrigation facilities in Madhya Pradesh during the Fourth Plan	51
5361.	तवा सिंचाई परियोजना	Tawa Irrigation Project	51
5362.	हलादी परियोजना	I ladi Project	52
5363.	तुंगभद्रा परियोजना को उच्च सतह वाली नहर	Tungabhadra Project High Level Canal	52
5364.	जनसंख्या के आधार पर परिवार नियोजन के लिये धन नियत किया जाना	Allocation of Funds for Family Planning Programme in States	53
5365.	राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त राशि का नियत किया जाना	Additional allocation for Family planning programme in States	53
5366.	कॉंस्टीट्यूट क्लब, नई दिल्ली में तैरने का तालाब	Swimming Pool in Constitution Club, New Delhi	53—54
5367.	दिल्ली प्रशासन की योजनाएँ	Schemes of Delhi Administration	54
5368.	गाँधी स्मारक निधि	Gandhi Memorial Fund	54
5369.	नेहरू स्मारक निधि	Nehru Memorial Fund	55
5370.	प्रधान मन्त्री के लिये नया निवास स्थान	New Residence for Prime Minister	55—56
5371.	मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil	56—57
5372.	ग्राम संसाधनों का उपयोग करना	Mobilization of Rural Resources	57
5373.	अनुसंधान सहायकों के लिये अनुवाद कार्य का कोटा	Quota of Translation work for Research Assistants	57—58
5374.	हज यात्रियों द्वारा अवैध सोने की तस्करी	Smuggling of contraband gold by Haj Pilgrims	58
5375.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में सरकारी कर्मचारियों को औषधियों की सप्लाई	Supply of Medicines to Government Employees in C. G. H. S. Dispensaries	58—59

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5376.	सिचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ministry of Irrigation and Power	59—60
5377.	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन विभाग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in departments of Health and Family Planning	60
5378.	पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals	60—61
5379.	आवास और नगरीय विकास विभागों को हिन्दी का उपयोग	Use of Hindi in the Departments of Works, Housing and Urban Development	61—62
5380.	वित्त मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Finance Ministry	62—63
5381.	अहमदाबाद को गैस की सप्लाई	Supply of Gas to Ahmedabad	63
5382.	नई दिल्ली में 'मेस'	Messes in New Delhi	63—64
5383.	आयकर विभाग द्वारा गलती से जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र	Recovery certificate Wrongly issued by Income Tax Department	64—65
5384.	सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी में छपाई का काम	Hindi Printing work in Government Presses	65
5385.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन	Assessment of working offertilizers and chemicals Travancore Ltd.	65—66
5386.	गुजरात का विमान द्वारा सर्वेक्षण	Aerial Survey of Gujarat	67
5387.	बम्बई में चोरी-छिपे लाई गई घड़ियों का जब्त किया जाना	Seizure of smuggled watches in Bombay	67
5388.	व्यास परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Beas Project	68

अता० प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5389.	सतपुरा ताप बिजली घर	Satpura Thermal Power Station	68
5390.	मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र	Family planning Centres in Madhya Fradesh	68—69
5391.	केरल तथा मद्रास में जाली मुद्रा का परिचालन	Counterfeit currency in Circulation in Kerala and Madras	69—70
5392.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के महा–प्रबन्धक के दौरे	Tours of General Manager of Trombay Fertilizer Plant	70
5393.	नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों के ग्रहातों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएँ	R. S. S. Shakhas in N. D. M. C. School Compounds	70 – 71
5394.	ग्रमरीकी फार्मों द्वारा भारत को देय प्रतिकर	Compensation due to India from American Firms	71
5395.	पश्चिम बंगाल में व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषकों को सहायता	Assistance by Commercial Banks to Agriculturists in West Bengal	71—72
5396.	पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियन्त्रण योजनाएँ	Flood control schemes in West Bengal	72
5397.	चैक लिखने के लिये बाल पोइंट पैनों का प्रयोग	Use of Ball point pens for writing cheques	72—73
5398.	माही परियोजना	Mahi Project	73
5399.	ग्रोषध विक्रेताग्रों को चिकित्सकों के रूप में व्यवसाय करने के लिये लाइसेंस देना	Licensing of Pharmacists as Medical Practitioners	73—74
5400.	हरियाणा में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Haryana	74
5401.	ब्रिटिश कम्पनियों की ग्रास्तियों का पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरण	Transfer of Assets of British Companies from West Bengal	74—75
5402.	दिल्ली में बिक्री–कर ग्रधिनियम में संशोधन	Amendment of Sales-Tax Act in Delhi	75
5403.	सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कास्ट एकाउन्ट्स ग्राफिसर्स	Cost Accounts Officers on Deputation to Public undertakings	75

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5404.	राजस्थान को अकाल सहायता कार्यों के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Famine Relief to Rajasthan	75—76
5405.	व्यापारियों द्वारा वस्तुओं का आयात	Import of Goods by Businessmen	76
5406.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सेवा आयोग	Service Commission for Public Sector Enterprises	76
5407.	जिंक स्मैल्टर एम्पलाइज यूनियन द्वारा हड़ताल	Strike by Zinc Smelter Employees' Union	76—77
5408.	हल्दिया तेल शोधन परियोजना स्थल में बिजली की सप्लाई की कमी	Lack of Electricity supply in Haldia Oil Refinery Project Site	77
5409.	हल्दिया तेल शोधन परियोजना	Haldia Oil refinery Project	78
5410.	हल्दिया तेल शोधनशाला के लिये मुख्य इंजीनियर	Chief Engineer for Haldia Refinery	78—79
5411.	दिल्ली में मकानों के प्लाटों का अनिवासी भारतीयों को अलाटमेंट करने की योजना	Scheme for allotment of House plots in Delhi to non-resident Indians	79
5413.	आसनसोल डिवीजन के लिये संक्रामक रोग अस्पताल	Infectious Diseases Hospital for Asansol Division	79—80
5414.	बड़ौदा नगर का पुनर्वर्गीकरण	Re-classification of Baroda City	80
5415.	पटना शहर का पुनर्वर्गीकरण	Re-classification of Patna City	81
5416.	चौथी योजना में मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएँ	Madhya Pradesh River Valley Projects in Fourth Plan	81
5417.	मध्य प्रदेश को दी गई आर्थिक सहायता	Financial Assistance given to Madhya Pradesh	81
5418.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज की दर	Rate of Interest on Provident Fund of Central Government Employees	81—82

2

अता० प्र० संख्या

U.S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5419.	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिसों का जारी किया जाना	Show cause notices issued by Enforcement directorate	82—83
5420.	रंगमंच तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बारे में प्रचार	Family planning programme publicity through stage and cultural shows	83
5421.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईरान में तेल की खोज	Oil explorations in Iran by Oil and Natural Gas Commission	83—84
5422.	बम्बई में सोने, कृत्रिम धागे तथा ताशों का पकड़ा जाना	Seizure of Gold, Synthetic Yarn and Playing cards in Bombay	84
5423.	जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की मांगें	Demands of L. I. C. Development Officers	84—87
5424.	सरकारी अस्पतालों की नर्सों को भत्ते	Allowances to nurses in Government Hospitals	87
5425.	वित्त सचिव द्वारा मैसर्स साहू जैन को मकान किराये पर दिया जाना	Renting of house by Finance Secretary to M/s Sahujain	87—88
5426.	आयकर आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन	Annual conference of Income-tax Commissioners	89—90
5427.	सीमा-शुल्क नियमों का उल्लंघन	Violation of customs rules	90
5429.	पांचवें वित्त आयोग को केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Kerala Government to Fifth Finance Commission	90—91
5430.	सरकारी क्षेत्र के निगमों के लिये सेवा आयोग	Service commission for Public Sector Corporations	91
5431.	गुजरात में गांवों में बिजली की व्यवस्था और नलकूपों के लिये बिजली दिया जाना	Rural electrificaion and supply of Power for tube-wells in Gujarat	92

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5432.	भारतीय तेल संस्था की स्थापना के लिये प्रस्ताव	Proposal for Indian institute of Oil	92
5433.	कटक में स्वर्ण बिस्कुटों का पकड़ा जाना	Recovery of gold biscuits in Cuttack	92
5434.	बम्बई में तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods in Bombay	93
5435.	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को खर्च दिलाने के अधिकार देना	Vesting of powers in income-tax Apepllate tribunals to award costs	93
5436.	कलकत्ता में ब्रिटिश फर्में	British Firms at Calcutta	93—95
5437.	रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को सेवा शुल्क में वृद्धि न करने के अनुदेश	Reserve Bank's Instruction to banks not to increase service charges	
5438.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के लिये औषधियों की खरीद	Purchase of medicines for C. G. H. S. Dispensaries	95
5439.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के लिये दवाइयों की खरीद	Purchase of medicinces for C.G.H. S. Dispensaries	95
5440.	भारत में पेटेंट रखने वाली अमरीकी औषधिनिर्माता कम्पनियों के विरुद्ध आरोप	Charges against drug manufacturing companies of USA holding patents in India	95—96
5441.	जीवन बीमा निगम को 'अपना मकान बनाओ' योजना को और अधिक नगरों में लागू करना	Extension of L. I. C, 'S 'Own your Home' Scheme to more cities	96
5442.	मनीपुर की जल सप्लाई योजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central aid for Water Supply Scheme for Manipur	97
5443.	मनीपुर के नर्सिंग कर्मचारियों को भत्ते	Allowances to Manipur Nursing Employees	97
5444.	नये उर्वरक कारखाने	New Fertilizer Plants	98
5445.	उर्वरक कारखाना, गोरखपुर	Fertilizer Factory, Gorakhpur	98

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Noa.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5146.	रोज सोसायटी आफ इंडिया को भूमि का नियतन	Allotment of Land to Rose Society of India	98—99
5447.	बिहार में चन्दन बाँध के श्रमिकों की छँटनी	Retrenchment of Labourers of Chandan Dam in Bihar	99
5448.	समान पदों पर प्रतिनियुक्ति भेत्ते का बन्द करना	Discontinuance of Deputation Allowance in Equivalent posts	99—100
5449.	अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह से राजस्व की प्राप्ति	Revenue collections from Andamans and Nicobar Islands	100
5450.	खेतड़ी ताँबा परियोजना	Khetri Copper Project	100—101
5451.	करों की बकाया राशि की स्थिति	Position of Arrears of Taxes	101
5452.	गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़े प्लाट	Plots lying vacant in Ghaziabad Industrial Area	101—102
5453.	पेट्रोल को साथ मिलाकर साल्वेंट की बिक्री	Sale of Solvent by Mixing with Petrol	102
5454.	कृष्णा गोदावरी जल विवाद के लिये न्यायाधिकरण	Tribunal for Krishna-Godawari River water Dispute	102
5455.	कलकत्ता के आयकर और कस्टम हाउस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees working in Income-tax and Customs House, Calcutta	103
5456.	तीस्ता बाँध परियोजना	Teesta Barrage Project	103
5457.	ऋषिकेश के एन्टीबायोटिक्स कारखाने में गुटबन्दी	Factions in Antibiotics Plant at Rishikesh	103—104
5458	गुजरात में कैरा जिला के आयकरदाता	Income-tax payers in Kaira District in Gujarat	104
5459.	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा उप-सम्पादकों तथा संवददाताओं के लिये फलैट रक्षित करना	Reservations of Flats by DDA for Sub-Editors and Reporters	105

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5460.	मध्य प्रदेश में तांबे का सर्वेक्षण	Survey for copper in Madhya Pradesh	105
5461.	सरकारी उपक्रमों में तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Technocrats in Public Undertakings	105—106
5462.	सिंचाई योग्य भूमि	Irrigable land	106
5463.	नई दिल्ली के अस्पतालों में कम्पाउन्डरों तथा मुख्य नर्सों के पदों में पदोन्नति में विषमता	Disparities in promotions to Compounders and Head Nurses in New Delhi Hospitals	106—107
5464.	मालपुजा इद्दिकी परियोजनाओं का विकास	Development of Malaphuzha and Idikki Projects	107
5465.	पालघाट जिले के बागनों के मालिकों द्वारा धन-कर का अपवंचन	Evasion of Wealth-Tax by Estate Owners of Palghat District	107
5466.	आय-कर अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Income Tax officers	107—108
5467.	आयकर की अधिकतम सीमा	Ceiling on Income Tax	108
5468.	वित्त आयोग की स्थापना से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श	Consultation with State Governments before Setting up Finance Commission	108—109
5469.	राष्ट्रीय बचत योजना का आदिम जाति क्षेत्रों में विस्तार	Extension of National Savings Scheme in Tribal Areas	109
5470.	उत्तर बिहार के ग्रामों में विद्युतीकरण के लिये धन का नियतन	Allocation for Rural Electrification in North Bihar	109
5471.	महालेखापाल कार्यालय, गुजरात के कर्मचारियों का हड़ताल में भाग लेना	Participation in last General Strike by Employees of Accountunt General office, Gujarat	109—110
5472.	करापवंचन की समस्या के अध्ययन के लिये समिति	Committe to Study problem of Tax Evasion	110—111

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5473.	विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण	Air Borne Mineral Survey	111—112
5474.	बैंक दर में कमी की माँग	Demand for Cut in Bank Rate	112
5475.	आगरा में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की कर्मशाला (वर्कशाप)	National Projects Construction Corporation Workshop at Agra	112—113
5476.	गुजरात तेल शोधक कारखाने में प्रोटीन का उत्पादन	Production of Protein at Gujarat Refinery	113
5477.	गाँव मुकन्दपुर ब्लाक अलीपुर (दिल्ली) में सिंचाई की सुविधायें	Irrigation facilities in village Mukandpur Block Alipur (Delhi)	113—114
5478.	गुजरात के निकट तटवर्ती क्षेत्रों में तेल के कुओं का विकास	Development of Oil Wells in Coastal Areas Near Gujarat	114
5480.	कपड़ा उद्योग को राहत	Relief to Textile Industry	114—115
5481.	एण्टी-बायोटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेश	Anti-Biotics Factory, Rishikesh	115—116
5482.	मैसर्स पब्लिक रिलेशन कौंसिल आफ इंडिया की ओर की बकाया राशि	Tax Arrears Due from M/s Public Relation Council of India	116—117
5483.	डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिये लाइसेंस प्रणाली को पुनः आरम्भ करना	Revival of licentiate system to meet Shortage of Doctors	117
5484.	रायचूर जिला (मैसूर) में हिरेहल्ला सिंचाई परियोजना	Hirehalla Irrigation Project in Raichur District, Mysore	117—118
5485.	सहकारी गृह-निर्माण समितियों का नये सदस्यों पर प्रतिबन्ध	Restriction on New Memberships to Co-operative House Building Cooperative Societies	118
5586.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर अलाभकर खर्च	Unproductive Expenditure on Public Sector Undertakings	118—119
5487.	जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ' योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण	Loans sanctioned by Life Insurance Corporation under 'Own your Home' Scheme	119—120

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5488.	बैंकों में जमा राशि और उनके द्वारा दिये गये ऋण	Loans vis-a-vis deposits with Banks	120—121
5489.	तालचेर में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने	Coal Based Fertilizer Factory at Talcher	121
5490.	कोसी नियन्त्र बोर्ड	Kosi Control Board	121—122
5491.	कोसी नदी के तटबन्धों पर सीमान्त बांध	Marginal Dam on Embankments of River Kosi	122
5492.	मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री का बंगाल और बिहार का दौरा	Finance Minister's visit to Bengal and Bihar in connection with mid term poll	122
5493.	नया नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of Fertilizer Factory at Naya Nangal	122—123
5494.	पंजाब के पुनर्गठन पर हिमाचल प्रदेश को आवंटित डाक्टर	Doctors allocated to Himachal Pradesh on Re-organisation of Punjab	123
5495.	सोने की कीमतें	Gold prices	123—124
5496.	आंध्र प्रदेश में पुलीवेंडला नहर योजना	Pulivendla canal scheme in Andhra Pradesh	124
5497.	त्रिपुरा में बाढ़ों से हुई क्षति	Damage caused by Floods in Tripura	124—125
5498.	श्रीलंका में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Ceylon	125—126
5499.	डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली	Dera Ismail Khan Gooperative House Building Society, Delhi	126
5500.	सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले निगमों/अर्ध सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों को बेदखली के नोटिस	Eviction notices served to Officers of Corporations / semi-Government organisations residing in Government Act commodation	127—128
5501.	प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों को मोटरकार तथा गृह-निर्माण के लिये अग्रिम राशि देने से इन्कार करना	Refusal of Advance for Motor-car and House Building to officers on Deputation	128
502.	50 लाख रुपये और इससे अधिक धन वाले व्यक्ति	Persons having wealth of Rs. 50 Lakhs and above	128—129

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5503.	राजस्थान में राक फास्फेट के निक्षेप	Deposits of Rock Phosphate in Rajasthan	129—130
5504.	प्रतिजीवाणु कारखाना ऋषिकेश को खराब उपकरणों की सप्लाई	Supply of Defective Equipment to Anti-Biotics Plant, Rishikesh	130
5506.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	National Mineral Development Corporation	130—132
5507.	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा भेजी गई सिंचाई और विद्युत योजनाएँ	Irrigation and Power Scheme sent by U. P. and Madhya Pradesh	132—133
5508.	आयल इंडिया लिमिटेड का उर्वरक कारखाने का प्रस्ताव	Proposal for Fertilizer plant by Oil India Ltd.	133
5509.	आयल इंडिया और तेल तथा प्राकृति गैस आयोग द्वारा आसाम में अर्जित की गई भूमि	Land Acquired by Oil India Ltd. and O. N. G. C. in Assam	133—134
5510.	आयल इंडिया का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ विलय	Merger of Oil India with ONGC	134
5511.	बरौनी तेल शोधक कार-खाने के रसायन इंजीनियर प्रशिक्षुओं द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Chemical Engineer Trainees at Barauni oil Refinery	134
5512.	नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू के संसद् सदस्यों के फलैटों में शीशा लगाने के लिये आवेदनपत्र	Applications for Fixing Glasses in M. P. Flats in North and South Avenues	135
5513.	देश में बेघर लोगों की संख्या	People without Houses in the country	135—136
5514.	इंडिया शूगर्स एंड रिफाइ-नरीज लिमिटेड, हास्पेट	India Sugars and Refineries Ltd. Hospet	136
5515.	रामकृष्णपूरम, नई दिल्ली के सेक्टर 12 में सड़कों पर बिजली की व्यवस्था	Street light in Sector XII, R. K. Puram, New Delhi	136

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5516.	दिल्ली में रोगाणुरोधक पदार्थों (एन्टीसेप्टिक्स) की चोरबाजारी	Black marketing in Anti-septics in Delhi	137
5517.	बिहार में दूसरा तेलशोधक कारखाना	Second oil Refinery in Bihar	137
5518.	तिलक मार्ग और वेलजली रोड के नौकरों के क्वार्टरों में बिजली लगाना	Provision of Electricity in Servants Quarters at Tilak Marg and Wellesly Road, etc. New Delhi	138
5519.	पैट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर	Sales Tax on Petroleum Products	138—139
5520.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति	Appointment of Civil Assistant Engineer, C. P. W. D.	139
5521.	सहायक इंजीनियरों के रूप में नियुक्ति पदोन्नति	Appointment / promotion as Assistant Engineers in C. P. W. D.	139—140
5522.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के हिमाचल प्रदेश को दिये गये कर्मचारी	Employees of Punjab State Electricity Board allocated to Himachal Pradesh	140
5524.	आयकर वापसी के मामलों में व्याज का भुगतान	Payment of interest of Income Tax Refund Cases	140—141
5525.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	141
5526.	अलोह धातुओं का सर्वेक्षण	Survey of Non-Ferrous Metals	141—142
5527.	गांधी बलिदान स्थल, नई दिल्ली	Gandhi Balidan Sthal, New Delhi	142
5528.	औद्योगिक मिलों का दिल्ली से बाहर अन्य स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of Industrial Mills outsidc Delhi	143
5529.	गांधी बलिदान स्थल, नई दिल्ली	Gandhi Balidan Sthal, New Delhi	143
5530.	परिवार नियोजन आन्दोलन	Family Plannig campaign	143—144
5531.	बौराक परियोजना	Borak Project	144
5532.	मैसर्स नरुला फाइनेंस कम्पनी, दिल्ली	M/S Narula Finance Company, Delhi	144—145

अता० .प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
दिनांक 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4187 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting reply to U. S. Q. 4187 dated 24-3-69	145
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	145—148
एक पत्रिका में महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू की आलोचना का समाचार	Reported attack on Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru in Souvenir	145
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shimati Ilapal Chordhury	145
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K.R. V. Rao	
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	148—150
आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Andhra Pradesh Chief Minister	150—166
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon	151
श्री चं० चु० देसाई	Shri C. C. Desai	155
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	156
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	157
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	157
श्री अम्बुचेजियान	Shri Anbaxhagan	158
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	159
श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	160
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	161
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	162
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	163
श्री स० कंदू	Shri S. Kundu	164
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	165
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	166
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के बारे में याचिका	Petition re Prevention of Food Adulteration Act	166
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	166—180
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय	Ministry of External Affairs	

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री सन्त बख्श सिंह	Shri Sant Bux Singh	166
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	169
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	172
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	175
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	176
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	179
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	
कार्य मन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee	180
चौतीसवां प्रतिवेदन	Thirty-fourth Report	
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion	
केरल में नारियल जटा उद्योग	Coir Industry in Kerala	180—184
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Susella Gopalan	180
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	182

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 7 अप्रैल, 1969/ 17 चैत्र, 1891 (शक)

Monday, April 7, 1969 / Chaitra 17, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. Deputy SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न नं० 901

एक माननीय सदस्य : प्रश्न नं० 916 को भी साथ ही ले लिया जाए क्योंकि यह भी उसी विषय में है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हाँ।

गुजरात में बाढ़-नियंत्रण के उपाय

*901. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में स्थायी बाढ़-नियन्त्रण उपायों के सम्बन्ध में कई परियोजनाएँ भेजी हैं।

(ख) यदि हाँ, तो ये बाढ़-नियन्त्रण उपाय क्या हैं और उन पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया है और चौथी पंच-वर्षीय योजना में उन्हें शामिल करने की सिफारिश की है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बाढ़-नियंत्रण योजनाएं

*916. श्री सीताराम केसरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ से प्रभावित विभिन्न राज्यों को बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं के लिये वर्ष 1967-68 और 1968-69 में कितनी-कितनी राशि दी गई; और

(ख) बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं के लिये चौथी योजना में विभिन्न राज्यों के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Name of the State	Allocation of Central assistance for flood control communicated by the Ministry of Finance	
	1967-68 (Rs. lakhs)	1968-69
Andhra Pradesh	15.00	5.00
Assam	215.00	300.00
Bihar	118.00@	150.00%
Gujarat	9.50	10.50
Haryana	69.00	83.00
Jummu and Kashmir	105.00	90.00
Kerala	75.00	75.00
Madhya Pradesh	5.00	5.00
Maharashtra	2.00	3.00
Mysore	7.00	3.00
Orissa	45.00	25.00
Punjab	60.00	11.00
Rajasthan	100.00	80.00
Tamil Nadu	2.00	...
Uttar Pradesh	125.00	125.00
West Bengal	73.00	119.00*

@ Includes Rs.25 lakhs for Kosi Works.

% Includes Rs. 16 lakhs for Kosi Works.

*Includes special assistance of Rs.50 lakhs to meet expenditure on raising and strengthening of embankments.

(b) The Fourth Plan has not yet been finalised.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : बाढ़ तथा वन का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है। जब वनों को बुरी तरह काट दिया जाता है, जैसे कि नर्मदा नदी के क्षेत्र में किया गया है तो वहाँ बहुत अधिक बाढ़ आती हैं। गुजरात राज्य में बड़ौदा जिले में मेरे अपने जन्म-स्थान चन्डोड में नर्मदा नदी पर पिछले साठ वर्षों में हमने 10 विकट बाढ़ देखी हैं। पिछले वर्ष मेरा यह जन्म-स्थान 20 फुट पानी में था। मैं जानता चाहता हूँ कि क्या वन राज्य का विषय है ? यदि हाँ, तो, क्या यह सच है कि 1952 में भारत सरकार द्वारा कोषित राष्ट्रीय वन नीति को पूरे तौर से क्रियान्वित नहीं किया है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में मन्त्रालय क्या उपाय करने जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : यह प्रश्न तो कृषि मन्त्रालय से पूछना चाहिए। जहाँ तक 1968 की बाढ़ का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि इस अभूतपूर्व बाढ़ से लगभग 34 करोड़ रुपये की हानि हुई थी।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : नर्मदा तथा तापती नदियों में आई भयंकर तथा अभूतपूर्व बाढ़ को ध्यान में रखते हुए क्या प्रति वर्ष बाढ़ आयेंगी अथवा इनकी रोक-थाम के लिए नर्मदा के संग्रहण क्षेत्र में इसे रोकने के उपाय किये जायेंगे ? माननीय मन्त्री ने 14-12-67 को दिए अपने वक्तव्य में कहा है कि मध्य प्रदेश में 33150 वर्ग मील ; महाराष्ट्र में 595 वर्ग मील तथा गुजरात में 4,400 वर्ग मील का जलग्रह क्षेत्र हैं। यदि क्षेत्र में वनों को नहीं बढ़ाया जाता है—तो उनका कहना है कि यह राज्य का विषय है—वहाँ वनों को समाप्त करने के कारण, पानी भर जाता है जिससे बाढ़ आ जाती हैं। माननीय मन्त्री। 25-12-67 के अपने वक्तव्य में कहा है कि वित्तीय संसाधनों की रुकावट के कारण गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति में ढील है। यदि ये उपाय नहीं किए जायेंगे तो बाढ़ का नियन्त्रण किस प्रकार किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : गुजरात सरकार ने बाढ़-नियन्त्रण उपायों की जाँच के लिए एक सर्किल तथा अनेक डिवाजनों की स्वीकृति दी है। हम राज्य सरकार के प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri Sita Ram Kesri : Floods in the Gandak, Kosi and Ganga rivers in the year 1968 had inflicted heavy loss, thousands of cattles were killed, thousands of huts were destroyed and washed away, highway No. 31 around Purnea in Darbhanga gave way at so many places, which create deplorable situation and Government assures us that there is improvement in controlling

floods of Kosi river ; but has Government any scheme to control heavy floods in Ganga, Gandak and other smaller rivers ? We agree difficult problem being faced in the matter of Kosi river as this river comes from Nepal and as such much cannot be done in this regard, but what measures Government proposes to take at present to protect the property worth crores of rupees as a result of floods in Ganga, Gandak and other small rivers which inflict heavy loss to the areas of Purnea, Darbhanga, and northern regions Sahsa and Bhagalpur which inundate in the flood waters ?

डा० कु० ल० राव : जहाँ तक कोसी नदी का सम्बन्ध है हमने पर्याप्त मात्रा में समुचित प्रबन्ध किये हैं जिनसे उत्तरी बिहार का बहुत सा क्षेत्र कोसी नदी की बाढ़ से बच गया है । दुर्भाग्यवश, पिछले वर्ष इस व्यवस्था के अन्त में कुछ व्यवधान पड़ जाने के कारण कुछ क्षेत्र जलमग्न हो गये थे अन्यथा हमें इस बात की अपेक्षा करनी चाहिये कि कोसी के क्षेत्र को बाढ़ से बचा लिया है । जहाँ तक देश में बाढ़ की सामान्य स्थिति का सम्बन्ध है, इस दिशा में जितना कार्य किया गया है उससे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के केवल 25 प्रतिशत भाग की रक्षा हुई है । अभी बहुत कुछ कार्य करना बाकी है तथा यह कहना सम्भव नहीं है कि हम गंगा तथा अन्य नदियों से अन्य क्षेत्रों की हुई हानि को निर्धारित समय में रोक देंगे ।

Shri Sita Ram Kesri : Heavy loss is caused due to floods in our State, particularly the floods in the Kosi and the Ganga rivers and Government gives us assurances that the schemes for trobeting these areas from floods will be considered. I want to know whether Government has any plan in the present situation for preventing heavy floods in the Kosi river which destory lakhs of acres of crops every year. Heavy damage was caused last year and the measures to prevent heavy loss worth crores of rupees which is caused by floods of Ganga river and the posible loss expected in future ?

डा० कु० ल० राव : दरभंगा का क्षेत्र कोसी नदी से इतना अधिक प्रभावित नहीं है, यह तो कमलाबालान योजना से अधिक प्रभावित होती है । हमें कमलाबालान की समस्या को हल करने के लिये कार्यवाही करनी है । हमने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही तो कर दी है परन्तु हमने उसे समाप्त नहीं किया है । इस विषय की जाँच करने तथा उस पर अच्छा प्रतिवेदन देने के लिए हमने एक समिति की नियुक्ति कर दी है । इसका वास्तविक क्रियावियन बिहार राज्य से उपलब्ध धन पर निर्भर करता है । वस्तुत: बिहार भारत के बहुत कठिन क्षेत्रों में से एक है जहाँ बाढ़ का समाहरण होता रहता है तथा उत्तरी बिहार को बहुत अधिक सीमा तक बाढ़ से मुक्त करने में कुछ समय लगेगा ।

श्री चं० चु० देसाई : माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि नर्मदा योजना, विशेषकर बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई तथा विद्युत् की सम्भाव्यता को दृष्टि में रखते हुए एक बहुत विस्तार-युक्त योजना लम्बित है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है ? हम प्रति दिन यही पढ़ते हैं कि अन्तिम प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु इस अन्तिम प्रयत्न में पिछले अनेक वर्षों से प्रगति हो रही है । यह योजना विवाचन अथवा निर्णय के लिये तीसरे

ा को कब सौंपी जायेगी ? मैं इसकी निश्चित तिथि जानना चाहता हूँ। मैं यह भी जानना ाहता हूँ कि हमें विवाचक अथवा न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन यथासम्भव शीघ्र मिलने के लिये ा समय निर्धारण किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार दल गई है । अतः यह स्वाभाविक है कि नया मन्त्रिमण्डल के गठन होने तक हमें प्रतीक्षा रनी पड़ेगी। जैसे ही नये मन्त्रिमण्डल का गठन हो जायेगा हम इस मामले के सम्बन्ध में राज्य रकार से बातचीत करेंगे ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : श्रीमान जी, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के ारण बाढ़ आती हैं । नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के जलक्षेत्रों में भारी बर्षा होने के कारण ुजरात में बाढ़ आई । यदि वहाँ से पानी के बहाव को नहीं रोका गया तो गुजरात में बाढ़ ो नहीं रोका जा सकता । अतः मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश े पानी के बहाव को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है जिससे ुजरात में बाढ़ को रोका जा सके ?

डा० कु० ल० राव : गुजरात में बाढ़ को रोकने के लिये मध्य-प्रदेश में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है । डेल्टा वाले क्षेत्रों में अलग-अलग कार्य करने पड़ेंगे जैसे जलाशयों तथा बाढ़ के लिए बाँधों का निर्माण आदि । ताप्ती नदी पर दोनों योजनाएं आवश्यक हैं। ये प्रायः पूरी होने जा रही हैं और जून 1971 तक पूरी हो जायेंगी तथा उस समय तक ताप्ती में बाढ़ को भली प्रकार नियंत्रण में कर लिया जायगा। जब तक नर्मदा पर जलाशय नहीं बनेंगे, यह कहना सम्भव नहीं कि वहाँ बाढ़ प्रभाव रूप से रोकी जायेगी । इसमें कुछ समय लग जायेगा । पिछले वर्ष से गुजरात भारत के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के मानचित्र में आ गया है । पिछले वर्ष तक उस क्षेत्र में कोई अवधेय बाढ़ नहीं थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : सभा-पटल पर रखे गये इस विवरण से पता चलता है कि पश्चिमी बंगाल को 1967-68 में दी गई केन्द्रीय सहायता 73 लाख रुपये थी। आगामी वर्ष में उत्तरी बंगाल में, जिसके विषय में आप जानते हैं, विध्वसक बाढ़ से पूर्व 119 लाख रुपये की व्यवस्था है। इस 119 लाख रुपये की राशि में 50 लाख रुपये का विशेष अनुदान भी सम्मिलित है जो बाँधों को ऊँचा करने तथा उन्हें और अधिक मजबूत गनाने के लिये खर्च के रूप में है । यदि इस 50 लाख रुपये की विशेष अनुदान की राशि को 119 लाख रुपये में से घटाया जाये तो वास्तविक राशि पिछले वर्ष दिये गये धन से भी कम है । जो कुछ जलपाई-गुड़ी, कूच-बिहार तथा दार्जिलिंग जिलों में हुआ, तथा सारा उत्तरी बंगाल का व्यवहारिक रूप में विध्वंस हो गया, इन सब तथ्यों की देखते हुये मैं मन्त्री यहोदय से निवेदन करता हूँ कि बांधों के लिये विशेष खर्च को बाढ़-नियंत्रण के लिये निर्धारित साधारण सहायता, जो पिछले वर्ष की निर्धारित राशि से भी कम है, में मिला दी जाये । इस प्रकार के कन्जूसीपन के व्यवहार का क्या अर्थ है ?

डा० कु० ल० राव : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर कुछ नीति सम्बन्धी विचार करने की आवश्यकता है । केन्द्र यह करता है कि ऋण सम्बन्धी निश्चित सहायता देता है, जो राज्यों को ऋण देने के नाम से कहा जाता है । ये ऋण राज्यों की योजनाओं में अनिवार्यतः लगाये जाते हैं । पश्चिमी बंगाल के मामले में मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि वहाँ अनेक जिलों में बाढ़ से हुई हानि को रोकने के लिये अनेक निर्माण–कार्य करने की आवश्यकता है । दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल राज्य अपनी राज्य-योजनाओं का समंजन करने में समर्थ नहीं है तथा अतिरिक्त धन जुटाने में भी असमर्थ है । यही कारण है कि वहाँ, राजस्थान नहर की तरह कठिनाई उत्पन्न हो गई है । कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे । मैं नहीं जानता कि वास्तव में क्या करना है । वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी बंगाल को बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम के लिये इस समय उपलब्ध धन से अधिक राशि की आवश्यकता है । उस धन को राज्य की योजना में संजोने के लिये कुछ उपाय तो निकालने ही पड़ेगें । केन्द्र से और अधिक सहायता देने में यह कठिनाई होती है ।

श्री को० सूर्यनारायण : मैं जानना चाहता हूँ कि 1967-68 में विभिन्न राज्यों के नियत धन में से कितनी राशि खर्च हो गई है तथा खाद्यान्न के उत्पादन से सरकार को कितनी सुविधा प्राप्त हुई है ? आप जानते हैं कि नियंत्रण योजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपये बढ़ाने के लिये आँध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर लगाने का विचार किया है । भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये, क्या सरकार ऋण अथवा अनुदान की सहायता देने को तैयार है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने निवेदन किया है भारत सरकार ऋण देने का कार्य करती है और वे ऋण इस रूप में दिये जाते हैं कि यदि राज्य सरकार उन्हें अपनी योजनाओं में ही उनको बराबर व्यवस्था कर सकती है तो उन्हें ऋण का धन मिलता है और इसके सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होती । जहाँ तक आँध्र प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है, सरकार अपने राज्य की योजनाओं में अल्प आर्थिक व्यवस्था होने के कारण पर्याप्त धन नहीं जुटा सकती । जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है सच है । जनता प्रत्येक एकड़ से स्वतः योगदान करके धन एकत्र करने का प्रयत्न कर रही है और यदि ऐसा करने में योग्य उतरते हैं तथा पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाता है तो बाढ़-नियंत्रण के उपाय और आगे किए जा सकते हैं ।

Shri Rabi Ray : How much amount has been given by the Central Government to Orissa Government for Salt lake being reconstructed in Chilka which was washed away by floods and cyclone last year as a result of which Puri and Ganjam districts had suffered a great loss ? May I know whether complaints have been received from the Orissa Government to the effect that the work of the construction of salt lake in Chilka is not making any progress due to shortage of fund ? Keeping in view this complaint of Orissa Government will the Central Government give some financial assistance to the State Government for this work ?

डा० कु० ल० राव : कुछ कार्य आरम्भ किये जाने पर ही चिल्का की समस्या हल हो सकती है । इस समय हम उड़ीसा सरकार से कह रहे हैं कि वह जाँच-पड़ताल करे

तथा विचार किये जाने के लिए तथा क्रियान्विति के लिए प्रतिवेदन तैयार करे। मैं इस मामले पर विचार करके देखूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, किस प्रकार सहायता की जा सकती है अथवा उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है ?

Shri Rabi Rai : How much amount is short in respect of the construction of Chilka lake and how much amount has been asked for by Orissa Government ?

डा० कु० ल० राव : उड़ीसा सरकार ने इसके लिए कोई धन नहीं माँगा है। मैं यह कह चुका हूँ कि मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री वि० कृ० दासचौधरी : मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़–नियंत्रण के लिये अवश्य कुछ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाढ़-नियंत्रण के लिये केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई वृहद् योजना प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो क्या सरकार इस वृहद् योजना को स्वीकार करके चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करेगी ?

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने में कोई कठिनाई है। किन्तु क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर सकेगी क्योंकि पहले यह धन की व्यवस्था नहीं कर सकी थी। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा। यदि इसे राज्य की योजना में सम्मिलित करके इसके लिए धन की व्यवस्था की जाये, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु अन्य अनेक क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हुए मुझे शक है कि राज्य सरकार बाढ़-नियंत्रण के लिए धन की व्यवस्था कर पायेगी। पश्चिम बंगाल की समस्या पर आसाम और बिहार की समस्याओं के साथ विचार करना पड़ेगा। बाढ़ की वृद्धि से भारत में तीन राज्य सर्वाधिक पीड़ित रहते हैं।

श्री विश्वनाथ राय : क्या घागरा, राप्ती, गंडक आदि नदियों में बाढ़ प्रतिवर्ष आने से बाढ़ की रोकथाम के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलत किये जाने के हेतु कुछ विशेष प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : मैं समझता हूँ कि चितोनी के निकट गंडक से होने वाली भूमि के कटाव को रोकने के, जिस पर बहुत धन व्यय होगा, अतिरिक्त और कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है। मंत्रालय ने बाढ़-नियन्त्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के हेतु मन्त्रालय ने एक योजना बनाई है जिस पर 320 करोड़ रुपये व्यय होंगे। वित्तीय कठिनाई के कारण हमने कहा है कि इसके लिए कम से कम 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हम कुछ कारगर कार्य कर सकें। यद्यपि अभी चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, तथापि मैं समझता हूँ कि इस के लिए बहुत कम धन की व्यवस्था की जायेगी। वित्तीय कठिनाई ही एक ऐसी बाधा जिसके कारण हम उतना अधिक काम नहीं कर सकते हैं जितना कि हम चाहते हैं।

श्री क० लकप्पा : यह लज्जा की बात है कि भारत सरकार बाढ़–नियंत्रण के संबंध में भी राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वित नहीं कर पाई है, बाढ़ों की विभीषिका के कारण फसलें

नष्ट होती हैं तथा जान–माल तथा पशुओं की बहुत अधिक क्षति होती है। बाढ़-नियंत्रण के मामले में दक्षिण-भारत के राज्यों की तो नितान्त उपेक्षा की गई है। वर्ष 1968-69 में भारत सरकार ने मैसूर राज्य को केवल 3 लाख रुपये दिए थे। क्या मैसूर के लोगों को बाढ़-विभीषिका से बचाने के लिए बंगलौर में मनचनावेल में बाढ़-नियन्त्रण परियोजना को इसमें सम्मिलित कर ली गई है? बाढ़-नियन्त्रण के लिए मैसूर सरकार द्वारा बनाई गई योजना केन्द्र द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। क्या भारत सरकार इन सब को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नीति के रूप में बाढ़ नियन्त्रण कार्य आरंभ करेगी तथा क्या इन सब पहलुओं की तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर के साथ किये गये भेदभाव के बारे में जाँच करने के लिए एक उच्च शक्ति–प्राप्त समिति नियुक्ति की जायेगी?

डा० कु० ल० राव : मैसूर में बहुत कम बाढ़ आती हैं। माननीय सदस्य ने सूखा-सहायता के लिए प्रश्न उठाया है। यह सच है कि जिस परियोजना का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उसे क्रियान्वित करने के लिये माननीय सदस्य श्री हनुमन्तैया तथा अन्य माननीय सदस्यों ने बार–बार अनुरोध किया है। इस परियोजना के तैयार हो जाने से शहतूत के पेड़ बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट होने से बच जायेंगे। इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करना मैसूर के लोगों के हित में तथा राष्ट्रीय हित में है।

अग्निगुण्डाला क्षेत्र में ताँबे के निक्षेप

* 903 : डा० रानेन सेन : श्री क० हाल्दर :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री रामावतार शास्त्री :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुण्डाला क्षेत्र में ताँबा निक्षेपों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन निक्षेपों का व्यापारिक लाभ उठाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) – अग्निगुण्डाला सीसा—तांबा पट्टी के विकास का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (अब हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) को अप्रैल, 1967 में सौंपा गया था।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये अन्वेषणों से अग्निगुण्डाला तांबा–सीसा पट्टी में तीन संभावित कार्ययोग्य निक्षेपों में अर्थात् सीसा तथा तांबे के लिये बन्डला–

मोट्ट, तांबे के लिये नल्लाकोन्डा और तांबे तथा सीसे के लिये घुकोन्डा खण्ड, के संकेत मिले हैं। तदनुसार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (अब हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) ने इन निक्षेपों के विकास के लिये प्रारंभिक सम्भाव्यता-अध्ययन प्रारंभ किये हैं।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने बन्डलामोट्टू खंड के ऊपरी स्तर के विकास के लिए एक प्रारंभिक सम्भाव्यता-रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अनुसार ऊपरी स्तरों से 500 मैट्रिक टन सीसा अयस्क प्रतिदिन के उत्पादन के लिये, एक खान का विकास तथा साथ ही साथ एक अधिक बड़ी खान के आयोजन के विचार से, सीसे और जस्ते के लिए निक्षेप का गहराई तक समन्वेषण किया जाना प्रस्तावित है। योजना की पूंजीगत लागत का अनुमान प्रद्रावक के साथ 5·69 करोड़ रुपये और प्रद्रावक के बिना 4·89 करोड़ रुपये बैठता है।

डा० रानेन सेन : अग्निगुन्डला ताँबा निक्षेपों के बारे में गत वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि केवल खोज-कार्य चल रहा है। अब मन्त्री महोदय ने प्रगति के बारे में बताया है। क्या ताँबे, जिसका भारत में कम उत्पादन होता है, की खोज तथा उसके उत्पादन के लिए कोई व्यापक योजना है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है कि भारत में ताँबे की कमी है और हम प्रतिवर्ष लगभग 50,000 मीट्रिक टन ताँबे का आयात करते हैं। हमने बिहार में राखा, राम सिद्धेश्वर और तामापहाड़ तथा आन्ध्र प्रदेश में तीन स्थानों में ताँबे की खानों का पता लगाया है। हम यथाशीघ्र खदान आरंभ करके ताँबा निकालना चाहते हैं।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री को पता है कि लगभग दो वर्ष अथवा उससे कुछ सयय पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार को बताया था कि पश्चिम बंगाल के बिहार की सीमा से लगने वाले पुरलिया जिले में बाघमन्डी तथा कुछ अन्य स्थानों में ताँबे के निक्षेप पाये गये है ? क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री जगन्नाथ राव : निक्षेपों के बारे में मैं भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग से पता करूँगा।

Shri Ram Avatar Shastri : May I know whether the Telangana agitation has in any way affected the work in copper deposits area and if so, the extent to which these are affected ?

The discontentment among the workers will naturally hinder the progress of any work. I am told that the workers of copper deposits there are not satisfied becuase their necessary demands are not met. May I know whether any charter of demand from the workers has been submitted to the Government, and if so, what is Government's reaction in regard thereto ?

श्री जगन्नाथ राव : ये निक्षेप आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, है जो एक तटवर्ती जिला है और तेलंगाना आन्दोलन का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जाती है। चूँकि यह परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में है इसलिए वहाँ पर श्रमिक-समस्या का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि योजना तैयार कर ली गई हैं और उसे शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा । उन्होंने प्रदावक संयंत्र समेत तथा प्रद्रावक संयंत्र के बिना संयंत्र की लागत के आँकड़े भी बताये हैं । क्या प्रद्रावक संयंत्र समेत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया हैं ? क्या मन्त्री महोदय को पता है कि न केवल अग्निगुन्डला में अपितु आन्ध्र प्रदेश में कुछ अन्य स्थानों में, विशेषतः कुर्नूल जिले के गनी क्षेत्र में, तांबे के बड़े निक्षेप पाये गये हैं और यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में प्रद्रावक संयंत्र वाले संयंत्र स्थापित किये जायेंगे तथा इन खानों से ताँबा निकाला जायेगा ?

श्री जगन्नाथ राव : अभी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु हम समझते हैं वहाँ पर प्रद्रावक संयंत्र लागना लाभप्रद है । यद्यपि प्रद्रावक संयंत्र लगाने से परियोजना पर 5·69 करोड़ रुपये कि लागत आयेगी, तथापि इनसे उपलब्धि लगभग 16 प्रतिशत होगी जब कि बिना संयंत्र वाली परियोजना पर लागत थोड़ी ही कम आयेगी किन्तु उससे उपलब्धि केवल 4 प्रतिशत होगी । इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर प्रद्रावक संयंत्र की व्यवस्था की जाये, यद्यपि अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित अन्य निक्षेपों के बारे में जाँच-पड़ताल करनी पड़ेगी । किन्तु देश में जहाँ कहीं भी तांबे के निक्षेपों का पता लगता है, हम वहाँ खदान करके ताँबा निकालने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि देश में ताँबे की कमी हैं ।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : मन्त्री महोदय का यह कहने से क्या तात्पर्य है कि वे उसके पक्ष में हैं किन्तु अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ?

श्री जगन्नाथ राव : इसका तात्पर्य यह है कि हम इसके पक्ष में हैं किन्तु इसके बारे में निर्णय किया जाना हैं ।

श्री सोनवाने : मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में तांबे की कमी है और हम प्रति-वर्ष 50,000 मीट्रिक टन तांबे का आयात करते हैं जब कि सर्वेक्षण के अनुसार भारत में तांबे के निक्षेप हैं । इन खानों में शीघ्र ताँबा निकालने में क्या कठिनाइयाँ हैं, और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या अविलम्बनीय कार्यवाही की गई है जिससे देश में तांबे की कमी दूर हो सके और विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ? मंत्री महोदय द्वारा "शीघ्र क्रियान्वित की जायेगी" कहे जाने से कितना समय लग जाने से तात्पर्य है ?

श्री जगन्नाथ राव : तांबा सब स्थानों से अन्य खनिजों की भांति शीघ्र नहीं निकाला जा सकता है । इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है जिनकी हमारे पास कमी है । बंडलामोट्टू की अग्रिम परियोजना के लिए हमें तकनीकी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी । यह कार्य हमने स्वयं कर लिया था । हमने इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले विभिन्न देशों से अनुरोध किया है । हमें उनके प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और हम यह निर्णय करने के लिये विचार कर रहे हैं कि हम किस देश से सहयोग लें ताकि हम यथाशीघ्र इन खानों से ताँबा निकाल सकें ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : यदि सरकार देश में उपलब्ध ताँबे के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा जोरदार नीति अपनाई जाती तो देश में ताँबे की कमी दूर हो सकती थी। उदाहरणार्थ मैसूर राज्य में चित्रदुर्ग में ताँबे की खोज का कार्य पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, जो सरकार की योजना है जिससे ताँबा और गन्धक, दोनों मिल सकते हैं। इससे न केवल ताँबे की अपितु गन्धक की कमी भी दूर हो जायेगी। क्या सरकार ने इस योजना को कार्य-रूप दिया है और इन खानों से ताँबा निकालने का कार्य आरम्भ किया है ? मुझे विश्वास है कि हमें इस योजना की क्रियान्विति से ताँबा और गन्धक दोनों मिल सकते हैं।

श्री जगन्नाथ राव : मैं बता चुका हूँ कि बिहार और आन्ध्र प्रदेश राज्य में ताँबा के निक्षेप पाये गये हैं और उन्हें कार्य-योग्य समझा गया है। मैसूर की निक्षेपों के सम्बन्ध में मुझे भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग से व्यवहारिकता का पता लगाना होगा और व्यावहारिकता-रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही हम इन खानों से ताँबा निकालने की बात सोच सकते हैं।

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

+

*904. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री रवि राय :
श्री जनार्दनन :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री सीताराम केसरी :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन करने के प्रश्न को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसको कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) से (ग) मामला अभी विचाराधीन है। सरकार उस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है जो उसने निगम के व्यय के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद ही निर्णय किया जायगा।

Shri Yajna Datt Sharma : May I know whether Government propose to abolish the zonal office of L. I. C. in order to establish direct contact between the Central Office and the Divisional offices as has been recommended by the Administrative Reform Commission and Morarka Committee ?

May I also know whether Government propose to give the maximum representative shape to the Policy Holders Council and the Central Board of Directors at the central level by discontinuing the nomination of members and directors to the Council and the Board respectively ? Representatives of workers, well—organised associations and agriculturists and also the experts can be taken in them. The L. I. C. is investing an amount of Rs.50 lakhs a day in the business but not getting the return to the expectations because some vested interests are in the Corporation.

Shri Jagannath Paharia : I have already stated that the matter is still under consideration. Government are awaiting the report of Morarka Committee appointed to go into the matter. As soon as the report is received the Government will examine it along with the reports of the Administrative Reform Commission and Public sector and then a decision will be taken in this regard.

Shri Yajna Datt Sharma : It means no supplementary should be asked on it. He has only one thing to say in reply to all questions relating to it. He will not give any new information about it. Let this question be postponed.

Shri Jagannath Paharia : The reports of Morarka Committee and Administrative Reforms Commission are two separate reports.

Shri S. K. Tapuriah : What is the time-limit for Morarka Committe Report ?

Shri Jagannath Paharia : 30th April, 1969.

Shri Yajna Datt Sharma : May I know whether Government will set up a vigilance and independent cell other than internal inspection and audit systems in L. I. C., which will see into the legal weaknesses of the employees ? These days 94 per cent of L. I. C. cases are found loose.

श्री प्र० चं० सेठी : मोरारका समिति इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई थी। नवीकरण पर आने वाले खर्च और दूसरे खर्च का अनुपात बढ़ता जा रहा है। मोरारका समिति को इसकी जाँच का काम सौंपा गया था । उसका काम यह पता लगाना था कि खर्च कहाँ कम किया जा सकता है और क्षेत्रीय कार्यालयों में सुधार कैसे किया जा सकता है ? इसके साथ ही प्रशासन सुधार आयोग का प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ । हम इन सभी प्रतिवेदनों पर विचार करेंगे ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या जीवन बीमा निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसे शिकायत विभाग खोले जायेंगे, जिनमें बीमा कराने वाले अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकें और जो उनकी शिकायतों की जांच करके शिकायत करने वालों की कठिनाइयों को दूर करें ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : परन्तु यह ठीक से काम नहीं कर रही है। क्या उसमें सुधार किया जायेगा ?

Shri George Fernandes : It is a Corporation belonging to public sector. But the capital of this Corporation is being invested in private sector i.e. in monopoly houses belonging to big industrialists like Birla Brothers. Will its capital be invested in public sector and small-scale industries ?

Shri Jagannath Paharia : As regards the monopoly groups investment in houses, a statement detailing the investment made in private sector will be placed on the Table of the House. As regards the investment in small-scale industries and giving of funds for development of rural sector , I want to say that efforts are being made in this direction.

Shri George Fernandes : The Administrative Reforms Commission has made two recommendations about Policy Holder's Council and the reduction in premiums. May I know whether Government have taken any decision thereon, if not, the time by which such a decision will be taken ?

श्री प्र० चं० सेठी : जीवन बीमा निगम की पूँजी का 72.6 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में, 19 प्रतिशत निजी क्षेत्र में, 7.8 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में और 0.6 प्रतिशत संयुक्त क्षेत्र में लगा है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि जीवन बीमा निगम का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र में लगा है।

जहाँ तक प्रीमियम की दर कम करने का सम्बध है, उसके लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और उसका प्रतिवेदन निगम को दे दिया गया है।

Shri George Fernandes : What is about the recommendations made by A. R. C. ?

Shri P. C. Sethi : A Committee was appointed on this question. The report submitted by the Committee is under consideration of L.I.C.

Shri Rabi Ray : While taking the policy, the age of policy-holders is not settled which creates problem afterwards. Will the Government make such an arrangement under which the difficulties arising in regard to settlement of age may be put to an end.

Shri Jagannath Paharia : Such efforts are made even at present.

उपाध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न पूछते हुए मुख्य प्रश्न की सीमा को ध्यान में रखा जाये।

Shri Sita Ram Kesari : One of the suggestions given by A. R. C. is that the payment to the nominee of deceased should be paid within one month of the death of policy holder. May I know whether Government have taken any decision thereon ?

Shri Jagannath Paharia : The efforts are made to make payment to the nominee of the policy holder as soon as possible after the death of policy holder.

Shri Sita Ram Kesari. : Will the payment to the nominee of deceased be made within one week of his death ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि 1967–68 में जीवन बीमा निगम में कुल 18,340 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें भुगतान और पोलसी खत्म कराने से सम्बन्धित मामले 659 थे। साथ ही प्रशासन सुधार आयोग ने पोलिसियों के निबटारे के बारे में जो सिफारिशें की हैं उन पर भी विचार किया जायेगा।

Shri Yogendra Sharma : Sir, there is a great discontentment in public L .I. C. because of the fact that the L. I. C. has been a failure in achieving its targets. The people appointed in the Board of Directors are those who do not believe in the aims and objectives of L. I. C. Why do the Government appoint such people in the Board of Directors ? Will the Government take some steps to remove the discontentment in employees against their officers ?

Shri Jagannath Paharia : Government always try to appoint such people in the Board of Directors, who are expert in insurance business. We also try to maintain good relations between the officers and their staff . The complaints which we receive in this regard are looked into by Government. We try to remove the discontentment completely.

Shri Yogendra Sharma : I would like to know whether the discontentment is increasing or decreasing ?

Shri Jagannath Paharia : I think it is decreasing.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : जब से जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ तब से उसमें कार्य कुशलता का ह्रास हुआ है। सरकार से जब इस बात की शिकायत की जाती है तो वह कोई न कोई जाँच समिति नियुक्त कर देती है। हाल ही में प्रशासन सुधार आयोग ने जीवन बीमा निगम की कार्य-प्रणाली की जाँच की है और उसने दो निष्कर्ष निकाले हैं। पहला यह है कि अधिक लाभ होने के कारण जीवन बीमा निगम प्रीमियम की दर कम कर सकता है और अपने कर्मचारियों को अधिक बोनस दे सकता है। दूसरा यह है कि निगम को पूंजी का विनियोजन नीति के आधार पर नहीं करना चाहिये, बल्कि वहाँ करना चाहिये जहाँ से उसे अधिक लाभ हो। क्या सरकार इन निष्कर्षों के बारे में प्रतिवेदन की जाँच के बाद कोई निर्णय करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जीवन बीमा निगम के कार्य का ठीक मूल्यांकन न करना अनुचित है। जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1968-69 में 928.12 करोड़ रुपये का व्यापार किया है। फिर भी मैं मानता हूँ कि उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। इसीलिए सरकार प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों की जाँच कर रही है। जहाँ तक सम्भव होगा उक्त सिफारिशों के आधार पर सरकार आगे सुधार करेगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों से सहमत है और क्या सरकार उन पर निर्णय करने के लिये 30 जून की सीमा निर्धारित करेगी।

श्री प्र० चं० सेठी : जब तक प्रतिवेदन की जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि हम उनसे सहमत हैं या नहीं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : जीवन बीमा निगम एक ऐसी संस्था है जो सामान्य लोगों से मँहगा रुपया खींचती रहती है और उन्हें सस्ता रुपया वापस करती है। इसी भाँति जब बड़ा

पूंजीपति निगम से धन उधार लेता है तो रुपये का मूल्य अधिक होता है परन्तु जब वह ऋण-राशि को वापस करता है तो रुपए का मूल्य कम होता है। क्या सरकार मुद्रा स्फीति और अवमूल्यन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईक्विटी पोलिसियाँ जारी करने के लिए कोई योजना बनायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वैसे यह कार्य के लिए एक सुझाव मात्र है।

Shri Sheo Narain : The settlement of the accounts of those who hold paid-up capital, but who could not make payment of premium till maturity of their policies, is not often made. Similarly, the nominese of a policy holder does not get payment within one week or one month. It takes much larger time. Who is responsible for this delay ? At least Government should give such an assurance that a man who holds paid up-policy will be made acquintcd with his accounts before his death.

Shri Jagannath Paharia : It is very difficult to do so because who will calculate the time by which a particular man is likely to die. [Interruptions]

Shri Sheo Narain : It is not a joke, Sir.Kindly do not allow him to cut joke like this. I want definite answer to my question.

Shri Jagannath Paharia : Sir, I said that it can be decided only after death; Secondly, settlement of a case takes longer period when there are more than one claimant. In such case first the claim is decided in the court and thereafter payment is made.In normal cases efforts are made to make payment as soon as possible. As regards the accounts in respect of paid-up policy, there are certain rules which regulate it. Moreover if the break is too much, the policy lapses. If there is any particular case, let us know the details to make inquiry into that.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार को दो विषमताओं का पता है ? पहली विषमता यह है कि ग्रामीण क्षेत्र से निगम को 40 प्रतिशत धन प्राप्त होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निगम कुल 3 प्रतिशत धन लगाता है। दूसरी यह है कि सरकारी क्षेत्र में निगम की पूंजी लगाये जाने पर आजकल एक प्रकार की रोक-सी लगी हुई है। सरकार का इन विषमताओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ग्रामीण क्षेत्रों से जीवन बीमा निगम को अभी तक 28 प्रतिशत धन प्राप्त होता है। यह ठीक है कि सहकारी क्षेत्र में पूंजी कम लगी है। भविष्य में सहकारी क्षेत्र में हमें अधिक पूंजी लगानी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में 72 6 प्रतिशत पूंजी लगाई जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Minister has told that 19 per cent of L. I. C. fund is invested in private sector. But I think the return therefrom is less than that received for the investment elsewhere May I know whether Government will place a list of those firms where a sum of more than 10 lakhs of rupees out of L. I. C. fund is invested ? Secondly, the L.I.C. should act as an ideal employer. But there is great dissatisfaction in the staff of L. I. C. on

matters of automation etc. May I know whether Government will set up a committee to enquire into such complaints ?

Shri P. C. Sethi : We have been collecting the information regarding those first ten groups whose names have appeared in Manopolies Inquiry Commission's report and about 75 other groups mentioned. The statement will be laid on the Table of the Houe. Secondly, while dealing with the redressal of the staff's grievances, we try to effect economy in expenditure as well as to satisfy the employees.

Shri Kanwarlal Gupta : I did not ask about the Monoplies Commission's report. I aked to place a list before House.

Shri P. C. Sethi : It is very difficult to give figures in respect of investment in individual companies. As regards the information about big companies, I will give information about them.

Shri Randhir Singh : The L. I. C. fund, instad of being utilized for national development is being utilized for the benefit of vested interests. The loan under 'Own Your Housing Scheme' is given to big capitalists who are already living in cities but the loan for this purpose is not advanced to people of rural areas. May I know whether Government intend to extend this scheme to rural areas also, secondly, whether an amount of 1,000 crores will be mobilised out of L. I. C. funds to be advanced as loans to farmers for tube-wells, pumping sets, tractors and other agricultural implements so that the agricultural production may go up ?

Shri Jagannath Paharia : Yes Sir, it is a fact that 'Own Your House Scheme' till now covers only those cities the population of which is more them one lakh. Now we are considering to introduce this scheme for 50 cities with a population of less than one lakh. We are also considering a proposal to give loan for housing purposes to all policy holders, who will apply for it. As soon as such a scheme is prepared, we will give you information.

Shri Randhir Singh : What about loan to farmers ?

Shri Jagannath Paharia : It is very difficult to deal with all farmers individually. L. I. C. gives loans to electricty boards, municipalities and State Government tube-wells schemes. There is not even a single case in which we did not give fund to State Government for electricity and water provision on their request.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की मान्यता वापस ले ली गई है, जिसके परिणामस्वरूप बीमा कर्मचारियों से सम्बद्ध कई मामलों पर, जिनमें संगणक का लगाया जाना भी सम्मलित है, चल रही बातचीत में अवरोध उत्पन्न हो गया है ? अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या कर्मचारियों ने इस बात पर बल दिया है कि बिना राज्य सरकार की सलाह से कलकत्ते में संगणक न लगाया जाये ?

Shri P. C. Sethi : As far as the introduction of computers is concernd only 158 employees will be declared surplus while L. I. C. gives jobs to 1500 fresh people every year. So comparatively the number of surplus employees is not too much. On the other hand it is very necessry to increase efficiency. Efforts will also be made to absorb the people declared surplus. As regards the grievances of the staff they are under consideration of Government.

अल्प-सूचना प्रश्न 13 के बारे में
Re. Short Notice Question-13

श्री समर गुह : अल्प-सूचना प्रश्न के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रश्न के माध्यम से खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम पर आरोप लगाया गया है। यह उचित होगा यदि इसका उत्तर खाद्य मंत्री स्वयं दें। पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री ने श्री जगजीवन राम के कथित वक्तव्य के आधार पर उन पर आरोप लगाया है। स्वयं खाद्य मंत्री, जो इस समय सभा में हैं, इस प्रश्न का उत्तर दें, मैं यह आशा करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय स्वयं मंत्री करेंगे कि किस मन्त्री को इसका उत्तर देना है।

श्री शिव नारायण : मन्त्रालय से सम्बद्ध कोई भी मन्त्री उत्तर दे सकता है।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

पश्चिमी बंगाल में आनाज की प्रति व्यक्ति खपत

+
अल्प-सूचना प्रश्न 13. **श्री समर गुह :** **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री क० लकप्पा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के खाद्य मन्त्री द्वारा 19 मार्च, 1968 को पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् में दिये गये इस वक्तव्य की ओर न दिलाया गया है कि केन्द्रीय खाद्य मन्त्री, श्री जगजीवन राम ने दिल्ली में हुई हाल की बातचीत में पश्चिमी बंगाल के मन्त्री को कहा कि कमी वाले राज्य के निवासी होने के नाते पश्चिमी बंगाल के लोगों को प्रति दिन 16 औंस अनाज का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। केन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने सुझाव दिया कि पश्चिमी बंगाल के लोगों को अनाज का उपयोग कम करके 13.2 औंस पर देना चाहिये;

(ख) यदि खाद्य मन्त्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है तो पश्चिमी बंगाल के लोगों के लिए अनाज के उपभोग की प्रति व्यक्ति मात्रा निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिमी बंगाल की खाद्यान्न की कमी को दूर करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) वक्तव्य के सम्बन्ध में अखबार में छपी एक रिपोर्ट देखी गई है। पश्चिमी बंगाल के खाद्य मन्त्री द्वारा विधान सभा में दिए गए वक्तव्य की एक प्रति प्राप्त कर ली गई है। उसकी एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाती है। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, वास्तविक स्थिति यह है कि केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री, उप-मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री के

बीच विचार-विमर्श के दौरान यह पाया गया कि राज्य सरकार का खाद्यान्न की कमी संबंधी अनुमान का आधार 16 औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए है। यह बताया गया है कि अपनाया गया माप दंड 16 औंस प्रति वयस्क प्रति दिन था। इसके तथा उत्पादन के वर्तमान उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर अनुमानित आवश्यकता कम हो गई। यह पाया गया कि ठीक-ठीक अनुमान लगाने के लिए उत्पादन के अन्तिम आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। क्योंकि इस समय स्थिति बहुत अच्छी रही और मूल्य कम थे, अतः यह तय हुआ कि फिलहाल केन्द्रीय भंडार से पश्चिमी बंगाल को 12 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की सप्लाई होगी और इस वर्ष बाद में इस मामले पर पुनः विचार किया जा सकता है।

पश्चिमी बंगाल के खाद्य मन्त्री द्वारा पश्चिमी बंगाल विधान सभा में खाद्य नीति पर दिया गया वक्तव्य

पश्चिमी बंगाल में मौजूदा खाद्य स्थिति तथा मौजूदा खाद्य नीति के बारे में 10-3-1969 को हुई मन्त्रिमन्डल की बैठक में समीक्षा की गई थी। भारत सरकार ने वर्तमान राज्य-ज़ोनों को बनाये रखने का निर्णय किया है और इसलिये भारत के किसी अन्य राज्य से पश्चिमी बंगाल को चावल तथा गेहूँ के व्यापार खाते पर आयात करने की अनुमति नहीं दी है। अतः केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह चालू वर्ष में पश्चिमी बंगाल की समस्त कमी को पूरा करे जो तब तक उपलब्ध उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर 24 लाख मीटरी टन बैठती है। इस मामले पर 7-3-1969 को दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य मन्त्री तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री, उप-मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री के बीच भी विचार-विमर्श हुआ था। फिलहाल केन्द्रीय सरकार 1969 में पश्चिमी बंगाल को कुल 12 लाख मीटरी टन चावल तथा गेहूँ सप्लाई करने का वायदा कर सकती है जबकि चावल की मात्रा 1.5 लाख मीटरी टन से अधिक न होगी। 1968 में केन्द्र ने पश्चिमी बंगाल को कुल 15.2 लाख मीटरी टन अनाज सप्लाई किया था जिसमें लगभग 1.2 लाख मीटरी टन माइलो, मक्का आदि जैसे मोटे अनाज भी शामिल थे। तथापि, केन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने आगामी मई में स्थिति की समीक्षा करना मान लिया था जबकि चालू वर्ष के लिये पश्चिमी बंगाल में गेहूँ तथा ग्रीष्म की धान की फसल के उत्पादन सम्बन्धी पक्के आँकड़े उपलब्ध हो जायेंगे। केन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि जैसे मोटे अनाजों का व्यापार माध्यम से, बे-रोक-टोक संचलन जारी रहेगा।

मन्त्रिमंडल में इस मामले के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और निर्णय हुआ कि चालू वर्ष में खाद्य-नीति में किसी विशेष कठोर परिवर्तन का समय नहीं है। तथापि, आन्तरिक अधिप्राप्ति के कार्यों में तेजी लाई जायगी ताकि यथाशीघ्र न केवल 4.5 लाख मीटरी टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाय अपितु निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि भी हो जाय। भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वह और अधिक भुगतान-केन्द्र व क्रय-केन्द्र खोले और डी० पी० एजेन्टों को शीघ्र भुगतान तथा डी० पी० एजेंटों के गोदामों में माल शीघ्र उठवाना सुनिश्चित

करे और अधिप्राप्ति-कार्य तेज करने के लिये अन्य उपयुक्त पग उठाये । जिलाधीशों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने–अपने जिलों में सभी उपलब्ध जन-शक्ति तथा गाड़ियों को अधिप्राप्ति- कार्य तेज करने में लगाएँ ।

मिल मालिकों तथा उत्पादकों पर लगी वर्तमान लेवी बिना किसी परिवर्तन के चलती रहेगी लेकिन ली जाने वाली मात्रा की बेहतर देख-रेख तथा शीघ्र वसूली के लिए पग उठाए जाएँगे । राज्य के वर्तमान प्रतिबन्ध तथा सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों के आस–पास एवं अधिशेष जिलों/क्षेत्रों पर लगे प्रतिबन्ध भी बने रहेंगे ।

सांविधिक राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों की वर्तमान सप्लाई बनी रहेगी और इन जिलों में जब कभी आवश्यक हुआ, संशोधित राशन-व्यवस्था से सम्बन्धित लाभों से इन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा ।

मन्त्रिमन्डल में यह भी निर्णय किया गया कि मुरी के संचलन पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धों को हटा दिया जाय ताकि मुरी बिना किसी परमिट के राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सके ।

सरकार को आशा है कि इस नीति को चलाने में सारी पार्टियाँ सरकार से पूर्ण सहयोग करेंगीं ।

श्री समर गुह : माननीय मन्त्री ने कहा है कि जो वक्तव्य पश्चिमी बंगाल के खाद्य मन्त्री द्वारा दिया गया बताया जाता है वह पश्चिमी बंगाल के विधान परिषद् की कार्यवाही वृतान्त में नहीं है । परन्तु यह सच है कि यह वक्तव्य पश्चिमी बंगाल के सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था ।

श्री वी० कृष्ण मूर्ति : जब मन्त्री महोदय ने इस बात का एकदम खंडन किया है कि विधान सभा में मन्त्री ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया था । फिर मन्त्री के वक्तव्य की सचाई से सम्बन्धित प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है ? वह फिर भी मन्त्री विशेष पर आरोप लगाते जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि रिकार्ड की जाँच के बाद यह उत्तर दिया गया है तो उसके बारे मे शंका कैसे की जा सकती है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वक्तव्य के खंडन के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न में जिस वक्तव्य का संदर्भ दिया गया है वह पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा 19 मार्च को पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् में दिया गया था । मन्त्री महोदय ने कहा है कि उस वक्तव्य की प्रति वहाँ से मंगा कर सभा-पटल पर रख दी गई है, और उसमें कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है । जो वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया है वह विधान परिषद् में नहीं बल्कि विधान सभा में 19 मार्च को नहीं, बल्कि 13 मार्च को दिया गया था । इस प्रकार यह वह वक्तव्य नहीं है जिसके सन्दर्भ में प्रश्न पूछा गया है । वह सभा को गुमराह कर रहे हैं ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम : श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात का उत्तर मैं देना चाहूँगा। हमें वह वक्तव्य प्राप्त हुआ है जो खाद्य मन्त्री ने पश्चिमी बंगाल की विधान सभा में दिया था। मेरे विचार से यह वक्तव्य विधान परिषद् में भी रखा गया था। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि चूंकि पश्चिमी बंगाल कमी वाला राज्य है इसलिए वहाँ प्रति व्यक्ति अनाज की खपत 13 औंस होनी चाहिए। जब पश्चिमी बंगाल सरकार ने मुझसे यह कहा कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 16 औंस के हिसाब से उन्हें 62 लाख टन अनाज चाहिये, उस समय मैंने यह कहा था कि क्या राज्य की सारी जनता को वयस्क मान कर यह हिसाब लगाया जाता है। कुल जनसंख्या के 84 प्रतिशत को वयस्क माना जाता है और इसी आधार पर राज्य की अनाज सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है।

श्री समर गुह : बात तो जहाँ की तहाँ रही। मैंने उस वक्तव्य का उल्लेख किया है जो विधान परिषद् में दिया गया था, विधान सभा में नहीं।

यह आवश्यक नहीं है कि वह विधान सभा तथा विधान परिषद् में वही वक्तव्य दें तथा यह आवश्यक नहीं है कि विधान सभा तथा विधान परिषद् में दिये गये वक्तव्य की भाषा एक ही हो, तो सभी तथ्य ज्यों के त्यों हों। अतः प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नितांत असंगत है। यदि सरकार का विचार था कि वह वक्तव्य सच नहीं था अथवा खाद्य मन्त्री ने ऐसा वक्तव्य कभी दिया ही नहीं था तो केन्द्र सरकार का कर्तव्य था कि जैसे ही पश्चिमी बंगाल के प्रायः सभी समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था वह तुरन्त उसका प्रत्याख्यान करती। किन्तु ऐसा किया नहीं गया।

अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि कई वर्षों के अनुसंधान-कार्य के पश्चात् भारतीय चिकित्सा परिषद् इस परिणाम पर पहुँची है कि एक वयस्क के संतुलित भोजन में 14 औंस अन्न, 3 औंस दालें, 10 औंस शाक आदि तथा 10 औंस अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली जिनमें प्रोटीन पाया जाता है सम्मिलित होने चाहिए साथ ही यदि प्रोटीन वाले पदार्थ न हों तो उसके स्थान पर कम से कम 5 औंस दालें मिलनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अन्न के साथ दालें, सब्जियाँ तथा मांस और मछली जिनमें प्रोटीन होता है नहीं दी जातीं तो प्रति व्यक्ति 16 औंस अन्न मिलना चाहिये। क्या सरकार जानती है कि पश्चिमी बंगाल में और विशेषकर उसके औद्योगिक क्षेत्रों में चाय बागानों के क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को बहुत कम मात्रा में शाक-सब्जियाँ उपलब्ध हैं तथा उन्हें दालें तो बिल्कुल नहीं मिलतीं ?

अतः परिषद् के प्रतिवेदन के अनुसार भी यह नितांत आवश्यक है कि उनको 16 औंस अन्न मिलना चाहिए। क्या सरकार परिषद् की गणना को स्वीकार करेगी तथा पश्चिमी बंगाल के ग्रामीणों, श्रमिकों और मजदूरों को तो कम से कम 16 औंस अन्न देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगजीवन राम : संतुलित भोजन के बारे में चिकित्सकों ने विभिन्न प्रमाप निर्धारित किये हैं। हम कुल जनसंख्या को 84 प्रतिशत जन-संख्या के बराबर मान कर अन्न की उपलब्धि के बारे में हिसाब लगाते रहे हैं तथा मोटे रूप से प्रति वयस्क को इस प्रकार 16 औंस अन्न देने की व्यवस्था करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को यह भी विदित होगा कि गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य अनाज को देश के अधिकतर भागों में लाने-लेजाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उनको यह भी विदित होगा कि भारी मात्रा में मक्का, जौ, बाजरा तथा ज्वार पश्चिमी बंगाल में भेजी जा रही है जिससे कि श्रमिकों की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस तारीके से पश्चिमी बंगाल में चावल के मूल्यों में स्थिरता रखने में मुझे सफलता मिली है। पश्चिमी बंगाल में पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर के महीनों में चावल के मूल्यों में कमी आने की घटना होती नहीं है किंतु मूल्यों में कमी आई है। मेरा यह प्रयत्न रहा है कि पश्चिमी बंगाल को अधिक से अधिक मात्रा में विविध खाद्यान्न भेजा जाय जिससे कि वहाँ चावलों के मूल्यों में वृद्धि न हो तथा श्रमिकों को चावल और गेहूँ के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में दूसरा अन्न मिलता रहे। ऐसा हुआ भी है।

श्री समर गुह : पश्चिमी बंगाल में बाढ़ रूपी अभिषाप वहाँ के कृषकों को वरदान बन गया है क्योंकि इससे उन्होंने वर्ष में अधिक उत्पादन देने वाली दो विविध फसलों को उगाने का तारीका सीख लिया है। राष्ट्रपति शासन काल में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पश्चिमी बंगाल को 1971 तक खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ा कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योजना बनाई थी। वहाँ की वर्तमान सरकार ने भी उस योजना को स्वीकार कर लिया है। अतः क्या केन्द्र सरकार पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक धन, उर्वरक व कृषि औद्योगिक उपकरण तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सहायता देगी ? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हमारे देश में 100 लाख मीट्रिक टन दालों का उत्पादन होता है और जिसमें से 70 लाख मीट्रिक टन दालों का उपभोग मानव करते हैं तथा चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के प्रतिवेदन के अनुसार कम से कम यहाँ इससे तीन गुनी मात्रा में दालों का उत्पादन होना चाहिए, क्या केन्द्र सरकार पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्य सरकारों की सहायता करेगी जिससे देश में वर्तमान मात्रा से तीन गुनी मात्रा में दालों का उत्पादन किया जा सके ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : अधिक उत्पादन के विविधतापूर्ण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बारे में हम पश्चिमी बंगाल की सहायता करते रहे हैं। वास्तव में इस वर्ष 68,000 से 1,60,000 एकड़ भूमि में पैडी और गेहूँ का हम कार्यक्रम से दुगनी से तीन गुनी मात्रा तक अधिक उत्पादन हुआ है। अधिक उपज वाले विविधतापूर्ण कार्यक्रम को चलाने के बारे में हम सभी राज्य सरकारों की सहायता करते रहे हैं तथा हमारी नीति यही रहेगी।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : खाद्य समस्या चिंताजनक है किन्तु माननीय मन्त्री के वक्तव्य ने उसे और भी चिन्ताजनक बना दिया है । माननीय मन्त्री ने जो वक्तव्य सभा-पटल पर रखा है वह वास्तव में वही वक्तव्य नहीं है जो 19 मार्च, 1969 को पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् में वहाँ के खाद्य मन्त्री श्री सुधीर कुमार ने दिया था । प्रतीत होता है कि वक्तव्य दिया गया था । केवल दूसरे माननीय मन्त्री के इन्कार करने से इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता । अतः हम अनुमान करते हैं कि केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री जगजीवन राम का वक्तव्य पश्चिमी बंगाल के लोगों के हितों के विरुद्ध है तथा नितांत असम्वैधानिक और आपत्तिजनक है । केन्द्रीय खाद्य मंत्री को इस बात से अवगत होना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल के लोग उन्हें ऐसे वक्तव्य देने के लिए अब कभी अनुमति नहीं देंगे । उन लोगों को बहुत दिन भूखों मार लिया गया है किन्तु अब उन्हे और अधिक दिन भूखों मारना सम्भव नहीं है । इस संदर्भ में मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या वह एक राष्ट्रीय खाद्य नीति पर विचार करेंगे, एक ऐसी नीति जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा और प्रत्येक राज्य की अलग-अलग उपज की मात्रा को ध्यान में रख कर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि भारत का कुल उत्पादन सभी राज्यों के सम्मिलित परिश्रम का फल है। किसी राज्य विशेष का उत्पादन पर्याप्त नहीं भी हो सकता किन्तु सम्भव है उसके पास अन्य ऐसे साधन पर्याप्त मात्रा में हों जो देश के विकास में सहायक हों तथा जो उत्पादन को पूर्ण करने में सहायक हो जिससे देश विदेशी मुद्रा कमा सके । उदाहरण के लिये पश्चिमी बंगाल को ही लीजिए । पश्चिमी बंगाल चाय, जूट, कोयला, तम्बाकू और धातुओं के निर्यात से देश को मिलने वाली कुल विदेशी मुद्रा का 30–35 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित कराता है । इससे देश के विकास में अच्छा सहयोग मिलता है । मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट शब्दों में उत्तर चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार पश्चिमी बंगाल के लोगों को भोजन देने का पूरा उत्तरदायित्व लेती है तथा क्या वह संयुक्त मोर्चा सरकार की 24 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की मांग को शीघ्र ही पूरा करेगी ? यदि नहीं तो क्या सरकार पश्चिमी बंगाल द्वारा कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि को छोड़ने के लिये तैयार है जिससे राज्य सरकार अपनी खाद्यान्न की आवश्यकता को स्वयं पूरा कर सके ?

श्री जगजीवन राम : समझ में नहीं आता कि किन तर्कों के आधार पर माननीय सदस्य ने इतना लम्बा-चौड़ा भाषण दिया है । सम्भवतः उन्हें पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति का ज्ञान नहीं है । (व्यवधान)

मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को वहाँ की खाद्य स्थिति का ज्ञान नहीं है । मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र में जा कर पता करें कि वहाँ चावल के प्रति किलो क्या भाव हैं ? पश्चिमी बंगाल के इतिहास में या कुछ ही समय पहले.. (व्यवधान)

अब मुझे उत्तर देने दीजिये । उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें उठाई हैं जो मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखतीं । चाय या अन्य चीजों से कोई भी विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं है । हाँ, वैसी

स्थिति आएगी किन्तु उसके लिये उन्हीं परिस्थितियों को लाने की आवश्यकता है जो पश्चिमी बंगाल में 1967 या 1968 में विद्यमान थीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने कितनी अच्छी तरह इसका विश्लेषण किया है।

श्री जगजीवन राम : पश्चिमी बंगाल में खाद्य की कमी का यह एक नमूना है। (व्यवधान) मैं कह रहा था कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जिस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन कम है वह राज्य थोड़ा खाद्यान उपभोग करे। साथ ही मैं यह भी फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी राज्य राष्ट्रीय आंकड़ों से अधिक मात्रा के खाद्यान्न की माँग न करे। राज्य के मुख्य मन्त्री तथा उप-मन्त्री महोदय ने इस बात को समझा और केन्द्र के साथ विचार-विमर्श के अन्तर्गत उन्होंने स्वीकार किया। उत्पादन के सम्बन्ध में अंतिम आंकड़ों के मिलने के बाद मई मास में हम पूरी स्थिति का पुनरीक्षण करेंगे। भाग्य से पश्चिमी बंगाल की खाद्यान्न सम्बन्धी वर्तमान स्थिति सुविधाजनक तथा अनुकूल है तथा स्वयं पश्चिमी बंगाल सरकार के पास फरवरी के अन्त तक 4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न—चावल और गेहूँ आदि–उपलब्ध है। पश्चिमी बंगाल की खाद्य समस्या के बारे में उत्कंठा दिखाने का कोई कारण नहीं है। वहाँ स्थिति बिल्कुल अनुकूल है।

श्री क० लकप्पा : यह एक मौलिक प्रश्न है तथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ दिन पूर्व के हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड समाचार-पत्र में यह प्रकाशित हुआ है :

परिषद् में एक घन्टे की खाद्य सम्बन्धी बहस में प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कुमार ने आशा व्यक्त थी कि विरोधी दल को खाद्य नीति का समर्थन करने में पीछे नहीं रहना चाहिए जैसा कि अब वह कर रहे हैं।

विवादास्पद विषय के आने पर श्री कुमार को केन्द्र सरकार पर उसके राज्य-सरकार के प्रति सहायता तथा सहानुभूति रहित रवैये के लिये आक्षेप करने का अवसर मिल गया। संयुक्त मोर्चा दल के सदस्यों ने 'शर्म-शर्म' पुकारा तथा विरोधी दल के सदस्यों ने उस समय विरोध प्रकट किया जब श्री कुमार ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम के रवैये पर खेद प्रकट किया तथा जब उहोंने बताया कि श्री जगजीवन राम ने कहा है कि बंगाल के लोगों को प्रतिदिन 13.2 औंस अनाज से अधिक की माँग करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन कम है।

महोदय : यह मूलभूत प्रश्न है। क्या माननीय मन्त्री सोचते हैं कि ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उच्चतम न्यायालय में इसका निर्णय होना चाहिये।

श्री क० लकप्पा : यह अव्यवस्था तथा पक्षपातपूर्ण रवैया है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने सर्वेक्षण किया है तथा कहा है कि भारत में 10 करोड़ व्यक्ति अस्वस्थ हैं और सरकार इस नीति का अनुसरण पिछले 21 वर्षों से करती आ रही है। भारतीय संविधान में एक नीति निर्धारित की गई है जो भारतीय संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्तों के अन्तर्गत भावी है कि हमें स्वस्थ प्रजातंत्र में स्वस्थ नागरिक बनाने हैं। इस विषय में सरकार

ने क्या उपाय किये हैं ? सरकार को ऐसा वक्तव्य देने का क्या अधिकार है जैसा कि श्री जगजीवन राम ने दिया है जिसमें पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न का आवंटन करने के बारे में स्पष्ट पक्षपात है। क्या केन्द्र सरकार राज्यों में सत्तारूढ़ दल विशेष का ध्यान न करते हुये बिना पक्षपात किये कोई राष्ट्रीय स्तर की खाद्य नीति बनाएगी ? क्या सरकार प्रत्येक राज्य को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न देगी तथा इस बारे में केन्द्र इसका ध्यान नहीं देगी कि उस राज्य में सरकार किस दल की है ? क्या इस प्रकार की बातें की जाएँगी जिसमें कि इस स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वस्थ नागरिक बना सके ?

श्री जगजीवन राम : क्या इसका उत्तर देने की आवश्यकता है ?

(व्यवधान)

श्री क० लकप्पा : मुझे उत्तर चाहिये । मन्त्री महोदय ने अपने वाक्तव्य में कहा है कि पश्चिमी बंगाल 13.2 औंस अन्न से अधिक लेने का हकदार नहीं है । मन्त्री महोदय को पश्चिमी बंगाल के साथ विभेद क्यों रखना चाहिये ? क्या भारत सरकार ने इस मामले में अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान के साथ परामर्श किया है ? माननीय खाद्य मन्त्री ने वक्तव्य से इन्कार नहीं किया है अतः मैं स्पष्ट उतर चाहता हूँ। क्या भारत सरकार की यही विभेदपूर्ण नीति हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न माननीय खाद्य-मन्त्री के वक्तव्य के बारे में था। उहोंने स्थिति का स्पष्टीकरण दे दिया है । अब औसत आदि के बारे में प्रश्न पूछना कहाँ तक संगत है ?

श्री क० लकप्पा : वैदेशिक सिद्धांत हैं . . . . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री समर गुह : उहोंने राष्ट्रीय खाद्य नीति के बारे में प्रश्न रखा है अतः उसका उत्तर मिलना चाहिये । पश्चिमी बंगाल के लिए कोटा निर्धारित है तथा इसके बारे में माननीय मन्त्री ने स्वयं कहा है । कम से कम उन्हें प्रश्न के इस भाग का उत्तर तो देना ही चाहिये । ·······(व्यवधान)

श्री क० लकप्पा : सरकार में स्थिति पर काबू पाने का सामर्थ्य नहीं है । उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अतः क्या मैं यह मान लूँ कि सरकार एक भेदपूर्ण नीति का अनुसरण कर रही है ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : अजीब बात है कि जब मन्त्री महोदय कह रहे है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही तब भी इस प्रश्न को बार-बार पूछा जा रहा है । क्या मन्त्री महोदय यह बताएँगे कि सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाता है अथवा उनके साथ भेद-भाव रखा जाता है ? यदि राज्यों के साथ भेद-भाव रखा जाता है तो कौन-कौन से राज्यों को अधिक खाद्यान्न दिया जाता हैं तथा कौन-कौन से राज्यों को कम खाद्यान्न दिया जाता है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मेरे पास 1964 से उपलब्धि के बारे में अखिल भारतीय आंकड़े मौजूद हैं । 1964 में यह आंकड़े 14.07 थे, 1965 में 14.55 ; 1966 में 12.52; 1967 में 12.12 तथा 1968 में 14.1 थे ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या राज्य से राज्य में कोई अन्तर है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : अन्तर है, किन्तु अखिल भारतीय औसत यही है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : किस राज्य को सबसे कम मात्रा मिलती है तथा किस राज्य को सबसे अधिक ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : अभी तक हमें सरकार के लेखों पर या कोनूर जैसे संस्थान के द्वारा प्रति व्यक्ति उपलब्धि या प्रति व्यक्ति आवश्यकता के सम्बन्ध में सूचनाएँ मिला करती थीं । हर बार प्रति व्यक्ति के आधार पर गणना की जाती थी । यह पहला अवसर है जब मन्त्री महोदय ने प्रति वयस्क के हिसाब से गणना की है । मेरे मित्र श्री तिवारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का अनुसरण करते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि खाद्य उपलब्धि के बारे में क्या यह विभाग साधान्यतः अपनाए जाने वाले सिद्धान्तों से हट गया है, और यदि हां, तो इस अवसर पर उन सिद्धांतों से हटने का क्या कारण है ?

श्री जगजीवन राम : प्रमापों से हटने की कोई बात नहीं है । प्रमापों के अनुसार 16 औंस प्रति वयस्क है । जनसंख्या में 6 मास, 9 मास, एक वर्ष तथा दो वर्ष के बच्चे भी सम्मिलित रहते हैं । अतः इस मामले में जनसंख्या का हिसाब लगाते समय सदा आधार यह रहता है कि पूरी जनसंख्या कितने वयस्कों के बराबर हुई ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यही हम जानना चाहते थे । यह गणना का नया आधार है । जहां तक मैं जानता हूँ हम प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति उत्पादन या उपलब्धि या आवश्यकता के मानने के आदी हैं । यह पहला अवसर है जब माननीय मन्त्री ने प्रति वयस्क उपलब्धि के आधार पर हिसाब लगाया है । क्या यह पहला ही अवसर नहीं है और यदि है तो यह उस राज्य के बारे में क्यों किया जा रहा है जिसकी कुछ कठिनाइयाँ हैं ?

श्री जगजीवन राम : प्रति व्यक्ति उपलब्धि की मात्रा 16 औंस नहीं है वह कम है । प्रति वयस्क 16 औंस उपलब्धि लेने पर 14 प्रतिशत कुल जनसंख्या के लिए अलग निकाल ली जाती है । समप्रभावी वयस्कों की संख्या निकालनी पड़ती है और इनमें कोई नई बात नहीं है । हम प्रति व्यक्ति औसत उपभोग लेते हैं और तब प्रति वयस्क 16 औंस का आधार लिया जाता है ।

डा० रानेन सेन : केन्द्र सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच सारा झगड़ा इस बात को ले कर खड़ा हुआ है कि पश्चिमी बंगाल में चावल तथा अन्य खाद्यान्न का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ? भारत सरकार यह मानती थी कि पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न का उत्पादन राज्य के लिए पर्याप्त मात्रा में हुआ किन्तु राज्य सरकार ने इस बात का विरोध किया । क्या केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार द्वारा दिए गए आँकड़ों के अतिरिक्त वहाँ के उत्पा-

दन की मात्रा जानने के लिए कोई अन्य साधन हैं और यदि केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आँकड़ों को केन्द्र सरकार क्यों नहीं मान लेती तथा यथासाध्य अपने बचनों को पूरा करने का प्रयत्न क्यों नहीं करती ?

श्री जगजीवन राम : मैंने तथा सरकार की ओर से किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में इतनी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है कि राज्य को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा तथा ऐसा कहना नितांत असत्य है।

जहाँ तक खाद्यान्न के उत्पादन का प्रश्न है हमने पश्चिमी बंगल द्वारा दिये गये आँकड़ों को स्वीकार किया था। कठिनाई यह है कि स्वयं राज्य सरकार के कृषि विभाग तथा खाद्य विभाग के आँकड़ों में अन्तर है। साथ ही, ग्रीष्म फसल के बारे में तीन वर्ष का औसत लिया गया है। इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में ताहचुंग पैंडी तथा गेहूँ की काश्त में नवीन क्रांति का विकास हुआ है। वहाँ गेहूँ–उत्पादन में क्रांति हो रही है तथा कलकत्ता से 40 मील दूर तक के क्षेत्र में इतनी अच्छी फसल उगाई गई है जितनी पंजाब में उगाई जाती है।

इसी कारण मैंने कहा था कि चावल और गेहूँ के ग्रीष्म कालीन उत्पादन के आँकड़ें मिलने के बाद हम मई में स्थिति का पुनरीक्षण करेंगे। अतः खाद्यान्न के बारे में न कोई झगड़ा था और न है। वास्तव में, इन सभी गणनाओं में मैंने पश्चिमी बंगाल द्वारा दिये गये आँकड़ों को भी लिया है। अतः इस समय पश्चिमी बगाल की खाद्य स्थिति के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय, उप मुख्य-मन्त्री महोदय तथा खाद्य मन्त्री महोदय ने मई में स्थिति का पुनरीक्षण करने की सहमति व्यक्त की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस तथ्य को देखते हुए कि पश्चिमी बंगाल और असम की कृषि की योगिक उत्पादन दर समान रूप से निम्नतम है, पश्चिमी बंगाल की प्रति एकड़ उपज समान रूप से निम्नतम है और 256 करोड़ रुपयों के कुल खर्चे में से पश्चिमी बंगाल के छोटे सिंचाई कार्यों के लिये सरकारी निधि से तथा अन्य संस्थानों से कोई राशि नहीं दी जा रही है यद्यपि इस कार्य के लिये असम को दी जाने वाली राशि 70 लाख रुपये हैं। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जब तक हमारा उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़े तब तक के लिये वह एक राष्ट्रीय खाद्य बजट बनायेगें जिससे हम सभी चिंताओं से बचे रहें ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि बार-बार राष्ट्रीय बजट का प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है ? पश्चिमी बंगाल में कृषि–उत्पादन को प्रोत्साहन देने का हम प्रयत्न करेंगे। कार्य प्रारम्भ हो चुका है। मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है कि एक–दो वर्ष के बाद श्री बसु अपने बचे हुए अन्न में से अन्य राज्यों को खाद्यान्न देने लगेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिमी बंगाल और असम को सहायता क्यों नही दी जा रही है ? पश्चिमी बंगाल के छोटे सिंचाई कार्यों के लिये कोई धन नियत क्यों नहीं किया जा रहा है ? इस मामले में सरकार राजनीति क्यों खेल रही है ?

श्री जगजीवन राम : इनमें कोई राजनीति नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं है। उन्हें खाद्यान्न के बारे में राजनीति खेलने का क्या अधिकार है ?

श्री जगजीवन राम : मैं भोजन के बारे में कभी कोई राजनीति नहीं अपनाता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं के लिये 256 करोड़ रुपये की राशि में से पश्चिमी बंगाल के छोटे सिंचाई कार्यों के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया। जैसा कि मैं कह चुका हूँ बंगाल और इसके पड़ोसी राज्य आसाम की कृषि की योगिक उत्पादन दर निम्नतम दरों में से हैं। आप कह क्या रहे हैं ? यह सब राजनीति ही तो है। बंगाल और आसाम की प्रति एकड़ उपज सबसे कम है ?

(व्यवधान)

श्री जगजीवन राम : यदि वह कुछ धैर्य से सुनें तो उन्हें कुछ नेक सलाह मिलेगी। मैंने कहा है कि हमें पश्चिमी बंगाल में अच्छी उपज देने वाली किस्मों के उत्पादन और छोटे सिंचाई कार्यों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। पश्चिमी बंगाल की खाद्य समस्या के बारे में केवल यही उत्तर है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : बजाय सिंचाई के दोनों ओर भारी खिंचाव पैदा हो गया है। इस प्रकार की झुँझलाहट नहीं होनी चाहिये। क्या मन्त्री महोदय को इस बात का पता है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से हमने खाद्यान्न के निर्यात पर लगभग 2400 करोड़ रुपये व्यय किये हैं जबकि हमने सिंचाई कार्यों में केवल लगभग 1700 करोड़ रुपये लगाये हैं, तथा इस तनाव का कारण भी यही है ? क्या मन्त्री महोदय सिंचाई मन्त्री से परामर्श करके खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक वित्त प्राप्त करेंगे ? यह प्रश्न विशेषकर पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित है और मैं आँध्र प्रदेश से हूँ। हममें से अधिकतर चावल में रुचि रखते हैं जबकि उत्तर खाद्यान्न से सम्बन्धित है। खाद्यान्न तथा चावल में अन्तर है। हमारे यहाँ की जनता चावल खाती है अतः हम जानना चाहते हैं कि चावल की प्रति वयस्क आवश्यकता क्या है तथा सरकार पश्चिमी बंगाल, आँध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों को कितनी मात्रा में चावल दे रही है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : अनाज की उपलब्धि के बारे में मैं निवेदन कर चुका हूँ। इसका ब्यौरा व्यक्तियों की आहारगत आदतों और उपलब्धि आदि कई बातों पर आश्रित होगा। जहाँ तक छोटे सिंचाई कार्यों का सम्बन्ध है हम सारे देश में इस कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मैसूर राज्य में कुछ खान मालिकों द्वारा स्वामित्व की राशि के भुगतान न किए जाने के बारे में शिकायतें

*902. डा० सुशीला नैयर : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में हिरयूर और होसदुर्ग तालुकों में और तुमकुर जिले में चिक्का नई कनानाल तालुक के कुछ खान मालिकों द्वारा स्वामित्व का भुगतान न किये जाने के बारे में उनके विरुद्ध सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच कराई गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो जाँच का क्या परिणाम रहा है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मैसूर राज्य सरकार ने, जो कि स्वामित्व के इकट्ठा करने के लिए उत्तरदायी है, सूचित किया है कि स्वामित्व की अदायगी के बिना अयस्क के परिवहन के विषय में कुछ इक्की-दुक्की शिकायतें थीं जिनकी जाँच की गई थी और कि देय रकमें उन द्वारा प्राप्त की जा रही हैं।

Smuggling of Pakistani Goods from Nepal to India

*905. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma: Kumari Kamala Kumari :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the estimated value of Pakistani goods sent to Nepal through the Calcutta harbour per annum ;

(b) whether it a fact that the same goods which arrived in Nepal from Pakistan are smuggled into India ; and

(c) the steps being taken by Government to check such smuggling ?

The Minister in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) No Pakistani goods were imported by Nepal though Calcutta port during the last two years.

(b) No case of smuggling of Pakistani goods from Nepal has been noticed.

(c) Measures for the prevention of smuggling of third country goods from Nepal into India have been intensified. Additional mobile preventive parties and checkposts have been created and additional staff have been made available to the Collectors concerned. The provisions of the Customs (Amendment) Act, 1969 are being utilised to detect smuggled goods and all practicable measures will continue to be taken to put down smuggling on this border.

Medicines and Chemicals Supplied to M/S Sarabhai Chemicals

*906. **Shri Atal Bihari Vajpayee: Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Brij Bhushan Lal : Shri Surj Bhan:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of medicines and chemicals which are supplied to Messrs. Sarabhai Chemicals from Government production centres and the price at which they are supplied and the cost price thereof at the production centres ;

(b) the retail price thereof in the international market and markets in the country ;

(c) whether Government propose to reduce the prices thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan)

(a) Sarabhai Chemicals have been purchasing bulk penicillin from Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri at 50 paise per mega unit. With regard to the cost of production of penicillin, it would not be possible to make it public as it would prejudice the interests of Hindustan Antibiotics Limited functioning, as they do, in a highly competitive industry.

(b) A statement showing the retail prices of vialled penicillin presently in force, is laid on the table of the Sabha. It is not clear what is meant by retail prices in international market as there are no retail sales in that market. If the reference is to retail prices in other countries, the latest information is not readily available. Generally speaking the prices in other countries are higher than those in India.

(c) and (d) The Report of the Tariff Commission on the Fair Selling Prices of Drugs and Pharmaceuticals is under examination of Government.

STATEMENT

Retail Prices of Vailled Penicillin fixed by Government

Serial no.	Description of vialled product	Wholesale prices in paise per vial
1.	2 lakhs Penicillin I.U.	42
2.	4 lakhs Penicillin I.U.	55
3.	5 lakhs Penicillin I.U.	61
4.	10 lakhs Penicillin I.U.	101
5.	15 lakhs Penicillin I.U.	143
6.	20 lakhs Penicillin I.U.	186
7.	40 lakhs Penicillin I.U.	356

Retail ceiling prices of each Unitage of penicillin is shown on each vial after adding actual Excise Duty and commission to retailers not exceeding ten per cent.

भारत में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी

*907. **श्री ए० श्रीधरन : श्री यशपाल सिंह :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा (कम्पनी वार) भारत में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : एक विवरण-पत्र जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	विदेशी तेल कम्पनी का नाम	(जिस देश में) पन्जीकृत	31-12-67 को लगाई गई कुल पूंजी (लाख रुपये में)
1.	बर्मा-शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लि० ।	इंगलिस्तान	4,530.43
2.	एस्सो स्टैंडर्ड इस्टर्न इंक।	अमरीका	6,987.95
3.	काल्टैक्स (इंडिया) लि०।	ब्रह्मा द्वीप	642.05
4.	शेल इंटरनेशनल पैट्रोलियम कम्पनी लि०।	इंगलिस्तान	1,456.46
5.	बर्मा आयल कम्पनी ।	इंगलिस्तान	3,869.46
6.	काल्टेक्स पैट्रोलियम कारपोरेशन।	अमरीका	935.46
7.	कासट्रोल लि०।	इंगलिस्तान	140.70
8.	गल्फ आयल (ग्रेट बिटेन) लि०	इंगलिस्तान	15.00
9.	गेट्टी आयल कम्पनी।	अमरीका	1.60
10.	फिलिप्स पैट्रोलियन कम्पनी।	अमरीका	234.92
11.	नेशनल इरानियन आयल कम्पनी।	ईरान	167.37
12.	अमोको इंडिया।	अमरीका	167.37
13.	मोबिल पैट्रोलियम कम्पनी, इंक।	अमरीका	20.00
14.	लुब्रीजोल कारपोरेशन आफ कलविलैंड	अमरीका	14.50
15.	स्टील ब्रादर्स एण्ड कम्पनी लि०	इंगलिस्तान	59.18
		कुल :	19,243.45

P. L 480

*908. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4653 on the 16th December, 1968 and state :

(a) the amount given to the Christian Missionaries functioning in India by U.S.A. out of Rs.2,083.26 crores which U. S. A. had got as the sale proceeds of agricultural products under P. L. 480 during the period from 1956 to September, 1968 ; and

(b) the names of the places where the aforesaid Christian Missionaries are functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi):

(a) and (b) It is not immediately possible to supply informaton from as far back as 1956. However, a statement is placed on the Table of the House indicating the amounts given to missionary orgaisations during the last five years, the places where they are functioning and the purposes for which the grants were made. [**Placed in Library. See. L. T. No. 630/69**].

रूस से लिए गए ऋण की अप्रयुक्त राशि

*909. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से लिए गये ऋण में से 498.44 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका उपयोग कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० च० सेठी):

(क) से (ग) रूस से उपलब्ध हुए कुल 12,250 लाख रूबल (1,021 करोड़ रुपये) के ऋणों में से लगभग 3,750 लाख रूबल (313 करोड़ रुपये) की रकम उन प्रायोजनाओं पर खर्च करने के लिए उपलब्ध है जो चौथी आयोजना की अवधि में शुरू की जानी है । कुल 8,500 लाख रूबल (708 करोड़ रुपये) के मूल्य के सामान के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं और इन ऋणों में से 6 890 लाख रूबल (575 करोड़ रुपये) लिए गये हैं।

नेपाल में पश्चिम कोसी नहर का मार्ग रेखांकन

*910. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में पश्चिम कोसी नहर के मार्ग-रेखांकन के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) क्या नेपाल में 22 मील लम्बी मुख्य पश्चिम कोसी नहर के लिए भूमि अर्जित की जा रही है ;

(ग) क्या उक्त भूमि की कीमत के लिए राशियाँ सम्बन्धित प्राधिकारों को दे दी गई हैं ;

(घ) पश्चिम कोसी नहर की वास्तविक खुदाई के लिए आरम्भिक कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ङ) जहाँ तक नेपाल वाले भाग का सम्बन्ध है पश्चिम कोसी नहर के प्रथम चरण के लिए कितनी राशि उपलब्ध की गई है ; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ङ) के उत्तर नकारात्मक हैं तो क्या सरकार कोसी बांध के निर्माण से उत्पन्न जल-शक्ति का पश्चिम कोसी नहर की मार्ग-रेखा के स्थान पर किसी वैकल्पिक मार्ग-रेखा से लाभ उठाने का विचार कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) से (च) नहर के लिए नेपाली क्षेत्र में भूमि अर्जित करने के लिए नेपाल सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है। इस मामले के शीघ्र ही तय कर लेने की सम्भावना है।

जीवन बीमा निगम पालिसीधारियों से शिकायतें

*911. श्री गाडिलिंग गोड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के विरुद्ध पालिसीधारियों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1967 तथा 1968 में कितनी शिकायतें दर्ज की गईं ; और

(ग) पालिसीधारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) तथा (ख) जी, हाँ ; केन्द्रीय कार्यालय में 1966-67 में 16,295 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 1967-68 में यह संख्या बढ़ कर 18,340 हो गई। क्षेत्रीय तथा प्रभागीय कार्यालयों में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) अलग-अलग शिकायतों की ओर ध्यान देने के अलावा निगम शिकायतों का भी विश्लेषण करता है तथा मामले में उचित कार्यवाही करता है।

होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का विकास

*912. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक की कितने प्रतिशत राशि स्वास्थ्य पर व्यय की जाती है ;

(ख) होम्योपैथी के विकास-प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान के लिए तथा होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के अनुसार चलाए जा रहे अस्पतालों तथा औषधालयों को सहायता देने के लिए कितनी राशि नियत की गई ;

(ग) देश में होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या होम्योपैथी की औषधियों के सस्ता होने तथा उन्हें रोगी को देने में सुविधा को देखते हुए सरकार होम्योपैथी के लिये अधिक सहायता तथा प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) 1967–68 में केन्द्रीय सरकार के विकास कार्यों के कुल खर्च में स्वास्थ्य कार्यों पर हुए व्यय की प्रतिशतता 2·6 है।

(ख) 1968-69 में केन्द्रीय सरकार ने होम्योपैथी के विकास, प्रशिक्षण एवं अनु-संधान के लिए 3.89 लाख रुपये की राशि नियत की थी । होम्योपैथिक अस्पतालों एवं औषधालयों को सहायता देना राज्य सरकारों का काम है।

(ग) जिन राज्यों से अब तक सूचना एकत्र हो पायी है उसका एक विववरण सभा-पटल पर रख दिया गया है तथा अन्य राज्यों से सूचना एकत्र करके सभा-पटल पर रख दी जायेगी। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 631/69]

(घ) केन्द्रीय सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास को प्रोत्साहन दे रही है।

(ङ) होम्योपैथिक शिक्षा और अनुसंधान कार्यों के लिए दी जाने वाली रकमों में प्रति वर्ष वृद्धि की जा रही है।

उर्वरक कारखानों में कारोसन सैल

*913. श्री कामेश्वर सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े उर्वरक कारखानों में कारोसन सैल स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क), (ख) और (ग) उर्वरक कारखानों में कारोसन समस्या संयन्त्रों की समस्त देख-भाल का एक अंग है। सरकार को इसके लिए किसी विशेष सैल के बनाये जाने की जान–

कारी नहीं है । वास्तव में, जहाँ भी आवश्यक हो, इस प्रकार के सैल बनाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कारखाने के प्रबन्धकों का है ।

Stabbing of Income-Tax Officer in Delhi

*914. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Narendra Kumar Salve :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Director (Intelligence) in the Income-Tax Department in Delhi was stabbed on the 2nd January, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that this Officer searched the houses of some wealthy persons on behalf of the Income-tax Department a few days before this incident ;

(c) whether it is further a fact that those very persons were responsible for this heinous act ; and

(d) if so, the steps Government propose to take to give protection to such Officers who take up this risky work of conducting raids, etc ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) :

(a) No, Sir. The Deputy Director of Inspection (Intelligence), Income-tax Department, was not stabbed. He was, however, assaulted on 2nd January, 1969 with hockey sticks by two goondas while on his way to office.

(b) The Deputy Director of Inspection (Intelligence) organised a search on 26th November, 1968, at the residence of certain assessees in New Delhi.

(c) Investigation in the matter has been made by the Police and a case has been put in Court on 18-2-1969 against four accused persons who actually assulted or conspired to assault the Deputy Director. So far, the Police have not discovered any evidence to link the person whose house was searched with the assault.In case of any evidence turning up, any other person or persons found involved can be proceeded against.

(d) Such incidents are not common. In this particular case, prompt action was taken to bring to book the miscreants. Steps have also been taken to provide protection to the concerned officers.

Kalagarh Canal Project

*915. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 612 on the 9th December, 1968 and state :

(a) whether the proposals given by him to the Government of U. P. in regard to the Kalagarh Canal Project have not been implemented ;

(b) if so, whether it is a fact that the farmers whose land had been acquired for the construction of this canal are facing great difficulty ;

(c) whether it is also a fact that if this canal is linked with another canal which falls in the Ganga at Bijnor and it is widened, lakhs of acres of cultivable land could have been saved ;

(d) if so, whether this issue is still being considered ; and

(e) whether certain proposals concerning the reconsolidation of holdings in those areas through which this canal passes, have also been sent to the concerned State and if so, what is their reaction ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) The State Government has reported that the suggestion to straighten the alignment of the feeder channel has been carefully considered and they feel that the alignment as now under execution is more suitable one.

(b) The affected farmers, whose land is acquired and compensation paid as per the rules, face some difficulties.

(c) and (d) The canal excavation is in progress and it is too late to think of any major change.

(e) The State Government has been requested to examine this question. It is also proposed to discuss this matter early with the State Government.

लुब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड

***917. श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी और उसके परिणाम-स्वरूप क्या लक्ष्य प्राप्त करना अपेक्षित था ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार कारखानों की स्थापना करने के लक्ष्य तथा उनके उत्पादन तथा विकास के लक्ष्य पूरे हो गये हैं और यदि हाँ, तो कब तथा कैसे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी की स्थापना में विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हाँ, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं ; सहयोग की शर्तें क्या थीं, तथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ;

(घ) इस समय यह कम्पनी क्या-क्या वस्तुएँ बना रही है, इसमें कितना उत्पादन हो रहा है और क्या वे वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में उत्पादन तथा बिक्री के आँकड़े क्या हैं और इस उत्पादन में से कितना माल निर्यात किया गया ; और

(च) क्या इस समय इस कम्पनी को किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) लुब्रिजोल कारपोरेशन, अमरीका से प्राप्त आवश्यक तकनीकी और प्रबन्धीय सहायता से विभिन्न रसायनिक यौगज बनाने के लिए एक संयन्त्र की स्थापना के उद्देश्य से कम्पनी की स्थापना 20-7-66 को की गई।

(ख) संयन्त्र की विभिन्न इकाइयाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। संयन्त्र का परीक्षण–चालन नवम्बर 1968 में किया गया और अब यह डिजाइन क्षमता के अनुरूप चालू है।

(ग) जी हाँ, अमरीका के लुब्रिजोल कारपोरेशन के साथ भारत सरकार और लुब्रिजोल कारपोरेशन के मध्य हुये समझौते के अनुसार कम्पनी के ईक्विटी पूँजी में भारत सरकार के 51 प्रतिशत और विदेशी सहयोगी (लुब्रिजोल कारपोरेशन) के 49 प्रतिशत हिस्से होगें। कम्पनी की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता लुब्रिजोल के ईक्विटी अंशदान से पूर्णरूप से पूरी हुई।

(घ) 12,000 टन तक बढ़ाया जा सकने वाला संयन्त्र ईधनों, ल्यूबिरीकेटिंग आयल और सम्बन्धित उत्पादों सहित पैट्रोलियम उत्पादों के लिए विभिन्न रसायनिक योगजों का आरम्भ में 6,000 टन उत्पादन करेगा। संयन्त्र में उत्पन्न होने वाले पदार्थ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे।

(ङ) संयन्त्र का परीक्षण-चालन नवम्बर 1968 में हुआ और जनवरी 1969 के अन्त तक 881 मीटरी टन योगजों का उत्पादन हो चुका है। अभी तक कोई निर्यात नहीं किया गया।

(च) इस समय कम्पनी के सामने कोई कठिनाई नहीं है।

औषधियों का निर्माण

*918. श्री रा० कृ० सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1967-68 में कितनी कीमत की औषधियों का निर्माण किया गया;

(ख) इन औषधियों से यदि विदेशी मुद्रा अर्जित की गई, तो कितनी;

(ग) क्या देश में औषधि-निर्माण की क्षमता देश में इसकी माँग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो औषधि-निर्माण बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु-मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दा०रा० चव्हाण):

(क) 1967-68 के दौरान उत्पन्न भेषजों और औषधियों का मूल्य 185 से 200 करोड़ रुपये तक था।

(ख) 1967-68 में औषधियों, भेषजों और मध्यवर्ती पदार्थों का निर्यात 3.33 करोड़ रुपये का था।

(ग) अधिकतर औषधियों के सज्जित उत्पादन में करीब-करीब आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। यह पदार्थ या तो देश में विपुल मात्रा में उत्पन्न औषधियों से अथवा विपुल मात्रा में आयात किये गये माल से तैयार किये जाते हैं। उन विपुल औषधियों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है जिनका देश में समुचित मात्रा में उत्पादन होता है। आयात उन्हीं औषधियों तक ही सीमित रखा जाता है जो देश में उपलब्ध औषधियों की अनुपूर्ति के लिये आवश्यक है।

(घ) औषध और भेषज उद्योग प्राथमिक उद्योगों में सम्मलित कर लिया गया है और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से इस उद्योग के लिये आयातित कच्चे माल आदि की आवश्यकता उदार रूप से पूरी की जाती है। सम्बद्ध आर्थिक और तकनीकी मामलों को ध्यान में रखते हुये, मध्यवर्ती पदार्थों के देशीय उत्पादन के अन्तराल को भरने के लिए भी कदम उठाये जाते हैं।

Extraction of Diamond From Panna Mines

*919. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of diamond extracted from the diamond mines in Panna District during the years 1966-67 and 1967-68 ;

(b) the quantity of diamond likely to be extractd during 1968-69 ; and

(c) the value of diamonds auctioned during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) :

(a) 3,333.91 carats and 8,894.05 carats were extracted during 1966-67 and 1967-68 respectively.

(b) About 9,853 carats.

(c) Rs. 44.28 lakhs during 1968-69.

मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

*920. श्री चेंगलराया नायडू : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ;

(ग) उस पर कितनी लागत आयेगी ;

(घ) वह कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) से (घ) मध्य प्रदेश में कोरबा नामक स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाने को लगाने का प्रश्न विचाराधीन है। यह आशा है कि निर्णय शीघ्र किया जायेगा। भारतीय उर्वरक निगम लि० द्वारा तैयार की गई, परियोजना-रिपोर्ट के अनुसार कुल परियोजना लागत 72 करोड़ रुपये अनुमानित है।

फुटबाल के खिलाड़ियों द्वारा लाई गई निषिद्ध वस्तुएँ

*921. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फुटबाल के आठ भारतीय खिलाड़ी, जो कुआलालमपुर

गये थे, अपने साथ ऐसी निषिद्ध वस्तुएँ लाये थे, जिनका मूल्य सामान्यतः दी जाने वाली छूट की राशि से अधिक था ;

(ख) यदि हाँ, तो इन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं तथा वह अपने साथ क्या-क्या वस्तुएँ लाये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से एक खिलाड़ी वास्तव में 10,000 रुपये की निषिद्ध वस्तुएँ लाया था परन्तु उससे 3,500 रुपये की वस्तुओं पर ही शुल्क माँगा गया जो उसने देने से इन्कार कर दिया ;

(घ) निषिद्ध वस्तुओं के जब्त न किए जाने और उनको दण्ड न दिये जाने के क्या कारण हैं जैसा कि अन्य मामलों में किया जाता है ; और

(ङ) क्या इस मामले को, अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा उन अपराधी व्यक्तियों को दल से निकालने के लिये, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् को सौंप दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ, ।

(ख) खिलाड़ियों के नाम, उनके द्वारा लाये गये माल के ब्योरे और की गई कार्यवाही, लोक सभा में 22 नवम्बर, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1689 के उत्तर में शिक्षा मन्त्री द्वारा बता दी गई है ।

सीमा शुल्क के अपीलीय समाहर्त्ता ने श्री सी० प्रसाद के माल को छोड़ने के लिए सीमा शुल्क के सहायक समाहर्त्ता द्वारा नियुक्त किये गये 2,500 रुपये के जुर्माने को कम करके 2000 कर दिया ।

(ग) जी, नहीं । वास्तविकता यह है कि उनमें से एक खिलाड़ी श्री सी० प्रसाद, 3,578 रुपये के मूल्य का माल लाया था । 800 रुपये के मूल्य का माल-असबाब नियमों के आधीन निःशुल्क पास कर दिया गया था जबकि शेष माल सीमा-शुल्क के सहायक समाहर्त्ता द्वारा यात्री को यह विकल्प दे कर जब्त कर लिया गया कि वह शुल्क के 2,778 रुपये के साथ-साथ जुर्माने के 2,500 रुपये की अदायगी पर माल छुड़ा सकता है । अपीलीय समाहर्त्ता ने 13-9-1968 के अपने आदेश द्वारा जुर्माने की रकम को कम करके 2000 रुपये कर दिया था । श्री प्रसाद ने 16-9-1968 को जुर्माना तथा शुल्क की रकमें अदा कीं और माल छुड़ाया ।

(घ) जो माल कानून का उल्लघंन करके आयात किया गया था उसको जब्त कर लिया गया लेकिन सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 125 के उपबन्धों के अधीन इस माल को छुड़ाने का विकल्प दिया गया । जिस माल का आयात अथवा निर्यात करना सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत निषिद्ध हो, तो उस मामले का न्यायनिर्णय करने वाला अधिकारी किसी भी माल की

जब्ती के बदले में, जितना योग्य समझे उतने जुर्माने की अदायगी का विकल्प दे सकता है। इन मामलों में अधिकारी ने जुर्माने की अदायगी पर सामान छुड़ाने का विकल्प दिया था।

(ङ) जी, हां ।

Expenditure and Premium Rates of L. I. C. and Postal Life Insurance

*922. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ratio of expenditure and premium rates of the Postal Life Insurance are lower than those of the Life Insurance Corporation ?

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken by Government to bring down the ratio of expenditure and the premium rates of the Life Insurance Corporation and to extend the Postaal Life Insurance schemes to the Public Undertakings ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Prasad) :

(a) and (b) Yes, Sir. The main reasons for the lower expense ratio and premium rates in the case of Postal Life Insurance are that since it does not employ any insurance agents it has not to incur any expenditure on account of agency commission ; its publicity and medical examination expenses are nominal ; it saves expenditure because of direct deduction of premium from the bills.

(c) The Government has set up a Committee with Shri R. R. Morarka as Chairman, to investigate into the causes of the present high level of expenses of the Corporation and to recommend measures, administrative or otherwise, to bring it down to reasonable levels. The Report of the Committee is expected by the 30th April, 1969.

In pursuance of a recommendation made by the Committee on Public Undertakings the Corporation appointed a Committee of Actuaries to advise, *inter alia*, on the question of premium rates. The Committee of Actuaries submitted its Report to the Chairman of the L.I.C in January, 1968. The report is under consideration of the Corporation.

As regards the question of extension of PLI to the employees of the Public Sector Undertakings, section 30 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 confers on the LIC the exclusive privilege of carrying on life assurance business in India, and Section 44 (d) permitting the Post Office Life Insurance Fund, which had been established earlier, to continue to transact business was an exception.

मानसिक अस्पताल

*923. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार, कुल कितने मानसिक अस्पताल हैं और उनमें कितनी रोगी-शय्याएं हैं ;

(ख) देश में लगभग कितने व्यक्ति मानसिक रोगी हैं ; और

(ग) क्या देश में मानसिक अस्पतालों की कमी को देखते हुए ऐसे अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री० के० के० शाह):

(क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 632/69]

(ख) लगभग आठ लाख।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाओं में लाभ अथवा हानि

*924. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि में वाणिज्यक सिंचाई परियोजनाओं से प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष कितना लाभ अथवा हानि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस हानि को पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में अतिरिक्त जल-कर लगाने का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक परियोजना के लिये क्या-क्या दरें सुझाई गई हैं ;

(घ) अतिरिक्त जल-कर लगाने का आधार क्या है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' में है, तो इस हानि को पूरा करने के लिए और क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डॉ० कु० ल० राव) :

(क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 633/69]

हरियाणा में भूमि में पानी जमा हो जाना

*925. श्री क० मि० मधुकर : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में भूमि में पानी जमा हो जाने की एक बड़ी समस्या अभी तक बनी हुई है ;

(ख) क्या इस समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) इन योजनाओं पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ङ) इस राज्य को इस सम्बन्ध में क्या तथा कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) हरियाणा में 1967 में लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जल-जमाव की सूचना मिली थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने निम्नलिखित स्कीमें तैयार की हैं :—

(1) हांसी जल–जमाव-रोधी स्कीम :

इससे हिसार जिले में हाँसी के जल–जमाव वाले क्षेत्र को लाभ होगा। इस स्कीम में सिंचाई–नालियों के साथ–साथ लगभग 45 मील लम्बे गहरे सीपेज (Seepage) नालों का खोदना और सिंचाई-नालियों में एकत्रित पानी को पंपों द्वारा निकालने के लिए 6 पम्पिंग केन्द्र परिकल्पित हैं।

(2) गोहाना जल–जमाव–रोधी स्कीम :

इस स्कीम में गोहाना तहसील के अत्यधिक जल–जमाव वाले ग्रामों को लाभ पहुँचाने का प्रस्ताव है। डिच (ditch) नालियों और क्षेत्रीय नालों को बनाने का प्रस्ताव है जो पानी को 8 पम्पिंग केन्द्रों तक ले जायेंगे और उस क्षेत्र को बचाने के लिए वहाँ से पानी को पम्पों द्वारा निकाला जाएगा।

(3) सफीडन जल-जमाव-रोधी स्कीम :

इस स्कीम में हाँसी बुटाना शाखा और रेलवे लाइन के बीच सफीडन शहर में सीपेज नाले और चौबच्चे का निर्माण तथा एकत्रित पानी को पम्पों द्वारा हांसी शाखा में डालने का काम सम्मिलित है।

(घ) (1) हाँसी जल–जमाव-रोधी स्कीम... ...29.80 लाख रुपये

(2) गोहाना जल-जमाव-रोधी स्कीम......14 लाख रुपये

(3) सफीडन जल-जमाव-रोधी स्कीम......2.20 लाख रुपये

(ङ) बाढ़–नियन्त्रण और जल–जमाव–रोधी स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता और ऋण एक ईकाई के रूप में दिये जाते हैं। पृथक–पृथक स्कीमों के लिये नहीं दिये जाते।

सरकारी कारखाने तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*926. श्री रामगोपाल शालवाले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने व्यापार एवं उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के कारखाने स्थापित किये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जो हानि होती है उसके कारण आय-कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी घाटा हो रहा है जबकि गैर–सरकारी सार्थ उतनी ही पूँजी लगा कर अधिक लाभ कमाते हैं और अधिक आय–कर के रूप में सरकार को अधिक राशि देते हैं; और

(ग) अब तक कितने सरकारी कारखाने स्थापित किये गये हैं, उनमें सरकार का कितना धन लगा हुआ है, उनको चलाने में सरकार को कितनी हानि हो रही है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य–मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं की स्थापना की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी की तुलना सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी से नहीं की जा सकती, तथा दोनों क्षेत्रों की आमदनियों की वास्तविक तुलना करना व्यवहार्य नहीं हैं। किसी भी हालत में, उद्यमों द्वारा दिया जाने वाला कर ही सम्बद्ध उद्यम की कुशलता का मानदण्ड नहीं है।

(ग) सबसे हाल के जिस वित्तीय वर्ष के लेखे उपलब्ध हैं उसके, अर्थात् 1968 के 31 मार्च को केन्द्रीय सरकार के 83 औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम थे। इन उद्यमों में कुल 3,333 करोड़ रुपये की रकम लगी हुई थी, जिनमें से 3029 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया था तथा बाकी रकम राज्य सरकारों, भारतीय गैर-सरकारी पार्टियों तथा विदेशी पार्टियों ने दी थी।

जहाँ तक आमदनी का सम्बन्ध है, 1967-68 में, निर्माणाधीन उपक्रमों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को भी छोड़ कर, सरकारी उद्यमों को कुल 35 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई थी। लेकिन यह हानि, मूल्यह्रास के लिए 121 करोड़ रुपये, ब्याज के लिये 74 करोड़ रुपये तथा कर के लिए 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बाद हुई। इन रकमों को सिहाब में लेने के बाद, वर्ष में किये गये काम के परिणाम के रूप में कुल 179 करोड़ रुपये का अधिशेष निकलता है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने इसी वर्ष 17.5 करोड़ रुपये का उत्पादन-शुल्क राजकोष को दिया है।

जीवन बीमा निगम के मामले में, सबसे हाल के, अर्थात् 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1967 की दो वर्षों की अवधि के मूल्यांकन के अनुसार, अधिशेष की रकम 72.28 करोड़ रुपया थी जिसमें से 68.67 करोड़ रुपया पालिसी-होल्डरों के लिये तथा 3.61 करोड़ रुपया सरकार के लिये निर्धारित किया गया।

प्राणरक्षक औषधियों की उपलब्धता

*927. डा० म० संतोषम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय सी० एन० अन्नादुरै के उपचार के लिए प्राणरक्षक औषधियों को देश में उनका भण्डार समाप्त हो जाने अथवा उनके आयात पर प्रतिबन्ध होने के कारण, विमान द्वारा बाहर से मँगाने की आवश्यकता पड़ी थी ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि भविष्य में ये औषधियाँ नागरिकों को उपलब्ध हों ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के०के० शाह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सेवामुक्त आपातकालीन सैनिक कमीशनप्राप्त अधिकारियों को नईदिल्ली में मोहन सिंह मार्केट में एक जलपान-गृह का आवंटन

*928. डा० कर्णी सिंह : श्री म० ला० सोंधी :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास, और नगर-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य-सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इस आशय के कोई अनुदेश जारी किये हैं कि अन्य बातें सामान रखते हुये सेवामुक्त आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों को बसाने पर विशेष ध्यान दिया जाये ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मोहन सिंह मार्केट में जलपान-गृह के आवंटन के लिये आपातकालीन सैनिक कमीशनप्राप्त अधिकारियों के टेण्डर को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था हालाँकि उनका टेण्डर सबसे अधिक धनराशि का था ; और

(ग) यदि हाँ, तो टेण्डर अस्वीकार किये जाने के क्या कारण थे और क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क) भारत सरकार गृह मन्त्रालय ने सेवामुक्त आपातकालीन सैनिक कमीशनप्राप्त अधिकारियों के लिये पदों के आरक्षण की व्यवस्था कर दी है और भारत सरकार प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे उपयुक्त दुकानों की जगह तथा व्यापार लाइसेंसों, पैट्रोल पम्पों की जगहों का नियतन करने, लघु, उद्योगों की स्थापना करने की पूर्ण सुविधायें देने, पर्यटन परिवहन एजेन्सियाँ, रूट-परमिट, कृषि-भूमि अथवा जीवन सुखी बिताने के लिए अन्य साधन देने के मामलों में इन अधिकारियों को प्राथमिकता दें ।

(ख) और (ग) मोहनसिंह मार्केट जल-पान गृह के आवण्टन के लिए सेवामुक्त आपत्कालीन सैनिक कमीशनप्राप्त अधिकारियों का टेण्डर सबसे अधिक धनराशि का नहीं था । नई दिल्ली नगर पालिका ने उनके सामने यह विकल्प रखा था कि वे सबसे अधिक धनराशि वाले टेण्डर के अंकित लाइसेंस फीस पर इस जलपान-गृह को ले लें । उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । इस मामले में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं उठता ।

पुरानी दिल्ली का पुर्नविकास

*929. श्री क० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पुरानी दिल्ली का पुर्नविकास करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली के समस्त नगरीकरणीय क्षेत्र को 8 आयोजना प्रभागों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक आयोजना प्रभाग को इस प्रकार चुना

गया है कि वह अपनी भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ-साथ भूमि के उपयोग का प्रकार प्रतिबिंबित करता है। आशा की जाती है कि प्रत्येक प्रभाग में अनेक जिला केन्द्र तथा बड़े केन्द्र, सामुदायिक सुविधायें तथा पर्याप्त संचरण (सरक्यूलेशन) पद्धति होगी।

चहारदीवारी के भीतर का शहर मुख्य रूप से एक आयोजना प्रभाग में शामिल किया गया है यद्यपि कुछ छोटे भाग संलग्न दो प्रभागों में भी आते हैं। विस्तृत विकास आयोजनायें तैयार करने के लिए क्षेत्र को और आगे 31 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 7 क्षेत्रों की विकास आयोजनाओं की शीघ्र तैयार हो जाने की सम्भावना है। शेष आयोजनायें इसके बाद आरम्भ की जायेंगी।

मास्टर प्लान यह सिफारिश करता है कि विस्तृत विकास आयोजनाओं का उद्देश्य इस क्षेत्र में 250 व्यक्ति प्रति एकड़ का कुल रिहायशी घनत्व (ग्रास रेजीडेनशीयल डेन्सटी) होना चाहिये। क्योंकि पुराने शहर के भीतरी क्षेत्र में अधिकांशतः कुल घनत्व अधिक है, अतएव आयोजना में यह व्यवस्था है कि खाली पड़े प्लाटों को, जिनसे खतरनाक इमारतें प्रति वर्ष गिराई जा रही हैं, उन्हें अर्जित करके सामुदायिक प्रयोजन के उपयोग में लाना चाहिए।

(ग) विस्तृत विकास आयोजनाओं को अन्तिम रूप दे देने के बाद ही निधियों की आवश्यकता निर्धारित की जायेगी।

पश्चिम उड़ीसा में हीरे तथा सोने के निक्षेप

*930. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में पश्चिम उड़ीसा में सम्बलपुर में हीरों और उनके आस-पास के क्षेत्र में सोने के बड़े निक्षेपों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन निक्षेपों से हीरे तथा सोना निकालने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा पश्चिम उड़ीसा में सम्बलपुर में हीरों के तथा निकटवर्ती जिलों में सोने के किसी बड़े निक्षेपों का पता नहीं लगाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खनिज लाइसेंसों का दिया जाना

5353. श्री बाबूराव पटेल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलारी-हास्पेट क्षेत्र में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कितने खनन लाइसेंस दिये गये तथा प्रत्येक लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता का नाम और लाइसेंस का मूल्य क्या है और

क्या खनिज-कार्य योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है और यदि हाँ, तो खनिज योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अयस्क को ढोने के लिये रेलवे भाड़ा अधिक होने के कारण खनिज-मालिक श्रमिकों को न्यूनतम निर्वाह मजूरी देने की स्थिति में भी नहीं हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार 35 लाख मीटरी टन लोह अयस्क के खनन पर लगी स्वामित्व की वर्तमान 35 लाख रुपये की राशि में इतनी वृद्धि करने का है ताकि राज्य सरकार खनन क्षेत्र में लोगों की स्थिति को सुधार सके ;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे की सुविधाएँ कम होने तथा मद्रास से बहुत अधिक दूरी होने के कारण तुरनागालू तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर लोह अयस्क के भारी स्टॉक जमा हो रहे हैं ; और

(ङ) करबार से, जो कि अपेक्षाकृत निकट का बन्दरगाह है, सरकार द्वारा लोह अयस्क का निर्यात पसन्द न किये जाने का क्या कारण है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कोलार की सोने की खानें

5354. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कोलार की सोने की खानों को प्रति वर्ष कितनी हानि हुई और इस अवधि में इन खानों से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोना निकाला गया ;

(ख) उत्पादन में कमी होने तथा हानि में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(ग) ब्रिटिश सलाहकार मैसर्स जान टेलर एण्ड संस को, उनकी सेवाओं के लिए गत तीन वर्षों में कितनी फीस दी गई है और उन्होंने क्या सेवायें प्रदान कीं ; और

(घ) इस बोर्ड में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ कब नियुक्त किया जायेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में निकाले गये सोने की मात्रा और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की दर अर्थात् 35 डालर प्रति औंस, के अनुसार आंका गया सोने का मूल्य नीचे दिया गया है :—

	निकाला गया सोना (लाख ग्रामों में)	सोने का मूल्य (लाख रुपयों में)
1965-66	30.24	162.01
1966-67	26.18	210.17
1967-68	23.45	198.60

इन खानों से निकाला गया सोना बेचा नहीं जाता, इसलिए कार्याचालन के कुल व्यय (पूँजी के व्याज, मूल्यह्रास और अधिकार-शुल्क के विनियोग सहित) और कुल प्राप्तियों के बीच का अन्तर केवल हिसाब-किताब में दिखाई गई हानि मात्र है। कुल प्राप्तियों में सोना भी शामिल है जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की दर से आँका गया है। उपर्युक्त तीन वर्षों में जो हानि हुई, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

		(लाख रुपयों में)
1965–66	(–)	246.12
1966–67	(–)	237.32
1967–68	(–)	295.35

(नफी के निशान वाले आँकड़े प्राप्तियों की तुलना में हुये अधिक खर्च के द्योतक हैं)

(ख) सोने के उत्पादन में कमी के दो कारण हैं अर्थात्

(i) कुछ दैवी विपत्तियाँ आदि जिनके कारण खानों का उत्पादन कम हुआ है। उदाहरणार्थ, केन्द्र द्वारा खानों को अपने हाथ में लिये जाने से कुछ ही देर पहले 26-11-62 को चैम्पियन रीफ खान में एक बड़ी चट्टान फट गई थी जिसका खान के सम्पूर्ण ग्लेन और शूट और खान की दक्षिणी परत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। खान से निकाले जाने वाले कुल सोने का लगभग 40 से 50 प्रतिशत का भाग इन दो भागों से निकाला जाता था। 1965 में चैम्पियन रीफ खान के उत्तरी भाग में बड़ी आग लग गयी थी और उस क्षेत्र में कुछ चट्टानें फटी थीं। नन्दीद्रुग खान में भी खान में उतरने के मार्गों और धातु को रखने की जगहों आदि को दुर्घटनाओं से क्षति पहुँची थी। इसके अलावा सितम्बर 1966 के बीच अभूतपूर्व वर्षा होने के कारण खानों में पानी भर गया था।

(ii) साफ करके तैयार किये गये सोने की किस्म में खराबी।

जहाँ तक कुल कार्याचालन व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के बढ़े हुये अन्तर का सम्बन्ध है, यह अन्तर उत्पादन में हुई कमी के साथ-साथ उत्पादन की लागत में होने वाली वृद्धि के कारण हुआ। उत्पादन लागत में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) सामग्री आदि की लागत में वृद्धि।

(2) मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी और भत्ते के स्तर में वृद्धि।

(घ) तकनीकी सलाहकार कम्पनी मैसर्स जान टेलर एण्ड सन्स को 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के तीन वर्षों में शुल्क के रूप में क्रमशः 4 लाख रुपया, 5.63 लाख रुपया और 5.19 लाख रुपया दिया गया। सलाहकार कम्पनी स्वर्ण खान प्रतिष्ठान को खुदाई, प्रतिष्ठान के मौजूदा कार्य-क्षेत्रों में और उनके आस-पास के क्षेत्रों में खुदाई के काम के विकास और विस्तार, प्रतिष्ठान के संयन्त्रों और मशीनों के उचित अनुरक्षण, और कार्यचालन के संबंध में तकनीकी मामलों में सहायता प्रदान करती है और परामर्श देती है तथा प्रतिष्ठान के लिए ब्रिटेन तथा अन्य जगहों से आवश्यक संयन्त्र, मशीनें और सामान की खरीद तथा जहाजों द्वारा उनके भिजवाने के काम में भी सहायता प्रदान करती है।

(घ) तकनीकी जानकारी-प्राप्त एक भारतीय अधिकारी को, प्रतिष्ठान के प्रबन्धक बोर्ड का पहले से ही सदस्य नियुक्त कर दिया गया है।

कलकत्ता में गाँजे का अवैध व्यापार

5355. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता में गाँजे का अवैध व्यापार बहुत बढ़ गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कलकत्ता से प्रति वर्ष कितना गाँजा चोरी-छिपे बाहर ले जाया जाता है और उत्पादन-शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी हानि होती है ;

(ग) क्या हाल में मारे गये एक छापे में एक सिक्ख द्वारा चलाये जा रहे एक मर्सडीज-बेंज ट्रक में 9 लाख रुपये के मूल्य का गाँजा पकड़ा गया था और उस सिक्ख ड्राइवर ने यह स्वीकार किया था कि वह इस कारोबार से खूब धन कमा रहा था और उसे एक विशेष गोदाम पर माल पहुँचाने के लिये 11,000 रुपये मिलते थे ;

(घ) गत दो वर्षों में गाँजे की तस्करी करने के अपराध में राज्य-वार कितने तथा कौन-कौन से व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनमें किन-किन उत्पादन-शुल्क अधिकारियों का हाथ था ; और

(ङ) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर गाँजे की इस तस्करी के बारे में नेपाल सरकार से विरोध प्रकट किया है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) यह नहीं कहा जा सकता कि कलकत्ता में गाँजे के गैर-कानूनी व्यापार में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, हाल ही के महीनों में पश्चिम बंगाल के आबकारी विभाग द्वारा किये गये प्रभावी उपायों के कारण कई बार निषिद्ध गाँजा पकड़ा गया तथा कई अन्तर्राज्यीय तस्कर आयात-निर्यातकर्त्ता और उनके साथी गिरफ्तार किए गए हैं।

(ख) कलकत्ता से प्रतिवर्ष किये जाने वाले तस्कर-निर्यात की मात्रा और उत्पादन-शुल्क की लगभग वार्षिक हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) 16 सितम्बर 1968 की रात को कलकत्ता की बी० टी० रोड पर एक सिक्ख ड्राइवर द्वारा चलाये जा रहे मर्सडीज बेंज ट्रक को रोका गया तथा लगभग 9 लाख रुपये मूल्य का गाँजा बरामद किया गया। यह पता चला है कि तस्कर आयात-निर्यात कर्त्ताओं ने इस कार्य के लिये ड्राइवर को अच्छी खासी रकम देने का वादा किया था।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ङ) नेपाल से भारत में गाँजे के तस्कर आयात का सामान्य प्रश्न नेपाल के महामहिम की सरकार के सामने पहले रखा गया था, जिसने भारत सरकार को आश्वासन दिया था कि भारत में गाँजे के तस्कर-आयात को रोकने के लिए वह सक्रिय सहयोग देगी। उस सरकार ने भारत में गाँजे के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगाया।

देश में बनाई गई औषधियाँ

5357. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में देश में कुल कितनी मात्रा में औषधियों का उत्पादन किया गया तथा उनके उत्पादन में कितनी पूँजी लगाई गई ;

(ख) क्या देश औषधियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) गुजरात में औषधियाँ बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ-कहाँ पर हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) 1968 के वर्ष में बनाई गई भेषजों और औषधियों का अनुमानित मूल्य 200 करोड़ रुपया है। बड़े और मध्य स्तर के सभी यूनिटों में लगी पूँजी के बारे में जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल, 1968 को 71 यूनिटों में लगी परिसम्पत्ति पूँजी 140 करोड़ रुपये थी।

(ख) अधिकतर औषधियाँ के सज्जित उत्पादन में करीब-करीब आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। यह पदार्थ या तो देश में विपुल मात्रा में उत्पन्न औषधियों से अथवा विपुल मात्रा में आयात किये गये माल से तैयार किये जाते हैं। उन विपुल औषधियों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती जिनका देश में ही समुचित मात्रा में उत्पादन होता है। आयात उन औषधियों तक ही सीमित रखा जाता है जो देश में उपलब्ध औषधियों की अनुपूर्ति के लिये आवश्यक है।

(ग) औषध और भेषज उद्योग प्राथमिक उद्योगों में सम्मिलित कर लिया गया है और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के विचार से इस उद्योग के लिए आयातित कच्चे माल, फालतू पुर्जे आदि की आवश्यकता उदार रूप से पूरी की जाती है। सम्बद्ध आर्थिक और तकनीकी मामलों को ध्यान में रखते हुये मध्यवर्ती पदार्थों के देशी उत्पादन के अन्तराल को भरने के लिये भी कदम उठाये गये हैं।

(घ) गुजरात में औषध और भेषज तैयार करने वाले बड़े और मध्य स्तर के 12 कारखाने हैं। सात बड़ौदा जिले में, तीन बुलसर जिले में और दो अहमदाबाद जिले में।

महाराष्ट्र में विद्युत्-चालित करघों के मालिक

5358. श्री ज० मं० काहनडोल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो विद्युत-चालित करघा मालिक अपने करघों को टी० सी० परमिट में दिखाये गये स्थान से भिन्न स्थान पर चलाना चाहते हैं, उन्हें तुरन्त इस सम्बन्ध में सम्बद्ध उत्पादन-शुल्क अधिकारी से उस परिवर्तन के लिये स्वीकृत लेनी पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि एक करघा मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सम्बद्ध उत्पादन-शुल्क अधिकारी से शीघ्र ही टी० सी० परमिट अपने नाम में परिवर्तित कराना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे कितने कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में हैं और उनमें कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ख) यह मानते हुये कि माननीय सदस्य का आशय सूती कपड़ों के उन निर्माताओं से है जो सामान्यतः 'सम्मिलित शुल्क योजना' के नाम से ज्ञात विशेष कार्यपद्धति के अन्तर्गत आते हैं, 1944 के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :

(क) यदि कोई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंसधारक अपने व्यापार को किसी नये स्थान पर अंतरित करना चाहता है तो उसे कम से कम 15 दिन पहले इस प्रकार के अपने इरादे के बारे में लाइसेंस अधिकारी को सूचना देनी होती है तथा अपने लाइसेंस में उपयुक्त संशोधन कराना होता है ; तथा

(ख) यदि कोई व्यक्ति किसी मृत लाइसेंसधारक का उत्तराधिकारी होने का दावा करता है तो उसे नया केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लाइसेंस लेना होता है। ऐसे कपड़े तैयार करने के लिए शक्ति-चालित करघों के स्थापित करने तथा उन्हें चलाने के लिए टैक्सटाइल आयुक्त से प्राप्त की गई लिखित अनुमति भी टैक्सटाइल आयुक्त द्वारा उपयुक्त संशोधन करा लेना आवश्यक है ताकि निर्माता सामान्य संश्लिस्ट दरों पर शुल्क सम्बन्धी अपने दायित्व को पूरा करता रहे।

(ग) कार्यालयों सहित 42 अधीक्षक हैं। उनकी सहायता के लिए 202 निरीक्षक तथा 107 उपनिरीक्षक हैं।

कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना

5359. **श्री दे० वि० सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रद्रावक (स्मैलटर) सहित प्रत्येक कार्य की वर्तमान स्थिति का पृथक-पृथक उल्लेख करते हुये ; कोरबा ऐल्यूमिनियम परियोजना के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रद्रावक को कब तक चालू किया जायेगा तथा अन्य कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ; और

(ग) क्या परियोजना को उसी अनुमानित लागत पर तथा उसी निर्धारित समय में पूरा किया जायेगा जिसका शुरू में अनुमान लगाया गया था और यदि नहीं, तो लागत अनुमानों तथा समय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) कोरबा एल्यूमिनियम प्रायोजना के निर्माण में अब तक हुई प्रगति, एकक-वार, नीचे बताई गई है :—

1—एल्यूमिना संयन्त्र : कोरबा एल्यूमिनियम प्रायोजना की पहली प्रावस्था, अर्थात् एल्यूमिना संयन्त्र निर्माणाधीन है। कार्य की विभिन्न मदों की प्रगति नीचे बताई गई है :—

(1) सिविल कार्य : स्थापना-स्थल के विकास, रेल बिछाने आदि से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है।

(2) संयन्त्र निर्माण : उपकरणों के निर्माण, लगाये जाने तथा चालू किये जाने के लिये ठेकेदारों को नियत करने के विचार से अधिकतर शिल्पवैज्ञानिक उपकरणों के सम्बन्ध में निविदाएँ माँगी गई हैं। इनमें से निम्नलिखित के विषय में निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और अभिप्राय-पत्र जारी हो चुके हैं :—

(1) इन्स्ट्रूमेन्टेशन तथा नियन्त्रण ;

(2) इलैक्ट्रीकल, मोटरें, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आदि।

(3) भाप का संयन्त्र।

(3) खानें : चुने गये ठेकेदार को अमरकंटक तथा फुटका पहाड़ के रज्जू-मार्गों की सप्लाई, लगाये जाने तथा चालू किये जाने के लिये अभिप्राय-पत्र जारी कर दिया गया है। रेलवे साईडिंग, पेन्डरा रोड स्टेशन से ले कर, तथा खानों का विकास प्रगति पर है।

(4) नगर क्षेत्र : कोरबा के नगर क्षेत्र के लिये मास्टर-प्लान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच में, टाइप 2 के 240 क्वार्टरों का निर्माण प्रगति पर है।

(5) समर्थकारी कार्य : स्थापना-स्थल कार्यालयों, (मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की कोरबा स्थित रेलवे साईडिंग से ले कर) अस्थायी रेलवे साईडिंग, निर्माणावस्था के दौरान संयन्त्र स्थल को अवगाहन-श्रम पुल/पहुँच-सड़क और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों आदि का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

2—प्रद्रावक तथा निर्माण एकक : प्रायोजना की दूसरी प्रावस्था, अर्थात् प्रद्रावक तथा निर्माण सुविधाओं के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) वर्तमान-संकेतों के अनुसार, प्रद्रावक के 1973-74 में किसी समय चालू किये जाने की सम्भावना है। एल्यूमिना संयन्त्र को अक्टूबर 1971 में चालू किया जाना नियत है।

(ग) वर्तमान् समयावलियों और अनुमानित लागतों में कोई परिवर्तन होगा या नहीं इस सम्बन्ध में इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है। और भी, प्रायोजना की दूसरी प्रावस्था, अर्थात् प्रद्रावक तथा निर्माण एककों के सम्बन्ध में लागत अनुमानों को तथा समयावलियों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मध्य प्रदेश में चौथी योजना में सिंचाई-सुविधाओं सम्बन्धी कार्यक्रम

5360. श्री दे० वि० सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये सिंचाई-सुविधाओं के विकास का एक कार्यक्रम भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या उन कार्यक्रम को योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है और यदि उसमें योजना आयोग द्वारा कोई फेर-बदल किया गया है, तो क्या; और

(घ) उस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार ने चौथी योजना के दौरान नई वृहत तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक व्यय का प्रस्ताव रखा है।

(ग) और (घ) चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

तवा सिंचाई परियोजना

5361. श्री दे० वि० सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68-69 और 1969-70 में तवा सिंचाई परियोजना के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने ऋणों/अनुदानों की माँग की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया।

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना को धन की कमी के कारण बहुत मन्द गति से क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को पूरा करने के लिये राज्य सरकार की सहायता करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) राज्य योजना के लिए ऋण/अनुदानों के लिए समग्र रूप में प्रार्थना की गई थी, तथा परियोजना के लिए पृथक रूप से नहीं।

(ग) जी हाँ।

(घ) चौथी योजना के दौरान राज्य को 10% केन्द्रीय सहायता चालू वृहत सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के आधार पर देने की सम्भावना है।

हलाली परियोजना

5362. श्री दे० वि० सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की हलाली परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत इसके लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण गत दो वर्षों से काम बहुत मन्द गति से चल रहा है और लगभग बन्द हो गया है तथा इस अवधि में इंजीनियरों सहित बहुत से कर्मचारी बेकार रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) हलाली परियोजना मध्य प्रदेश की चौथी योजना के मसौदे में शामिल है और राजस्थान ने 550 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है। चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तुंगभद्रा परियोजना की उच्च सतह वाली नहर

5363. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में तुंगभद्रा परियोजना के उच्च सतह वाली नहर प्रक्रम के लिये केंद्र द्वारा सहायता की कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) वर्ष 1969-70 में कितनी सहायता देने का विचार है; और

(ग) 1969-70 में तुंगभद्रा उच्च सतह नहर (प्रक्रम 2) के लिये नियत राशि में से आंध्र प्रदेश सरकार को कितनी राशि देनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) 1967-68 और 1968-69 के दौरान तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर स्कीम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित पृथक रक्षित ऋण सहायता दी गई थी।

वर्ष	पृथक् रक्षित ऋण सहायता (लाख रुपयों में)		
	आंध्र अदेश	मैसूर	कुल
1967-68	101.00	90.00	191.00
1968-69	81.00	77.00	158.00

(ख) 1969-70 को आरम्भ होने वाली चौथी योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक (Block) अनुदानों और ऋणों के रूप में होगी।

(ग) आंध्र प्रदेश की 1969-70 के लिए वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

जनसंख्या के आधार पर परिवार नियोजन के लिए धन नियत किया जाना

5364. श्री सुब्रावेलू : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सकते क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त धनराशि नियत नहीं की जाती है ; और

(ख) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को जनसंख्या के आधार पर धनराशि नियत करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चंद्रशेखर):

(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए राज्यों को, इस क्षेत्र में उस वर्ष के दौरान किए गए विकास कार्यों के आधार पर अनुमोदित पैटर्न के अनुसार, वार्षिक धनराशि का आवंटन किया जाता है ।

राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अतिरिक्त राशि का निर्यात किया जाना

5365. श्री सुब्रावेलू : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों को, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं, 1969-70 में अतिरिक्त धन देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डॉ० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) और (ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए राज्यों को, इस क्षेत्र में उस वर्ष के दौरान किए गए विकास कार्यों के आधार पर अनुमोदित पैटर्न के अनुसार, वार्षिक धन राशि का आवंटन किया जाता है । 1969-70 के आवंटनों का शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा ।

कांस्टीट्यूशन क्लब में तैरने का तालाब

5366. श्री बृजराज सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब के सदस्यों के लिये बनाया गया तैरने का तालाब अभी तक अप्रयुक्त पड़ा हुआ है, क्योंकि इस बात पर समझौता नहीं हो रहा है कि उसके खर्च का भुगतान कौन करेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क), (ख) तथा (ग) संसद् सदस्यों से माँग न होने के कारण पूल का उपयोग नहीं हो रहा है ।

लोक-सभा सचिवालय के परामर्श से इसके और आगे उपयोग के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली प्रशासन योजनाएँ

5367. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई कितनी तथा कौन सी योजनाएँ स्वीकार की गईं कितनी तथा कौन सी अस्वीकार की गईं और कितनी तथा कौन सी योजनाएं उनके मन्त्रालय के विचाराधीन हैं;

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनाओं को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विचाराधीन योजनाओं को कब तक कार्यरूप दिये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गांधी स्मारक निधि

5368. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि, वित्त अथवा अन्य किसी रूप में गांधी स्मारक निधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये योगदान का ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस निधि में योगदान देने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तत्काल उपलब्ध सूचना से ऐसा मालूम होता है कि गांधी संग्रहालय तथा सम्बद्ध भवनों के लिये। रुपया प्रति वर्ष के नाम-मात्र के किराये पर 7.10 एकड़ भूमि देने के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने गांधी स्मारक निधि में और कोई अंशदान नहीं किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

नेहरू स्मारक निधि

5369. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि, वित्त अथवा अन्य किसी रूप में नेहरु स्मारक निधि के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये योगदान का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस निधि में योगदान देने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तत्काल उपलब्ध जानकारी से ऐसा मालूम होता हैं कि केन्द्रीय सरकार ने नेहरु स्मारक निधि में कोई अंशदान नहीं दिया है ।

(ख) जी, नहीं।

प्रधान मन्त्री के लिये नयानिवास–स्थान

5370. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री बसुमतारी :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के तीन मूर्ति भवन में चले जाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि इस निर्णय में कोई परिवर्तन किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रधान मन्त्री का निवास–स्थान कहाँ बनाया जायेगा तथा उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री, (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) , (ख) और (ग) दी नेहरू मेमोरीयल म्यूज़िएम एन्ड लाईब्रेरी

सोसाइटी ने यह अनुभव किया है कि तीन मूर्ति भवन केवल स्मारक, संग्राहालय तथा पुस्तकालय ही नहीं है, बल्कि उसने कुछ-कुछ तीर्थस्थल का रूप ले लिया है जिसे देखने हजारों व्यक्ति आते हैं। जब तक नया भवन न बन जाये तब तक के लिए अस्थाई तौर पर सग्राहालय तथा पुस्तकालय की स्थापना के लिए सुझाए गये वैकल्पिक स्थानों में से कोई भी स्थान उन्हें संतोषजनक नहीं लगा। अतएव यह निर्णय किया गया है कि सोसाइटी तीनमूर्ति भवन में ही बनी रहे तथा प्रधान मन्त्री के लिए राष्ट्रपति भवन के अहाते में नया भवन बनाया जाये। आयोजना (प्लान्स) तथा अनुमान अभी तैयार किये जाने हैं।

मिट्टी के तेल की कमी

5371. श्री ए० श्रीधरन : श्री क० लकप्पा :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्री देवराव पाटिल :
श्री यशपाल सिंह : डा० रानेन सेन :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में देश में मिट्टी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कमी रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो देश में राज्य-वार, तेल की माँग कितनी है ;

(ग) इस अवधि में देश में तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितने तेल का आयात किया गया ; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी नहीं।

(ख) तेल सलाहकार समिति के अनुमान के अनुसार, 1968 के लिये मिट्टी के तेल की कुल आवश्यकता 26,40,000 मीटरी टन थी। इसकी तुलना में, कुल बिक्री 28,16,191 मीटरी टन थी। राज्यवार माँग का अनुमान नहीं लगाया जाता।

(ग) 1968 के दौरान मिट्टी के तेल के देशी उत्पादन तथा आयात के आँकड़े निम्न प्रकार हैं :—

देशी उत्पादन	आयात	कुल उपलब्धि
24,48,331 मीटर टन	4,18,063 मीटरी टन	28,66,394 मीटरी टन

(घ) कमी आयात से पूरी की गई थी। इस समय निर्माणाधीन शोधन क्षमता में वृद्धि होने से कमी दूर हो जाने की आशा है।

ग्राम संसाधनों का उपयोग करना

5372. श्री दा० रा० परमार : श्री रा० की० अमीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंडीकेट बैंक ने, जिसके अध्यक्ष श्री टी० ए० पाई हैं, ग्राम संसाधनों का उपयोग करने का नया तरीका निकाला है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार समूचे देश में ऐसे तरीकों को प्रयोग में लाने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सिंडीकेट बैंक ने जमा के रूप में रकमें प्राप्त करने के लिए संचयी वार्षिकी जमा, बड़ी रकमों के नकदी-पत्र सेवा-निवृत्ति सुरक्षा-पत्र आदि जैसी कुछ नयी योजनाएँ शुरू की हैं।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक बैंकों को जमा के रूप में रकमें प्राप्त करने की ऐसी आयोजनाओं का आम तौर पर पता है और प्रत्येक बैंक को अपने कार्य के मुख्य क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि प्रचलित जमा खातों की तुलना में नयी योजनाएँ शुरू करने से कोई विशेष लाभ होगा, या नहीं।

Quota of Translation work for Research Assistants

5373. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Molahu Prasad :**

Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Qota of translation work for Research Assistants working in the scale of Rs.325—575 in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology has been fixed between 3 and 4 pages ;

(b) whether it is a fact that Hindi Assistants and Translators appointed for translation work in the Ministries have to translate at least 10 pages per day especially when the Parliament is in Session;

(c) if so, the reasons for this disparity and whether Government propose to bring the pay scale of Hindi Assistants at par with that of Research Assistants or to provide some special allowance for them during the session of Parliament as has been provided for Parliament Assistants and Parliament U. D. Cs ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir.

(b) In some Ministries during the Parliament Session, Hindi Assistants/Translators translate about 8 to 10 pages per day.

(c) and (d) The Research Assistants working in the Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate are required to translate standard works of University level in Science, Technology, Engineering, etc. and Office Codes, Manuals, which are all work of a specialised nature. Hindi Assistants in the Ministries in the pay scale of Rs.210-530 are entrusted with ordinary translation from English to Hindi and vice-versa and other Secretariat work. The qualifications prescribed for a Research Assistant are also higher than for a Hindi Assistant. The pay scale of Hindi Assistants cannot, therefore, be brought on par with that of a Research Assistant. Hindi Assistants engaged wholetime on Parliamentary work are already entitled to special allowance like other Parliament Assistants. Those who are not so engaged are, however, eligible for overtime allowance under the relevant rules.

Smuggling of Contraband Gold by Haj Pilgrims

5374. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Molahu Prashad :**

Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to investigate into the fact thate Haj Pilgrims returning from Macca bring with them a large quantity of contraband gold from abroad ;

(b) if so, whether Government propose to make a thorough search of each Haj Pilram ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) , (b) and (c) The Government has no information to suggest that Haj Pilgrims returning from Macca bring with them large quantity of contraband gold from abroad, nor do the seizures made in the last three years from Haj Pilgraims suggest that large quantity of contraband gold is being brought by them.

Instructions regarding the examination of baggage of passengers returning from abroad already exist. Detailed examination of the baggage as well as of person of passengers about whom intelligence is available with the Customs is already being done.

Supply of Medicines to Government Employees in C. G. H. S. Dispensaries

5375. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Molahu Prashad :**

Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5709 on the 26th August, 1968 and state :

(a) whether Government are aware that substitnte medicines included in toe new formulary adversely affects the health of patients resulting ia great difficulties to the beneficiaries ; and

(b) if so, whether Government propose to rewsse the formulary with a view to inelude back the deleted medicines in the formulary ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No such case has come to the notice of Government.

(b) The formulary was received in July, 1968 and was further reviewed in November, 1968, when a few items, which were not available in the market, were deleted. It will be revised again in due course.

Use of Hindi in Ministry of Irrigation and Power

\+

5376. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the action taken by his Ministry in pursuance of Official Languages Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to (i) publish all their publications in Hindi, (ii) maintain the service books of Class IV employees in Hindi, (iii) secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work, (iv) prepare a programme for teaching Hindi to officers and employees under the age of 45 years on the Ist January, 1961 under the Hindi training scheme, (v) make it compulsory for the Hindi knowing staff to use Hindi in official work, and (vi) appoint Hindi knowing persons of the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Schemes; and

(b) the dates on which the said action was taken and the results achieved thereby ?

The Deputy Minister of Information and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) and (b) A Statement is attached.

Statement

Posititon with regard to the use of Hindi in the Ministry of Irrigation and Power is given below :

Publications.

Publications of general interest are being brought out both in Hindi and English. Recently, Hindi-versions of two Pamphlets 'Azadi ke bad desh men sinchai aur bijli ki pragati' and 'Nepal ki sampannata ki aur ek-kadam. Trisuli Pariyojana' were issued. The question of publishing in Hindi of selected articles from the 'Bhagirath', a quarterly journal of the Ministry, is under consideration.Efforts are also being made for bringing out Hindi versions of some technical publications.

Maintenance of Service Books.

The service books of Class IV employees are being maintained in Hindi in the Ministry since August, 1968.

Allocation of Additional Funds.

Since last year, there is a full-fledged Hindi section in this Ministry under the charge of a Hindi Officer with the following complement of staff :

Hindi Officer	..	1	Typsits	..	3
Translators	..	2	Hindi Steno-typist	..	1
Hindi Assistants	..	2			

In order to strengthen the Hindi Section further, a provision of Rs.20,000 has been made in the Budget Estimates for the financial year 1969-70.

Hindi Teaching Scheme.

This is being implemented in accordance with the instructions issued by the Ministry of Home Affairs.

Use of Hindi in official work :

As laid down in the Ministery of Home Affairs order dated 6-7-1968, instructions were issued oon 2-8- 1968 that staff dessring to make use of Hindi in office work could do so. Some members f the staff have already started noting and drafting in Hindi.

Appointment of Hindi Implementation Committee.

A Hindi Implementation Committee has been set up in the Ministry under the Chairmanship of a Joint Secretary, to watch the progress in the implementation of various orders relating to switch over to Hindi in official work. This Committee meets at regular intervals to review progress. The last meeting of this Committee was held on 24-1-1969.

Use of Hindi in Departments of Health and Family Planning

5377. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Health, and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the action taken by the Deparments of Health and Family Planning in pursuance of Official Languages Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to (i) publish all their publications in Hindi ; (ii) maintain the service books of Class IV employees in Hindi ; (iii) secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work ;(iv) prepare a programme for teaching Hindi to officers and employees under the age of 45 years on the Ist January, 1961 under the Hindi training scheme ; (v) making it compulsory for the Hindi knowing staff to use Hindi in official work, and (vi) appoint Hindi-knowing persons in the ranks of Joint Secretariates, Deputy Secretaries and under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme ; and

(b) the dates on which the said action was taken and the results achieved thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy):

(a) (i) Annual Reports on the activities of Departments of Health and Family Planning and several other publications are being published in Hindi ;

(ii) The Department of Health have already started making entries in Hindi ;

(iii) While provision for a few additional posts has been made in the Budget of the Department of Health for the year 1969-70 the proposal intimated by the Department of Family Planning is under consideration in consultation with the Ministry of Finance ;

(iv) The instructions issued in this regard by the Ministry of Home Affairs from time to time are being followed ;

(v) It is not compulsory according to the Act or the orders issued thereunder for Hindi-knowing staff to use Hindi only in their official work ; and

(vi) The Official Languages (Amendment) Act, 1967 or the orders issued thereunder do not provide for apointment of only Hindi-knowing officers to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi training scheme.

(b) While the Annual Report of the Departments of Health and Family Planning is being published in Hindi and English both for a number of years, action in respect of other matters was taken after the enactment of the Official Languages (Amendment) Act, 1967.

Use of Hindi in Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals

5378. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the action taken by his Ministry in pursuance of Official Languages Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to (i) publish all their publi-

cations in Hindi, (ii) maintain the service books of Class IV employees in Hindi, (iii) secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work (iv) prepare a programme for teaching Hindi to officers and employees under the age of 45 years on the Ist January, 1961 under the Hindi training scheme, (v) make it compulsory for the Hindi-knowing staff to use Hindi in official work, and (vi) appoint Hindi-knowing persons in the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries, and Under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme ; and

(b) the dates on which the said action was taken and the results achieved thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D.R. Chavan) :

1. (a) and (b) So far as the Ministry proper is concerned information is furnished below:

(i) **Publish all their publications in Hindi :**

Only one publication i.e. Annual Report of the Ministry is brought out every year and this is invariably brought out in English as well as Hindi, from the inception of the Ministry.

(ii) **Maintain the service-books of Class IV employees in Hindi :**

The position in this regard is that the relevant orders have been brought to the notice of our Subordinate Offices. In so far as the Secretariat proper is concerned, Service-books in diglot form are awaited.

(iii) **Secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work :**

An assessment of the work-load is in hand and the requsite funds found necessary, will be arranged for. Meanwhile the translation work is being carried on by the existing staff with the help of other Hindi-knowing staff within the Ministry as and when required.

(iv) **Prepare a programme for teaching Hindi to officers and employees under the age of 45 years on the 1st January, 1961 under the Hindi Training Scheme :**

The employees of the Ministry have been/are being deputed for training for various Hindi classes under Hindi Teaching Scheme as well as Hindi Typewriting/Stenography Training from the time the scheme came into force. Attendance is also being enforced.

(v) **Make it compulsory for the Hindi-knowing staff to use Hindi in official work :**

Under present instructions it is not compuslroy for Hindi-knowing staff to use Hindi in official work ; and

(vi) **Appoint Hindi-knowing persons in the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Under Secretaries to implement the Scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme :**

The Joint Secretary and the Director in the Department of Mines and Metals, who are incharge of the Scheme, know Hindi.

II. Information in respect of the Attached and Subordinate Offices of the Ministry is being obtained and will be laid on the Table of the House in due course.

Use of Hindi in the Department of Works, Housing and Urban Development

5379. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the action taken by the Department of Works, Housing and Urban Development in

pursuance of Official Languages Act and the orders issued by Ministry of Home Affairs under the said Act to (i) publish all their publications in Hindi, (ii) maintain the service books of Class IV employees in Hindi, (iii) secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work, (iv) prepare a programme for teaching scheme, (v) make it compulsory under the age of 45 years on Ist January, 1961 under the Hindi Training Scheme, (vi) to make it compulsory for the Hindi knowing staff to use Hindi in official work, and (vii) appoint Hindi-knowing persons in the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries and under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme ; and

(b) the dates on which the said action was taken and the results achieved thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy):

(a) (i) The Annual Report on the activities of the Department of Works, Housing and Urban Development, the forms in use and a glossary of techanical terms, are being published in Hindi.

(ii) This has not been started yet. Hindi proformae are being procured and entries will be made in Hindi as soon as possible.

(iii) The question of creating a number of additional posts is under examination.

(iv) and (v) Instructions issued in this regard by the Ministry of Home Affairs from time to time are being followed.

(vi) In accordance with the Home Ministry's instructions, in Sections where the bulk of the staff know Hindi, the staff are encouraged to use Hindi in their work.

(vii) This question is under consideration.

(b) The instructions of the Ministry of Home Affairs in regard to the implementation of the schemes for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme are complied with as soon as they are received. The results so far appear to be satisfactory.

Use of Hindi in Finance Ministry

5380. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the action taken by his Ministry in pursuance of Official Languages Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to :

(i) publish all their publications in Hindi.

(ii) maintain the service books of Class IV employees in Hindi.

(iii) secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work.

(iv) prepare a programme for teaching Hindi to officers and employees under the age of 45 years on the Ist January, 1961, under the Hindi Training Scheme.

(v) make it compulsory for the Hindi-knowing staff to use Hindi in offieial work, and

(vi) appoint Hindi-knowing persons in the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme ; and

(b) the dates on which the said action was taken and the results achieved thereby ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai)

(a) (i) Some have been published in Hindi and action to publish the remaining ones in Hindi is on hand.

(ii) In many cases this is being done. Necessary action has been initiated in the remaining cases.

(iii) Necessary provision has been made for the purpose in the budget for 1969-70 and action to appoint additional hands is being taken.

(iv) In accordance with the rosters prepared for the purpose, persons are regularly being sent for training under the Hindi Training Scheme.

(v) The existing orders do not make it compulsory for Hindi-knowing staff to use Hindi in official work. However, they are encouraged to use Hindi to the extent feasible.

(vi) The orders do not require that Hindi kowing persons should be incharge if implementation of the scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme. Senior officers have, however, been nominated for the purposes of general supervision and liasion in the different Departments/Offices of the Finance Ministry as required under these orders.

(b) Action with reference to the various orders issued by the Ministry of Home Affairs was taken as and when the different occasions, referred to in part (a) arose . As a result, the use of Hindi for official purposes is encouraging.

अहमदाबाद को गैस की सप्लाई

5381. श्री रा० की० अमीन : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद के निकट तेल के क्षेत्रों में गैस बड़ी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अहमदाबाद को गैस सप्लाई करना सम्भव है; और

(ग) यदि हाँ, तो अहमदाबाद नगर को गैस सप्लाई करने का सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) कलोल, नवागांव गथा सानन्द क्षेत्रों के पूरी तरह विकसित हो जाने पर वहाँ से प्रतिदिन 8 लाख घन मीटर फ्री गैस और 3 लाख घन मीटर असम्मिलित गैस उपलब्ध होने का अनुमान है ।

(ख) और (ग) प्रतिदिन 7 से 7.5 लाख घन मीटर की मात्रा कलोल के निकट स्थापित किये जाने वाले इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव प्लांट के लिये दी जायेगी । बकाया गैस को अन्य उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के प्रश्न पर बातचीत हो रही है ।

नई दिल्ली में ' मेस '

5382. श्री म० ल० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में ऐसे अनेक 'मेस' हैं, जो सरकार द्वारा चलाये जाते है ;

(ख) क्या उनमें नौकरों के क्वार्टर भी होते हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा गत वर्ष ऐसे प्रत्येक क्वार्टर की मरम्मत पर कितना धन व्यय किया गया ; और

(घ) इन क्वार्टरों में आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रू० मूर्ति) :

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) नई दिल्ली के 'मेसों' में कुल मिला कर 1011 नौकरों के क्वार्टर हैं। क्योंकि नौकरों के क्वार्टरों के अनुरक्षण के लिए कोई पृथक हिसाब नहीं रखा जाता, उनके अनुर-क्षण पर किए गए खर्च की रकम बताना संभव नहीं है।

(घ) इन क्वार्टरों में किसी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह सभी युद्ध के दौरान बनाई गई बैरकें हैं और जिनकी म्याद समाप्त हो गई है।

आय-कर विभाग द्वारा गलती से जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र

5383. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर विभाग द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र गलत ढंग से जारी किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष ऐसे कितने वसूली प्रमाण-पत्र गलत ढंग से जारी किये गये ;

(ग) इसके क्या कारण थे ; और

(घ) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ग) यह सच है कि कभी-कभी उन मामलों में भी वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाते हैं, जिनमें कर की अदायगी की जा चुकी हो। ऐसे प्रमाण-पत्र प्रायः इसलिए जारी हो जाते हैं कि कर की अदायगी के प्रमाणस्वरूप जारी किये जाने वाले चालान या तो अपठनीय/अधूरे होते हैं अथवा प्रेषण में हुई देरी/निर्दिष्ट स्थान पर न पहुँचने के कारण से कर-निर्धारण से सम्बन्धित रिकार्डों में उपलब्ध नहीं होते। मियाद के अन्दर कार्यवाही करने के लिये वसूली प्रमाण-पत्र एक निर्धारित तारीख के भीतर ही जारी करने होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहना ठीक नहीं होगा कि आय-कर विभाग द्वारा सामान्यतः गलत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष में जारी किये गये ऐसे वसूली प्रमाण-पत्रों की संख्या से संबन्धित सूचना इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम लगेगा क्योंकि माँगी गई सूचना अलग-अलग कर-निर्धारण रिकार्डों की छानबीन करके ही प्राप्त की जा सकती है ।

(घ) क्षेत्रीय अधिकारियों को ऐसे निदेश दिये जा चुके हैं कि वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले, करों की अदायगी की तस्दीक कर लें और यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में कर-निर्धारिताओं से पूछताछ कर लें ।

Hindi Printing Work in Government Presses

5384. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 176 on the 18th November, 1968 and state :

(a) the further progress since made in Hindi printing work and Bills and other publications in Government presses ;

(b) the quantum of unprinted work lying with the different Ministries due to inadequate printing capacity ; and

(c) whether it a fact that the capacity of Government presses has not been adequately expanded so far so as to print Bills and other important Parliamentary papers in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) (i) **Setting up of Reprographic Unit** :

Primary machines (two Xerox machines and five offset duplicators) have been received. Necessary accommodation for this unit has been found and the requisite alterations, electrification and air conditioning are expected to be completel in 8 to 10 months' time.

(ii) **Setting up of a new Government of India Press at Ring Road, New Delhi.** :

The Administrative Block and ancillary buildings are ready and work on the main factory building is nearing completion. The mechanical composition equipment for Hindi composition is expected to be received early next year. Other items of machinery and equipment for the printing and binding sections have been received and are in the process of erection. The press is expected to start functioning without Mono equipment during the middle of this year and with the Mono type Hindi equipment from early next year.

(b) The question of unprinted work lying with Ministries due to inadequate printing capacity does not arise. Where it is not possible to get the printing done though a Government Press, either the job is got printed by the Printing and Stationery Department itself through private presses, or the Ministry Department concerned is permitted by the Printing and Stationery Department to get the job printed though private presses direct.

(c) No. The capacity has been expanded to print Bills and other important papers in Hindi. Debates of Parliament, which the Government of India Presses are unable to handle, are, however, got printed in private presses.

फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन

5385. श्री क० लकप्पा : श्री ए० श्रीधरन् :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के गत तीन वर्षों के कार्य का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस अवधि में हुई किन-किन अनियमितताओं का पता लगा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) (i) फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लि० में उत्पादन में कमी के कारण का पता लगाने तथा उत्पादन एवं दक्षताओं में सुधार के बारे में, औपचारिक उपायों का सुझाव देने के लिये, जनवरी 1968 में केन्द्रीय सरकार ने फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लि० से संयंत्रों के कार्य-चालन की जाँच के लिए एक अध्ययन-दल नियुक्त किया। सिन्दरी उर्वरक कारखाने के महाप्रबन्धक, श्री० के० सी० शर्मा इस दल के प्रधान थे।

(ii) तीन संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन के परिणाम-स्वरूप, जिसमें फैक्ट के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे, जुलाई, 1968 में पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में भारत सरकार के सचिव ने फैक्ट के कार्य-कलापों की जाँच की।

(iii) 1968 उत्तरार्ध में फैक्ट के कार्य-सम्पादन का पुनरीक्षण करने के लिये पब्लिक एण्टरप्राइजिज के ब्यूरो ने आयोजना बनाई थी तथा इस सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक कार्य शुरू किया था परन्तु क्योंकि सरकारी उपक्रमों की संसदीय समिति ने जब तक फैक्ट के कार्यों की जाँच करनी थी, इसीलिए पब्लिक एण्टरप्राईजिज के ब्यूरो द्वारा किये जाने वाले पुनरीक्षण को स्थागित किया गया।

(ख) और (ग) शर्मा समिति ने कई सिफारिशें कीं, जो तकनीकी किस्म की हैं। इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सचिव द्वारा जाँच के बाद निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :—

(1) कारखाने में उत्पादन में कमियाँ हुई हैं, परन्तु कारखाने को पेश हुई बिजली सम्बन्धी समस्याएँ अंशतः इसके लिए उत्तरदायी हैं। परिचालन पक्ष में भी कमियाँ तथा देख-रेख विभाग में कुछ कमियाँ थीं जिनकी ओर ध्यान दिया गया है और उत्पादन में वृद्धि होनी शुरू हो गई है।

(2) परिव्यय पर अधिकतर नियंत्रण तथा बहुत अधिक व्यय की प्रवृत्ति का निवारण अपेक्षित है। कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति में प्रत्येक मद्रास और दिल्ली के उत्सवों पर 5 से 6 लाख तक रुपयों को खर्च करना न्यायसंगत नहीं था। अधिक उपयुक्त बजट द्वारा ये उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते थे। कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे अतिथि-गृहों / विश्राम-गृहों की देख-रेख में मितव्ययता लाने की भी गुन्जाइश है।

(3) बजट को तैयार करने, प्रस्तुत करने तथा अनुमोदन करने की पद्धति में पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि समय-समय पर होने वाले व्यय पर अधिक मात्रा में नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके ।

(4) कम्पनी में युवक अधिकारियों के भविष्य को तथा कम्पनी की अस्थायी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेवा-निवृत अधिकारियों की पुन:नियुक्ति तथा उक्त अधिकारियों की प्रति-नियुक्तियाँ सदभावना-पद्धति से की गई हैं ।

फैक्ट्री के कार्य-कलापों तथा उनके सम्बद्ध मामलों में मितव्ययता लाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए सितम्बर, 1968 में एक समिति बनाई गई थी जिसमें चार निदेशक तथा निदेशकों के बोर्ड के चेयरमैन शामिल हैं ।

गुजरात का विमान द्वारा सर्वेक्षण

5386. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की सहायता से गुजरात के कुछ क्षेत्रों में विमानों से खनिज सर्वेक्षण आरम्भ करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) और (ख) जी, नहीं । प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

बम्बई में चोरी-छिपे लाई गई घड़ियों का जब्त किया जाना

5387. श्री भारत सिंह चौहान : श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के एक उपनगर खार में एक घर से जनवरी, 1969 में चोरी-छिपे लाई गई लगभग 7250 घड़ियाँ पकड़ी गई थीं ;

(ख) यदि हाँ, तो जब्त की गई घड़ियों का मूल्य कितना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मरोरजी देसाई):

(क) जी, हाँ । 3 जनवरी, 1969 को सीमाशुल्क अफसरों ने बम्बई में खार रोड स्थित एक मकान में से 7378 आयातित, घड़ियाँ तथा घड़ियों के 378 फीते पकड़े ।

(ख) पकड़ी गयी वस्तुओं का बाजार मूल्य लगभग 5.6 लाख रुपये है ।

(ग) एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और बाद में मेजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया ।

Central Assistanee for Beas Project

+
5388. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Central Government had granted loans in 1968-69 to the Governments of Rajasthan, Haryana and Punjab for Beas Project ; and

(b) the total amount of loans granted and the ratio of distribution of the same amongst the respective States ?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (**Shri Siddheshwar Prasad**) :

(a) Yes , Sir.

(b) The total amount of loans sanctioned for the Beas Project during 1968-69 is Rs.2,678.28 lakhs.This amount has been allocated among the three partner States of Rajasthan, Haryana and Punjab as follows :

Punjab	=	Rs.893-42	lakhs.
Haryana	=	Rs.641.94	,,
Rajasthan	=	Rs. 1,142.92	,,

Satpura Thermal Power Station

+
5389. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of loan given by the Central Government to the Madhya Pradesh Government for the construction of Satpura Thermal Power Station during the years 1966-67 and 1967-68 ;

(b) the amount of loan to be given by Government to the Madhya Pradesh Government till the completion of this Project ; and

(c) the total expenditure incurred on this project so far and the time by which it is likely to be completed ?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (**Shri Siddheshwar Prasad**) :

(a) and (b) No specific Central assistance was given to the Satpura thermal Power station project during 1966-67. However, during 1967-68 and 1968-69, earmarked Central assistance amounting to Rs.2.9 crores and Rs.1.05 crores respectively was given to the Government of Madhya Pradesh for the above project.

The pattern of Central assistance to the various projects during the Fourth Five Year Plan is under consideration.

(c) The Satpura thermal power station project is estimated to cost a total of Rs. 39.25 crores. As against this, a total expenditure amounting to Rs.37.45 crores is anticipated to have been incurred up to the end of March 1969. Of the five generating units of 62.5 MW each under installation, for units have already been commissioned and the fifth unit is expected to be commissioned by May, 1969.

Family Planning Centres in Madhya Pradesh

5390. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of family planning centres functioning in rural and urban areas of Madhya Pradesh at present ;

(b) the number of employees working therein ; and

(c) the expenditure incurred by Government on them during 1967-68 ;

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandra Sekhar) :

(a) The number of Family Planning Centres at present functioning in the State is as follows :

(a) Main Rural Family Welfare Planning Centres	..	428
(2) Rural Family Welfare Planning sub-centres	..	500
(3) Other rural sub-centres functioning for Family Planning		720
(4) Urban Family Welfare Planning Centres		98

(b) The required information is not readily available and is being collected from the State Government.

(c) The estimated expenditure incurred on the Family Planning Centres during 1967-68 was Rs.28.63 lakhs.

केरल तथा मद्रास में जाली मुद्रा का परिचालन

5391. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल तथा मद्रास में दो रुपये तथा दस रुपये के नये जाली नोटों के परिचालन में हाल में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ नक्सलवादा देहाती लोगों में इन नोटों को बांटते हुए पाये गये थे और यदि हाँ, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) केरल तथा मद्रास में जाली नोट छापते हुये कौन-कौन से भूमिगत प्रेस पकड़े गये थे ; और

(घ) जाली नोटों के परिचालन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) शायद दो और दस रुपये के छोटे आकार के उन जाली नोटों की ओर संकेत किया गया है जो 1967 से चलन में हैं। चूंकि जाली नोटों का पता तभी चलता है जब वे पकड़े जाते हैं, इसलिये यह अनुमान लगाना संभव नहीं कि कितने जाली नोट चलन में हैं। फिर भी, केरल में, ई 15 क्रम के दो-दो रुपये के नोट 1968 में अधिक संख्या में पकड़े गए थे और दस रुपए का केवल एक जाली नोट पकड़ा गया था। तमिलनाडु में, 1968 में दो-दो और दस-दस रुपए के जाली नोट कुछ ही अधिक संख्या में पकड़े गये थे।

(ख) अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि गाँवों के लोगों में इन नोटों का वितरण नक्सलवादियों ने किया है।

(ग) केरल में कोई ऐसा चोरी-छिपे काम करने वाला छापाखाना नहीं पकड़ा गया जो जाली करेंसी नोट छापता हो। लेकिन तमिलनाडु में, 1968 के दौरान, दो महत्वपूर्ण मामलों में छपाई की मशीनें, ब्लाक और जाली नोट छापने के काम आने वाला दूसरा सामान पकड़ा गया। हाल ही में उसी राज्य के पुगलुर नामक स्थान पर, कपास ओटने के एक कारखाने में छपाई की कुछ मशीनें और अन्य साज-सामान भी पकड़ा गया है।

(घ) जाली करेंसी नोट और बैंक–नोट बनाने से सम्बन्धित अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आते हैं, जिसमें इन अपराधों के लिये पहले से ही ऐसी कड़ी सजा की व्यवस्था है जिससे इस प्रकार के अपराध फिर न हों। जाली नोट और सिक्के बनाने तथा और तरह की जालसाजी करने के अपराधों के सम्बन्ध में राज्यों की पुलिस कार्रवाई करती है और वही ऐसे मामलों में बराबर नजर रखती है। केन्द्रीय जाँच कार्यालय भी, जो गृह–मन्त्रालय के अधीन है—जाली नोट बनाये जाने के विभिन्न तरीकों का रिकार्ड रख कर और, भारतीय जाली मुद्रा के पकड़े जाने की समय–समय पर जाँच करके, भारत की जाली मुद्रा बनाने की समस्याओं का लगातार अध्ययन करता है। उसने, अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा में, एक कक्ष खोला है, जिसमें जाली मुद्रा तैयार करने के गंभीर अपराधों की जाँच–पड़ताल करने का काम हुआ करेगा और राज्यों में इस प्रकार की जाँच में समन्वय स्थापित किया जायगा। जाली मुद्रा का पता लगाने के लिए, केरल में, एक विशेष दल स्थापित किया गया है। इस दल का काम लाभदायक सिद्ध हो रहा है।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के महा प्रबन्धक के दौरे

5392. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा के धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह पंचांग मासों में भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक के महा प्रबन्धक कितने दिन बम्बई से बाहर रहे ;

(ख) वह कहाँ–कहाँ गये थे, उनका वहाँ जाने का उद्देश्य क्या था और वह किन–किन तारीखों को वहाँ गये थे ;

(ग) इस अवधि में महा प्रबन्धक को विमान–भाड़े, रेल-भाड़े के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ;

(घ) भारतीय उर्वरक निगम से वाहन–व्यय के रूप में कुल कितनी राशि ली गई; और

(ङ) इस अवधि में दैनिक–भत्ते तथा अन्य भत्तों के रूप में उन्होंने कुल कितनी राशि ली ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

R. S. S. Shakhas in N. D. M. C. School Compounds

5393. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that R.S.S. Shakhas are regularly held in the compounds of the

schools run by the New Delhi Municipal Committee ;

(b) if so, whether the permission of the New Delhi Municipal Committee has been obtained in this regard ; and

(c) if not, the action which the Committee propose to take in the matter ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development : (Shri K. K. Shah)

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

अमरीकी फर्मों द्वारा भारत को देय प्रतिकर

5394. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि बनाने वाली अमरीकी फर्मों द्वारा उनके विरुद्ध किये गये दावों के निपटान के लिये अमरीकी उपभोक्ताओं को मुआवजे के रूप में 120 मिलियन डालर दिये जाने की पेशकश के आधार पर इन फर्मों द्वारा पिछले दस वर्षों में भी अधिक समय से टेट्रासाक्लीन का बहुत अधिक मूल्य लिए जाने के फलस्वरूप लगभग 9 करोड़ रुपये का मुआवजा भारत को देना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) इस विषय में सरकार के पास कोई सरकारी सूचना नहीं है। मामले के तथ्यों का एकत्रण किया जा रहा है।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषकों को सहायता

5395. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में व्यापारिक बैंक मिदनापुर जिले में कृषि के लिये धन की व्यवस्था करने में रुचि दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकारी समितियों के माध्यम से दिया जाने वाला ग्रामीण ऋण अब धीरे-धीरे व्यापारिक बैंकों द्वारा दिया जाने लगेगा ;

(घ) व्यापारिक बैंकों से ऋण किन-किन श्रेणियों के व्यक्तियों को मिल सकेंगे ; और

(ङ) क्या व्यापारिक बैंकों द्वारा अन्य जिलों में भी कृषि के लिये धन की व्यवस्था की जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, हाँ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेदिनीपुर जिले के एक बैंक ने रासायनिक खाद और कृषि के उपकरणों की खरीद के लिये और कम-गहरे नल-कूप बनाने आदि के लिए ऋण देने की जो विस्तृत योजना बनाई है उसका बहुत स्वागत किया गया है। मेदिनीपुर जिले में काम करने वाले बैंकों ने अपनी योजनाओं को और व्यापक बनाया है और इस प्रकार अब उन्होंने दो एकड़ या उससे अधिक भूमि वाले किसानों के लिए भी ऋण-सुविधायें प्रस्तुत की हैं, जबकि पहले पाँच एकड़ या उससे अधिक भूमि वाले किसानों के लिये ही ऋण-सुविधायें प्रस्तुत की जाती थीं।

(ग) जी, नहीं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय सुविधायें सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी ही सुविधाओं के अलावा हैं, न कि उनके स्थान पर।

(घ) कृषक, रासायनिक खाद हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवायें और बीज वितरित करने वाली संस्थायें, सहकारी विपणन समितियाँ आदि वाणिज्यिक बैंकों से ऋण ले सकती हैं।

(ङ) बैंक, सामान्यतः क्षेत्रों के अनुसार कृषि के लिए अग्रिम देते हैं। सम्भव है ये बैंक कुछ समय बाद कुछ दूसरे चुने हुये जिलों में भी कृषि-कार्यों के लिए ऋण देने लगें।

पश्चिम बंगाल में बाढ़-नियन्त्रण योजनाएँ

+

5396. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पश्चिम बंगाल में कोई बाढ़-नियन्त्रण योजनाएँ शुरू की जायेंगी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम में निर्माणाधीन योजनाओं (पुश्ताबन्दी और नाली योजनाएँ, कस्बा-संरक्षण योजनाएँ, नदी प्रशिक्षण योजनाएँ आदि) और कुछ नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। नई योजनाओं के व्यौरे और उन पर होने वाले परिव्यय के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

चैक लिखने के लिये बाल पोइंट पैनों का प्रयोग

5397. श्री बै० कृ० दासचौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बैंकों तथा सरकारी विभागों ने चेक लिखने तथा रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिये बाल पोइन्ट पैनों का प्रयोग निषिद्ध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) परक्राम्य–संलेख अधिनियम में कोई निश्चित व्यवस्था न होने के कारण यह उचित नहीं समझा गया कि बैंकों के शोधन-गृह चैक लिखने या रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाल पाइन्ट कलमों के उपयोग की मनाही कर दें। फिर भी, बैंक चाहें तो अपने असामियों को चैक लिखने के लिए बाल पाइन्ट कलमों का उपयोग न करने की सलाह दे सकते हैं। सरकारी विभागों के सम्बन्धों में यह निर्णय किया गया है कि चैक, ड्राफ्ट, अदायगी-आदेश और भुनाये जाने वाले दूसरे दस्तावेज, लिखने, उन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाल पाइन्ट कलमों का उपयोग न किया जाय।

(ख) दस्तावेजों पर बाल पाइन्ट कलमों से किये गये हस्ताक्षरों को मंजूर करने पर मुख्य आपत्ति यह है कि कुछ समय के बाद उनके खराब होने और धुंधले पड़ने की संभावना होती है। इससे अधिक आसानी से जाली हस्ताक्षर बनाने तथा हस्ताक्षरों में फेर-बदल करने की भी संभावना होती है।

माही परियोजना

5398. श्री ब्रे० कृ० दासचौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने माही (बजाज सागर) परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना की योजनाओं में शामिल किये जाने के लिये मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना पर व्यय के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है ; और

(ग) यह परियोजना कब तक चालू हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (ग) चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

औषध विक्रेताओं को चिकित्सकों के रूप में व्यवसाय करने के लिये लाइसेंस देना

5399. श्री डा० म० सन्तोषम : श्री क० मि० मधुकर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि जो औषध विक्रेता दस वर्ष से अधिक समय से वह पेशा कर रहे हैं उन्हें चिकित्सकों के रूप में व्यवसाय करने के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे और उनके नाम एक पृथक रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सरकार को ऐसा करने की राय दी है ;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा चिकित्सा संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया हैं ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास, और नगर-विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क), (ख), (ग) और (घ) अनर्हता-प्राप्त चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने तथा इससे संबन्धित शर्तों का मामला अभी विचाराधीन है और इसके बारे में राज्य सरकारों के विचार मालूम किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् और भारतीय चिकित्सा संघ इन चिकित्सकों को चिकित्सा-व्यवसाय करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे चिकित्सकों की अनुमानित संख्या लगभग 80,000 है।

हरियाणा में परिवार नियोजन कार्यक्रम

5400. **श्री डा० कर्णी सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगाया है कि वे परिवार नियोजन अभियान में भाग नहीं ले सकते;

(ख) क्या यह कार्यवाही परिवार नियोजन योजना का प्रचार करने की केन्द्रीय सरकार की योजना के प्रतिकूल है ; और

(ग) यदि हाँ, तो हरियाणा सरकार के आदेशों को रद्द करवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटिश कम्पनियों की आस्तियों का पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरण

5401. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार की स्थापना के कारण ब्रिटिश कम्पनियों के उस राज्य से अपनी आस्तियों के स्थानान्तरण की सम्भावनाएँ हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश स्वामित्व वाली कम्पनियों से इसके कारण जानने की कोशिश की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ । पर सरकार को इस बात का पता नहीं है कि ब्रिटिश फर्में अपनी परिसम्पत्तियों को पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरित करना चाहती हैं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

दिल्ली में बिक्री-कर अधिनियम में संशोधन

5402. श्री क० लकप्पा :　　　　श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री-कर अधिनियम, दिल्ली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ख) दिल्ली में लागू वर्तमान बिक्री-कर कानून को एक नये अधिनियम द्वारा बदलने के प्रस्ताव पर, दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है। महानगर परिषद् को, ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा करने तथा सिफारिशें प्रस्तुत करने का अधिकार दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 22 (1) (क) के अधीन है। परिषद् द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत कोई ठोस प्रस्ताव भारत सरकार के पास अभी तक नहीं आया है।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर्स

5403. श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मन्त्रालय के कितने कास्ट एकाउन्ट्स अधिकारी सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ख) क्या इन कास्ट एकाउन्ट्स कर्मचारियों में ऐसी तीव्र भावना है कि उन्हें गैर-सरकारी उपक्रमों में उनके समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) चार अफसर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) तथा (ग) सरकारी विभागों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में सेवा की तुलना केवल वेतनमानों को ही ले कर करना उचित नहीं होगा। सरकारी विभागों में वेतनमानों में किसी भी संशोधन की आवश्यकता अथवा अनावश्यकता आँकते समय अन्य बातों को भी ध्यान में रखना होता है।

राजस्थान को अकाल-सहायता कार्यों के लिये विदेशी सहायता

5404. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अन्य देशों ने राजस्थान में अकाल सहायता कार्यों के लिये सहायता दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं, और

(ग) उन्होंने किस प्रकार की सहायता दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख) और (ग) राजस्थान के सूखा सम्बन्धी सहायता कार्यों के लिए किसी भी देश से सीधी मदद नहीं मिली है। लेकिन भारत सहायता अभियान (आस्ट्रेलिया) और सर्वस्थानिक अमरीकी प्रेषण सहकारी संस्था (केयर) (संयुक्त राज्य अमेरिका) नामक दो स्वयंसेवी संगठनों ने सूखा-पीड़ित लोगों में बाँटे जाने के लिए कुछ अन्न और दूध का पाउडर दिया है।

Import of Goods by Businessmen

5405. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it a fact that many businessmen import goods after obtaining foreign exchange thereof ; and

(b) if so, the number of businessmen arrested in 1968 on the charge of indluging in black-marking of foreign exchange ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) Businessmen in fact are required to secure foreign exchange by obtaining Import Trade Control licences before they can import any trade goods.

(b) Does not arise in view of (a) above. When goods are imported by businssmen against foreign exchange obtained on the strength of Import Trade Control licences, no offence is committed. Information as to whether any businssmen were arrested in 1968 for having imported goods without cover of a valid Import Trade Control licence is being collected and will be placed on the Table of the House.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सेवा-आयोग

5406. श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति हेतु कर्मचारियों का चयन करने के लिये विशेष सेवा-आयोग की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों के कार्य का कोई रिकार्ड रखा जाता है और यदि नहीं, तो जनहित में उनके द्वारा की गई सेवा के अनुसार उनकी पदोन्नति किस प्रकार की जाती है अथवा उन्हें किस प्रकार दण्ड दिया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियाँ करने के लिए विशेष सेवा-आयोग स्थापित करने का विचार नहीं है।

(ख) संभवतः माननीय सदस्य पूर्ण-कालिक अध्यक्षों की ओर संकेत कर रहे हैं। सरकारी उपक्रमों के पूर्णकालिक अध्यक्षों सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यों पर, सरकार बराबर नजर रखती है।

जिंक स्मैल्टर एम्पलाइज यूनियन द्वारा हड़ताल

5407. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिंक स्मैल्टर एम्पलाइज़ यूनियन ने धमकी दी है कि यदि उनकी माँगें पूरी न की गईं, तो वे हड़ताल कर देंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया तेल-शोधन परियोजना-स्थल में बिजली की सप्लाई की कमी

5408. श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष : श्री वि० कु० मोडक :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया तेल-शोधनशाला के स्थान पर बिजली की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस स्थान पर किसी जिम्मेवार अधिकारी के रहने के लिये एक भी क्वार्टर नहीं बनाया गया है जिनसे इस शोधनशाला के निर्माण में मदद मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जब तक स्थाई उपनगर का निर्माण नहीं हो जाता, इंडियन आयल कारपोरेशन (शोधनशाला प्रभाग) ने दक्षिण-पूर्वी रेलवे द्वारा बनाये गये 42 क्वार्टर ले लिये हैं। इसके अलावा लगभग 40 क्वार्टरों के, जिन्हें पश्चिम बंगाल उद्योग विभाग ने बनवाया है, हल्दिया परियोजना को अप्रैल, 1969 के अन्त तक सुलभ हो जाने की आशा है ।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बार्ड शोधनशाला की निर्माण अवस्था के दौरान बिजली की सप्लाई का इन्तजाम करेगा । अपने उप-केन्द्र के लिये भूमि अर्जन की कठिनाइयों के कारण बोर्ड इस काम में आगे नहीं बढ़ पाया था । बोर्ड अब अपने कोलाघाट उप-केन्द्र जून-जुलाई, 1969 के लगभग 33 किलोवाट बिजली की सप्लाई करने का विचार रखता है । हल्दिया शोधनशाला परियोजना की आवश्यकताओं के उपयुक्त 11 किलोवाट तक बिजली को कम करने के लिए शोधनशाला के अहाते में एक उप-केन्द्र (छोटा बिजली स्टेशन) स्थापित किया जायेगा ।

हल्दिया तेल-शोधन परियोजना

5409. श्री भगवान दास : श्री वि० कु० मोडक :
श्री सत्य नारायण सिंह : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हल्दिया तेल-शोधन परियोजना को स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इसे निश्चित समय-सूची के अनुसार पूरा तथा चालू कर दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) सितम्बर–अक्तूबर, 1967 में भारत सरकार और दो विदेशी सहयोगियों (अर्थात् फ्रांस के मैसर्स टैकनिप । एन्सा और रूमानिया के इण्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट) के बीच करार किये गये । परियोजना से सम्बन्धित सारे कार्यों के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए भारतीय तेल निगम लि० (शोधनशाला प्रभाग) का नामित किया गया है । अस्थायी तौर पर अब तक की गई समस्त प्रगति निम्न प्रकार है :—

(1) विदेशी सहयोगियों के परामर्श से प्रक्रियाओं का चयम किया गया है ।

(2) शोधनशाला–स्थल के लिए कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने भूमि सौंपी ही है ।

(3) स्थल–सुधार, संचार-व्यवस्था, असैनिक कार्य, आदि में संतोषजनक प्रगति हुई है।

(4) स्थाई उपनगर के निर्माण कार्य के लम्बित रहने तक 42 क्वार्टरों को दक्षिण–पूर्वी रेलवे से प्राप्त किया गया है ।

(5) शोधनशाला के अहाते तक 11 के० बी०पावर लाइन की स्थापना के बारे में कदम उठाया जा रहा है ।

(6) गहन एवं विस्तृत मिट्टी–पूर्वशोधन के लिए ठेका देने का कार्य हाथ में है ।

(7) इंजीनियर्स इण्डिया लि० के परामर्श से कतिपय अध्ययनों की गति को बढ़ाने के बारे में 17 फ्रांसीसी और 11 रुमानियन विशेषज्ञ दिल्ली में पहुँचे ।

(8) प्रायोगिक और अधिकतम अध्ययनों को पूरा किया गया है तथा शोधनशाला के मुख्य गुणों का निर्धारण किया गया है ।

(9) आयात की जाने वाली एवं देशीय उपलब्ध उपकरणों की डिवीज़न सूची इण्ड–स्ट्रिलय एक्सपोर्ट द्वारा तैयार की जा रही है तथा टैकनिप से प्राप्त हो चुकी है और तकनीकी विकास के महा–निर्देशक को अनुमोदन के लिए भेजी गई है ।

(ख) जी हाँ, वर्तमान चिन्हों के अनुसार ।

हल्दिया तेल–शोधनशाला के लिये मुख्य इन्जीनियर

5410. श्री भगवान दास : श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया तेल-शोधन परियोजना के लिये अभी तक कोई मुख्य इंजीनियर नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मुख्य इंजीनियर की कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन (शोधनशाला प्रभाग) ने अपने विज्ञापन के उत्तर में कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये हैं। इंटरव्यू अभी पूरे किये जाने हैं और मुख्य इंजीनियर की शीघ्र ही नियुक्ति करने का प्रस्ताव है। मुख्य इंजीनियर की अनुपस्थिति के कारण परियोजना के पूरा होने में न कोई देरी हुई है और न ही होने दी जायगी।

दिल्ली में मकानों के प्लाटों का अनिवासी भारतीयों को अलाटमेंट करने की योजना

5411. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तव में दिल्ली में न रहने वाले भारतीयों को दिल्ली में मकानों के प्लाटों की अलाटमेंट करने की कोई योजना है ।

(ख) यदि हाँ, तो क्या भवन तथा प्लाट की लागत का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जा सकता है ;

(ग) क्या विदेश सेवा अधिकारियों के मामले पर विशेष ध्यान दिया जायेगा; और

(घ) इस योजना को कब लागू किया जायेगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) तथा (ख) जी हाँ।

(ग) विदेश सेवा के अधिकारियों के लिए भी योजना को लागू किया जायगा, जो (यहाँ) नहीं रहते हैं ।

(घ) आवश्यक नियमों के बनाए जाने तथा उनका ब्यौरा तैयार करने के बाद, योजना को चालू किया जायगा। इस बारे में कार्यवाही की जा रही है।

आसनसोल डिवीज़न के लिये संक्रामक रोग अस्पताल

5413. **श्री देवेन सेन :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के खनन क्षेत्रों तथा आसनसोल डिवीज़न के आसपास के क्षेत्रों में संक्रामक रोगों से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके आँकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या उन क्षेत्रों में कोई संक्रामक रोग अस्पताल है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहाँ पर एक अस्पताल बनाने का है?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) आसनसोल के खनन क्षेत्रों में संक्रामक रोगियों की संख्या नहीं बढ़ रही है।

(ख) उन क्षेत्रों में संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगियों तथा उसके कारण हुई मौतों के आँकड़े इस प्रकार हैं :—

	1967		1968	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
चेचक	105	20	50	–
हैजा	8	3	1	–
प्लेग	–	–	–	–

(ग) वहाँ संक्रामक रोगों का कोई अस्पताल नहीं है लेकिन संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगियों के उपचार की सुविधाएँ—

(1) आसनसोल एल० एम० अस्पताल तथा (2) आसनसोल लोको अस्पताल में उपलब्ध हैं।

(घ) आसनसोल खान स्वास्थ्य बोर्ड ने, जो कि पश्चिमी बंगाल सरकार के अधीन है, उस क्षेत्र में एक संक्रामक रोगों का अस्पताल खोलने का प्रस्ताव रखा है।

बड़ौदा नगर का पुनर्वर्गीकरण

5414. श्री मनुभाई पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा बड़ौदा नगर को 'ग' श्रेणी से 'ख' श्रेणी में पुनर्वर्गीकरण करने के बारे में सरकार से कोई अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ। बड़ौदा नगर का श्रेणी बी-1 के रूप में दर्जा ऊँचा करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) मकान किराया भत्ता तथा नगर-निवास प्रतिपूर्ति भत्ता देने के प्रयोजनों के लिए पिछली दस वर्षीय जन-गणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण ए, बी-1, बी-2 और सी श्रेणी के रूप में किया जाता है। इन चार श्रेणियों में वर्गीकरण के लिये जनसंख्या की न्यूनतम सीमा क्रमशः 16 लाख, 8 लाख, 4 लाख तथा 50 हजार है। 1961 की जन-गणना के अनुसार, बड़ौदा की जन संख्या 4 लाख से कम है, इसलिए इस नगर को श्रेणी बी-2 का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता।

पटना शहर का पुनर्वर्गीकरण

5415. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गत दो वर्षों से पटना शहर को 'बी' वर्ग में लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क), (ख) तथा (ग) वर्तमान कसौटी के अनुसार, 1961 की जनगणना के आधार पर पटना नगर को 'बी–2' श्रेणी के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता ।

Madhya Pradesh River Valley Projects in Fourth Plan

\+

5416. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have received a priority list of the river valley projects to be included in the Fourth Five Year Plan from the Madhya Pradesh Government ;

(b) if so, the names of projects given in the list ; and

(c) whether Government propose to take some action on the said list ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad)

(a) No ; Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Financial Assistance given to Madhya Pradesh

5417. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the yearwise details of amount paid to Madhya Pradesh under different heads after the Third Five Year Plan period so far, as also the amount spent by the State out of it ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See LT.No. 634/69**].

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज की दर

5418. श्री पी० राममूर्ति : श्री के० रमानी :
श्री के० एम० अब्राहम : श्री प० गोपालन :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भविष्य निधि पर कितना ब्याज दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारतीय राज्य बैंक के सहायक बैंक अल्प अवधि के लिये जमा राशियों पर भी इससे अधिक ब्याज देते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार भविष्य निधि पर अधिक ब्याज देने का है क्योंकि सामान्यतः भविष्य निधि की राशि 20 वर्ष से भी अधिक समय के लिये जमा कराई जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब से और कितना ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए, ब्याज की दर इस प्रकार निर्धारित की जा रही है :

(क) 10,000 रुपये तक की जमा रकम पर	5.25 प्रतिशत (जबकि 1968-69 के लिए यह दर 5.10 प्रतिशत थी)
(ख) 10,000 रुपये से ऊपर की जमा रकम	पहले 10,000 रुपये के लिए 5.25 प्रतिशत (जबकि 1968-69 के लिए यह दर 5.10 प्रतिशत थी); और शेष रकम के लिए 4.80 प्रतिशत (1968-69 में भी यही दर थी)।

सरकारी भविष्य निधि में जमा रकमों के ब्याज की दरों की तुलना वाणिज्यिक बैंकों में जमा रकमों के ब्याज की दरों से नहीं की जा सकती। पहली बात तो यह है कि भविष्य निधि में जमा रकमों पर कई प्रकार की कर सम्बन्धी रितायतें मिलती हैं जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा रकमों के सम्बन्ध में नहीं मिलतीं, जैसे किसी वर्ष जमा की गयी रकमों को आय-कर के उद्देश्य से आय में से की जा सकने वाली कटौतियों में शामिल किया जाता है, शेष रकमों पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं लगता आदि। दूसरे, भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कई प्रकार के प्रयोजनों के लिए ऋण लेने या रुपया निकालने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक बैंकों में जमा रकमों के मामले में, इस प्रकार के अग्रिम लेने या रुपया निकालने पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है। तीसरे, भविष्य निधि में जमा रकमों की अदालत द्वारा कुर्की नहीं करायी जा सकती।

यहाँ पर यह बताना भी उचित होगा कि भविष्य निधि में जमा रकमों के ब्याज की दरों के विपरीत, वाणिज्यिक बैंकों में जमा रकमों के ब्याज की दरें पिछले साल से कम हो गयी हैं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 'कारण बताओ नोटिसों' का जारी किया जाना

5419. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1969 को 'करन्ट' में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किये गये निरर्थक 'कारण बताओ नोटिस' के बारे में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह समाचार सही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) दिनांक 22 फरवरी, 1969 के 'करेन्ट' में छपी वह खबर सरकार की जानकारी में आई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रवर्त्तन निदेशालय ने मैसर्स डोडसाल (प्रा०) लि०, बम्बई और उसके कुछ निदेशकों को कुछ निरर्थक 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये थे ।

(ख) की गई जाँच-पड़ताल के आधार पर, प्रवर्त्तन निदेशालय ने मैसर्स डोडसाल (प्रा०) लि०, बम्बई को और उसके कुछ निदेशकों को, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों के प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन के सम्बन्ध में कुछ कारण बताओ नोटिस जारी किये थे । मामला न्यायकिकल्प प्राधिकारी के विचाराधीन है, इसलिये कारण बताओ नोटिसों के गुण-दोषों की चर्चा करना उचित नहीं होगा ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

Family Planning Programme Publicity Through Stage and Cultural Shows

5420. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal regarding giving publicity to family planning programme through stage and cultural shows ;

(b) the number and title of dramas staged under the family planning programmes so far as also the names of authors thereof and whether any of such plays was written by a Member of Parliament also ; and

(c) whether it is a fact that publicity through such stage performances proves more effective and if so, the attitude of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) This is already being done.

(b) 3 dramas titled 'Makri Ka Jala', 'Katghar' and 'Ishwar Ki Den' have been arranged by the Songs and Drama Division in various parts of the country. Two of these dramas—'Katghar' and 'Makri ka Jala' have been written by Shri G. V. Pant, of the Song and Drama Division. 'Ishwar Ki Den' has been written by Dr. Dharam Prakash, Ex-member of Parliament.

Performances of various other dramas in the regional languages have been arranged by the State and District Family Planning Bureaus. Details regarding these are not readily available.

(c) Yes. Government is already utilising this method for Family Planning publicity compaign.

Oil Explorations in Iran by Oil and Natural Gas Commission

5421. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of the areas in Iran where the oil and Natural Gas Commission has made explorations and the quantity of oil which is likely to be available at each place ; and

(b) the quantity of oil that India is likly to get annually and at what estimated rate ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) and (b) The Oil and Natural Gas Commission is carrying out its exploration activities in four Blocks in District I in the Iranian off-shore area and is entitled to one-sixth of the oil available. As further exploration is still in progress, it is premature to calculate the precise quantities that will be available and the rate at which they will be available.

बम्बई में सोने, कृत्रिम धागे तथा ताशों का पकड़ा जाना

5422. डा० सुशीला नैयर : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1969 के प्रथम सप्ताह में बम्बई में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने दो छापों में लगभग कुल 6.5 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना, कृत्रिम धागे तथा ताश पकड़े थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) बम्बई समाहर्त्ता-कार्यालय के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अफसरों ने 1 मार्च, 1969 को दो मामलों में माल पकड़ा। एक मामले में विदेशी मार्क के सोने के 220 टुकड़े पकड़े गये जिनका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य लगभग 2.17 लाख रुपये था और दूसरे मामले में लगभग 41,000 रुपये मूल्य के, विदेशों में बने ताश के 27 पैकेज तथा चमकीले सूत के 6 पैकेज और साथ ही 25,000 रुपये मूल्य की एक यंत्रचालित नौका पकड़ी गयी जिसमें माल पाया गया।

(ख) माल-पकड़ने के उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। आगे जाँच-पड़ताल जारी है।

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की मांगें

5423. श्री रवि राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों से उनकी माँगों को पूरा करने के लिये हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान-मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख) तथा (ग) बीमा क्षेत्र-कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ और जीवन बीमा निगम दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से सरकार को भेजे गये चार मुद्दों के बारे में सरकार 16-2-1969 को लिये गये निर्णय के बाद कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इन चार मुद्दों पर सरकार का निर्णय निम्नलिखित था :—

(1) मँहगाई-भत्ते को जीवन-निर्वाह-सूचकांक के साथ जोड़ना :

जैसे श्रेणी– III कर्मचारियों के मामले में किया गया है उस तरह मँहगाई भत्ते को जीवन-निर्वाह-सूचकांक के साथ, जोड़ने की मांग स्वीकार नहीं की गयी है ।

(2) मँहगाई-भत्ते में एतदर्थ वृद्धि :

जिन तारीखों से श्रेणी– III कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धियाँ की गई थीं उन्हीं तारीखों, अर्थात् 1 फरवरी, 1967, 1 जुलाई, 1967, 1 दिसम्बर 1967 से जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के महगाई भत्ते में भी कुछ एतदर्थ वृद्धियाँ की थीं। इन वृद्धियों के अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 1967 से विकास अधिकारियों को "समायोजन भत्ता" दिया जाना चाहिये, जैसा श्रेणी–1 अधिकारियों के लिये मंजूर किया गया है । मँहगाई भत्ते में जो एतदर्थ वृद्धियाँ देने का पहले ही कहा जा चुका है अब जो समायोजन भत्ते देने का प्रस्ताव है, उनकी दरें निम्नलिखित हैं :–

मूल वेतन	मँहगाई–भत्ते में एतदर्थ वृद्धियाँ			समायोजन-भत्ता
	1-2-67	1-7-67	1-12-67	
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
130	10.00	10.00	10.00	5.00
140	10.00	10.00	10.00	5.00
150	10.00	10.00	10.00	5.00
160	10.00	10.00	10.00	5.00
170	10.00	10.00	10.00	5.00
180	10.00	10.00	10.00	10.00
190	15.00	15.00	15.00	10.00
200	15.00	15.00	15.00	10.00
210	15.00	15.00	15.00	10.00
220	15.00	15.00	15.00	10.00
230	15.00	15.00	15.00	10.00
245	15.00	15.00	15.00	15.00
260	15.00	15.00	15.00	15.00
275	15.00	15.00	15.00	20.00
290	15.00	15.00	15.00	20.00
305	15.00	15.00	10.00	30.00
325	15.00	10.00	10.00	50.00
345	10.00	10.00	10.00	70.00
365	10.00	10.00	10.00	75.00

1	2	3	4	5
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
385	10.00	10.00	10.00	85.00
405	10.00	10.00	10.00	100.00
430	10 00	10.00	10.00	100.00
455	10.00	10.00	13.00	100.00
480	10.00	10.00	13.00	100.00
505	10.00	10.00	13.00	100.00
530	10.00	10.00	13.00	100.00
555	10.00	10.00	13.00	100.00
580	10.00	10.00	13.00	100.00
605	10.00	10.00	13.00	100.00

सरकार के निर्णय के सम्पूर्ण पाठ में जैसा कहा गया है, "समायोजन भत्ते को" 31-8-69 के बाद चालू रखने और उसकी मात्रा के बारे में पुनर्विचार किया जायगा ।

(3) मकान किराया भत्ता

1-9-66 से 31-3-68 तक की अवधि के लिये, 500 रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले विकास अधिकारियों को भी, मकान किराया भत्ता, किराये के सत्यापन के बिना ही मिलना चाहिये ।

1 अप्रैल, 1968 से सभी विकास अधिकारियों को, निम्नलिखित न्यूनतम सीमा के अधीन रहते हुए, वेतन का 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ते के रूप में बिना किसी शर्त के मिलेगा :—

मूल वेतन	न्यूनतम मकान किराया भत्ता
पये	रुपये
130–150	25
160–190	30
200–245	40
260–290	50
305–345	60
365–605	75

(4) बोनस

वर्ष 1964–65, 1965–66, 1966–67 और 1967–68 का बोनस डेढ़ महीने के वेतन की दर से दिये जाने की माँग मंज़ूर नहीं की गई ।

उक्त निर्णयों का प्रभाव यह होगा कि समायोजन भत्ता मिलने, मकान किराया भत्ते में सुधार होने (और पहले मँहगाई–भत्ते में जो एतदर्थ वृद्धियाँ देने को कहा गया है उन)

से, 405 रुपये या उससे कम पाने वाले विकास अधिकारियों को अर्जित होने वाली प्रोत्साहन प्रदायगियों को हिसाब में नहीं लेने पर भी वे समान वेतन पाने वाले श्रेणी-III के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में हैं, और इस वर्ग के विकास अधिकारियों की संख्या पूरे संवर्ग का 85 प्रतिशत है ।

सरकारी अस्पतालों की नर्सों को भत्ते

5424. श्री विश्वम्भरन् : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर-विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में नर्सों को केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में उनके प्रतिस्थानी कर्मचारियों की तुलना में कम मंहगाई भत्ता तथा नगर-भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नर्सों ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि उनके मंहगाई तथा नगर प्रतिकर भत्ते को बढ़ा कर उनके समान वेतन क्रम वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के स्तर पर लाया जाये और यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ ।

(ख) दिल्ली के अस्पतालों की नर्सिंग कर्मचारियों को मेसिंग-भत्ते की रियायत के बदले में घटी दरों पर मँहगाई-भत्ता तथा नगर-भत्ता दिया जाता है ।

(ग) जी हाँ । यह मामला विचाराधीन है ।

वित्त सचिव द्वारा मैसर्स साहू-जैन को मकान किराये पर दिया जाना

5425. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री मधु लिमये :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त सचिव, श्री टी० पी० सिंह/उसके परिवार का पटना, बिहार में एक मकान है ;

(ख) क्या यह मैसर्स साहू-जैन अथवा उनकी सम्बद्ध कम्पनियों अथवा उनके निकट संबंधियों को किराये पर दिया हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका कुल वार्षिक किराया कितना है और इस सम्पत्ति पर कितना नगर-कर दिया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि रसीदों के अनुसार यह मकान किराये पर दिया हुआ है किन्तु उसका स्वामी / उनका परिवार अथवा उसके निकट संबंधी अब भी उसमें रहते हैं ;

(ङ) क्या इसका विस्तार तथा उसकी मरम्मत तथाकथित किरायेदार के खर्च पर की जा रही है जिससे इसका मूल्य बढ़ जायेगा ;

(च) क्या सरकार एक उच्च असैनिक अधिकारी के इस व्यवहार को उचित समझती है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) बिहार में पटने के शेषपुरा मोहल्ले में श्रीमती टी० पी० सिंह का एक मकान है ।

(ख) यह मकान सितम्बर, 1963 में एक पंजीकृत पट्टेनामे (रजिस्टर्ड लीज डीड) के जरिये मेसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को पांच वर्ष के लिए किराये पर दिया गया था। यह मकान अभी उनके ही कब्जे में है ।

(ग) मकान से किराये के रूप में हर साल, 4,800 रुपये, 3 एकड़ भूमि में लगाये गये बागीचे तथा फलों के बागीचे से 5,400 रुपये और फर्नीचर तथा फिटिंग्स से 2,400 रुपये की आमदनी होती है। चूंकि यह मकान नये विकसित क्षेत्र में है, इसलिए 1958 में निर्धारित किये गये 200 रुपये वार्षिक नगर-कर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इसके अलावा, भूमि के जिस भाग पर इमारतें बनायी गयीं हैं, उसे मिला कर सारी भूमि का लगान सरकार को दिया जाता है ।

(घ) इसका उत्तर नहीं में है। लेकिन अक्टूबर और दिसम्बर, 1968 के बीच 7 सप्ताहों के लिए श्री टी० पी० सिंह इस मकान में रहे। श्री टी० पी० सिंह अचानक बीमार पड़ गये थे और वहां से और कहीं नहीं जा सकते थे । यह बात पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद की है और इस अवधि का किराया न तो लिया गया है और न लेने का विचार है ।

(ङ) भूमि तथा सम्बद्ध भवनों का कुछ विस्तार पूर्णतः श्रीमती टी० पी० सिंह के खर्च से किया गया है । पट्टेनामे की शर्तों के अनुसार मरम्मत तथा रखरखाव की जिम्मेदारी पट्टेदार की है ।

(च) चूंकि यह मकान कई वर्ष पूर्व एक पंजीकृति पट्टेनामे के जरिये अपेक्षाकृत कम किराये पर दिया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि श्री टी० पी० सिंह ने कोई अनुचित कार्य किया है।

(छ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

आयकर आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन

5426. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन नियमित रूप से नई दिल्ली में हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के चेयरमैन द्वारा नियमित रूप से दौरा किये जाने को दृष्टि में रखते हुए आयकर आयुक्तों का नियमित वार्षिक सम्मेलन करना आवश्यक है ; और

(घ) अप्रैल, 1967 से जून, 1968 तक प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्यों ने कलकत्ता तथा अन्य व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रों का कितनी बार निरीक्षण हेतु दौरा किया और इन दौरों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ । आय-कर आयुक्तों के सम्मेलन लगभग नियमित रूप से ही, प्रत्येक वर्ष होते हैं और अधिकतर नई दिल्ली में ही होते हैं ।

(ख) आय-कर आयुक्तों का सम्मेलन, नियमित रूप से निश्चित समय के बाद बुलाना आवश्यक है, जिससे सामान्य हितों की महत्वपूर्ण समस्याओं को सभी आयुक्तों के समक्ष रखा जा सके और उन पर अपने-अपने दृष्टिकोण तथा व्यावहारिक अनुभव के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक चर्चा की जा सके। इन चर्चाओं से प्रत्येक समस्या के विभिन्न पहलुओं के उचित स्वरूप सामने लाने में और सम्मत निष्कर्षों/निर्णयों पर पहुँचने में सहायता मिलती है। निरीक्षकों की, आयकर अधिकारियों (श्रेणी- II) के पदों पर पदोन्नति करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये विभागीय-पदोन्नति-समितियों की बैठकों के आयोजन का अवसर भी निकाला जाता है । ऐसी प्रत्येक समिति में केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों में से एक सदस्य और सम्बन्धित आय-कर आयुक्त भी होता है ।

(ग) जी, हाँ । अध्यक्ष के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे स्वयं सभी आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों को देखने जाय । इसके अतिरिक्त, आय-कर आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन बुलाना इसलिये भी आवश्यक है कि बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य, निरीक्षण निदेशक और सभी आय-कर आयुक्त ऐसी प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्याओं पर सम्मिलित रूप से चर्चा कर सकें, जिनका स्वरूप अखिल भारतीय हो । ऐसा सम्मेलन जिसमें उप-प्रधान मन्त्री/मन्त्री राजस्व तथा व्यय/ वित्त सचिव भाषण देते हैं, महत्वपूर्ण मामलों पर पक्ष-विपक्ष की जाँच करने के बाद निर्णय करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है । ऐसा नहीं होने पर भी, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में भाग लेने के लिये सभी आय-कर आयुक्तों को नई दिल्ली आना ही पड़ेगा । मितव्ययता की दृष्टि से दोनों कार्यक्रमों को एक ही समय पर रख दिया जाता है ।

(घ) सूचना नीचे दी गयी है:–

अप्रैल 1967 से जून 1968 तक की अवधि के दौरान देखे गये स्थान	कितनी बार गये	किया गया कुल व्यय
बम्बई	16	
हैदराबाद	3	
बंगलौर	2	
नागपुर	4	
जयपुर	3	
अहमदाबाद	4	
मद्रास	3	
इलाहाबाद	1	24,473. 00 रु०
कलकत्ता	7	
पूना	1	
लखनऊ	3	
कोचीन	1	
पटना	2	
पटियाला	1	
भोपाल	1	
शिलांग	1	

सीमा-शुल्क नियमों का उल्लंघन

5427. श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मन्त्री सीमा-शुल्क नियमों के उल्लंघन के बारे में 3 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966,1967 तथा 1968 में किन-किन के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये और उनके पते क्या हैं ; और

(ख) जिन 77 मामलों में 'कारण बताओ' नोटिस नहीं दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

पांचवें वित्त आयोग को केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

5429. श्री पी० पी० एस्थोस : श्री प० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाँचवें वित्त आयोग ने हाल ही में केरल राज्य का दौरा किया था ;

(ख) क्या केरल सरकार ने उस आयोग को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) आयोग द्वारा अपनाई गयी कार्यप्रणाली के नियमों के अनुसार, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में आयोग को प्राप्त हुए सभी पत्र आदि गुप्त समझे जाते हैं जिनके बारे में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

सरकारी क्षेत्र के निगमों के लिए सेवा आयोग

5430. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक निगमों में इंजीनियरों और रसायनज्ञों आदि के उच्च तकनीकी पदों पर नियुक्ति करने अथवा ऐसे पदों पर पदोन्नति करने के सम्बन्ध में कोई समान नीति अपनाई गई है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए एक से अधिक निगमों या उपक्रमों के लिए कोई सेवा-आयोग बनाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिये गए हैं अथवा देने का विचार है और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनके अनुसार, उच्च तकनीकी पदों सहित सारे पदों पर नियुक्तियाँ करने के अधिकार, चाहे उन पदों का वेतन कुछ भी हो, अब सरकारी उद्यमों के निदेशक बोर्ड को है । लेकिन अध्यक्षों की, बोर्ड के सदस्यों की, जिनमें प्रबन्ध निदेशक शामिल हैं और संघटक एककों के महा-प्रबन्धकों की नियुक्तियाँ अब भी सरकार करती है। उच्च वर्गों के पदों (2500 रुपये से 3000 रुपये तक के और उससे अधिक वेतन वाले पदों) पर 58 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों की नियुक्तियों के लिए भी सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है, चाहे वे व्यक्ति गैर-सरकारी क्षेत्र के हों या सरकारी क्षेत्र के ।

(ख) और (ग) सरकारी उद्यमों के लिए सेवा आयोग स्थापित करने का कोई विचार नहीं है । यह फैसला इस मामले में प्रशासनिक सुधार आयोग के विचार के अनुसार किया गया है । प्रशासनिक सुधार आयोग का मत है कि सरकारी क्षेत्र के लिए इस प्रकार के किसी आयोग की स्थापना किये जाने से सरकारी उद्यमों की स्वायत्तता कम हो जायगी और इसके परिणामस्वरूप उनके कार्य में विलम्ब होगा ।

गुजरात में गाँवों में बिजली की व्यवस्था और नलकूपों के लिए बिजली दिया जाना

5431. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में गुजरात में कितने नल-कूपों के लिए बिजली उपलब्ध की गई; और

(ख) वर्ष 1967-68 में गाँवों में बिजली लगाने तथा नल-कूपों के लिए बिजली सप्लाई करने में कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ग) 1967-68 के दौरान गुजरात राज्य में 348 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है और 171 नलकूपों समेत 9206 सिंचाई पम्पों को ऊर्जित किया गया है। 1967-68 के दौरान गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण पर 625·10 लाख रुपये की वह राशि भी शामिल है जो कि नलकूपों को ऊर्जित करने पर खर्च हुई है।

भारतीय तेल संस्था की स्थापना के लिए प्रस्ताव

5432. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री अदिचन :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही की द्विपक्षीय बातचीत में फ्रांस ने भारतीय तेल संस्था की स्थापना में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित संस्था की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क), (ख) और (ग) नई दिल्ली में हुई हाल ही की द्विपक्षीय बातचीत में फ्रांस और इंडियन इंस्टीट्यूट्स आफ पैट्रोलियम के बीच सहयोग बढ़ाने के सामान्य प्रश्न पर विचार हुआ था। परन्तु कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा गया था।

Recovery of Gold Biscuits in Cuttack

5433. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officials of the Central Excise Department had recovered gold biscuits weighing about 200 tolas from the possession of a passenger in Cuttack in the first week of March, 1969 ;

(b) if so, the value of the gold recovered ; and

(c) the number of persons arrested in this connection ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) , (b) and (c) No such seizure was effeeted during the first week of March, 1969. However, on 25th February, 1969 officers of the Central Excise Department, Cuttack seized 20 biscuits of gold, in all weighing 2337 grams and valued at about Rs.19,688 at the international rate, from a person in Cuttack. The person concerned was arrested.

Seizure of Smuggled Goods in Bombay

5434. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Customs Officials seized gold and other smuggled goods worth about Rs. 7 lakhs at Bhurood about 50 miles from Bombay during March, 1969 ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them during the above period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**):

(a) During March, 1969 Customs Officials effected four seizures in and around Murud in Kolaba District. The goods seized comprised of gold weighing 2,200 tolas valued at Rs.2.17 lakhs approximately at the international rate, Cinnamon weighing 5184 Kg. valued at Rs3.63 lakhs approximately, 33 packages of playing cards and radiant yarn both items valued at about Rs.41,000 besides a mechanised vessel valued at about Rs.25,000.

(b) No arrest has so far been made. Investigations are in progress.

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को खर्च दिलाने के अधिकार देना

5435. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम में ऐसा संशोधन करने का सरकार का प्रस्ताव है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों को खर्च दिलाने की शक्तियाँ दी जायें ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) ऐसा विधान कब संसद् के सामने लाया जायेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव था ।

(ख) उस प्रस्ताव की जाँच की गई थी तथा उसे स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

कलकत्ता में ब्रिटिश फर्में

5136. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "एन० ए० एफ० ई० एन०" द्वारा प्रसारित किये गये निम्नलिखित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

"नई दिल्ली के 'संडे टेलीग्राफ' के सम्वादाता ने यह समाचार दिया है कि यदि पश्चिम बंगाल की नई साम्यवादी सरकार के आने से श्रमिक अशान्ति की नई लहर उत्पन्न हुई तो उस स्थिति का सामना करने के लिए ब्रिटेन के व्यापारी कलकत्ता से अपनी फर्मों के स्थानान्तरण के लिये आपातकालीन योजनायें बना रहे हैं । उस राज्य में ब्रिटेन की कुल 200,000,000 पौंड पूंजी लगी हुई है ।"

(ख) क्या ऐसे स्थानान्तरण की सम्भावना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रियायें हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां ।

(ख) पर सरकार को इस बात का पता नहीं है कि कोई ब्रिटिश फर्म अपनी परिसम्पत्ति को कलकत्ते से स्थानान्तरित करना चाहती है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को सेवा-शुल्क में वृद्धि न करने के अनुदेश

5437. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को सेवा-शुल्कों में वृद्धि न करने के अनुदेश जारी किये थे ;

(ख) क्या ऐसे अनुदेश जारी करने तथा उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कोई कानूनी स्वीकृति है ;

(ग) यदि हाँ, तो किस कानून/नियम/अधिसूचना के अन्तर्गत ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ अनुसूचित बैंकों ने इन अनुदेशों का उल्लंघन करके शुल्कों में वृद्धि की है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो रिजर्व बैंक/सरकार ने इन बैंकों के विरुद्ध सामाजिक नियंत्रण योजना के अन्तर्गत अथवा अन्यथा क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) भारतीय बैंक संघ के सदस्यों ने एक ऐसा समझौता किया था जिसके अनुसार, उन्होंने वस्तुओं की सुरक्षा, रकमों के प्रेषण और प्राप्त होने वाली/भेजी जाने वाली हुण्डियों की उगाही पर 2 मई, 1968 से सेवा-शुल्क लगाने के लिए सेवा-शुल्कों की एक सूची स्वीकार की थी । जब रिजर्व बैंक को इस समझौते की सूचना दी गई तब उसने इस मामले में संघ से विचार-विमर्श किया तथा संघ ने 11 जून,1968 को अपने सदस्यों को यह सलाह दी कि रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले पर और आगे विचार किये जाने तक 2 मई, 1968 से पहले की स्थिति पुनः स्थापित कर दी जाय । संघ के सदस्य बैंकों ने अपनी-अपनी शाखाओं को पहले के शुल्कों को बनाये रखने की हिदायतें भी दीं । इसलिए रिज़र्व बैंक ने, सेवा-शुल्क न बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में बैंकों को औपचारिक रूप से हिदायतें देना आवश्यक नहीं समझा ।

(ख) और (ग) रिजर्व बैंक को बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अन्तर्गत ऐसी हिदायतें जारी करने का अधिकार है ।

(घ) और (ङ) दिल्ली की एक बस्ती में तीन बैंकों की तीन शाखाओं के बारे में ऐसी सूचना मिली है कि उन्होंने कुछ मामलों में 2 मई, 1968 से पहले की सेवा-शुल्क की दरों से अधिक सेवा-शुल्क लिया है। जिन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, उनकी छानबीन सम्बन्धित बैंक तथा

रिजर्व बैंक कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ऐसे मामले बहुत थोड़े हैं तथा इन बैंकों के मुख्यालयों द्वारा जारी की गयी हिदायतों के प्रतिकूल हैं, इसलिए ये मामले बैंकों द्वारा की जाने वाली अवहेलना के द्योतक नहीं माने जा सकते।

Purchase of Medicines for C . G. H. S. Dispensaries

5438. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the Companies and Pharmacies from which medicines are procured for the C. G. H.S. Dispensaries in Delhi ;

(b) the names of those companies and pharmacies which had sent in applications for supplying medicines during the last three years ; and

(c) the names of those companies and pharmacies which have been supplying medicines for the last three years ?

The Minister of State in the Minisrty of Heatlh and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a), (b) and (c) The requisite information is given in the attached Statement. **[Placed in Library. See L. T. No. 635/69]** :

Purchase of Medicines for C. G. H. S. Dispensaries.

5439. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it s a fact that the medicines required to be utilised by the Central Government Health Scheme are purchased from some Companies on higher prices when there are other companies and pharmacies already to supply medicines on comparatively lower prices ; and

(b) if so, the reasons for which the medicines are not purchased from those Companies and Pharmacies quoting lower prices ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b)There are about 400 items in the C. G. H. S. Formulary. Of these, about 150 items are included by brand or propietary names and they are purchased only from their manufacturers through single rate contracts.

The other items are mentioned in the C. G. H. S. Fomulary by generic or pharmaceutial names. For the procurement of these items, a list of firms is drawn up by a Committee consisting of representatives of the Directorate General of Supplies and Disposals, Directorate General of Health Services, D. G. A. F. M. S. and Directorate General of Technical Development. The list of firms is reviewed by the Committee every six month. Purchases of non-properiety items are made from the approved firms on competitive basis except in the case of Compound preparations such as B. Complex, multi-vitamins, etc. where the composition of the drug is also taken into consideration.

भारत में पेटेंट रखने वाली अमरीकी औषधि-निर्माता कम्पनियों के विरुद्ध आरोप

5440. **श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी विधि न्यायालय ने एण्टी ट्रस्ट लैंड्स के अन्तर्गत तथा मूल्यों को घटाने–बढ़ाने के लिए अमरीकन सियानामिड कम्पनी, क्रिस्टल–मायर्स कम्पनी तथा चैस फिज़र एण्ड कम्पनी जैसी औषधि निर्माता कम्पनियों को 1967 में अपराधी ठहराया था तथा दण्ड दिया था;

(ख) क्या इन कम्पनियों को प्रति–जीवाणु, औषधियों पर एकस्व प्राप्त है और वे मूल्य निश्चित करने की उसी प्रक्रिया द्वारा काफी मुनाफा कमा रही हैं जिसके लिए उन्होंने अपने देश में आंशिक प्रतिकर का भुगतान किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) इस विषय में सरकार के पास कोई सरकारी सूचना नहीं है। मामले के तथ्यों का एकत्रण किया जा रहा है।

(ख) देश में विभिन्न प्रति–जीवाणु औषधियों के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों को एकस्व प्राप्त है और प्रत्येक पेटेंट की वर्तमान स्थिति निश्चित की जा रही है।

(ग) इस समय पर प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम की "अपना मकान बनाओ" योजना को और अधिक नगरों में लागू करना

5441. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की "अपना मकान बनाओ" योजना को सभी महत्वपूर्ण राज्यों की राजधानियों तथा नगरों पर लागू कर दिये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या उक्त योजना को इम्फाल पर लागू करने का निगम का विचार है ;

(ग) यदि हाँ, तो योजना कब लागू की जायगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) इस समय जीवन बीमा निगम की 'अपनी मालिकी का घर बनाओ' योजना देश में 154 केन्द्रों में लागू है जिसमें वे सब नगर शामिल हैं जिनकी जन-संख्या 1961 की जन-गणना के अनुसार एक लाख से अधिक है। अभी हाल ही में, जनवरी 1969 से दूसरे शहरों की जनसंख्या, उसकी वृद्धि की गति, औद्योगिक और वाणिज्यक विकास तथा रिहायशी मकानों की माँग सहित सभी पहलुओं की समीक्षा करके यह योजना 35 अन्य केन्द्रों में लागू की गयी थी। इसलिए इस योजना का और आगे विस्तार करने का निगम का अभी विचार नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। फिलहाल नहीं।

(घ) इम्फाल के बारे में विचार अगली समीक्षा के समय किया जायगा।

मनीपुर की जल-सप्लाई योजना के लिये केन्द्रीय सहायता

5442. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की जल-सप्लाई योजना के लिए अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या केन्द्रीय आर्थिक तथा तकनीकी सहायता से आरम्भ की गई जल-सप्लाई योजना पूरी हो गई है ;

(ग) क्या जल-सप्लाई की योजना व्यावहारिक दृष्टि से असफल रही है और इम्फाल के कई नल बन्द पड़े हुए हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या मनीपुर सरकार जल-कर में छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोअन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर के नर्सिंग कर्मचारियों को भत्ते

5443. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4689 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर कर्मचारी (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 1966 के अन्तर्गत मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते के अंश में अतिरिक्त तब मिलने वाले सभी भत्ते वेतन में नहीं मिलाये गये थे ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक वेतन में कौन-कौन से भत्ते मिलाये गये हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो मनीपुर सरकार के नर्सिंग कर्मचारियों के भत्ते को बन्द किये जाने के क्या कारण हैं जबकि आसाम के नर्सिंग कर्मचारियों को यह भत्ते देने बन्द नहीं किये गये थे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

नये उर्वरक कारखाने

5444. श्री स० अ० अगड़ी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक कारखाना, गोरखपुर

5445. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में सुपरवाइजरी पदों पर और ग्रेड एक, दो, तीन और चार में लगे स्थानीय व्यक्तियों की कुल कितनी-कितनी संख्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है, कि स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति में भेदभाव किया जाता है और बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) स्थानीय लोगों को और अधिक रोजगार देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

रोज़ सोसायटी आफ इंडिया को भूमि का नियतन

5446. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट तथा शान्तिवन के बीच 100 एकड़ भूमि को गुलाबों का बाग लगाने के लिए रोज़ सोसायटीज आफ इंडिया को देने का दिल्ली प्रशासन का विचार है क्योंकि राजधानी में एक ऐसे बगीचे की स्थापना करने की स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू की आकांक्षा थी ;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता माँगी गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि रखी गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से रोज़ सोसाइटी आफ इन्डिया को भूमि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि शान्तिवन में गुलाबों का उद्यान (रोज़ गार्डन) के विचार को प्रधान मन्त्री ने अनुमोदित कर दिया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में चन्दन बाँध के श्रमिकों की छटनी

5447. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि काम न होने के कारण बिहार में भागलपुर जिले में चन्दन बाँध पर, काम करने वाले राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के 1700 श्रमिकों की छंटनी की जा रही है ;

(ख) क्या उन्हें चन्दन उच्चतम नहर के निर्माण-कार्य पर लगाया जा सकता है, जिसके लिए उनके मन्त्रालय से तकनीकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ; और

(ग) इस नहर के लिए तकनीकी स्वीकृति कब दी जायेगी और उसका काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) 31 मार्च, 1969 को जो स्थिति थी, उसके अनुसार इस यूनिट पर 981 कर्मकों में से 479 कर्मक फालतू हैं और उनकी छंटनी शीघ्र ही की जानी है । मई, 1969 के अन्त तक कार्यों के पूर्ण हो जाने से, शेष कर्मकों की भी छँटनी कर दी जाएगी ।

(ख) इसका प्रश्न तभी उठेगा जब कार्य परियोजना अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को अलाट कर दिया जाएगा ।

(ग) चन्दन उच्च स्तरीय नहर के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट की जाँच केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा हो रही है और अब यह जाँच की अन्तिम अवस्था में है ।

समान पदों पर प्रतिनियुक्ति भत्ते का बन्द करना

5448. **श्री प० मु० सईद :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समान पदों पर प्रतिनियुक्ति भत्ते को बन्द करने सम्बन्धी सरकार के अगस्त, 1966 के आदेशों से काफी मितव्ययता हुई है ;

(ख) क्या प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के बन्द करने से सरकार की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ; और

(ग) विशेष वेतन, जिसे प्रतिनियुक्ति भत्ते बन्द करने के साथ, बन्द किया जाना था, को बन्द न करने का क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ । समतुल्य पदों में नियुक्ति होने पर प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता बन्द किये जाने से कुछ बचत हुई है ।

(ख) सरकार के पास ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है ।

(ग) काम के विशेष श्रमसाध्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, कार्य अथवा जिमेदारियों में विशिष्ट वृद्धि अथवा जिस इलाके में कार्य किया जाता है, उसके अस्वास्थ्यकर होने के कारण, मूल नियम 9 (25) के अन्तर्गत विशेष वेतन दिया जाता है और यह उच्चतर वेतनमान के बदले में दिया जाता है । अतः कुछ परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता समाप्त कर दिये जाने के कारण, इसको समाप्त करने का सवाल नहीं उठता ।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह से राजस्व की प्राप्ति

5449. श्री काशी नाथ पान्डेय : क्या वित्त मन्त्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1128 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त होने वाले राजस्व के बारे में इस बीच जानकारी कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) वर्ष 1964-65 से 1966-67 तक के दौरान अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से वसूल किया गया कुल आयकर 6, 73,000 रुपये था । इसमें से 6,20,495 रुपये नारियल व्यापार से एकाधिकारी 'एकोजिस' से बसूल किये गये थे । इस अवधि में कर अपवंचन का कोई मामला नोटिस में नहीं आया था ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

खेतड़ी ताबा परियोजना

5450. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी ताँबा परियोजना के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) हां ।

(ख) ब्यौरे संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 636/69]

करों की बकाया राशि की स्थिति

5451 श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1914 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में जब उन्होंने वित्त मन्त्री के पद का कार्य-भार सम्भाला था उस समय विभिन्न करों की बकाया राशि के बारे में जानकारी इस बीच सरकार द्वारा एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ख) 31 मार्च 1967 को विभिन्न करों तथा शुल्कों की बकाया रकमों की स्थिति के बारे में सूचना अब इकट्ठी की जा चुकी है और उसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

	लाख रुपयों में
आयकर	5,15,25
सम्पदा-शुल्क	9,21
धन-कर	6,51
दान-कर	1,28
व्यय-कर	37
सीमा-शुल्क	1,16
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	19,53

गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़े प्लाट

5452. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1878 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़े प्लाटों के बारे में आवश्यक सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) तथा (ख) ऐसे प्लाटों की संख्या 159 है । इन मामलों का स्वामित्व 1967 तथा 1968 में बदल दिया गया था। प्लाटों पर फैक्टरियाँ स्थापित करने में देरी का कारण, उद्योग में मन्दी का होना है । प्लाटों के स्वामित्व के हस्तान्तरण के पश्चात्, फैक्ट्रियों को तीन वर्षों के अन्दर स्थापित किया जाना वांछनीय है । यह समय समाप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sale of Solvent by Mixing with Petrol

5453. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether is a fact that solvents are being sold by mixing them with petrol due to low rates of taxes thereon ;

(b) if so, whether his Ministry has recommended to the Ministry of Finance to impose more taxes on solvents, and reducing taxes on petrol with a view to bring the two prices at par; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) No such complaint has been received by Government.

(b) and (c) Do not arise.

कृष्णा-गोदावरी नदी जल-विवाद के लिए न्यायाधिकरण

5454. श्री हरदयाल देवगुण : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय जल विवाद (नदी जल) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, कृष्णा-गोदावरी जल-विवाद को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये भारत के मुख्य न्यायाधिपति को मामला भेजा गया है ;

(ख) क्या न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश सरकारों का दृष्टिकोण क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता के आयकर और कस्टम हाउस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

5455. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के कस्टम हाउस और आयकर कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे अधिकारियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जिन्हें 1966 से अब तक मुअत्तिल किया गया, बर्खास्त किया गया अथवा त्याग-पत्र देने को बाध्य किया गया ; और

(ख) इसी अवधि में ऐसे कितने अधिकारियों की पदोन्नति के मामले की उपेक्षा की गयी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा लोक-सभा की मेज पर रख दी जायगी।

तीस्ता बाँध परियोजना

5456. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता बाँध परियोजना के प्रतिवेदन की तकनीकी जाँच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो जाँच का परिणाम क्या है ; और

(ग) यदि उस जाँच के आधार पर कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, नहीं। रिपोर्ट की अभी जाँच हो रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिकेश के एन्टीबायोटिक्स कारखाने में गुटबन्दी

5457. श्री शशि भूषण : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश के एण्टीबायोटिक्स कारखाने में दो गुट हैं जो आपस में झगड़ते हैं और कारखाने की साख को खराब करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी और उन्होंने लिखित क्षमा याचना की थी और उन्होंने बताया था कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स के विरुद्ध यह प्रचार बाहर के लोगों के प्रभाव से किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उनके द्वारा लिखे गये पत्रों का सार क्या है ; और

(घ) आपस के झगड़ों से कारखाने को हानि न पहुँचे इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) ऋषिकेश के एण्टी-बायोटिक्स कारखाने में गुटबन्दी हो गई थी जो कि कारखाने

को कुशलतापूर्वक चलाने में हानिकारक थी । प्रबन्धकों की समय पर की गई कार्यवाही से इसे समाप्त कर दिया है ।

(ख) और (ग) जी हाँ । सम्बन्धित व्यक्तियों ने उकसाने तथा आवेग के वशीभूत हो कर गैर-जिम्मेदारी से किये गये वर्ताव के लिए क्षमा माँग ली है । अतः इस मामले में कार्यवाही बन्द कर दी गई है । कारखाने में श्रेष्ठ औद्योगिक सम्बन्धों तथा सुचारु रूप से कार्य करने के लिए उनके लिखे पत्रों के विषयों को बताना उचित नहीं समझा जाता ।

(घ) कुछ व्यक्तियों का तबादला कर दिया गया है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

गुजरात में कैरा जिला के आयकरदाता

5458. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री 11 नवम्बर ,1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में केरा जिल के आयकरदाताओं के बारे में इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनमें से 1966-67 और 1967-68 में ऐसे करदाताओं की संख्या कितनी-कितनी थी जिनकी ओर तीन वर्षों की आयकर की राशि बकाया थी;

(ग) 1966-67 और 1967–68 में कितने लोगों पर धन-कर लगाया गया ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में उक्त जिले से तम्बाकू पर कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त हुआ ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (घ) 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में अपेक्षित सूचना अब इकट्ठी की जा चुकी है और इसे अलग से सभा की मेज पर रखा जा रहा है । सूचना नीचे उद्धृत की गयी है : -

	1966–67	1967-68
(क) आय-कर दाताओं की संख्या	12,615	13,499
(ख) उपर्युक्त (क) में से उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी तरफ 30 सितम्बर, 1968 को तीन वर्षों से आय-कर की रकम बकाया है ।	82	123
(ग) जिन व्यक्तियों पर धन-कर लगाया गया, उनकी संख्या	502	681
(घ) अनिर्मित तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की वसूल की गई रकम (लाख रुपयों में)	291.49	347.96

Reservations of Flats by D. D. A. For Sub-editors and Reporters

5459. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority has reserved about two per cent of the flats sold on hire-purchase basis for the sub-editors and reporters ;

(b) whether the flats are also reserved for any other category of journalists ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban and Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) to (c) Two per cent of the flats have been reserved by the Delhi Development authority for allotment to the journalists accredited by the Delhi Administration. Sub-editors and reporters of daily papers are also included in this category.

Survey for Copper in Madhya Pradesh

5460. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government, in view of the requirements of copper, propose to conduct a survey of copper-rich areas of Madhya Pradesh on modern lines ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) :

(a) , (b) and (c) An intensive search for base-metals by means of Airborne Geophysical mineral survey using modern sophisticated scientific equipment is proposed to be carried out in parts of Harda-Saleemanabad—Sidhi areas of Madhya Pradesh with French assistance. In addition, some other parts of the State are proposed to be covered by the air-borne geophysical unit proposed to be set up in the Geological Survey of India with Canadian assitance.

सरकारी उपक्रमों में तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति

+

5461 **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने हाल ही में देहरादून में कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पद तकनीकी योग्यता और व्यापारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को दिये जाने चाहियें और नियमित संवर्ग वाले अधिकारियों को नहीं दिये जाने चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अन्तर्गत ऐसे कितने उपक्रम हैं जिनके अध्यक्ष तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति नहीं हैं, और उन उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन उपक्रमों के बारे में उपरोक्त सुझाव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) मैंने प्रशासन सुधार आयोग की कुछ सिफारिशों का उल्लेख करते हुये कहा था कि सरकारी उपक्रमों मे उच्च पदों के लिए चयन और उन पर नियुक्ति करते समय उन्हीं लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए जो उनमें पहले से काम कर रहे हैं। यदि उच्च पदों को भरने के लिए सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ और अनुभव-प्राप्त अधिकारी न मिलें तो उनके लिए बाहर से ऐसे व्यक्तियों

की भर्ती की जाने चाहिए जो औद्योगिक, व्यापारिक तथा पेशे की दृष्टि से योग्य हों तथा ऐसे लोगों को सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए। कदाचित् माननीय सदस्य के मन में यही बात है। मैंने यह कहा था कि सरकार ने प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर कुछ निर्णय किये हैं और उन्हें लागू करना जब सम्भव होगा, लागू कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में ये प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई–योग्य भूमि

5462 श्री स० अ० अगड़ी : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि–योग्य भूमि में से राज्यवार कितनी प्रतिशत भूमि सिंचाई-योग्य है तथा जो परियोजनायें चालू हैं उनके पूरे हो जाने पर राज्यवार कितने प्रतिशित सिंचाई-योग्य भूमि रहेगी;

(ख) क्या राज्यों में परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति देने के पूर्व इस पर विचार किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों ने कुछ बड़ी योजनाओं को केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना ही आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हाँ तो ऐसे राज्यों और परियोजनाओं के नाम क्या हैं कि जिनके बारे में अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई परन्तु उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 637/69]

(ख) परियोजनाएँ राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं। परियोजनाओं की तकनीकी संभाव्यताओं को, यदि कोई अन्तर्राज्यीय समझौते हों, तो उनको, और राज्य की योजना में व्यवस्थित राशियों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

(ग) और (घ) केंद्र से अनुमोदन की प्रतीक्षा किये बिना केवल दो परियोजनाओं को आरंभ करने की सूचना मिली है। ये मैसूर की हारंगी और हेमावती नाम की परियोजनाएँ हैं।

नई दिल्ली के अस्पतालों में कम्पाउन्डरों तथा मुख्य नर्सों के पदों में पदोन्नति में विषमता

5463. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कम्पाउन्डरों तथा मुख्य नर्सों के पदों में पदोन्नति में कुछ विषमतायें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या अस्पताल कर्मचारियों के इन वर्गों में कुछ कर्मचारियों से इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ;

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मालापुजा–इद्दिकी परियोजनाओं का विकास

5464. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मालापुजा तथा इद्दिकी परियोजनाओं के विकास के लिये अतिरिक्त राशि देने के लिये केरल सरकार ने केन्द्र से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ;

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पालघाट जिले के बागानों के मालिकों द्वारा धन-कर का अपवंचन

5465. श्री मन्गलाथुमाडोम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के पालघाट जिले के कई बागान मालिकों ने लगभग तीन वर्षों से धन-कर का अपवंचन किया है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस मामले की सूचना उचित अधिकारियों को दी है और क्या भोपाल सथ नाम सम्पदा सम्बन्धी मामले की सूचना दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सम्पदा-शुल्क अधिकारी कर की वसूली के मामले में उचित शीघ्रता नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो धन-कर की बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाहो की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, इसे इकट्ठा किया जा रहा है तथा यथासंभव शीघ्र हो सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

आय-कर अधिकारियों की नियुक्ति

5466. श्री अ० दीपा : क्या वित्त मंत्री ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न दर्शाया गया हो :

(क) संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर हाल ही में नियुक्त किये गये 199 आय-कर अधिकारियों की योग्यता-क्रम सूची तथा प्रत्येक उम्मीदवार के लिये नियत किया गया जोन ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी नियुक्ति में तीन वर्ष से अधिक समय का विलम्ब हो गया है और उस अवधि में अनेक पदोन्नतियाँ की गई हैं ; विभागीय तौर पर पदोन्नत किये गये अधिकारियों की तुलना में उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने में क्या सिद्धान्त अपनाया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने जिन 199 उम्मीदवारों की उनके योग्यता-क्रम के अनुसार सिफारिश की थी, तथा जिन्हें आय-कर अधिकारी श्रेणी-II, के पदों पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा गया था उनके नाम और आयकर-आयुक्तों के विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में उनके नियतन के सम्बन्ध में विवरण-पत्र संलग्न हैं। [पुस्तकलाय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-638/69]

(ख) ये अधिकारी अभी तक परिवीक्षाधीन हैं तथा प्रशिक्षण पा रहे हैं। आय-कर सेवा, श्रेणी I में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की तुलना में इनकी प्रवरता के प्रश्न पर यथा-समय विचार किया जायगा।

आय-कर की अधिकतम सीमा

5467. श्री मयावन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर की अधिकतम सीमा निधारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आय-कर के भुगतान से छूट देने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, नहीं। वित्त विधेयक 1969 में प्रस्तावों के अन्तर्गत आय-कर (जिसमें अधिभार भी शामिल है) की अधिकतम सीमान्त दर 82.5 प्रतिशत है तथा आय 2,50,000 रुपये से अधिक होने पर ही यह दर लागू होती है।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वित्त आयोग की स्थापाना से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श

5468. श्री मयाबन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग स्थापित करने से पूर्व राज्य सरकारों से उनकी माँगों के बारे में परामर्श करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर वित्त आयोग स्थापित किया जाता है और उसके विचारणीय विषय भी संविधान में दिये गये हैं। इसलिए वित्त आयोग की स्थापना से पहले राज्य सरकारों की माँगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उनसे परामर्श किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी, आयोग

स्थापित हो जाने के बाद, उसके सामने राज्य सरकारें अपनी-अपनी माँगें पेश करती हैं और आयोग अपनी सिफारिशें करने से पहले उन पर विचार करता है।

राष्ट्रीय बचत योजना का आदिम जाति क्षेत्रों में विस्तार

5469. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बचत योजना को दूरस्थ आदिम जाति क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) बचत आन्दोलन को देहाती क्षेत्रों में, जिनमें आदिम-जाति क्षेत्र भी शामिल हैं, फैलाने के लिए बराबर प्रयत्न किये जाते हैं। देहाती और आदिम जाति के लोगों को बचत के फायदे बताने के लिए राष्ट्रीय बचत संगठन, राज्य सरकारों और पंचायत प्रशासनों के सहयोग से प्रचार का काम करता है। कार्यक्रम के अनुसार, स्वयं-सेवी कार्यकर्ताओं के दल देहाती और आदिम जाति के लोगों के घरों में जा कर बचत के सम्बन्ध में प्रचार-कार्य करेंगे। इसके लिए फिल्मों, लोक-गीतों आदि जैसे श्रव्य–दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है और देहाती क्षेत्र के बहुत-से शाखा–डाकघरों को बचत-बैंकों के अधिकार दे दिये गये हैं। ऐसे डाकघरों की संख्या 61,000 है।

(ग) बचत योजना के कार्य-क्षेत्र में आदिम जाति क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किसी भी राज्य-सरकार से कोई विशेष सुझाव नहीं मिला है।

Allocation for Rural Electrification in Bihar

5470. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any specific amount has been asked for from the Government of Bihar for rural electrification in Bihar particularly for the North Bihar during 1969-70 ; and

(b) if so, the amount asked for and the further action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) and (b) Government of Bihar have not asked for any specific amount for rural electrification in North Bihar during 1969-70. The Annual Plan for 1969-70 has not been finalised so far.

महालेखापाल कार्यालय, गुजरात के कर्मचारियों का हड़ताल में भाग

5471. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखापाल, गुजरात, के कार्यालय के कुल कितने कर्मचारियों को 19 सितम्बर, 1968 के हड़ताल में भाग लेने पर मुअत्तिल किया गया ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अभी भी मुअत्तिल हैं ;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सिविल एकाउंट्स एसोसिएशन, गुजरात, अहमदाबाद से मुअत्तिल कर्मचारियों के मामलों में अत्यधिक विलम्ब के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) पाँच।

(ख) दो।

(ग) जिन संघों की मान्यता समाप्त कर दी गयी है उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

(घ) नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को पहले हो आदेश जारी किए जा चुके हैं कि जाँच करने की कार्यवाही करने और 15 अप्रैल, 1969 तक उसे पूरा करने के सभी प्रयत्न किये जायें।

करापवंचन की समस्या के अध्ययन के लिये समिति

5472. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने करापवंचन की समस्या के अध्ययन के लिये एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और मुख्य निर्देश-पद क्या है; और

(ग) यदि समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) समिति में एक निरीक्षण-निदेशक (जाँच-पड़ताल), एक आय-कर आयुक्त, एक निरीक्षण उपनिदेशक तथा दो सहायक आय-कर आयुक्त थे और एक सहायक निदेशक उसका सचिव था। इसके निर्देश-पद इस प्रकार थे :—

(क) कर-अपवंचन के कारणों, कर-अपवंचन के सामान्य तरीकों तथा बड़े व्यापारों और उद्योगों में अपनाये गये विशेष तरीकों का भी समिति अध्ययन करेगी और कर-अपवंचन को रोकने के लिए तथा उसका पता लगाने के लिए वह जिन उपायों को अपनाना आवश्यक समझे उनकी सिफारिश करेगी।

(ख) उपर्युक्त सामान्य बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति, निम्नलिखित विशेष बातों का न करेगी तथा उन पर रिपोर्ट देगी :—

(i) भूमि तथा इमारतों के सौदे ;
(ii) फिल्म कलाकारों द्वारा तथा वकीलों और डाक्टरों जैसे अन्य व्यावसायिक वर्गों द्वारा कर-अपवंचन ;
(iii) जिन्सों, शेयर आदि के वायदे के वायदे के सौदों में कर-अपवंचन;
(iv) बेनामी लेन-देनों के जरिए कर-अपवंचन ;
(v) सफल कर-अपवंचन को अवधि-विधि कहाँ तक संरक्षण देती है;
(vi) आय-कर विभाग के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें तथा संख्या की पर्याप्तता ;
(vii) सफल जाँच-पड़ताल करने वाले को मान्यता अथवा पुरस्कार ;
(viii) नियन्त्रण के विस्तार की अधिकतम सीमा के अन्दर पर्यवेक्षी दायित्वों को लागू करना ;
(ix) अन्य सरकारी विभागों के साथ सम्पर्क की पर्याप्तता ; तथा
(x) बैंकों और कर-अपवंचकों के बीच साठगाँठ ।

(ग) समिति द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट की मोटी-मोटी बातें ये हैं :-
(1) प्रशासन को सुदृढ़ बनाना ।
(2) नकद लेन-देनों तथा नकदी रखने पर रोक ;
(3) तलाशियों तथा माल पकड़ने के अधिकारों में विस्तार ;
(4) अन्य व्यक्तियों के नामों में दिखायी गयी परन्तु निर्धारिती द्वारा नियन्त्रित परिसम्पत्तियों की, आय-कर अधिकारी के समक्ष, अनिवार्य घोषणा ।

विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण

5473. श्री रा० कृ० सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुल भागों में सम्भावित खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिये विमान द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया और उनके क्या परिणाम निकले है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही सर्वेक्षण कराने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) और (ख) "आपरेशन हार्ड राक" की पहली प्रावस्था के रूप में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के भागों में हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण किये गये हैं ; सम्बद्ध चुम्बकीय आधार सामग्री और भूवैज्ञानिक वातावरण को विचार में रख कर, इन उड़ानों से प्राप्त विद्युत-चुम्बकीय असंगतियों का वर्गीकरण कर लिया गया है। प्रथमतः इस प्रकार के लगभग 3000 असंगत अन्तः खण्डों को प्रारम्भिक भूमि-टोह-सर्वेक्षण के

लिये लिया गया है। भूमि–टोह-सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर, कुछ आशाजनक क्षेत्रों में विस्तृत भूभौतिक, भूवैज्ञानिक तथा भूरासायनिक जाँच प्रगति पर है। राजस्थान में *खेतड़ी* के 10 किलोमीटर पूर्व में अजित सागर के निकट, जहाँ आशाजनक हवाई-असंगति सिद्ध की गई थी, हीरक–क्रोड–व्यधन भी प्रारम्भ कर दिया गया है, भूतल–जल समन्वेषण के लिये क्षेत्रों को अंकित करता हुआ आंध्र प्रदेश के भागों का एक नक्शा भी भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा राज्य सरकार को भेजा गया है।

इन उड़ानों से प्राप्त रेडियोमितीय आधार सामग्री आगे अन्वेषणों के लिये अणुशक्ति विभाग के आणुविक खनिज प्रभाग को भेजी गई है;

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में हवाई सर्वेक्षण करने के हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

बैंक-दर में कमी की माँग

5474. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की 16 मार्च, 1969 की बैठक में यह माँग की गई थी कि बैंक–दर में कमी की जाये;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने बैठक में की गई माँग पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख) और (ग) बैंक–दर में कमी किये जाने जैसी कोई माँग नहीं की गयी थी। फिर भी, बैंक–दर में कमी किये जाने की सम्भावना के बारे में अफवाहों का खण्डन करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उक्त बैठक में कहा था कि जब बैंकों के पास काफी रुपया है और उन्हें रिजर्व बैंक से केवल थोड़ा-सा रुपया उधार लेने की जरूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक या अन्य बैंकों को बैंक–दर के स्तर के बारे में अधिक सोचने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में, रिजर्व बैंक, प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने वाले बैंकों के लिए बैंक–दर अर्थात् 5 प्रतिशत की बजाय 4.5 प्रतिशत की दर पर पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है।

आगरा में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की कर्मशाला (वर्कशाप)

5475. **डा० रानेन सेन :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण समिति की आगरा स्थित कर्मशाला (वर्कशाप) में पर्याप्त मशीनें और उपकरण होने के बावजूद भी मरम्मत और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के आदेश गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मशाला में काम कम हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कर्मशाला की कुछ मशीनें और उपकरण गैर-सरकारी निकायों को बेची जा रही हैं जिससे कर्मशाला धीरे-धीरे बेकार की जा रहा है; और

(क) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, नहीं । आगरा वर्कशाप में जिन मरम्मत कार्यों की सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं और वे मरम्मत कार्य साधारणतया वहाँ पर किये जाते हैं।

(ख) मशीनरी और उपस्कर की जिन मदों की निगम को आवश्यकता नहीं होती केवल उन्हीं का निपटान करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात तेल-शोधक कारखाने में प्रोटीन का उत्पादन

5476. डा० रानेन सेन : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस के तेल से चलने वाले फ्रांसिसी प्रायोगिक संयंत्र की सहायता से गुजरात तेल-शोधक कारखाने में प्रोटीन का उत्पादन किया जायेगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :

(क) और (ख) प्रतिदिन 50 कि० ग्राम प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र को, जो शुरू में इंस्टीट्यूट फ्रांसिस डी पेट्रोल, फ्रांस के सहयोग से पैट्रोलियम की भारतीय संस्था द्वारा देहरादून में लगाया गया था, आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति में सुविधा के कारण, अब गुजरात तेल शोधक कारखाने के अहाते में स्थानान्तरित एवं स्थापित किया गया है। फ्रांसिसी संस्था ने पैट्रोलियम की भारतीय संस्था को यह प्रायोगिक संयंत्र उपहार के रूप में दिया है। परन्तु संयंत्र की सुविधाओं एवं स्थान की व्यवस्था के लिए गुजरात तेल-शोधक कारखाने के 92,000 रुपये खर्च करने का अनुमान है।

पैट्रोलियम की भारतीय संस्था के कर्मचारीगण कुछ महीनों के लिए कोयली में इस संयंत्र को चलायेंगे। इस सम्बन्ध में 9-12-68 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

Irrigation Facilities in Village Mukandpur Block, Alipur (Delhi)

+

5477. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the farmers of village Mukandpur, Block Alipur (Delhi) about irrigation facilities ; and

(b) if so, the action being taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) :

(a) and (b) The villagers of Mukandpur had represented for the supply of effluent from the North Sewage Treatment Plant for irrigation which has been stopped on the advice of Health authorities who held that use of this water in areas close to the intake of water supply of

Delhi involves risk of contamination, which would seriously endanger the safety of water *supply* for the Capital .

However, in order to devise some means whereby effluent water can be utilised without the risk of pollution of water supply to Delhi, the Union Minister of Irrigation and Power inspected the area twice on 16-4-1968 and 5-12- 1968.Having regard to all aspects of the problem, it was considered that restroration of supply of sewage effluent for irrigation in this area could be considered only after a bund is constructed to keep out the Yamuna flood waters. A scheme is accordingly being drawn up for a segregation embankment along the Yamuna from Wazirabad Barrage to Bawana Escape.

In the meanwhile, arrangements have been made by the Delhi Administration for supply of water to about 500 acres of the area from Western Yamuna canal.

Development of Oil Wells in Coastal Areas Near Gujarat

5478. **Shri K. M. Madhukar : Shri D. N. Patodia :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a difference of opinion has arisen between the Government of Gujarat and the Central Government on the question of the development of oil wells in the coastal areas near Gujarat ;

(b) if so, the points on which two Governments differ ;

(c) whether Government propose to accept the proposals made by the Government of Gujarat in regard to the development of oil deposits explored in the coastal area of Gujarat and if not, the reasons therefor; and

(d) whether the Government have any alternative scheme in this regard and if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and mines and Metals (Shri D. R. Chavan):

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) No specific proposals have been made by the Government of Gujarat in this regard.

(d) Does not arise.

कपड़ा उद्योग की राहत

5480. श्री किरुतिनन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु मिल मालिकों के संघ के अध्यक्ष से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान आयव्ययक में कपड़ा मिलों को दी गई राहत के बारे में उनकी क्या माँगें या शिकायतें हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ । तामिल-नाडू मिल मालिक संघ के अध्यक्ष से एक तार सरकार को मिला है ।

(ख) संघ ने अपने तार में ये बातें लिखी हैं :—

(1) सम्मिलित मिलों तथा शक्ति-चालित करघों के कारखानों को जो राहत दी गई है उसकी वे प्रशंसा करते हैं, परन्तु इस बात से उन्हें निराशा हुई है कि कताई की मिलों को थोड़ी सी अथवा कुछ भी राहत नहीं दी गई ;

(2) 34 एन एफ से 39 एन एफ तक की सादी लपेटी हुई गुच्छियों में सूती धागे पर से पूर्णतया शुल्क हटा देने से कोई राहत नहीं मिलती क्योंकि इसे सूतांक वर्ग में आने वाले धागे की न तो मांग है और न ही उसे निर्मित किया जाता है ;

(3) 40 एन एफ से 68 एन एफ तक की सादी लपेटी हुई गुच्छियों के धागे वाले मामले में शुल्क की दर में प्रति 5 किलोग्राम पर जो 1·25 रु० की कमी की गई है वह नाकाफी है ;

(4) कोन धागे के मामले में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि 34 एन एफ से 39 एन एफ तक और 51 एन एफ से 68 एन एफ तक के सूतांक वर्ग में 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई और 69 एन एफ तथा उससे अधिक के सूतांक वर्ग में यह वृद्धि 36 प्रतिशत है ।

(5) तिरछी लपेटी हुई गुच्छियों वाले धागे पर 14 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया गया है । तिरछी लपेटी हुई गुच्छियों वाले धागे पर शुल्क की दर में भारी वृद्धि से बंगाल और महाराष्ट्र के हथकरघों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस कारण दक्षिण में स्थित कताई की मिलों पर भी, जो इन मुख्य बाजारों पर निर्भर है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(6) महाराष्ट्र और गुजरात के शक्ति-चालित करघों को जो भारी राहत दी गई है उससे दक्षिण की कताई की मिलों को पूरी राहत नहीं मिलेगी; और

(7) धागे पर से उत्पादन-शुल्क पूर्णतया हटाने से कम की कोई राहत इस उद्योग को वर्तमान गम्भीर स्थिति से नहीं बचा सकती ।

(ग) 1969 के बजट प्रस्तावों में किये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में सरकार को वस्त्र उद्योग से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें तमिल नाडु मिल-मलिक संघ का अभ्यावेदन भी शामिल है । ये सभी अभ्यावेदन विचाराधीन हैं ।

Antibiotics Factory, Rishikesh

5481. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the machinery being used in the Antibiotics Factory at Rishikesh, which had been imported from U.S.S.R. was, in the first instance, sent to China ;

(b) whether it is also a fact that China did not find this machinery suitable for their purpose and then it was sent to India by U.S.S.R. ;

(c) the percentage of the drugs rejected for the first time out of those manufactured by this factory during the last year ;

(d) whether it is further a fact that the matter of the machinery also got mixed up in the drugs while manufacturing the drugs ; and

(e) the production capacity of this factory and the quantum of its present production ?

The Minister of State in the Ministry of petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) and (b) Government have no information.

(c) The following percentage of various antibiotics were rejected during 1968-69 :

S. No. Name of the product	Percentage of Rejection
1. Sodium Benzyl Penicillin	54%
2. Procaine Penicillin	41%
3. Streptomycin Sulphate	51.5%
4. Tetracycline Hydrochloride	6%

Rejections were on grounds of clarity and sterility. The project was beset with frequent power failures also during the above period.

(d) Sometime the final product has been found to contain some particles which are similar to those that generally arise from corrosion of equipment.

(e) The following is the capacity and the present production level for Antibiotics Plant, Rishikesh :

Sl. No.	Product	Monthly capacity (Tonnes)	Company's plan of production from April, 1969 (tonnes) (Monthly)	Production up to February 1969 (tonnes)
1.	Sodium Penicillin	2.5	1.13	2.78
2.	Procaine penicillin	3.75	0.71	1·02
3.	Streptomycin sulphate	7.08	2.52	6.13
4.	Tetracycline hydrochloride	2.08	0.58	0.51
5.	Oxytetracycline	2.08	Fermentation trials started	—
6.	Chlortetracycline	5.84	Nil	—
7.	Nystatin	0.834	Nil	—

मैसर्स पब्लिक रिलेशन कौंसिल आफ इंडिया की ओर कर की बकाया राशि

5482. **श्री शंकर राव माने :** क्या वित्त मंत्री 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पब्लिक रिलेशन कौंसिल आफ इण्डिया, दिल्ली, की ओर कर की बकाया राशि के बारे मे इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में अनुमानत: कितना समय लगेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां । सूचना अब इकट्ठी की जा चुकी है जिससे पता चलता है कि 31 मार्च, 1968 को मैसर्स पब्लिक रिलेशन कौंसिल आफ इण्डिया की तरफ आय-कर की कोई रकम बकाया नहीं थी ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा नहीं होते।

आय-कर विभाग द्वारा गलती से जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र

5383. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय–कर बिभाग द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र गलत ढंग से जारी किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष ऐसे कितने वसूली प्रमाण–पत्र गलत ढंग से जारी किये गये ;

(ग) इसके क्या कारण थे ; और

(घ) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप–प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ग) यह सच है कि कभी-कभी उन मामलों में भी वसूली प्रमाण–पत्र जारी कर दिये जाते हैं, जिनमें कर की अदायगी की जा चुकी हो। ऐसे प्रमाण–पत्र प्रायः इस लिए जारी हो जाते हैं कि कर की अदायगी के प्रमाण स्वरूप जारी किये जाने वाले चालान या तो अपठनीय / अधूरे होते हैं अथवा प्रेषण में हुई देरी / निर्दिष्ट स्थान पर न पहुँचने के कारण वे कर-निर्धारण से सम्बन्धित रिकार्डों में उपलब्ध नहीं होते। मियाद के अन्दर कार्यवाही करने के लिये वसूली प्रमाण-पत्र एक निर्धारित तारीख के भीतर ही जारी करने होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहना ठीक नहीं होगा कि आय-कर विभाग द्वारा समान्यतः गलत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष में जारी किये गये ऐसे वसूली प्रमाण-पत्रों की संख्या से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम लगेगा क्योंकि माँगी गई सूचना अलग–अलग कर-निर्धारण रिकार्डों की छानबीन कर के ही प्राप्त की जा सकती है।

(घ) क्षेत्रीय अधिकारियों को ऐसे निदेश दिये जा चुके हैं कि वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले, करों की अदायगी की तस्दीक कर लें और यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में कर निर्धारितिओं से पूछताछ कर लें।

रायचूर जिला (मैसूर) में हिरेहल्ला सिंचाई परियोजना

5484. श्री स० अ० अगड़ी : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने कोप्पल तालूक के रायचूर जिले में हिरेहल्ला सिंचाई परियोजना के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और इस पर होने वाले खर्च के प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं और स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं ;

(ख) यदि हाँ तो इस पर कितना धन खर्च होगा तथा इससे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जायेगी ;

(ग) क्या इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस परियोजना को कब आरम्भ करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हुई है।

(ग) और (घ) चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

सहकारी गृह–निर्माण समितियों का नये सदस्यों पर प्रतिबन्ध

5485. श्री अमर सिंह सहगल: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5642 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी गृह–कार्य समितियों ने नये सदस्य बनाने पर लगाये गये प्रतिबन्धों का इस बीच विरोध किया है और कहा है कि ऐसा करना तत्सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध इन समितियों के स्वायत्त कार्य-संचालन में हस्तक्षेप है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर–विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :

(क) कुछ सोसायटियों ने लगाए गए प्रतिबन्धों के विरोध में अभिवेदन किया है।

(ख) यह प्रतिबन्ध, कि भूमि / प्लाटों के आवंटन के उद्देश्य के लिए, निर्णायक तिथि (दिसम्बर, 1966) के बाद के बने और सदस्य को मान्यता नहीं दी जायेगी, दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारशों पर लगाया गया है और इसका उद्देश्य सोसायटियों द्वारा भूमि के उचित उपयोग की व्यवस्था करना है । यह केवल एक शर्त है जिसे भूमि आवंटन के करारनामे में शामिल किया जा रहा है, और सहकारी सोसायटियों पर कोआप्रेटिव सोसायटी एक्ट के अधीन प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Unproductive Expenditure on Public Sector Undertakings

+

5486. **Shri Narendra Kumar Salve** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps to exercise strict control and effect reduction in unproductive expenditure in Public Sector Undertakings such as excessive overtime allowance, tour expenses, excessive number of staff-cars and their misuses, surplus employees etc., in view of the present financial position of Public Sector Undertakings; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) The performance of Public Enterprises is kept under constant review with a view to increasing their profitability. In respect of overtime allowance, tour expenses, etc., which are matters of day-to-day administration, the Public Enterprises are expected to exercise the necessary control themselves. However, suitable guidelines have been issued to the Public Enter-

prises in respect of travelling allowance, conveyance allowance, city compensatory allowance, including restriction on the use of official cars for private purposes as well as dearness allowance and project allowance. As regards surplus staff, the Administrative Reforms Commission in their Report on "Public Sector Undertakings" had made certain recommendations to deal with the problem. Based on these, Government have issued the necessary guidelines for action by the Public Enterprises.

जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ योजना' के अन्तर्गत दिये गये ऋण

5487. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में जीवन बीमा निगम द्वारा 'अपना घर बनाओ योजना' के अन्तर्गत कुल कितना ऋण दिया गया और ये ऋण कितने बीमाधारियों को दिये गये ;

(ख) ऋण की न्यूनतम और अधिकतम राशि कितनी है ;

(ग) आसाम, नागलैंड मनीपुर में राज्य क्षेत्रवार कितने बीमाधारियों को ऋण दिया गया ; और

(घ) जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ' योजना एक लाख से कम जनसंख्या वाले कौन-कौन से कस्बे में लागू की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) ऋणों की मन्जूरी नीचे दिये अनुसार की गई है।—

वर्ष	मन्जूर-शुदा रकम (लाख रुपयों में)	पालिसी-धारियों की संख्या
1967-68	276·36	958
1968-69 (1-4-68 से 31-12-68 तक)	189·10	695

(ख) अधिकतम 1 लाख रुपये

न्यूनतम 7,500 रुपये

(ग) असम राज्य में 183 पालिसी-धारियों को ऋण मंजूर किये गए हैं। नागालैंड, त्रिपुरा तथा मणिपुर के किसी भी कस्बे में यह योजना अभी तक लागू नहीं की गयी है।

(घ) प्रारम्भ में 'अपनी मालिकी का घर बनाओ' योजना 1961 की जन-गणना के अनुसार केवल 1 लाख के ऊपर की जनसंख्या वाले कस्बों में ही लागू थी। जनसंख्या, इसमें वृद्धि की गति, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास तथा रिहायशी मकानों की माँग जैसे कारणों की समीक्षा के बाद, अब इसे 1 लाख से कम जनसंख्या वाले कुछ कस्बों में भी लागू कर दिया गया है। इन कस्बों के नाम इस प्रकार हैं :—

राज्य	कस्बा
पंजाब	बटाला
हरयाणा	फरीदाबाद, रोहतक तथा यमुनानगर जगाधरी (टी० जी०)
राजस्थान	अलवर तथा बियावर
मध्य प्रदेश	बिलासपुर, खंडवा तथा रतलाम
उत्तर प्रदेश	फैजाबाद, फर्रुखाबाद (टी० जी०), गाजियाबाद तथा मुजफ्फरनगर
असम	अगरतल्ला, डिब्रूगढ़ तथा शिलांग।
बिहार	अराह, छपरा, कटिहार तथा मुंगेर।
उड़ीसा	बरहामपुर तथा भुवनेश्वर
पश्चिम बंगाल	बाँकुरा, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर तथा सिलीगुड़ी।
केरल	पालघाट, क्विलान तथा त्रिचुर।
तामिलनाडु	डिंडीगुल, एरोडे तथा कुम्भकोणम् टी० जी०
मैसूर	बीजापुर, दावनगेरे, गुलबर्गा, रायचूर तथा उडीपी।
गुजरात	गांधीधाम, जूनागढ़ तथा नवसारी।
महाराष्ट्र	औरंगाबाद टी० जी०, धुलिया, जलगांव, कराड़, लोनावला, खंडाला टी० जी०, नादेड़ तथा सतारा।
संघ राज्य क्षेत्र	चन्डीगढ़, गोआ, पंजिम, मारगाव तथा वास्को-डि-गामा।

बैंकों में जमा राशि और उनके द्वारा दिये गये ऋण

5488. श्री क० मि० मधुकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 से बैंकों में जमा राशि उनके द्वारा दिये गये ऋण से कहीं अधिक बढ़ गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि देश के बड़े उद्योगपतियों ने ऋणों पर ब्याज की दर घटाने के लिये रिज़र्व बैंक से आग्रह किया है ताकि वे अधिक ऋण ले सकें ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) प्रश्न का आशय स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक बैंक को उसके पास जमा रकमों में हुई वृद्धि का 28 प्रतिशत भाग, भुगतान सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये, नकद

और स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में अलग रखना पड़ता है और शेष 72 प्रतिशत भाग अग्रिमों के लिये उपलब्ध रहता है। बैंक अपनी ऋण सम्बन्धी सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रिज़र्व बैंक से, उसके द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर, कर्ज ले सकता है। 1967 और 1968 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा रकमों में क्रमशः 452 और 471 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों में उन वर्षों में क्रमशः 346 करोड़ और 357 करोड़ रुपये की तदनुरूप वृद्धि हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तालचेर में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने

5439. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 17 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 3305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है;

(ख) क्या दो या तीन कारखानों को साथ-साथ स्थापित करने के बारे में पक्का निर्णय किया जायेगा; और

(ग) क्या परादीप में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला उर्वरक कारखाना भी कोयले पर आधारित होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी हाँ।

(ख) निर्दिष्ट पक्का निर्णय कारखानों की संख्या तथा अवस्था भाजित कार्यक्रम, जो विभिन्न तकनीकी आर्थिक तथ्यों पर आधारित है, से सम्बन्धित है।

(ग) जी, नहीं।

Kosi Control Board

+

5490. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the date on which Kosi Control Board last met ;

(b) whether it is a fact that this Board has been scrapped ; and

(c) if not, the reasons for the delay in holding its meeting and when Government propose to call its next meeting ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) 16th December, 1965.

(b) No; Sir.

(c) No important item requiring consideration by the Board has cropped up since the last meeting.

No decision has yet been taken about the next meeting.

Marginal Dam on Embankment of River Kosi

+
5491. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had given an assurance earlier regarding the construction of a marginal dam between two embankments of river Kosi and a survey was also made in this regard ; and

(b) if so, the time by which the said embankment is proposed to be constructed by Government and the reasons for the delay ?

The Dy. Minister of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad):

(a) and (b) Preliminary investigation has been made by the State Government for a line of forward embankments within the existing embankments of the Kosi and the matter has been referred to the Central Water and Power Research Station Poona, for model tests about its feasibility and efficiency. Construction of the embankments will depend upon technical feasibility and availability of funds.

मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का बंगाल और बिहार का दौरा

5492. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में उनकी पश्चिमी बंगाल और बिहार की यात्रा का खर्च किसने वहन किया ;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितना खर्च हुआ ;

(ग) क्या किसी व्यापारिक संस्थान ने निर्वाचन-यात्रा के समय उन्हें अपना विमान दिया था और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क), (ग) और (घ) इस दौरे का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया था और इससे सम्बद्ध सारा खर्च भी उसी ने उठाया था ।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

नया नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार

5493. श्री हेमराज : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया नंगल स्थित उर्वरक कारखाने का निकट भविष्य में विस्तार के लिये कोई योजना बनायी गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० दा० रा० चव्हाण) :

(क) और (ख) नगंल कारखाने के विस्तार की एक योजना पर विचार हो रहा है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

पंजाब के पुनर्गठन पर हिमाचल प्रदेश को आवंटित डाक्टर

+
5494. श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पुनर्गठन पर हिमाचल प्रदेश को कितने डाक्टर आवंटित किये गये ;

(ख) क्या उन डाक्टरों ने केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में शामिल किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन कब प्राप्त हुआ था और उस पर कब से विचार किया जा रहा है और इस पर कब निर्णय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 63।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से कुछ डाक्टरों के अभ्यावेदन की कुछ प्रतियाँ 25 अप्रैल, 1967 को प्राप्त हुई थीं जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्कालीन पंजाब सरकार से जितने डाक्टर के पद हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित किये गये थे उनमें से 75 प्रतिशत पदों को 7 अक्टूबर, 1968 से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित कर दिया गया था। स्थानान्तरित डाक्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में उपयुक्त ग्रेड में नियुक्ति के लिए 21 फरवरी 1968 को संघ लोक सेवा आयोग से बातचीत की गई थी। मामले पर अब सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

सोने की कीमतें

5495. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष मार्च में भारत में सोने की कीमन इतनी अधिक हो गई थी जितनी पहले कभी नहीं हुई ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त महीनों में सोने की अधिकतम कीमत कितनी हुई और यह पहले की अधिकतम कीमतों की तुलना में यह कीमत कैसी है ;

(ग) सोने की कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या करण हैं ; और

(घ) क्या सोने की कीमतों को कम रखने में असफल करने का ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार स्वर्ण नियन्त्रण आदेश में संशोधन करने अथवा उसे समाप्त करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) मार्च, 1969 में शुद्ध सोने की उच्चतम कीमत 180 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी थी। मार्च, 1969 से पहले, मई, 1967 में उच्चतम कीमत 171.50 रुपये प्रति दस ग्राम हुई थी।

(ग) सोने की कीमत में वृद्धि के ठीक-ठीक कारण स्पष्टतया बताना सम्भव नहीं है। यह वृद्धि किसी भी समय, सोने की माँग और उसकी पूर्ति में घट-बढ़, मुद्रा बाजार की हालत, तस्कर आयात-निर्यात के लिये धन उपलब्ध करने के लिये प्रयुक्त विदेशी मुद्रा की कीमत आदि जैसे अनेक जटिल सहायक कारणों की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। मोटे तौर पर मार्च, 1969 में सोने की कीमत में वृद्धि के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण ये प्रतीत होते हैं। :—

महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के खुले बाजार-मूल्यों में तेजी से वृद्धि, शादियों के कारण माँग का बढ़ जाना तथा अन्य बातों के साथ-साथ तस्कर-विरोधी तथा निरोधक ऐजेंसियों द्वारा अधिक सतर्कता बरती जाने के कारण सप्लाई कम हो जाना और भारत से बाहर चाँदी के तस्कर निर्यात को रोकने के लिए, जिसे सोने के तस्कर आयात-निर्यात के लिये धन उपलब्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हाल ही में की गयी विधि-व्यवस्था का प्रभाव।

(घ) जी, नहीं। जहाँ तक सप्लाई घट जाने के कारण सोने की कीमत में वृद्धि की बात है, यह वास्तव में निरोधक तथा नियन्त्रण उपायों की सफलता का द्योतक है।

आंध्र प्रदेश में पुलीबेंडला नहर योजना

5496. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश में पुलीबेंडला नहर परियोजना का परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में बाढ़ों के हुई क्षति

5497. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष प्रति वर्ष त्रिपुरा में विशाल कृषि वाली भूमि में बाढ़ें आती हैं और वे मिट्टी बहा कर ले जाती हैं, तथा हजारों एकड़ भूमि में उगी धान की फसलें नष्ट कर देती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष त्रिपुरा में बाढ़ से धान तथा अन्य फसलों की कितनी क्षति हुई है;

(ग) त्रिपुरा में बांध, तटबंधन तथा अन्य बाढ़ नियंत्रण उपाय करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस पर कितना धन खर्च हुआ है ; और

(घ) वर्ष 1969–70 में त्रिपुरा में बाढ़ पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और उस प्रस्तावित योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) त्रिपुरा में गत तीन वर्षों के दौरान फसलों की हुई क्षति की निम्नलिखित रूप से सूचना मिली है :

	क्षतिग्रस्त शस्यगत भूमि (एकड़)	क्षतिग्रस्त फसलों का मूल्य (लाख रुपये)
1966	29,000	52
1967	नगण्य	1
1968	50,000	97

अब तक इस दिशा में जो उपाय किए गये हैं उनमें ये शामिल हैं : तटबन्धों का निर्माण, वर्तमान तटबन्धों को ऊँचा और पक्का करना, कटाव-नियन्त्रण तथा नगर-सुरक्षा कार्य, तीसरी योजना के अन्त तक इन कार्यों से 5,000 एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुँचा है । 8 नगर-सुरक्षा कार्य भी पूर्ण किये गये हैं । तीसरी योजना के दौरान और 1966–67 से 1968-69 के वर्ष तक की अवधि में कार्यों पर निम्नलिखित रूप से व्यय हुआ :

	लाख रुपयों में
तीसरी योजना	13.16
1966-67	5.31
1967-68	11.36
1968–69 (प्रत्याशित)	19.31

(घ) बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम को 1969–70 के दौरान जारी करने का विचार है। 1969–70 के लिए कार्यों के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के बाद ही 1969–70 के दौरान हुए सही व्यय का पता लगेगा ।

श्रीलंका में उर्वरक कारखाना

5498. श्री हिम्मतसिंहका : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इटली का मिला कर श्रीलंका में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उसमें भारत और इटली के कितने-कितने अंश होंगे और प्रस्तावित सहयोग करार का अन्य ब्योरा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) से (ग) लंका में एक ऊर्वरक कारखाने की स्थापना के तुलनात्मक पेशकशों में भाग लेने के लिए लंका सरकार की उर्वरक मैन्युफैक्चरिंग निगम ने भारतीय उर्वरक निगम का चयन किया है। इटली की एक फर्म इस बोली में सहयोग देने के लिए सहमत हो गई है। दोनों कम्पनियाँ ब्यौरे को तैयार कर रही हैं।

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

5499. **श्री प० मु० सईद :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति को दी गई भूमि का पूरी तरह विकास किया जा चुका है और नक्शा मंजूर किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि की प्रति गज लागत तथा भूमि के विकास की प्रति गज लागत कितनी है ;

(ग) संस्था द्वारा अपने सदस्यों से प्रति गज भूमि का कितना मूल्य लिया जा रहा है अथवा लिया गया है ;

(घ) संस्था की कार्यविधि में सदस्यों को उनके द्वारा जमा कराये गये धन, अग्रिम धन के लिए कितना बोनस-लाभांश दिया गया है और इसका भुगतान किस प्रकार किया गया;

(ङ) क्या सभी प्लाटों का आवंटन करा दिया गया हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) भूमि के आवंटन तथा मकानों के निर्माण के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भूमि की लागत तथा उसके विकास की मद में सोसाइटी ने प्रत्येक सदस्य से अस्थाई तौर पर 2,300 रुपये वसूल किये हैं। भूमि की प्रति वर्ग गज लागत भूमि के विकसित हो जाने के बाद निकाली जायेगी।

(घ) यह रिपोर्ट मिली है कि सोसाइटी के द्वारा कोई बोनस / डिवीडेन्ड नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) जब विकास पूरा हो जायेगा केवल तभी प्लाटों के आवंटन तथा उन पर निर्माण का प्रश्न उठेगा।

सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले निगमों/अर्ध सरकारी संस्थाओं
के अधिकारियों को बेदखली के नोटिस

5500. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन निर्माण और आवास मन्त्रालय ने 21 अप्रैल, 1964 के अपने ज्ञापन संख्या 2 / 38 / 62-ए० सी० सी० में स्पष्ट रूप में यह आश्वासन दिया था कि निगमों/अर्ध सरकारी संस्थाओं के जिन अधिकारियों को 10 मई, 1963 से पहले सामान्य पूल के क्वाटरों से क्वाटर मिले हुए हैं, उनको उन क्वाटरों में रहने दिया जायेगा;

(ख) क्या अब ऐसे सब कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताये बेदखली के नोटिस दे दिये गये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो इस समय उस आश्वासन से पीछे हटने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों की कठिनाइयों का अनुमान लगाया है, जो उन्हें अपने क्वार्टरों को छोड़ने के कारण होगी, जिनमें वे पिछले 10/15 वर्षों से रह रहे हैं और जिनके लिये वे बाजार भाव पर किराया दे रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को सामान्य पूल वास के आवंटन के प्रश्न पर सरकार ने समय-समय पर पुनरीक्षण किया है । 1956-57 तक ऐसे निकायों की संख्या थोड़ी थी और उनके सामान्य पूल वास के आवंटन के अनुरोध पर तदर्थ आधार पर विचार किया जाता था । जब माँग बढ़ने लगी, तो सरकार ने ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही की पद्धति को सुव्यवस्थित बनाने का निर्णय किया । अतएव 1957 में यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय सरकार के पदों पर पुनरग्रहणाधिकार (लीयन) रखने वाले अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवाओं के हैं और राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, और जो सेवानिवृत्त होने पर ऐसे निकायों में प्रतिनियुक्त/नियुक्त किए गए थे, उन्हें सामन्य पूल से वास के आवंटन के लिए पात्र माना गया । उपक्रमों द्वारा सीधे भरती किए गए अधिकारियों/स्टाफ को सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए पात्र नहीं माना गया । क्योंकि इसको भी बड़ा कठिन समझा गया, 1963 में स्थिति पर पुन: विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि यह सुविधा केवल उन केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तक सीमित रखा जाए जो कि केन्द्रीय सरकार के पदों पर पदग्रहणाधिकार रखते हों और जिन्हें ऐसे निकायों में भेजा गया । 1968 में सरकार द्वारा मामले का पुनरीक्षण किया गया और यह निर्णय किया गया कि अपात्र व्यक्तियों के दखल में सामान्य पूल वास को खाली कराया जाय और भविष्य में पुनरग्रहणाधिकारकर्त्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, ऐसे निकायों में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर, उनके दखल में सामान्य पूल वास को रखने की अनुमति न दी जाए । यह निर्णय सरकार द्वारा, सामान्य

पूल में वास की अत्यधिक कमी और भविष्य में निर्माण के लिए निधियों की कमी को देखते हुए किया गया ।

क्योंकि सरकार के लिए, दिल्ली/नई दिल्ली के पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे इसके कर्मचारियों के 60 प्रतिशत को रिहयशी वास उपलब्ध करना संभव नहीं हुआ है, सरकार सामान्य पूल से निगम/अर्ध-सरकारी संगठनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को वास उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती, और न ही वास को आगे के लिए रखने की अनुमति देना उचित समझा गया है, क्योंकि निगमों के पास अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी वास के निर्माण करने के लिए पर्याप्त समय है ।

प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों को मोटरकार तथा गृह-निर्माण के लिये अग्रिम राशि देने से इन्कार करना

5501. श्री कमलनाथन् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से केन्द्र में प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को गृह-निर्माण और मोटरकार इत्यादि के लिये अग्रिम राशि के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इन्कार कर देने पर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ख) राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकारों में स्थायी पदों पर नियुक्त हैं, केन्द्रीय सरकार के नियमों के अन्तर्गत गृह-निर्माण पेशगी पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि इन अधिकारियों पर उनकी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होते हैं । ये अधिकारी उन राज्य सरकारों को प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं और ऐसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं । लेकिल, भारतीय सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हों, केन्द्रीय सरकार के नियमों के अन्तर्गत गृह-निर्माण पेशगी प्राप्त करने के हकदार हैं ; इसमें शर्त यह है कि :

(i) केन्द्रीय सरकार में उनकी प्रतिनियुक्त स्थायी तौर पर हो, अथवा

(ii) वे 6 वर्षों से अथवा इससे अधिक समय से केन्द्रीय सरकार में निरन्तर प्रतिनियुक्ति पर रहे हों ।

जहाँ तक मोटरकार तथा अन्य प्रकार के वाहन खरीदने का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आये राज्य सरकारों के अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली, सम्बद्ध नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इस प्रकार की पेशगियाँ प्राप्त करने के हकदार होते हैं ।

50 लाख रुपये और इससे अधिक धन वाले व्यक्ति

5502. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष देश में 50 लाख रुपये और इससे अधिक धन वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ख) उक्त व्यक्तियों के कुल कितने धन पर धन-कर लगाया गया ; और

(ग) इस समय वे व्यक्ति कितनी राशि धन-कर के रूप में दे रहे है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ग) जिन धन-कर निर्धारितियों ने पेश की गई विवरणियों में अपना शुद्ध धन 50 लाख रुपये से अधिक दिखाया है अथवा जिनका कर-निर्धारण 50 लाख रुपये से अधिक के शुद्ध धन के आधार पर किया गया है , उनकी संख्या, ऐसे सभी व्यक्तियों का कुल-धन जो उन्होंने विवरणियों में भरा है अथवा जिनके आधार पर उनका कर-निर्धारण किया गया है तथा उनके द्वारा देय धन-कर की रकम नीचे दी गई है :—

वर्ष	50 लाख रुपये या इससे अधिक धन रखने वाले व्यक्तियों की संख्या	कुल धन	देय धन-कर की रकम
		(आँकड़े लाख रुपयों में)	
1965 66	86	11,241	199
1966-67	76	9,281	220
1967 68	67	8,530	176

राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के निक्षेप

5503. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर के निकट अरावली पर्वत में कैम्ब्रियन पहाड़ियों में फॉस्फेट के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) क्या राजस्थान में बिरमानिया, कोहरा और डावन कोटरा में राक फॉस्फेट भी पाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो फॉस्फेट के अनुमानतः कितने निक्षेपों का पता लगा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन निक्षेपों को निकालने का है ; और

(ङ) फॉस्फेट निक्षेपों के पाये जाने के परिणामस्वरूप फॉस्फेट का आयतन न करने से अनुमानतः कितनी धनराशि की बचत होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) हाँ। उदयपुर के निकट मातो, कानपुर, करवरिया का गुढ़ा, डाकन कोटडा, नीमच माता तथा झामरकोटड़ा स्थानों पर अरवली शैल-समूहों में केम्ब्रियन–पूर्व समय के राक फॉस्फेट के निक्षेपों का पता लगाया गया है।

(ख) हाँ।

(ग) अब तक किये गये समन्वेषण से लगभग 570 लाख मैट्रिक टन के अंतरिम अनुमानों के संकेत मिले हैं।

(घ) और (ङ) निक्षेपों की जाँच की जा रही है तथा जाँचों के पूरा हो जाने के उपरान्त निक्षेपों के उपयोग के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। फॉस्फेट के आयात में होने वाली बचतों के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

प्रतिजीवाणु कारखाना, ऋषिकेश को खराब उपकरणों की सप्लाई

5504. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इसी कम्पनी द्वारा ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु कारखाने की स्थापना के लिये सप्लाई किये गये कुछ उपकरण खराब पाये गये थे, और इसका पता वर्ष 1968 में उस कारखाने के चालू होने के बाद लगा;

(ख) यदि हाँ, तो खराब उपकरणों की कीमत कितनी थी; और

(ग) खराब उपकरणों को बदलवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) से (ग) उपकरण में कुछ अभावों का पता चला है। इनके सम्बन्ध में सहयोगी से बात-चीत की गई; कुछ मदों को बदल दिया गया है और कुछ का परिशोधन अधिकांशतः सहयोगी के व्यय पर किया गया है और शेष अभावों के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। बातचीत की समाप्ति पर ही इन उपकरणों के मूल्य का पता लगेगा।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

5506. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का विचार अपने-अपने कार्य-क्षेत्र तथा गतिविधियों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किरिबुर तथा बेलाडिला (निक्षेप संख्या 14) की वर्तमान लोह अयस्क खानों, पन्ना की हीरा खानों तथा कुद्रेमुख स्थान पर प्रायोगिक जाँच कार्यक्रम के अतिरिक्त निम्नलिखित नई प्रायोजनाओं/सम्भाव्यता अध्ययनों के कार्यों को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है :—

प्रायोजना/अध्ययन का नाम	प्रायोजना के विषय में अनुमानित पूँजीगत लागत
1- बेलाडिला लोह अयस्क खान (निक्षेप संख्या 5) का प्रति वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन पिंड अयस्क क्षमता के लिये विकास ।	38 करोड़ रुपये
2- मैसूर में दोनिमलाई लोह अयस्क खान का प्रति वर्ष 17.5 लाख मैट्रिक टन पिंड अयस्क तथा 17.5 लाख सूक्ष्मों के लिये विकास ।	21.50 करोड़ रुपये
3- किरिबुर लोह अयस्क खान का बोकारो इस्पात संयंत्र को अयस्क की सप्लाई के लिये विस्तार तथा परिवर्तन ।	1.80 करोड़ रुपये
4- बेलाडिला क्षेत्र में निक्षेप संख्या 4 पर आधारित एक बड़ी यन्त्रीकृत लोह अयस्क खान की स्थापना के लिये सम्भाव्यता अध्ययन ।	सम्भाव्यता अध्ययन
5- लोह आयस्क के पेलेटाइजेशन के विषय में तथा तत्पश्चात् पेलेटाइजेशन संयंत्रों की स्थापना के लिये सम्भाव्यता अध्ययन ।	सम्भाव्यता अध्ययन
6- बिहार में मलंगटोली स्थान पर लोह अयस्क खान के लिये सम्भाव्यता अध्ययन ।	सम्भाव्यता अध्ययन
7- रमनदुर्ग-कारवार समूह के लिये तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन ।	सम्भाव्यता अध्ययन
8- मझगावन हीरा खान से भूमिगत प्रतिचयन ।	सम्भाव्यता अध्ययन
9- आंध्र प्रदेश में हीरा निक्षेपों का मूल्यांकन ।	सम्भाव्यता अध्ययन
10-मंसूरी के राक फॉस्फेट निक्षेपों का सम्भाव्यता अध्ययन ।	सम्भाव्यता अध्ययन

11-राजस्थान में पन्ने की खान की स्थापना के लिये एक सम्भाव्यता अध्ययन ।	सम्भाव्यता अध्ययन
12-पन्ना क्षेत्र में संगुटिकाश्म हीरा निक्षेपों के लिये सम्भाव्यता अध्ययन ।	सम्भाव्यता अध्ययन

Irrigation and Power Scheme sent by U. P. and Madhya Pradesh

+
5507. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the name of such irrigation and power Schemes as were sent by Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during the last three Plan periods to the Central Zonal Council for their decision ;

(b) the names thereof and the decision on which has been taken :

(c) the nature of agreements reached between the two State Governments; and

(d) the steps proposed to be taken by the Central Government in case any of the State Governments implement these agreements ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) to (c) The under mentioned irrigation and power schemes were placed before the Central Zonal Council from time to time during the first three Plan periods :

(i) Supply of water to Madhya Pradesh area from the Bhander Canal system of Matatila Dam Project.

(ii) Extention of Irrigation from the Rangawan and Ken Canal System to areas in Madhya Pradesh.

(iii) Distribution of Electricity generated from the Rihand and Matatila Power Projects.

As regards (1) above, an agreement for the transfer of the construction of the remaining works of Bhander Canal to Madhya Pradesh Government and its maintenance and operation by them was arrived at during the discussion held on April 29, 1965, between the Chief Engineers of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and Member, Central Water and Power Commission for expeditious completion and utilisation of potential of Bhander Canal system. This agreement has already been ratified by both the Madhya Pradesh and Uttar Pradesh Governments. The financial implications of the proposals, drawn up in the form of an agreement in a meeting held between the Chief Engineers, Irrigation Departments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh on October 18, 1965, have not so far been ratified.

As regards (ii) above, the details rearding the sharing of the water and the cost were worked out in a meeting held on April 28th and 29th, 1965, under the aegis of the Central Water and Power Commission, in which the Chief Engineers of both the States also participated. The draft agreement based on the recommendatious of the aforesaid meeting has not so far been ratified.

As regards (iii) above, agreement for supply of electriciity to Madhya Pradesh from both the Projects has been reached between the Government of Uttar Pradesh and the Madhya Pradesh Government. According to the agreement, for Rihand

Dam Power, 15 of the electricity generated from the Rihand Dam will be supplied to Madhya Pradesh Govenment at the rate of 3.5 paise per kwh and other expenditure incurred in this connection will also be realised from Madhya Pradesh Government. Similarly, it has been decided that one-third of the electricity generated from the Matatila Dam will be supplied to Madhya Pradesh at the rate of 5.8 paise per kwh.

(d) The Ministry of Irrigation and Power and the Central Water and Power Commission are pursuing the matter with the State Governments to see that the agreements reached are implemented expeditiously.

आयल इंडिया लिमिटेड का उर्वरक कारखाने का प्रस्ताव

5508. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयल इंडिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में अर्जित की गई भूमि

5509. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इण्डिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम में अब तक अलग-अलग कुल कितनी भूमि अर्जित की है ;

(ख) प्रतिकर के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ग) आयल इंडिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम में कुएँ खोदने के लिये कुल कितनी भूमि अर्जित करके बाद में मालिकों को वापस कर दी; और

(घ) इस प्रकार अर्जित भूमि के लिये किस आधार पर प्रतिकर दिया गया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम में अब तक कुल क्रमशः 2126.215 एकड़ तथा 3,760 बीघे भूमि अर्जित की है।

(ख) आयल इंडिया लि० तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रतिकर के रूप में क्रमशः 1,95,81,302 रुपये और 95,43,587 रुपये का भुगतान किया है।

(ग) आयल इंडिया लि० तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में कुएँ खोदने के लिये अर्जित तथा मालिकों को वापस की गई भूमि क्रमशः 43,666 एकड़ और 168 बीघे थी।

(घ) प्रतिकर का भुगतान स्थानीय कलक्टर के मूल्यांकन के आधार पर *किया* जाता है।

आयल इंडिया का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ विलय

5510. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के बर्मा आयल कम्पनी के साथ आयल इंडिया लिमिटेड के बारे में किये गये समझौते की अवधि कब समाप्त होगी;

(ख) क्या यह सच है कि समझौते की शर्तें बर्मा आयल कम्पनी के लिये लाभदायक हैं और इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को अपने हिस्से के लाभ से अधिक लाभ मिल रहा है ; और

(ग) क्या आयल इंडिया लिमिटेड को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ मिला देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के मध्य समझौता, जिसके अन्तर्गत आयल इंडिया लिमिटेड बनाई गई थी, एक व्यापारिक किस्म की साझेदारी है और इसलिये समझौते की अवधि निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

बरौनी तेल-शोधक कारखाने के रसायन इंजीनियर प्रशिक्षुओं द्वारा ज्ञापन

5511. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल-शोधक कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रसायन इंजीनियर प्रशिक्षुओं ने हाल में सरकार को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन में किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) जी हाँ।

(ख) उनका मुख्य प्रश्न इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (शोधनशाला प्रभाग) में इंजीनियर प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए है।

(ग) प्रार्थी इंडियन आयल कारपोरेशन (शोधनशाला प्रभाग) द्वारा पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं।

नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू के संसद् सदस्यों के फ्लैटों में शीशा लगाने के लिये आवेदन-पत्र

5512. श्री स० कुन्दू : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के फ्लैटों के सामने वाले बरामदों में शीशा लगाने के लिये आये आवेदन-पत्र बहुत समय से विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे लम्बित पड़े आवेदन-पत्र कितने हैं; जिनमें शीशा लगाने का अनुरोध किया गया है किन्तु शीशा नहीं लगाया गया, और कितने फ्लैटों में शीशा लगाने का कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) प्राप्त हुए 92 आवेदनों में से 63 फ्लैटों की ग्लेजिंग पूरी हो गई है तथा 3 फ्लैटों में कार्य चल रहा है। 26 फ्लैटों में अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ग) इन 26 फ्लैटों की ग्लेजिंग का प्लान अभी तक नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ है।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका की स्वीकृति शीघ्रतः प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

People without Houses in the Country

5513. **Shri Kedar Paswan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons in the country who are without any housing accommodation;

(b) whether Government have drawn up any scheme on all-India basis to provide accommodation to the houseless;

(c) if so, the features of such schemes ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) According to the 1961-Census, the total houseless population in India (excluding institutional population) was 12,65,213. The present figure may be much higher. As regards sub-standard housing accommodation, a recent estimate indicates that about 837 lakh families (including those living in kutcha houses which require to be substantially improved or totally replaced) are without proper housing accommodation.

(b) In order to help in the amelioration of the housing conditions of people in the low and middle income groups (more particularly the former), the Government of India have introduced the following housing schemes, which have been in operation on all-India basis, from the year noted against each—

(i) The Intergated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of the Community 1952
(ii) The Low Income Group Housing Scheme 1954
(iii) The Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers 1956
(iv) The Slum Clearance and Improvement Scheme 1956
(v) The Village Housing Projects Scheme 1957
(vi) The Middle Income Group Housing Scheme 1959
(vii) The Land Acquisition and Development Scheme 1959
(viii) The Rental Housing Scheme for State Government Employees 1959

(c) The salient features of these schemes are available in the Annual Report of the earstwhile Ministry of Works, Housing and Supply for the year 1967-68.

(d) Does not arise.

इंडिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, हास्पेट

5514. श्री स० अ० अगड़ी : क्या वित्त मन्त्री 27 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, हास्पेट, बेल्लारी जिला, मैसूर राज्य के बारे में जाँच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली के सेक्टर 12 में सड़कों पर बिजली की व्यवस्था

5515. श्री प० मु० सईद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 12 में सड़कों पर अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण वहाँ के निवासियों को बहुत कठिनाई हो रही है हालांकि वहाँ पर अभी आवश्यक फिटिंग बहुत पहले पूरी की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और सड़कों पर कब तक बिजली की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने जून, 1968 में, कालोनी के विद्युतीकरण के लिए वांछित राशि, जिसमें सड़कों की रोशनी शामिल है, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग के पास जमा करा दी है । उपक्रम ने सड़कों की रोशनी का काम पूरा कर लिया है, परन्तु सड़कों की रोशनी चालू नहीं की है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम से विद्युत्-शक्ति के प्रभारों की अदायगी के बारे में समझौते को अन्तिम रूप दिया जाना शेष है । दिल्ली नगर निगम से मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया जा रहा है ।

दिल्ली में रोगाणुरोधक पदार्थों (एन्टीसेप्टिक्स) की चोरबाजारी

5516. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : श्री मुहम्मद शरीफ :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रोगाणुरोधक औषधियों की बहुत कमी है और उनकी चोरबाजारी हो रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इनको बाजार में उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में चोरबाजारी करने वाले कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नागरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क) रोगाणुरोधक की केवल एक ब्रान्ड नामतः 'डेटोल' की कमी हो रही है, किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इसकी चोरबाजारी की जा रही है।

(ख) इसकी निर्माता कम्पनी ने बतलाया है कि 1967-68 में उन्होंने अपने निर्यात में वृद्धि कर दी थी, किन्तु श्रमिक कठिनाइयों के कारण इसका उत्पादन माँग के अनुकूल नहीं हो पाया।

(ग) इस औषधि के निर्माता को अनुदेश दिया गया है कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए सप्लाई-मात्रा में वृद्धि करे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में दूसरा तेल-शोधक कारखाना

5517. श्री शिवचन्द्र झा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के लोगों ने राज्य में एक और तेल-शोधक कारखाना स्थापित किये जाने की माँग की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Provision of Electricity in Servants Quarters at Tilak Marg and Wellesley Road, Etc., New Delhi

5518. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Servants Quarters attached to the Government Bungalows located on Tilak Marg, New Delhi, have not be provided with electricity ;

(b) whether it is also a fact that similar is the position in regard to other quarters located on Wellesley Road, New Delhi ;

(c) whether it is further a fact that most of these quarters are already fitted with electric wires ;

(d) the reasons for not providing electric connections to these quarters ;

(e) whether Government propose to provide electric connections on applications being made by those who are residing in these servants quarters or by those who are the allottees of Bungalows ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (**Shri B. S. Murthy**) :

(a) Yes, Sir.

(b) Most of the servants quarters in Wellesley Road, are not electrified.

(c) Excepting 14 residences in Tilak Marg, the servants quarters are not fitted with electric wires

(d) and (c) A decision in principle to provide electric connections in all servants quarters has been taken by Government. As the expenditure involved is substantial, the work will be undertaken in phases according to availability of funds. The estimate for Phase I is under preparation.

(f) Does not arise.

पैट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री–कर

5519. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गुजरात सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय बिक्री-कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में राज्य को भी हिस्सा देने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि समूचे देश में पैट्रोलियम उत्पादों की दरें समान होनी चाहिए; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य–मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) संविधान के अनुच्छेद 269(1) (जी) के अन्तर्गत, किसी विशेष राज्य में अन्तर्राज्य बिक्रियों पर लगाये गये केन्द्रीय बिक्री-कर की सकल धनराशि उसी सम्बद्ध राज्य को सौंपी जाती है । अतः इन राजस्वों के केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच हिस्सा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) इस सम्बन्ध में एक अप्रत्यक्ष सुझाव दिया गया है।

(ग) देश में पैट्रोलियम पदार्थों के एक-रूप मूल्यों को लागू करने की व्यवहारिकता, जून, 1968 में सरकार द्वारा स्थापित तेल-मूल्य समिति के विषयों में से एक है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति

5520. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरिंग राजपत्रित संस्थापना (सिविल), 1968 श्रेणी 2 की वर्गीकृत सूची में से क्रम संख्या 695 से 731 के 38 सहायक एंजीनियरों को प्रतियोगात्मक परीक्षा के बिना ही, जो सिविल इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी 2 के भर्ती सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत आवश्यक है, बाहर से नियुक्त कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन नियुक्तियों के और इनके फलस्वरूप पदोन्नत किये गये विभागीय व्यक्तियों को पदावनत किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति):

(क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती हुए इंजीनियर, माँग की सीमा तक उपलब्ध नहीं हुए। अतएव सीधी भर्ती के लिए निर्धारित संख्या (कोटा) में कमी हो गई है। अतएव आयोग ने भर्ती नियमों में ढील दे कर साक्षात्कार (इन्टरव्यू) करने के बाद खुले बाजार से अभ्यार्थियों (कैन्डीटेट्स) का चुनाव किया तथा सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति में संतुलन बनाने के लिए उन्हें केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा द्वितीय श्रेणी (अस्थाई) में नियुक्ति के लिए नामित किया।

इन तदर्थ नियुक्तियों के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नतिकारियों का परावर्तन नहीं किया गया।

सहायक इंजीनियरों के रूप में नियुक्ति/पदोन्नति

5521. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1966 से वर्ष-वार भर्ती के प्रत्येक साधन द्वारा कितने अधिकारियों को सहायक इंजीनियरों के रूप में नियुक्त/पदोन्नत किया गया है ;

(एक) भर्ती नियमों के भाग 3 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कितने अधिकारियों को भर्ती किया गया है ;

(दो) भर्ती नियमों के भाग 4 के अन्तर्गत अस्थायी अनुभाग (सैक्शनल) अधिकारियों में से इस पद के लिये कितने अधिकारियों का चयन किया गया ;

(तीन) भर्ती नियमों के भाग 5 के अन्तर्गत स्थायी अनुभाग अधिकारियों में से कितने अधिकारियों को इस पद पर पदोन्नत किया गया ; और

(चार) भर्ती नियम के भाग 6 के अन्तर्गत अधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा कितने अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त/पदोन्नत किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

सूचना निम्नांकित है :—

	1966	1967	1968	1969
(i)	24	89	58	3
(ii)	51	34	8	1
(iii)	52	43	21	–
(iv)	–	–	–	–

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के हिमाचल प्रदेश को दिये गये कर्मचारी

5522. श्री हेमराज : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1494 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब बिजली बोर्ड के हिमाचल प्रदेश बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं और विद्युत परियोजना विभाग को दिये गये कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के एकीकरण के मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

आयकार वापसी के मामलों में ब्याज का भुगतान

5524. डा० कर्णी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर अधिकारियों को इस आशय के निदेश दिये गये हैं कि उन मामलों में अस्थायी रूप से राशि वापस कर दी जाए जिनमें कर-दाताओं द्वारा आय के विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद छः महीनों तक नियमित कर-निर्धारण नहीं किया जाता;

(ख) यदि हाँ, तो आय-कर अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इन निदेशों का पालन किया जा रहा है, अथवा नहीं ; क्या यह पता लगाने के लिये सरकार ने इस बीच कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) क्या सरकार करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई ऐसा उपाय करने का विचार कर रही है, जिससे उन कर-दाताओं को ब्याज भी मिले जिन्हें आय-कर अधिकारियों ने वापस की जाने वाली सभी प्रकार की राशियों का छः महीने तक भुगतान नहीं किया ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ। इसका आशय वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा लागू की गई आय-कर अधिनियम की धारा 141-क के उपबन्ध का कार्यान्वयन करना था, जिसमें अग्रिम-कर अथवा स्रोत पर काटे गये कर की वापसी के लिये आनन्तिम कर-निर्धारण करने का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) जी, नहीं । ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है, जहाँ आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ हो ।

(ग) जिन मामलों में वापसी देने में, वापसी-आवेदन-पत्र पेश करने, अथवा वापसी दिलाने वाले अपीलीय आदेश जारी किये जाने की तारीख के छः महीने की अवधि से अधिक विलम्ब हो जाता है, उनमें ब्याज की अदायगी करने की व्यवस्था आयकर-अधिनियम में पहले से ही मौजूद है । नियमित कर-निर्धारणों के आधार पर देय वापसियों की यदि तीन महीनों की अवधि के अन्दर मंजूरी नहीं दी जाती तो उन पर भी ब्याज अदा करना होता है । वापसियाँ तत्काल मन्जूर की जाती हैं तथा जहाँ देय हो उन पर ब्याज की अदायगी की जाती है, इसका इतमीनान करने के लिये समय-समय पर विभागीय आदेश जारी किये गये हैं ।

राजस्थान नहर

5525. **डा० कर्णी सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1968 तक राजस्थान नहर कितनी तैयार हो गई थी;

(ख) फरवरी, 1969 तक इसमें कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उठाऊ नहर (लिफ्ट चैनल) के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) मार्च, 1968 तक, 134 मील लम्बी राजस्थान फीडर और राजस्थान मुख्य नहर के पहले 48.6 मील पूर्ण हो चुके थे । मुख्य नहर के 48.6 वें मील से 82वें मील तक कार्य प्रगति करता रहा ।

(ख) फरवरी, 1969 तक राजस्थान मुख्य नहर 53वें मील तक पूर्ण हो गई थी और इस समय 53वें मील से 103वें मील तक कार्य प्रगति कर रहा है ।

(ग) नाली के पहले 2 मीलों में कार्य हो रहा है जहाँ वर्ष के दौरान एक करोड़ घनफुट से भी अधिक मिट्टी का काम किया गया है ।

अलौह धातुओं का सर्वेक्षण

5526. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में अलौह धातुओं की कमी के कारण अनेक उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इससे देश को निर्यात पर अधिक

व्यय करना पड़ रहा है, सरकार ने अलौह धातुओं की खोज के लिए प्राथमिकता के आधार पर भू-सर्वेक्षण कार्य तेज करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) और (ख) 1967 में अलौह धातुओं के समन्वेषण के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया था और उपलब्ध संसाधनों के साथ उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। 1968-69 के लिये क्षेत्रीय मौसम कार्यक्रम के दौरान, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा देश भर में लगभग 80 पूर्वेक्षण स्थलों का अन्वेषण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत लगभग 58,000 मीटर का व्यधन तथा 1,100 मीटर का समन्वेषी खनन किया जाना है।

अगले पाँच वर्षों के दौरान, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 380,000 मीटरों का व्यधन तथा 50,850 मीटर समन्वेषी खनन किया जाना प्रस्तावित है।

इनके अतिरिक्त, आधार धातु निक्षेपों की खोज के लिये "आपरेशन हार्ड राक" प्रायोजना के अधीन राजस्थान में अरावली प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पूर्वी कडप्पा बेसिन में तथा बिहार-बंगलौर के भागों में 91,400 किलोमीटर क्षेत्र में हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण किया गया है। बहुत बड़ी सख्या में "असंगतियाँ" प्रकट की गई हैं। आशाजनक असंगतियों में से कुछ की भूमि अनु-परीक्षण कार्य द्वारा चाँज की जा रही है।

देश में आधार धातुओं की खोज में गति बढ़ाने के विचार से कुछ अन्य क्षेत्रों में हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण करने तथा भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के अधीन एक हवाई भूभौतिक एकक स्थापित करने विषयक प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

"Gandhi Balidan Sthal," New Delhi

5527. : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the place where Gandhiji was assassinated in Birla House has been named by the New Delhi Municipal Committee as "Gandhi Balidan Sthal";

(b) whether there is a proposal to formulate a scheme to acquire the park and road behind the "Gandhi Balidan Sthal" and the Kothis at Tughlak Road behind it so that a grand memorial could be set up in the memory of the Father of the Nation covering the area from the room where Gandhiji was assassinated upto Tughlak Road ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The entire question is under consideration.

Shifting of Industrial Mills Outside Delhi

5528. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4128 on the 24th March, 1969 and state :

(a) the number of big industrial mills like Birla Mills in Delhi area to which Government propose to provide land at cheap rates in the industrial area outside Delhi;

(b) the date from which the period of moratorium of 20 years commences after which industrial establishments like Birla Mills are to be shifted to the industrial sector of the city as provided in the Master Plan for Delhi.

(c) whether it is a fact that people had been demanding shifting of such mills from densely populated areas due to health hazards caused by the smoke emitting from them right since the attainment of Independence ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Shifting of all non-conforming industries includes a programme of providing land, at pre-determined rates, to big industrial units of Delhi, outside the urbanisable limits. Some of them may be accommodated at Narela.

(b) 1st September, 1962.

(c) and (d) From time to time there have been press reports about the harmful effects of the persence of factories in the congested and central parts of Delhi. The Government is taking care of this problem by implementing the recommendations in the Master Plan for Delhi in this behalf, which envisages location of industries in organised and regulated industrial areas.

"Gandhi Balidan Sthal," New Delhi

5529. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether his Ministry are formulating any scheme under which the maintenance of the "Gandhi Balidan Sthal" would be looked after by them.

(b) whether Government propose to construct a building in which a National Integrity Museum of all dignitaries who laid their lives for the national integrity, of all the big Saints, Indian ex-rulers and active volunteers who worked hard for the national integrity would be set up; and

(c) if so, the nature of the proposals ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a), (b) and (c) The entire question is under consideration.

Family Planning Campaign

5530. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that family planning campaign is not making much headway as women nurses (Samaj Sewikas) posted to a particular region do not know the language of that region ;

(b) if so, whether Government propose to post such Sevikas who are coversant with the language of the regions ;

(c) whether it is also a fact that Gram Sewikas are not able to work properly in villages because public opinion is not aroused therefor; and

(d) if so, the measures taken to arouse awareness among the people in this regard ?

The Minister of Saate in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) and (b) Under the Family Planning Programme Auxiliary Nurse Mid-wives (not Samaj Sewikas) are appointed. They are usually local girls trained within the same region, as far as practicable. The language difficulty would not, therefore, normally arise in their case.

(c) and (d) Gram Sewikas are employees of the Community Development Organisation. They are, however, being involved for motivational and educational work under the Family Planning programme during their normal course of duties. Public opinion and awareness are being created throughout the country through intensive mass communication methods which include use of film shows, group discussions, mass meetings, use of traditional methods like puppet shows, Bhajans, Kirtans, radio etc.

बोराक परियोजना

5531. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1669 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और मनीपुर की सरकारों ने बोराक परियोजना से प्रभावित होने वाले जिरियूम के लोगों के पुनर्वास के बारे में इस बीच विचार-विमर्श कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रश्न पर निकट भविष्य में विचार करने का है, ताकि बोराक परियोजना का काम शीघ्रता से पूरा किया जा सके ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, अभी नहीं ।

(ख) असम सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

मैसर्स नरूला, फाइनेंस कम्पनी, दिल्ली

5532. श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मैसर्स नरूला फाइनेंस कम्पनी दिल्ली के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत मिली है, जिसमें इस कम्पनी द्वारा अनुचित तरीके अपना कर आय-कर का अपवंचन किये जाने और सरकार को धोखा दिये जाने के मामलों के सम्बन्ध में प्रमाण दिये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस कम्पनी द्वारा किये गये कदाचारों का पता लगाया है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) कम्पनी द्वारा कर-अपवंचन किये जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) शिकायतों की जाँच-पड़ताल जारी है । स्थिति में, ब्यौरे देना उचित जांच-पड़ताल के हित में संभव नहीं है ।

(ग) देरी का कारण यह है कि कम्पनी परिसमाप्त हो गयी है तथा उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कम्पनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 4187 दिनांक 24 मार्च, 1969 के उत्तर में शुद्धि

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): लोक सभा में 24 मार्च, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4187 के भाग (क) के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि "चोरी से बचाने के लिए पंखा आदि मँहगे सामान (फिटिंग) को सदैव की तरह दखल लेने के बाद लगाया जाता है ।' और अधिक जाँच-पड़ताल करने पर यह पता चला है कि सैक्टर XII में 400 चार-मंजिले क्वार्टरों में से लगभग 350 क्वार्टरों में सामान (फिटिंग) लगा दिया था । शेष क्वार्टरों में पंखे तथा कुछ सामान (फिटिंग) जैसे लैम्प शेड तथा ब्रेकेट नहीं लगाये जा सके क्योंकि इनमें से लगभग 20 क्वार्टरों के अवंटियों ने बिजली का सामान लगाने के लिए क्वार्टर नहीं दिये । आशा की जाती है कि शेष क्वार्टरों में 31 मार्च, 1969 तक पंखे तथा फिटिंग्स लगा दिया जायेगा । अतएव लोक सभा में 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4187 के उत्तर के भाग (क) की कृपया निम्नांकित रूप में पढ़ें :-

(क) जी नहीं । रामकृष्णपुरम के सेक्टर XII में 400 चार-मंजिले क्वार्टरों को पानी तथा बिजली मिलने के बाद आवंटित किया गया था । सदैव की भांति पंखे आदि की तरह का महँगा सामान (फिटिंग्स) लगभग 350 क्वार्टरों में चोरी से बचाने के लिए दखल के बाद लगा दिया गया था । लगभग 50 क्वार्टरों में पंखे तथा कुछ सामान (फिटिंग्स) जैसे कि लैम्प शेड तथा ब्रेकेट नहीं लगाये जा सके क्योंकि लगभग 20 क्वार्टरों के आवंटियों ने बिजली का सामान लगाने के लिए क्वार्टर नहीं दिये । शेष क्वार्टरों (संख्या लगभग 30) में 31 मार्च 1969 तक पंखे तथा अन्य सामान (फिटिंग्स) लगाये जाने की संभावना है ।

पूर्व उत्तर में तथ्यों में थोड़ी सी त्रुटि आ जाने का मुझे खेद है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एक पत्रिका में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना का समाचार

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"जाधवपुर विश्वविद्यालय से प्रकाशित पत्रिका में अनुपम मुखोपाध्याय तथा समिन घोष द्वारा महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपमानजनक आलोचना।"

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या हम संसद् में यह देखने के लिये आये हैं कि किस विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है तथा कौन-सा व्यक्ति क्या कर रहा है ? सारा संसार जानता है कि मैं इन लोगों की तुलना में महात्मा गांधी का बहुत आदर करता हूँ, परन्तु यह दूसरी बात है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यदि हम इस प्रकार की बातों पर संसद् में चर्चा करने लग गये तो फिर कैसे काम चलेगा ?

उपाध्क्ष महोदय : हम प्रायः विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को मानते हैं परन्तु इस सूचना से मुझे ऐसा लगता है कि पत्रिका में कोई विशेष चीज छपी है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह विश्वविद्यालय की पत्रिका नहीं है। ये लोग जाधवपुर विश्वविद्यालय को हानि पहुँचाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी पत्रिका में कोई चीज प्रकाशित हो जाती है तथा सभा का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जाता है तो मेरे लिये उसकी बिल्कुल परवाह न करना कठिन है। मैं विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। परन्तु इस मामले में पत्रिका में कुछ विशेष चीजें प्रकाशित हुई।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Sir, in case anything is said or published against the big leaders of the country is it not the duty of the Home Minister to take action against the persons concerned, and is it not the right of the Members to give Calling Attention Notice and draw the attention of the Government to that effect ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि हमें चर्चा करने का पूरा अधिकार है।

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं इस ध्यान दिलाने वाली सूचना का इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि उस संस्था की स्थापना श्री आरोबिन्दो जी ने की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें। यह प्रश्न जाधवपुर विश्वविद्यालय का नहीं है। अब माननीय मन्त्री अपना वक्तव्य दें।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जाधवपुर विश्वविद्यालय के तकनीकी तथा कला विभाग की छात्र संसद् की सांस्कृतिक उप-समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक सप्ताह के अवसर पर प्रकाशित पत्रिका में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इस प्रकार की निन्दात्मक टिप्पणी की गई है।

विश्वविद्यालय के उप–कुलपति ने यह लिखा है कि यह पत्रिका इंजीनियरिंग तथा कला छात्र संघ की सांस्कृतिक उप-समिति की ओर से उस संघ द्वारा आयोजित चलचित्र समारोह के सम्बन्ध में कुछ छात्रों द्वारा प्रकाशित की गई थी। पत्रिका में प्रकाशित निन्दात्मक टिप्पणी इस फिल्म के निदेशक द्वारा छात्रों की प्रार्थना पर की गई। टिप्पणियों का एक भाग बाद में पत्रिका में शामिल कर लिया गया था।

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) वे टिप्पणियां क्या हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जब तक उपाध्यक्ष मुझे आदेश न दें मैं उन्हें बताना नहीं चाहता।

उस पत्रिका को उप-समिति के सभापति की स्वीकृति के लिये भेजा जाना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा यह पत्रिका विश्वविद्यालय के मुद्रणालय में प्रकाशित नहीं हुई थी। यह पत्रिका बहुत कम बँटी थी जिस कारण विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ध्यान में यह बात नहीं आई। उस पत्रिका की अध्यापक परिषद्, विज्ञान छात्र संघ तथा अधिकांश छात्रों द्वारा निन्दा की गई है। सांस्कृति उप-समिति के सभापति ने संबंधित छात्रों को ताड़ना भी दी है तथा उसे सारे मामले का पता करके आवश्यक कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये भी कहा गया है।

मेरा आगे निवेदन है कि उप-कुलपति ने इस दुखद घटना के लिये खेद प्रकट किया है। मुझे आशा है कि सभा इस घटना की निन्दा करेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Unless and until we are told what those remarks were how can we say anything about them ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन शब्दों का उल्लेख करना उचित नहीं है।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Either the hon. Minister should tell us what those remarks were or a copy of that pamphlet may he kept in the library for the information of the Members.

उपाध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी दोबारा कहे जाने लायक नहीं है। अतः उसे पुस्तकालय में रख दिया जायेगा। जो सदस्य उसे पढ़ना चाहते हैं वे वहाँ जा कर पढ़ सकते हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : मैंने माननीय मंत्री का वक्तव्य सुन लिया है तथा यह जानना चाहती हूँ कि क्या 25 तारीख को जब इस मामले को विधान सभा में उठाया गया था तो मुख्य मन्त्री ने खेद प्रकट किया था तथा क्या साम्यवादी दल ने और सभी विरोधी दलों ने कभी खेद प्रकट किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्रीमती इला पालचौधरी : दूसरे, मैं यह कहना चाहती हूँ कि उप-कुलपति को खेद प्रकट करना चाहिये जो बाद में समाचार-पत्रों में छापा जाये। तीसरे, सभा को इस कार्यवाही की निन्दा करनी चाहिये। चौथे, विश्वविद्यालय से यह पूछा जाये कि यह सांस्कृतिक समारोह कैसा था जिसमें देश के नेताओं के बारे में ऐसी टिप्पणी की गई। पाँचवे, कानूनी कार्यवाही के अलावा इस बारे में भी जाँच की जानी चाहिये कि छात्रों की ऐसी प्रवृति किस बल के कारण बनी है। छठे, सभा ने जो निन्दा की है उससे जाधवपुर विश्वविद्यालय को अवगत किया जाना चाहिये।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता कि क्या इस मामले को पश्चिम बंगाल विधान सभा में उठाया गया था अथवा नहीं तथा मुख्य मंत्री की प्रतिक्रिया क्या थी ? यदि वह इसकी पूर्व सूचना दें तो मैं जानकारी एकत्र कर सकता हूँ।

जहाँ तक छात्रों की कार्यवाही का सम्बन्ध है, कला तथा तकनीकी के छात्रों की उप-समिति एक सांस्कृतिक समारोह कर रही थी जिसमें फिल्म समारोह भी हुआ। वे हृतविक घटक नामक व्यक्ति की अनेक फिल्में दिखा रहे थे। परन्तु पश्चिम बंगाल के एक फिल्म निदेशक ने कुछ टिप्पणी की जो बहुत निन्दात्मक थी तथा जिसे यहाँ दोबारा नहीं कहा जा सकता। इस टिप्पणी को सभा के सभापति को दिखाये बिना पत्रिका में छाप दिया गया।

श्री समर गुह : यह एक अनाधिकृत पत्रिका थी।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहाँ तक केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा इस मामले की जाँच कराये जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है माननीय सदस्य इसे गृह-कार्य मन्त्री से पूछें तो अच्छा है क्योंकि यह उनका विषय है।

एक प्रश्न अनुशासी कार्यवाही के बारे में भी पूछा गया था। सांस्कृतिक उप-समिति को इस मामले को जाधवपुर विश्वविद्यालय की अनुशासी उप-समिति को सौंपने के लिये कह दिया गया है।

प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या यह सभी छात्रों की प्रवृत्ति थी ? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अधिकांश छात्र महात्मा गांधी का आदर करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तथा देश के सभी नवयुवक उनका दिल से सम्मान और आदर करते हैं।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में—(प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE—(QUERY)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Calling attention Notice has been admitted regarding the strike of doctors going on these days. I submit that a discussion on that should be held because it is a serious matter.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आज सूचना मिली थी तथा उस ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार किया जा रहा है। उसे मैं कल के लिये स्वीकार कर लूंगा तथा संसद्-कार्य मन्त्री से कहूँगा कि वह सभा स्थगित होने से पहले हमें शाम तक की जानकारी दे दें।

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा को स्थगित किया जाना चाहिये क्योंकि............

उपाध्यक्ष महोदय : हम क्रमवार चलेंगे। यदि आपका इस विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है तो ठीक है अन्यथा मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा।

श्री स० मो० बनर्जी : आप इस प्रश्न को 2 बजे क्यों उठाना चाहते हैं ? मैं इसे अब उठाना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है । अब श्री मधु लिमये अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और कोई नहीं ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur): Sir, I rise to a point of order. A demonstration was staged in U. K. yesterday. Atrocities are being committed there on Sikhs.

उपाध्यक्ष महोदय : कोई चीज कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी ।

(अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी अपना स्थान ग्रहण कर लें । आप हर रोज नियम 340 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं । अब सभा स्थगित होती है और 2 बजे पुनः समवेत होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch Till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 2 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Two Minutes Past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक व्यैक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ । मध्याह्न भोजन से पहले जब आप पीठासीन हुये थे तो आप समझ रहे थे कि मैं असंगत प्रश्न पूछ रहा हूँ । मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं केवल अंग्रेजों द्वारा सिखों का जो अपमान हो रहा है उसका उल्लेख कर रहा था । उनका अपमान राष्ट्र का अपमान है । इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि आप ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लें ताकि हम माननीय मंत्री के विचार सुन सकें ।

Shri Rabi Ray (Puri) : It is a question of national honour. It is, therefore, requested that a Calling Attention Notice should be accepted so that discussion might take place on that.

Shri George Fernandes (Bombay South) : The Prime Minister is requested to convey our feelings to the Britishers.

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें। जब अनुदानों पर चर्चा हो रही है तथा जब अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान प्रश्न उठाया गया है तथा उस पर चर्चा हो जाये तो हम प्रायः दूसरा प्रस्ताव स्वाकार नहीं करते हैं। यदि आप उसे अनुदानों पर वाद-विवाद के दौरान नहीं उठाना चाहते तो हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : कार्य-मंत्रणा समिति की आज 4 बजे बैठक हो रही है जहां इस मामले पर विचार किया जा सकता है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I had given a Calling Attention Notice which has becn rejected. I had also given a notice for discussion under rule 193 and that too has been rejected. A very serious thing has happened today. Shri Karpatri has supported the statement given by Shankaracharya on untouchability and that has infringed the provisions of the Constitution. Hence my submission is that some debate should be held on this subject. The Prime Minister is also present there. I would urge the Government that they should take stern action against those who give such statements which weaken the country and infringe the provisions of the Constitution.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने समाचार-पत्रों में पढ़ ही लिया होगा कि कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है कि सभा का और समय न लिया जाये।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST ANDHRA PRADESH CHIEF MINISTER

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want leave of the House under Rule 225.

श्री क० नारायण राव (लोब्विली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न को एक बार कार्य सूची में ले लिये जाने पर मैं उस पर अपना निर्णय नहीं दे सकता।

श्री क० नारायण राव : हम भी कार्य-सूची के अनुसार ही चलते हैं। उस आधार पर हम भी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। मेरा विचार यह है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव नियमबाह्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने पहले कहा है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री क० नारायण राव : यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अनुमति दिये जाने के बाद आपको अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जा सकती है, उसके पहले नहीं।

Shri Madhu Limaye : I beg leave of the House to move a motion under Rule 225. In case Government is opposing it then voting can be taken and if 25 Members stand in favour then the discussion should be started.

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : यदि आपने यह निश्चय किया है कि चर्चा अवश्य होनी चाहिये तो इसमें आपका कोई प्रयोजन नहीं है।

Shri Madhu Limaye : They can say either yes or no and nothing else.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह इसे स्वीकार कर रही है अथवा नहीं ?

श्री गोविन्द मेनन : हम इसका विरोध करते हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति भी नहीं माँग सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ एक बार प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर और कार्य-सूची में रखे जाने पर मैं इस अवस्था में उस पर कुछ विचार नहीं कर सकता।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : प्रस्ताव स्वीकार करने के लिये भी तो कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, मैं यह देखता हूँ कि क्या 25 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते भी है या नहीं ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं इस बात से सहमत हूँ परन्तु श्री मधु लियमे ने नियम 225 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकार्य किये जाने की शर्तों को भी तो पूरा नहीं किया है। उन्होंने कोई छोटा-सा भी वक्तव्य तो नहीं दिया है अतः मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सन्देह है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका विशेषाधिकार प्रस्ताव ही एक छोटा-सा वक्तव्य है। अतः यह अच्छी बात है कि उन्होंने सभा का समय बचाया है।

अब जो सदस्य उनके प्रस्ताव कर समर्थन करते हैं वे अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। चूँकि 25 से अधिक सदस्य खड़े हो गये हैं इसलिए अनुमति दी जाती है।

Shri Madhu Limaye : With your permission, Sir, I beg to move that the statement given by the Chief Minister of Andhra Pradesh at the Palam Airport of Delhi is a breach of privilege of the House and this matter should be referred to the Committee of Privileges. Now if anybody wants he can raise a point of order.

श्री क० नारायण राव : मतदान से पहले हमें यह देखना है कि क्या प्रस्ताव नियमानुकूल भी है अथवा नहीं। नियम 222के अनुसार प्रस्ताव में यह बताया जाना चाहिये कि विशेषाधिकार का उल्लंघन सदस्य सभा अथवा समिति के सम्बन्ध में है। इस मामले में इस स्पष्टीकरण का बहुत महत्व है। श्री मधु लिमये ने आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध, उनके इस आशय के कथित वक्तव्य के लिये कि तेलंगाना की स्थिति का अध्ययन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति से उस राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप होगा, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। जहाँ तक आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री का सम्बन्ध है उन्होंने पहले ही कहा है कि सदस्यों को राज्य

में जा कर वहाँ की स्थिति के बारे में अनुमान लगाने का पहले ही अधिकार है। जहाँ तक विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है वह तो कानूनी तौर पर सदस्यों और सभा के विशेषाधिकारों तक ही सीमित है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस समय नियमबाह्य बात कर रहे हैं। अतः आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री क० नारायण राव : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री क० नारायण राव :* *

श्री शिव नारायण (वस्ती)* *

श्री वी० कृष्ण मूर्ति (कड्डलूरी) : * *

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ प्रक्रिया की अनियमितताओं के बारे में कुछ कहने का यह अवसर नहीं है क्योंकि कार्य-सूची में आने के बाद मैं उस पर विचार नहीं कर सकता। एक बात मैं आप सब को बता देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री ने वक्तव्य दे कर इस सभा का अपमान किया है तथा सभा ने उनकी स्थिति को नहीं समझा है।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : The other day when the hon. Speaker was in the Chair he had said that the Prime Minister is collecting the information and will inform it to the House. May I know when she is giving this information to the House ?

Shri Madhu Limaye : I want to draw the attention of the House to the fact that the situation in Telangana is becoming serious. According to my information 21 persons have been killed and 500 arrested though the figure given in the newspapers of the persons killed is only three.

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल इस मामले की पृष्ठभूमि ही दे सकते हैं तथा इसके विस्तार में न जाइये।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : माननीय सदस्य तेलंगाना पर चर्चा कराने का प्रयास कर रहे हैं जो इस प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं कराई जा सकती। चर्चा केवल विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में ही होनी चाहिये। उन्हें यह बताना चाहिये कि विशेषाधिकार कैसे भंग हुआ है ? वह तेलंगाना की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले कह दिया है।

श्री गोविन्द मेनन : मुख्य मंत्री के वक्तव्य को पढ़ दिया जाना चाहिये तथा यह बताया जाना चाहिये कि विशेषाधिकार कैसे भंग होता है ?

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not Recorded.

Shri Madhu Limaye : Out of the three points mentioned I have objection to the third point namely that the appointment of a Parliamentary Committee amounts to interference in the internal affairs of Andhra Pradesh. I object to this point because Parliament as well as its Members cannot do justice to the work on account of such statement. I want to prove that Parliament is working in its jurisdiction by appointing a Parliamentary Committee. At the time of Reorganisation of States an agreement between the leaders of Telangana and Andhra Pradesh was signed as a result of which an amendment in the Constitution has been made. This is the seventh Constitution Amendment under which a new clause has been prepared.

श्री क० नारायण राव : यह कहाँ तक उचित है ?

I call it a regional test, and it is mentioned in the Presidential Order that the Regional Committee is empowered to give suggestions on the subjects referred therein.

Parliament as well as State Legislatures have the right to enact laws under Section 245 or 248. Andhra Pradesh Government cannot enact any law in respect of Telangana without consenting the Regional Committee. The ban has been imposed with the promulgation of the Presidential Order on the State to frame any law regarding Telangana.

Article 163 provides that the Governor shall discharge his duties on the advice of the Cabinet. The provisions of this article have changed with the promulgation of the Presidential Orders. The change provides that Governor can interfere in State matters and can override decisions of the state Cabinet in order to get the decisions of the Regional Committee implemented if the State Cabinet do not honour the decisions of the Regionral Committee. It is not an ordinary article. There is an exception under Article 163 that if there is any difference of opinion between the Telengana Regional Committee and the Council of Ministers, Governor can interfere and ensure proper functioning of the Regional Committee and it is a special responsibility entrusted to Governor. There is a provision in Article 371 providing for the Presidential Orders giving special responsibility to the Governor. But the Council of Ministers of Andhra Pradesh has dishonoured the opinion and suggestions of the Regional Committee and have violated the provisions of the Presidential Order.

The surplus income of Telangana should have been spent on it, but unfortunately it has not been done.

The second violation of the Presidential Order is in the matter of employment. The rules governing the employment have been violated and infringed. The Regional Committee has also mentioned this fact in its report. Andhra Government has also admitted that the persons living in Telangana have not been given employment for the last 10 to 12 years.

Thirdly, the decisions of the Regional Committee should necessarily have been implemented and it was the responsibility of the Government to ensure it. But these have not been implemented.

Andhra Pradesh Government has violated the Presidential Orders in such a way that there is great discontentment among the people of Telengana; there is danger to life and property in Andhra Pradesh for the Telengana people. When Parliament, under provision of Article 355, want to help restore law and order there, the Chief Minister says that we are interfering in the affairs of the State. It is not only a right but also a duty of Parliament to study the situation prevailing in the country and if a respected man like Chief Minister of State obstructs in our duty and says that we are interfering in his affairs, it is

an insult to the House and the ties of the State with Centre will break. I support the appointiment of such a Committee to go into this matter and submit its report. I hope the Prime Minister will consider this matter keeping all these things in view.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ;

"कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न जांच तथा प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।"

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि धारा 371 के अन्तर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा विशेष जिम्मेदारी दी गई है जिससे वह क्षेत्रीय समिति की राय मनवाने के लिए मन्त्रिमण्डल की राय को अस्वीकार कर सकता है। परन्तु यह विशेष जिम्मेदारी केवल राज्यपाल को ही दी गई है। ऐसा नहीं दिखाया गया कि राज्यपाल ने अपनी इस विशेष जिम्मेदारी का पालन नहीं किया।

2 अप्रैल को जब वह पालम हवाई अड्डे पर उतरे थे तो उनकी एक सम्बाददाता से भेंट हुई थी जिसने 3 या 4 वाक्य उनके बताए। आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री तथा सम्वाददाता के बीच बातचीत इतनी छोटी नहीं हो सकती। इसका कारण यह भी हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय यह चाहते हों कि प्रधान मन्त्री इस सम्बन्ध में अधिक व्यौरा दें।

यह चर्चा किस विषय पर हुई ? हो सकता है यह बातचीत आंध्र प्रदेश, विशेष रूप से तेलंगाना में शान्ति तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में हो अथवा किसी अन्य नीति-निर्धारण सम्बन्धी हो क्योंकि वे राज्य के मुख्य मन्त्री हैं तथा उनकी यह निर्धारण सम्बन्धी नीति बहुत महत्वपूर्ण है कि संसदीय समिति की नियुक्ति की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तथा श्री लिमये भी इससे सहमत थे। एक सम्बाददाता के यह प्रश्न करने पर कि क्या राज्य में संसदीय समिति की नियुक्ति से, राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होगा, तो इस पर श्री रेड्डी ने कहा कि अवश्य होगा।

परन्तु अब राज्य के कार्य में बाधा हो सकती है क्योंकि राज्यपाल राज्य का होता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि राज्यपाल ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जबकि उसे विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो संसद् का क्या अधिकार है ? संसद् तो केवल सलाह दे सकती है, निर्देश दे सकती है तथा सरकार को दोषित घोषित कर सकती है। यदि संसदीय समिति नियुक्त की जाए तो वह जानकारी प्राप्त करने के लिये है न कि निर्देश देने के लिए।

यह प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उसमें यह उल्लेख नहीं है कि किसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, क्या कोई सदस्य है अथवा यह संसदीय समिति के विरुद्ध है ? 2 अप्रैल को जबकि इन महोदय से भेंट हुई, तो तब तक संसदीय समिति की नियुक्ति के लिये संसद् को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त उस समय तक संसदीय समिति नहीं बनी थी। श्री वाजपेयी ने एक नोटिस 3 अप्रैल को दिया था।

समिति नियुक्त करने का निर्णय संसद ने नहीं लिया। मैं भली भाँति समझता हूँ कि गृह-मन्त्री ने कहा है कि इस प्रकार की समिति की नियुक्ति से कोई लाभ नहीं होगा। श्री लिमये

के पत्र में लिखा है कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने गृह-कार्य मन्त्री जी से इस समिति को न बनाने का अनुरोध किया था । यदि ऐसा हुआ भी है तो कोई बुराई नहीं है। इससे इस मामले को विशेषाधिकार के उल्लघंन का विषय नहीं बनाना चाहिये । यह तो बहुत ही साधारण बात है ।

मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नक्सलबाड़ी में संकट उत्पन्न हुआ तो श्री वाजपेयी ने एक नोटिस तथा अपनी राय दी थी कि वहाँ एक संसदीय दल भेजा जाए, तो बहुत से विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे राज्य के आन्तरिक मामलों में केन्द्र का हस्तक्षेप माना जायेगा। पश्चिम बगाल के मुख्य मन्त्री श्री अजय मुखर्जी ने कहा था कि यदि संसदीय समिति दल वहाँ भेजा जायेगा तो यह माना जायेगा कि पश्चिमी बंगल के आन्तरिक मामलों में केन्द्र का हस्तक्षेप हो रहा है। परन्तु उस समय श्री लिमये आदि ने विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला नहीं रखा । परन्तु अब जबकि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने ऐसा कहा है तो यह प्रश्न बहुत गुस्से से उठाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा के एक मामले को, जिसके विषय में भारत के उच्च न्यायाधीश श्री गजेन्द्रगडकर ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा था कि संसद् के विशेषाधिकार इतने अधिक व्यापक नहीं हो सकते कि संसद् या संविधान के अधीन किसी भी अधिकरण के औचित्य तथा सामर्थ्य की जाँच तथा किसी नागरिक द्वारा इस पर स्पष्ट टिप्पणी करने में रुकावट पैदा हो। संसद् की संसदीय समिति की स्थापना से पहले ही 2 अप्रैल को श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने अपना मत प्रकट किया था कि यदि संसदीय समिति की नियुक्ति की गई, जो उस समय स्थापित नहीं की गई थी, तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा तथा उससे राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप होगा। संसद् के विशेषाधिकार इतने निर्बल नहीं कि किसी के कुछ कहने मात्र से वह टूट जायेंगे। 'मे' की संसदीय प्रक्रिया, जिससे कभी-कभी हम शपथ लेते हैं, के 117 पृष्ट में कहा गया है कि केवल वे ही वक्तव्य जो संसद् की प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि के लिये अपमानजनक तथा निरादरपूर्ण हों अथवा या ऐसी कोई कार्यवाही जो सदन के सम्मान को कम करके संसद् की कार्यवाही में बाधक हो, विशेषाधिकार भंग या अपमानजनक समझी जाती है । इसको ध्यान में रखते हुये यदि हम श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के वक्तव्य को देखें तो उससे ऐसा पता नहीं लगता जिससे संसद् की प्रतिष्ठा अथवा मर्यादा भंग हुई हो और यदि कल संसदीय समिति बना कर तेलंगाना भेजी जाए तो क्या उसको वहाँ जाने नहीं दिया जायेगा ? यह सच है कि हम विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। हमारा विशेषाधिकार इसी में हैं कि हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करें और उसे पूर्ण करें। सदस्यों को गलत धारणा बना कर विशेषाधिकार का एक अलग वर्ग नहीं बनाना चाहिये । इस प्रकार अधिवेशन के दौरान तथा अधिवेशन के पश्चात् सदस्य बार-बार विशेषाधिकार का भंग सम्बन्धी प्रश्न उठाते हैं, इससे जनता के मन में यही धारणा उत्पन्न होती है कि कुछ लोग संसद् सदस्यों को एक विशेषाधिकारप्राप्त-वर्ग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अतः मुख्य मन्त्री के विरुद्ध यह जो प्रस्ताव रखा गया है इसका कोई आधार नहीं है।

श्री चं० चु० देसाई (सूरत) विपक्षी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिये। जहां तक इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का प्रश्न है, जैसा

कि अभी विधि मन्त्री ने कहा है, हम इस सदन मे विशेषाधिकार के सम्बन्ध में बहुत भावुक हो जाते हैं। इससे पहले कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए, हमें यह जानना चाहिये कि किसने क्या कहा और उससे संसद की सामान्य कार्यवाही में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न हुई ? उसका आशय क्या था ? प्रसंगानुकूल प्रश्न ही विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाते हैं। जैसा कि उसने (श्री रेड्डी ने) कहा कि उनकी अपनी राय में संसदीय समिति की स्थापना करने से राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। उनकी यह धारणा उचित ही है। इससे हमारे ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता, सदन असमर्थ नहीं बनता, और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया। समिति की नियुक्ति करने अथवा न करने के प्रश्न पर कल विचार किया जायेगा। हम समझते हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। परन्तु, इसका यह आशय नहीं कि हम आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से सहमत हैं। हम समझते हैं कि वहाँ के बढ़ते हुये कुप्रबन्ध तथा अव्यवस्था को देखते हुये इस समिति की नियुक्ति बहुत आवश्यक है। यहाँ सरकार तथा संसद् के पास तेलंगाना से सम्बन्धित विशेष उत्तरदायित्व हैं। यह शान्ति तथा व्यवस्था का सामन्य मामला नहीं है। अतः समिति की नियुक्ति से सम्बन्धित मामला, जो कल सदन में उठाया जाएगा, उस पर विचार करके, समिति की नियुक्ति की जायेगी तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकार तथा मुख्य मंत्री इसे पूरा सहयोग देंगे।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी): संसद कानून बनाती है। यदि किसी नागरिक की राय में उसे दिये गये बुनियादी अधिकारों का उल्लघंन होता है तो वह नागरिक उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करता है कि यह कानून उसके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। परन्तु यदि श्री लिमये के तर्क को सही माना जाये तो वह, नागरिक विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। ये सब बातें तो साधारण रूप में तथा पूरे तौर के साथ राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत आती हैं। इसके बावजूद कि संविधान ने राज्यपाल को कुछ ऐच्छिक शक्तियाँ तथा अधिकार दे रखे हैं जिसका पालन उसे करना चाहिये, परन्तु इससे संसद् को राज्य के आन्तरिक मामलों तथा अपनी समिति के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी है, मुख्य मन्त्री यह कहने में स्वतन्त्र हैं कि संसद की उस कार्यवाही से जिससे कि विधान सभा की स्वतन्त्रता कम होती हो, राज्य सरकार के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा जायेगा। इसकी तुलना में राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्त्तव्य है। जब तक केन्द्रीय सरकार को यह अनुभव नहीं होता कि उस राज्य में सांवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है तथा जब तक वहाँ राष्ट्रपति का आदेश जारी नहीं किया जायेगा तब तक संसद् को उन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जो राज्य सरकार के अपने अधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

मैं यह तो नहीं कहता कि संसद् राज्य की स्थिति की जाँच करने के लिए संसदीय समिति का गठन नहीं कर सकती, परन्तु इतनी बात अवश्य है कि इससे राज्य सरकार अथवा राज्य विधान मण्डल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना ही समझा जायेगा तथा यह नहीं समझना चाहिये कि इससे विशेषाधिकारों का उल्लंघन होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): When a Chief Minlster of a State says that it would be an interference in the internal affairs of the State if a Parliament Committee is sent there by Parliament to study the situations prevailing in the State, neither he is aware of the rights of Parliament nor is he aware of his limitations. It is a right of Parliament to send such a Committee to Andhra Pradesh which will see whether the Regional Committee was working properly, and whether employment safeguards are given to the people of Telangana and whether all these assurances were implemented.

I do not agree with the view that he has infringed the privileges. We cannot stop any Chief Minister from epxressing his views.

So far as I and my party are concerned I agree that Parliament has every right to send Parliamentary Committee in any part of the country and get a report. Chief Minister of Andhra Pradesh has also infringed propriety. The hon. Law Minister is not correct when he says that there was no formal motion before them on 2nd April. This question has been raised during the discussions regarding the grants of the Home Ministry. The hon. Home Minister did not oppose the sending of such a Committee. Chief Minister of Andhra Pradesh was fully aware of all these things when he expressed his opposition for Parliamentary Couımittee being sent to Andhra on the contention that it would interfere in the internal affairs of the State Government. He has infringed this propriety. I feel Shri Brahmananda Reddy, Chief Minister of Andhra Pradesh has got the support of the Central Government.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर): प्रसन्नता की बात है कि विपक्षी दल भी यह चाहते है कि संसद् को राज्य में संसदीय समिति भेजने का अधिकार होना चाहिए । परतु क्या यह सिद्धान्त अन्य राज्यों के सम्बध में भी लागू होगा ? केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था तथा उनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए थे परन्तु केरल, पश्चिमी बंगाल आदि राज्य सरकारों ने उनके विरुद्ध चलाए गए मामलों को वापस ले लिया था । संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनके विरुद्ध मुकदमे चलाने चाहिए थे, परन्तु नही चलाए गये । उस समय विपक्षी दलों ने वहाँ संसदीय दल भेजने के लिए नहीं कहा। विरोधी दल इस समय जो दोहरी नीति अपना रहा है, उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते । यदि आन्ध्र प्रदेश में यह शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न है तो हम वहाँ संसदीय समिति अथवा प्रतिनिधि-मण्डल नहीं भेज सकते क्योंकि यह राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होगा ।

तेलंगाना संबंधी संरक्षणों को कार्यान्वित करने के सम्बंध में संविधान में कहा गया है फि उनके हितों को राज्यपाल सुनिश्चित करेगा। जब राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है तो ससंद् इसमें किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकती है? यदि राज्यपाल इस मामले में असफल हो गया तथा यदि केन्द्रीय सरकार यह कहती है कि राज्यपाल उन हितों की देख-भाल करने में असफल सिद्ध हुआ है तो हम तभी वहाँ पर संसदीय समिति भेजने का विचार कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि क्या मुख्य मन्त्री ने विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है अथवा नहीं ? यदि हमने ससदीय समिति बना कर वहाँ भेजी होती तो हम इस पर विचार करते।

वहाँ निर्वाचित विधान मण्डल है। मुख्य मन्त्री भी निर्वाचित हैं तथा विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। हम किस प्रकार उनके कार्य में बाधा डाल सकते हैं? यदि वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू होता तब यह मामला विशेषाधिकार के अन्तर्गत आता।

अभी 15 20 दिन पहले ही मुख्य मन्त्री ने विधान सभा का सामना किया और वह वहाँ बहुत सफल रहे हैं। यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ सब कुछ गलत हुआ है। कुछ स्वार्थी लोग अथवा स्वार्थी दल वहाँ गए हैं तथा वहाँ की वर्तमान परिस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं और उस कुछ बिगड़ी हुई स्थिति को और भी बिगाड़ना चाहते हैं, अन्यथा उनका और कोई स्वार्थ नहीं है। अतः इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठे। अतः इस विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri P. K. Vasudevan in the Chair]

श्री अंबाजागन (तिरूचेंगोंड) : विशेषाधिकार सम्बंधी यह मामला एक ऐसा मामला है कि सत्तारूढ़ दल को आन्ध्र प्रदेश के अपने मुख्य मन्त्री की रक्षा करनी है और साथ-साथ इस सदन के हितों की भी रक्षा करनी है। जब इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न किसी भी निर्वाचित निकाय में उठाये जाते हैं तब स्वभावतः सदस्यों की मनःस्थिति तथा भावना यही होती है कि इन प्रश्नों को उठाया जाये तथा इनका समर्थन किया जाये, परन्तु उस समय नहीं जब कि कोई मुख्य मन्त्री अथवा कोई नागरिक किसी मामले पर अपनी राय प्रकट करें।

एक संस्था के रूप में, तेलंगाना के सम्बन्ध में उठाए गये प्रश्न पर विचार करने के लिये संसद रुचि ले सकती है। परन्तु क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री भी इस समस्या को सुलझाने में रुचि रखते हैं जो कि राज्य में पैदा हो गई है? यह तो वास्तव में जनता द्वारा तथा विधान मण्डल द्वारा नेता निर्वाचित होने के पश्चात् उस मुख्य मन्त्री का कर्तव्य हो जाता है कि वह पूरी निष्ठा से ऐसे मामलों को सुलझाए। इस सम्बन्ध में संसद् अथवा किसी अन्य निकाय द्वारा समस्या को सुलझाने का प्रयत्न सफल हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता। इस सन्दर्भ में मुख्य मन्त्री ने अपना मत प्रकट किया है कि वहाँ संसदीय समिति से कोई लाभ नहीं होगा और इसके पश्चात् जब एक सम्वाददाता ने उनसे प्रश्न किया कि क्या वहाँ पर ऐसी समिति भेजने से राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा तो मुख्य मन्त्री ने केवल अपनी राय 'हाँ' में प्रकट की हो सकता है कि हस्तक्षेप शब्द की संज्ञा को उन्होंने इस रूप में नहीं समझा हो कि इसका अर्थ संसद् के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करना मात्र हो। उस समय उन्होंने यह समझा होगा कि जो घटनाएँ तेलंगाना में इस समय हो रही है, उनकी जाँच-पड़ताल करने के लिए तथा इस समस्या का समाधान करने के लिए संसदीय समिति की नियुक्ति आवश्यक न हो, क्योंकि इस संसदीय समिति में विभिन्न दलों के व्यक्ति विभिन्न विचारधाराओं वाले होते हैं तथा उनके उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं। उसमें ऐसे विचारों के व्यक्ति भी हो सकते हैं जो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कराना चाहते हों इसलिए आंध्र प्रदेश के हितों की रक्षा के लिये वहाँ के मुख्य मन्त्री को प्रत्येक उपाय करने का अधिकार है तथा इसे इतनी गम्भीरता से नहीं देखना चाहिये जिससे कि विशेषाधिकार भंग हुआ माना जाए। इस निकाय को

राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह अधिकार प्राप्त हैं जब कि राज्य में राष्ट्र के हितों को खतरा हो तथा वहाँ बहुत अधिक तनाव पैदा हो जाए। परन्तु इसके साथ-साथ विधान सभा के मुख्य मन्त्री अथवा निर्वाचित सदस्यों को भी संसद द्वारा निर्णीत कार्यवाही पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। यदि हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपें तो हो सकता है कि इससे अधिकारी वर्ग के लोगों का संसद् के अधिकार पर से विश्वास उठ जाए। संसद् का अधिकार केवल सदस्यों द्वारा ही सुरक्षित नहीं है क्योंकि लोगों ने संसद् का समर्थन किया है तथा हमें अधिकार दिये हैं। यदि हमारे प्रति लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो जाये तो संसद के अधिकारों पर से उनका विश्वास उठ जायेगा। अतः इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का कोई लाभ नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाड़) : यह विशेषाधिकार सम्बन्धी चर्चा बिल्कुल ही असंगत है क्योंकि इस सम्बन्ध में न तो कोई संसदीय समिति नियुक्त की गई थी और न ही नियुक्त करने का कोई विचार था। अतः इससे न तो स्वच्छ संसदीय परम्परा बनने में सहायता मिलेगी और न ही धारा 371 के अतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति के आधार पर कोई चिर-स्थायी व्यवस्था करने में ही योगदान मिलेगा। हमने इस विवाद पर चर्चा करने का विरोध आरम्भ में ही किया था। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा कहे गये कुछ कल्पित शब्दों के सम्बन्ध में हम यहाँ वाद-विवाद कर रहे हैं। परन्तु सरकार ने यह सत्यापन नहीं किया कि ये शब्द मुख्य मन्त्री द्वारा कहे गये थे अथवा नहीं। श्री लिमये के प्रस्ताव में उनके कथित वक्तव्य का निर्देश है। मैं समझती हूँ कि इस कथित वक्तव्य के प्रश्न पर विचार करने के लिये संसद् के मंच को प्रयोग में लाना सर्वथा अनुचित है। धारा 371 के अन्तर्गत संसद् को प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है कि वह ऐसा कार्य करे।

यदि श्री मधु लिमये क्षेत्रीय समिति के कार्य के सम्बन्ध को ले कर वे राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व के प्रश्न को ले कर चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें उस केन्द्रीय सरकार के आचरण की आलोचना करनी चाहिए जिस सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति कार्य करते हैं इसका राज्य की विधान सभा के आचरण अथवा वहाँ के मुख्य मन्त्री के आचरण से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसे यहाँ चर्चा के लिये उठाया गया है। धारा 371(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को, जो केन्द्रीय सरकार के माध्यम से कार्य करता है, कुछ शक्ति मिल जाती है, जिससे संविधान में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसलिए प्रस्तावक को केन्द्रीय सरकार अथवा उन मंत्रियों की आलोचना करनी चाहिए जिन्होंने राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में पूरी सलाह नहीं दी।

माननीय सदस्य ने कोई विशिष्ट मामला नहीं बताया जिसमें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन किया गया हो और उन्होंने केन्द्रीय सरकार की किसी विशेष भूल का भी उल्लेख नहीं किया है। इसलिये यह विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता।

जैसा कि विधि-मन्त्री ने कहा है कि श्री मधु लिमये ने कोई विशिष्ट मामले नहीं बताये हैं, इसलिये यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित एक विचार गोष्ठी में यह कहा गया था कि संसद् में दिन प्रति

दिन विशेषाधिकार के मामलों को उठाने से उनका महत्व कम हो रहा है। यदि हम किन्हीं ऐसे मामलों पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं, जो बिल्कुल असंगत है, तो इससे संसद् के मान में कमी आती है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करती हूँ कि हमें संसद् के मान को नहीं गिराना चाहिये।

संसद् को क्षेत्रीय समितियों के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार है। संकल्प द्वारा संसद् यह कह सकती हैं कि क्षेत्रीय समितियों ने ठीक काम नहीं किया है और उन्होंने अमुक भूलें की हैं। परन्तु यहाँ तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठा कर राजनैतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिये। संसद् के विशेषाधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, परन्तु उनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। तेलगांना के बारे में हमने कल ही विचार-विमर्श किया था, अतः विशेषाधिकार के रूप में इस मामले को पुनः उठाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगी कि राजनैतिक लाभ उठाने के लिये विशेषाधिकार के प्रश्न न उठाये जायें क्योंकि संसद् के विशेषाधिकारों का महत्व विभिन्न राजनीतिक दलों से कहीं अधिक है।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का मामला एक बहुत नाजुक मामला है। यह सम्बंध एक नया रूप धारण कर रहा हैं तथा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये जिससे इसमें गड़बड़ी पैदा हो। जहाँ तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है इस मामले में दो राय नहीं हैं कि उस राज्य की एकता को कायम रखा जाये। प्रधान मन्त्री ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया है। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए अच्छे केन्द्र तथा राज्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये जिससे उनमें गड़बड़ी पैदा हो।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : बड़े खेद की बात है कि आन्ध्र प्रदेश के तेलगांना भाग तथा वहाँ के सत्ताधारी दल के झगड़े को विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यदि यह प्रस्ताव नीति सम्बन्धी होता कि इस मामले में संसदीय समिति नियुक्ति की जाये अन्यथा नहीं, तो अधिक अच्छा होता।

माननीय मन्त्री ने तेलंगाना की नक्सलबन्ड़ी से जो तुलना की है, वह ठीक नहीं है। नक्सलबाड़ी का मामला तो विधि तथा व्यवस्था का मामला है, जो कि भूमि विवाद से सम्बन्धित है। परन्तु तेलगांना का मामला एक भिन्न मामला है। इस मामले में समूचा राज्य अन्तर्ग्रस्त है, जब कि नक्सलबाड़ी में ऐसी बात नहीं है। तेलंगाना के बारे में संविधान में विशेष उपबन्ध है कि तेलंगाना तथा शेष आन्ध्र प्रदेश के बीच क्या सम्बन्ध होंगे? इसलिये राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने के कारण ही यह संसद् तेलंगाना के मामले से सम्बन्ध रखती है। नक्सलबाड़ी तथा तेलगांना की तुलना करना ठीक नहीं है।

तेलंगांना का मामला एक बहुत गम्भीर मामला है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक-भाषी राज्य आन्ध्र प्रदेश का एक भाग-आन्दोलन कर रहा है और वह उस राज्य से अलग होना चाहता है। हमारी संसद् की नीति भाषायी राज्यों की स्थापना करना

तथा संविधान के अधीन जितनी स्वायत्तता उन्हें देना संभव है, उतनी स्वायत्तता देने की रही है। परन्तु यह मामला हमारे भाषायी राज्यों को चुनौती है। अतः संसद् को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये।

प्रश्न यह उठता है कि इस गड़बड़ी का मूल कारण क्या है? इस उपद्रव का मूल कारण यह है कि तेलंगाना के 24 करोड़ रुपये की चोरी की गई है। क्या यह बहुत गम्भीर मामला नहीं है और क्या इस बारे में हस्तक्षेप करना संसद् का काम नहीं है? परन्तु संविधान में तथा राष्ट्रपति के आदेश में विशेष उपबन्धों के होते हुये भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। क्या यह उचित है? क्या यह इतनी गम्भीर समस्या नहीं है कि जिसकी जांच संसदीय समिति द्वारा करवाई जाये? तेलंगाना के लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया है। नौकरियों तथा अन्य मामले में उन्हें जो आश्वासन दिये गये थे, उनकी पूर्ति नहीं की गई है। मैं तेलंगाना का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुये वहाँ के लोगों को विशेष अधिकार दिये गये थे, परन्तु उन उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया गया। अतः क्या इस संसद् की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उन आश्वासनों को क्रियान्वित करवाया जाये? जब एक एक-भाषी राज्य का क्षेत्र उस राज्य से अलग होना चाहता है तो क्या उस क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना संसद् का उत्तरदायित्व नहीं है?

इस मामले में संसद् की समूची नीति को चुनौती दी जा रही है तथा श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि संसद् को इस मामले में हस्तक्षेप करने से रोका जाये। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि प्रधान मन्त्री इस मामले पर विचार करने के लिये अपने दल के नेताओं की बैठक बुलाने की बजाय सब दलों के नेताओं की बैठक बुलातीं तो अधिक अच्छा होता। आज संसद् के समक्ष गम्भीर समस्या यह है कि एक-भाषी राज्य टूट रहे हैं। अतः यह केवल आन्ध्र प्रदेश का प्रश्न नहीं है। महाराष्ट्र में विदर्भ के लोग सिर उठा रहे हैं। बेलगांव की भी समस्या है। अतः मेरा निवेदन है कि इन मामलों को हल किया जाना चाहिये और इस बात की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिये कि श्री मधु लिमये द्वारा विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाये जाने के बाद ही इन्हें हल किया जायेगा।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं इस विशेषाधिकार प्रस्ताव का विरोध करता हूँ, क्योंकि यह ग्राह्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि विशेषाधिकार प्रस्ताव का स्वरूप अर्ध-आपराधिक होता है और इसलिए यह आवश्यक है कि हम यह सुनिश्चत करें कि सभा द्वारा विशेषाधिकार का दुरुपयोग न किया जाये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभा का विशेषाधिकार एक असामान्य अधिकार है और वह देश के साधारण कानून से भिन्न है। सामान्यतया कोई प्रस्ताव तभी कानून बनता है जबकि संविधान के अन्तर्गत उस मामले पर कानून बनाने का संसद् को अधिकार हो और उसे दोनों सदनों द्वारा पास किया जाये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाये। परन्तु विशेषाधिकार के मामले में यह सब जरूरी नहीं है। विशेषाधिकार के मामले में इस सभा को असीमित शक्ति प्राप्त है। वह इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है तथा सजा दे सकती है। अतः

जब इस सभा को इतनी असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। जब कभी विशेषाधिकार का मामला उठाया जाये, तो हमें यह देखना चाहिये कि ऐसा करना नितान्त आवश्यक है अथवा नहीं।

अब हमको यह देखना है कि वास्तव में विशेधिकार का अर्थ क्या है ? दुर्भाग्य से हमारे संविधान तथा नियमों में कहीं भी विशेषाधिकार की परिभाषा नहीं दी गई। इसके लिये हमें "मे की पार्लिमेंटरी प्रेक्टिस" पर निर्भर करना होगा। यद्यपि "मे की पर्लिमेंटरी प्रेक्टिस" में भी विशेषाधिकार की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, तथापि "विशेषाधिकार क्या हैं ?" शीर्षक के नीचे लिखे वाक्यों से हम विशेषाधिकार की परिभाषा बना सकते हैं। मे की पार्लिमेंटरी प्रेक्टिस के अनुसार विशेषाधिकार के असामान्य अधिकार हैं जो कि प्रत्येक सभा को संसद् का न्यायालय के रूप में काम करने तथा प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से अपने कृत्यों को निभाने के लिए उपलब्ध हैं। हमारे संविधान में केवल कुछ ही विशेषाधिकारों की व्याख्या की गई है, जैसा कि वाक्-स्वातंत्र्य तथा सभा में दिये गये भाषणों पर न्यायालय की कार्यवाही से छूट। शेष हालात में जब तक विधि द्वारा संसद् विशेषाधिकारों का उपबन्ध नहीं करती, तब तक इस सभा को वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जोकि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स को प्राप्त हैं।

जहाँ तक समिति की नियुक्ति का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूँ कि "शक्ति" तथा "विशेषाधिकार" दोनों में अन्तर है। कृपया अनुच्छेद 105 (3) देखिये, जो इस प्रकार है :

> "अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी संसद् समय-समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे"

अतः इसमें कोई सन्देह उहीं है कि संसद् को समिति नियुक्त करने का अधिकार है, परन्तु देखना यह है कि क्या इसमें विशेषाधिकार का मामला अन्तर्ग्रस्त है या नहीं। अन्ततः राज्य के मुख्यमन्त्री को भी संविधान का निर्वचन करने का अधिकार है। हो सकता है कि उसकी राय हमारी राय से भिन्न हो। हो सकता है कि वह संसदीय समिति की नियुक्ति को हस्तक्षेप समझे और फिर भी इस संसदीय समिति की नियुक्ति की जाये। हमें संसदीय समिति नियुक्त करने का अधिकार है और उसकी राय हमसे भिन्न हो सकती है। परन्तु इसे विशेषाधिकार का मामला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे भी अपनी राय रखने का हक है।

मैं सदन से निवेदन करूँगा कि श्री मधु लिमये के विशेषाधिकार प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाये।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : जहाँ तक राज्यों का सम्बन्ध है, संसद् को कोई भी विधान बनाने का अधिकार है। संसद् द्वारा संविधान के अधीन विधान बनाये जाने के बाद ही राज्य पुनर्गठन आयोग तथा आंध्र-तेलंगाना एकता परिषद् का गठन किया गया था।

जहाँ तक आन्ध्र की वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, वह दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। कल ही समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि विधान सभा के 25 कांग्रेसी सदस्यों ने अलग तेलंगाना राज्य स्थापित करने की माँग की है। आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस दल तथा निहित स्वार्थी लोगों में लड़ाई चल रही है। गोलियाँ चलाई जा रही हैं तथा छात्रों की हड़ताल जारी है। इस समस्या को आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता है, क्योंकि यह एक गम्भीर समस्या है। एकता परिषद् ने कहा है कि 34 करोड़ रुपये तेलंगाना क्षेत्र के लिये खर्च नहीं किये गये हैं।

विधि मन्त्री ने अनुच्छेद 371 तथा 355 के अन्तर्गत जो तर्क पेश किये हैं, वे आश्चर्यजनक हैं। वर्ष 1957 से 1959 तक जब कि केरल में साम्यवादियों का शासन था, एक छोटी सी घटना को ले कर उन्होंने वहाँ संसदीय शिष्टमंडल भेजने का तर्क पेश किया था। वर्ष 1968 में उन्होंने नक्सलबाड़ी में संसदीय शिष्टमंडल भेजने का तर्क पेश किया था। अब वह आन्ध्र प्रदेश में संसदीय शिष्टमंडल भेजने को क्यों तैयार नहीं हैं? वहाँ कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है और कांग्रेस के 25 विधान सभा सदस्यों ने अलग तेलंगाना राज्य की माँग की है। आन्ध्र प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है इसकी जिम्मेदारी गत 12 वर्षों में कांग्रेस के रवैये पर है। गत 12 वर्षों में तेलंगाना के लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया। वह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है। इसीलिये वे आन्दोलन कर रहे हैं।

संसद् को आन्ध्र प्रदेश की बिगड़ती हुई समस्या पर अवश्य विचार करना चाहिये और उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिये। जहाँ तक इस विशिष्ट मामले का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने जो कुछ कहा है वह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। परन्तु मैं पुनः यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ स्थिति बहुत गंभीर है और इस मामले में तुरन्त उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

Shrimati Lakshmi Kanthamma (Khammam) : There is no breach of privilege involved in the statement given by the Chief Minister of Andhra Pradesh. Law and order is a State subject and as such Centre has got no powers under the Constitution to interfere in this regard except during the emergency. Under the normal circumstances there is no jurisdiction in sending a Parliamentary delegation there. The Central Government has clarified that Andhra Pradesh will not be reorganised and as such there is no proposal before the Parliament in this regard. So Parliament has no right to interfere in this matter.

The Telangana Regional Committee which was constituted under the Presidential Order has experienced no difficulty in discharging its functions and as such there is no justification in sending a Parliamentary delegation there.

My hon. friend Shri Dandge and some other hon. Members have said that Government was ready to send a Parliamentary delegation in Naxalbari. But there cannot be any comparison between Naxalbari and Telangana. There the very national existence was in danger and as such there was every justification in sending a Parliamentary delegation.

I want to tell Shri Madhu Limaye that privileges are also given to every Member of each Legislative Assembly and they are not given to this Parliament alone. If this matter can be raised here then such matter can be raised in other Houses also.

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : हमें ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये । परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इन मामलों पर किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है । यदि इस मामले में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री और वह भी कांग्रेसी मुख्य मन्त्री अन्तर्ग्रस्त न होते, तो विधि मन्त्री वे तर्क पेश नहीं करते जो उन्होंने इस समय पेश किये हैं । हमको यह देखना है कि क्या तेलंगाना के मामले में राज्यपाल के कोई उत्तरदायित्व नहीं थे ? विधि मन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति के आदेश को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना के क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना राज्यपाल की जिम्मेदारी थी । इस बात को देखते हुए संसद् का इस मामले में सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर काम करता है और मन्त्रिपरिषद् इस सभा के लिये उत्तरदायी है । इसलिये मुख्य मन्त्री द्वारा उस समय यह वक्तव्य देना, कि संसदीय समिति का भेजना हस्तक्षेप करना होगा, जब कि इस सभा में इस बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा था, सर्वथा अनुचित था ।

संसदीय समिति की नियुक्ति का उद्देश्य समस्या को हल करना था, न कि केवल दोष निकालना । हमारा उद्देश्य जख्म को ठीक करना था और यह सही उद्देश्य था । इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर सभा में चर्चा की जा रही थी । हम तेलंगाना के लोगों को यह बताना चाहते थे कि अखिल भारतीय स्तर पर भी एक निकाय है, जो उनके हितों की रक्षा करना चाहती है और कांग्रेस मन्त्रियों द्वारा किये गये अन्याय को समाप्त करना चाहती है । इन भावनाओं का आदर करते हुए ही गृह-मन्त्री ने अध्यक्ष महोदय से संसदीय समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया था । अतः इस समय पर मुख्य मन्त्री का यह कहना कि संसदीय समिति की नियुक्ति हस्तक्षेप होगा, दुर्भाग्यपूर्ण था । वह संसदीय समिति की नियुक्ति में रुकावट डालना चाहते थे । इसलिये उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उससे इस संसद् का विशेषाधिकार भंग हुआ है ।

इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है कि इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । जब कभी विशेषाधिकार का कोई मामला उठाया जाता है तो यही तर्क पेश कर दिया जाता है कि इस मामले में विशेषाधिकार का कोई मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं है । हम बार-बार यह कहते रहे हैं कि विशेषाधिकारों को परिभाषित किया जाना चाहिये, ताकि संसद् सदस्य अपना कर्तव्य भली-भाँति निभा सकें । मैं समझता हूँ कि प्रथमदृष्ट्या यह एक विशेषाधिकार का मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये । यदि इस मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होगा तो जाँच के बाद विशेषाधिकार समिति कह देगी कि इस मामले में विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है । परन्तु चूँकि प्रथमदृष्टया यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है, इसलिये इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

मैं माननीय गृह-मन्त्री को बताना चाहता हूँ दि देश में एक और प्रवृति जोर पकड़ती जा रही है और वह है भाषायी राज्यों में पृथक राज्यों की माँग। हमें ऐसी माँगों के कारणों का पता लगाने का प्रत्यन करना चाहिये, कि लोगों में यह भावना क्यों पैदा हो रही है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the arguments made by the Law Minister were astonishing. He has said that no question of privilege was involved, because there was no motion before the Parliament to constitute a Parliamentary Committee. It is known to all hon. Members that during the debate on Andhra Pradesh the suggestion to constitute a Parliamentary Committee was made by many hon. Members including the hon. Members belonging to Congress Party. That is not all the debate on this issue was postponed for one day to give time to the Home Minister to consider this issue. But it is seen that the Home Minister as well as the Prime Minister were trying to evade responsibility in this regard. So under these circumstances this argument does not hold good that there was no formal motion before the House to constitute a Parliamentary Committee. On the other hand the Chief Minister of Andhra Pradesh by making a statement at that moment that the appointment of a Parliamentary Committee would interfere with the affairs of the State had intimidated the hon. Members of this Home and had sabotaged the appointment of a Parliamentary Committee. His statement was *Mala Fide*

The hon. Minister and Shrimati Tarkeshwari Sinha have criticised the hon. Speaker by saying that it was not a serious matter. The hon. Speaker had admitted it because according to him it was a serious matter and thus by saying that it was not a serious matter they had casted reflection on the hon. Speaker.

I want to make it clear to the Law Minister and Shrimati Tarkeshwari Sinha that I have given the maximum number of privilege motions and most of them have gone before the Privilege Committee and the Privilege Committee have always given their verdict in my favour. I am not in the habit of giving privilege motions against the common men, but I always give privilege motions against the so-called high-ups. I always protect the common men. By defeating Shri Sachin Chaudhari and Shri Subramaniam in the polls, the people have supported my actions and have confirmed that whatever is being done by me is all right.

It has been argued that the weapon of privilege is being used for political motives. I want to say that there is politics everywhere. The Parliament is there due to politics and the Andhra affair is there due to politics. But I have not raised this matter against a common man. I have raised this matter against a Chief Minister who had himself admitted that he was guilty. He had admitted that there were lapses in the implementation of the policy. So I do not see any reason why the Law Minister were supporting him. I want to say that this matshould be considered in a dispassionate manner and no importance should be attached to the individual position of those who are involved in it. I always expose corruption and wrong actions and I think it is my duty as a member of Parliament.

The Law Minister has argued whether this matter comes under the legislative competence of Parliament or not. I want to say that the Parliament has legislative competence in this regard. It is not only our right but our duty also under Article 371 of the Constitution. So far as this matter is concerned special responsibilities were given to the Governor under Presidential Order. After all President is not an autocrat and so the Governor.

The Governor is appointed by the President and the President acts on the advice of the Council of Ministers and the Council of Ministers is responsible to this House. Therefore this House has every right to see whether the special safeguards have been implemented or not. So I would request that a Parliamentary Committee be appointed to go in this question.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न जाँच तथा प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान की अदायगी) विनियम

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उप-धारा (3) के अधीन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान की अदायगी) विनियम 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) जो दिनांक 22 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 729/69]

याचिका प्रस्तुत करना

PRESENTATION OF PETITION

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I present a petition signed by Shri Hem Raj Versey Hasia and others under Food Adulteration Prevention Act, 1954 and the rules made thereunder.

अनुदानों की माँगें (जारी)

DEMANDS FOR GRANTS (CONTD.)

वैदेशिक–कार्य मन्त्रालय (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में वैदेशिक–कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों पर आगे चर्चा की जायेगी ।

श्री संत बख्श सिंह (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैदेशिक–कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : जरा सुनिये । मध्याह्न भोजन से पूर्व वक्तव्य देने की माँग की गई थी । मैंने उस बारे में एक ध्यानाकर्षण सूचना की अनुमति दी है । अतः यह अच्छा

होगा कि यह वक्तव्य कल दिया जाये । प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी जायेगी। अब श्री संत बख्श सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री संत बख्श सिंह : मैं विश्व की वर्तमान स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करूंगा । विपक्षी सदस्यों के लिये भी ऐसा करना ही उचित होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही वह हमारी सरकार की नीति का उचित मूल्यांकन कर सकेंगे ।

दो वर्ष पूर्व मैंने इस सभा में कहा था कि रूस तथा अमरीका एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा एक दूसरे के निकट आ रहे हैं । एक समय ऐसा था जब कि एक शक्ति गुट के देश दूसरे शक्ति गुट के देशों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, परन्तु अब स्थिति में परिवर्तन हुआ है । रूस तथा अमरीका के बीच आज जो यह सद्भाव पैदा हुआ है वह जौन फोस्टर डलस की नहीं, बल्कि श्री जवाहर लाल नेहरू की भावना की विजय है। मार्शल टीटो ने कहा है कि श्री जवाहर लाल नेहरू अभी जीवित हैं, क्योंकि उनकी भावना अभी जीवित है और हम उसे कार्यरूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके आदर्श को कार्यरूप देने का प्रयत्न करती रहेंगी ।

हमने बड़ी शक्तियों को समीप लाने का प्रयत्न किया है, परन्तु इससे ही समस्या का हल नहीं होता । इससे छोटे देशों के लिये और नई समस्यायें पैदा हो गई हैं, क्योंकि बड़ी शक्तियों की आपसी समझ तब तक काफी नहीं है, जब तक वह मानवता के हित में न हो । मैं कहना चाहता हूँ कि अमरीका न केवल रूस के निकट आया है, बल्कि वह समय आ गया है जब कि वह चीन के निकट भी आना चाहेगा ।

जहाँ तक यूरोप की स्थिति का सम्बन्ध है, यूरोप की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ यह चाहती हैं कि पूर्वी सीमा पर चीन रूस को रोके रखे, क्योंकि वे जानती हैं कि इससे पश्चिम सीमा पर दबाव कम हो जायेगा । पश्चिम जमर्नी के विदेश मन्त्री ने कहा है कि चीन का बड़ी शक्ति होना सुदूर पूर्व में शांति स्थापित रखने के लिये बहुत जरूरी है । रूस के प्रतिनिधि ने चीन और पश्चिम जमर्नी की बढ़ती हुई मित्रता पर चिन्ता व्यक्त की है ।

संसार में एक और बड़ी शक्ति है, जिसकी ओर हमें देखना चाहिये और वह है जापान। जापान इस समय इस स्थिति में है कि वह जब चाहे अणु बम बना सकता है तथा उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत है। विश्व के राष्ट्रों में उसका स्थान चौथा है तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में उसका बड़ा प्रभाव है । हमारे ऊपर इन चार बड़ी शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का प्रभाव पड़ रहा है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति बनानी चाहिये ।

मैंने अब तक रूस का उल्लेख नहीं किया था । रूस के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं तथा रूस की मित्रता से हमें काफी लाभ हुआ है। परन्तु रूस आज स्वयं अपनी सीमाओं पर चीनी हमलों का शिकार है। यदि वह चीन के साथ सीमा-विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लेता है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी । चीन भारतीय उपमहाद्वीप में शांति चाहता है तथा ताशकंद-करार इसका प्रमाण है । इससे भारत और पाकिस्तान दोनों को लाभ हुआ है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि रूस भारत के साथ

मित्रता बनाये रखना चाहता है, परन्तु आज स्थिति जिस तरह का मोड़ ले रही है उसे देखते हुए मैं रूस को सतर्क करना चाहता हूँ। उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। मैं रूस को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। पाकिस्तान की सैनिक हकूमत की मदद करने से न ही उस देश की जनता को लाभ होगा और न ही रूस को स्वयं इसका कोई लाभ होगा।

जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं कि वह पाकिस्तान के बारे में सब कुछ जानते हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1947 और वर्ष 1967 में बहुत अन्तर है। इस बीच इस महाद्वीप में एक करोड़ 50 लाख नये व्यक्ति जन्म ले चुके हैं। जब हम अपनी राजनीति में पीढ़ी के अन्तर की बात करते हैं, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिये कि इस समय इन देशों की दो-तिहाई जनसंख्या ऐसी है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अपरिचित है और जो उस संघर्ष से अपरिचित है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिये किया गया था। इसलिये अब पाकिस्तान और हमारे बीच नये दृष्टिकोण बनाने होंगे। क्योंकि पाकिस्तान तथा हमारे बीच जितने भी विवाद हैं उन सब को दोनों देशों के लोगों की सद्भावना से ही हल किया जा सकता है। विदेशी हथियारों की सप्लाई अथवा विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप से उनको नहीं सुलझाया जा सकता। उन विवादों को तब ही निपटाया जा सकता है जब कि दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भाव हो। सद्भाव की भावना पैदा होने के बाद काश्मीर तो क्या किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बलपूर्वक कोई भी देश हमारी एक इंच भूमि भी नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे देश में चाहे जितनी पार्टियाँ हों, क्षेत्रवाद आदि के चाहे जितने झगड़े हों, परन्तु बहारी हमला होने पर हम सब एक हैं।

पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसके प्रति हमें गहरी चिन्ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में प्रजातंत्रात्मक सरकार बने।

बड़ी शक्तियों में अधिक से अधिक हथियार बनाने की होड़ लगी हुई है। वर्ष 1929 से वर्ष 1968-69 तक अमरीका के सैनिक-खर्च में लगभग 74 गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार रूस में भी भारी मात्रा में हथियार बनाये जा रहे हैं। इन सब बातों का प्रभाव क्या होता है? इनका प्रभाव यह होता है कि उन हथियारों को गरीब तथा पिछड़े हुए देशों पर थोप दिया जाता है। अतः जहाँ तक बड़ी शक्तियों के समीप आने का सम्बन्ध है, यदि उनके समीप आने से छोटे देशों का अस्तित्व समाप्त होता है, तो उनके समीप आने से मानवता को कोई लाभ नहीं होता। हमें इस बात पर विचार करना है। विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय में 60 डालर की वृद्धि हुई है, परन्तु अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय में केवल 2 डालर की वृद्धि हुई है। औद्योगिक रूप से विकासित तथा अविकासित अथवा धन और निर्धन राष्ट्रों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन का उद्घाटन करते समय प्रधान मन्त्री ने भी यह बात कही थी कि हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि अधिकांश मानवता गरीबी में नहीं रह सकती।

हमारे जैसे देश को जिसने सदा आदर्शवादी तथा प्रगतिशील रवैया अपनाया है ठीक मार्ग पर चलने वाले दूसरे देशों के लिए चाहे उनमें चीन ही क्यों न हो उदार रवैया अपनाना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों से पड़ोसी देशों में शिष्टमण्डल भेजा अथवा अधिकारीगण अथवा प्रधान मन्त्री की यात्रा का जो कार्यक्रम आरम्भ किया गया है वह बहुत अच्छा है। भारत ने शोषित तथा दबे देशों का सदा नेतृत्व किया है और आगे भी भारत को ऐसा करना है। हमारी धर्मनिरपेक्ष नीति का अरबों अथवा पेलेस्टीन आन्दोलन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री जुल्फीकार अली भुट्टो ने भी कहा था कि अरब समस्या का समाधान धर्म-निरपेक्षता की नीति अपना कर ही किया जा सकता है।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में एक नीति-निर्धारण कक्ष बनाया जाना चाहिए जिसमें विदेशी सेवा के लोग ही नहीं बल्कि उसमें प्रोफेसर और सार्वजनिक व्यक्ति भी होने चाहिए ताकि विचारों का आदान-प्रदान हो सके।

राष्ट्रपति डिगाल ने कहा है कि विश्व में संतुलन बनाये रखने के लिए भारत का होना आवश्यक है, यदि भारत को दुनिया में अपनी आवाज उठानी है जिसका कुछ अर्थ हो और जो अन्य लोगों से अलग हो, तो वह आवाज हमारे लोगों की होनी चाहिए जो कि गरीब तथा सीधे-साधे हैं परन्तु जो सदा न्याय, औचित्य और समानता का पक्ष लेते रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय पर चर्चा करते समय हमें सम्बन्धित मामलों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

माननीय वैदेशिक-कार्य मन्त्री को सर्वप्रथम कुछ विशेष समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। हिन्द महासागर के साथ भारत का एक विशेष सम्बन्ध है। हिन्द महासागर की स्थिति में कुछ परिवर्तन होने वाला है। कुछ सीमा तक तो यह परिवर्तन अच्छा है परन्तु कुछ सीमा तक यह परिवर्तन हमारे लिए चिन्ता का विषय है। परन्तु हमारी सरकार इस बारे में आत्मतुष्टि की नीति अपना रही है। माननीय मन्त्री को राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं की ओर सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए।। अतः हिन्द महासागर में राजनैतिक तथा नौसैनिक शक्ति के प्रयोजन के बारे में हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। हमारा पहला कार्य हिन्द महासागर में शान्ति बनाये रखने का होना चाहिए।

हमारी सरकार इस क्षेत्र के देशों में सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता नहीं दे रही है, जब कि इस क्षेत्र के अन्य देश हिन्द महासागर में हो रहे शक्ति-परिवर्तन से चिन्तित हैं और अपनी-अपनी नीतियों में परिवर्तित स्थिति के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे विदेश तथा प्रतिरक्षा मन्त्री को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है। जब हम सरकार का ध्यान 1971 के अन्त में एशिया से ब्रिटिशर्स द्वारा अपनी सेना हटाये जाने से उत्पन्न होने वाली स्थिति की ओर दिलाते हैं तो वे इसमें कोई रुचि नहीं दिखाते और हमें अपने अन्दर देखने का परामर्श देते हैं।

1962 और 1965 के युद्ध से यह सिद्ध हो गया है कि हमारी नौसेना में बहुत सुधार की गुजांयश है। यदि हमें हिन्द महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति अपनानी है तो नौसेना द्वारा नये-नये तकनीक अपनाये जाने को आवश्यकता है। माननीय मन्त्री द्वारा इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है कि हिन्द महासागर भारत का नहीं है। परन्तु हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर में भारत का प्रभाव हो, हमारी शक्ति अन्य देशों से अधिक हो ताकि बाहरी शक्तियों को इसमें घुसपैठ करने से रोका जा सके और इसमें नौवहन शक्तिपूर्ण ढंग से हो सके।

मेरा सुझाव है कि हमें अपनी नौसेना की मारक की शक्ति को बढ़ाना चाहिए ताकि दूसरे देश भारत को एक बड़ी नौसैनिक शक्ति के रूप में स्वीकार करें।

रूस द्वारा हिन्द महासागर में अपनाये जा रहे रवैये से भी हमें चिन्ता हो रही है। पिछले वर्ष मार्च में रूस का प्रशान्त महासागर का नौसैनिक बेड़ा सद्भावना यात्रा पर भारत आया था। इसने वलाडीवास्टांक से भारत में आने में दो सप्ताह से एक दिन कम लिया था परन्तु भारत से सोमालिय केवल ग्यारह दिनों में ही यह बेड़ा पहुँच गया था। मार्ग में उन्होंने नौवहन सम्बन्धी कितने चार्ट तैयार किये इस बारे में ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री को चिन्ता नहीं है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में हमें अपनी प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक–कार्य नीति के बारे में सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। भारत और बर्मा के सम्बन्धों में जो सुधार हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारत और वर्मा की सीमा का सीमांकन निर्धारित समय से एक मास पूर्व ही हो गया है।

भारत को हनोई तथा सैगोन पर अपना प्रभाव डालना चाहिए और युद्ध को रोकने का यत्न करना चाहिए। वहाँ के लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं और यह धर्म भारत से ही वहाँ पर गया है। भारत को इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में हमें यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिये कि हमारा और उनका भाग्य एक साथ जुड़ा हुआ है। हमने अणुशक्ति के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए एक अणुशक्ति एजेन्सी स्थापित करनी चाहिये जिसमें हम इन देशों को सहयोग करने के लिये आमंत्रित कर सकें।

जापान के साथ हमें विशेष सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। इससे भविष्य में क्षेत्रीय सहयोग में सहायता मिलेगी।

वास्तविकता को स्वीकार करते हुये हमें फार्मोसा के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये।

तिब्बत के बारे में हमें वास्तविक रवैया अपनाना चाहिये और पहले की गई गलतियों में सुधार करना चाहिये। पिछली अनेक शताब्दियों से तिब्बत एक स्वतन्त्र देश के रूप में रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्ण सामग्री वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पास उपलब्ध है। क्या माननीय मन्त्री तिब्बत के बारे में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करने की कृपा करेंगे?

हमें इस बात को मान्यता देनी चाहिए कि तिब्बती लोग अपनी विशेष स्थिति को बनाये रखना चाहते हैं और दलाई लामा इस बारे में प्रयत्यशील हैं। तिब्बती लोग

हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और हमें यह आशा रखनी चाहिये कि मध्य एशिया में एक नवीन स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें अनेक समुदाय शान्ति से रह सकेंगे ।

पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण रहने की हमारी इच्छा वास्तविकता और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है । हम जानते हैं कि हमारे विरुद्ध बहुत प्रचार किया गया है । परन्तु हमें ठोस कार्यवाही से इस गलत प्रचार का मुकाबला करना है । जब हम पाकिस्तान के बारे में भारतीय दृष्टिकोण अपनाने की बात करते हैं तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि हम पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं । हमें इन सब बातों पर भारत और एशिया के भविष्य को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये । क्या आगामी कुछ महीनों अथवा वर्षों में पूर्वी पाकितान में वियाना जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली है ? क्या उसको दबाने के लिये सैनिक-शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा ? क्या इस संदर्भ में पूर्वी पाकिस्तान के साथ हम अपने पुराने सम्बन्धों को भूल सकते हैं ? क्या हम कवि रविन्द्र नाथ टैगोर के पद्म मा नदी की यात्राओं को भुला सकते हैं ? इन सबके बावजूद हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध ऐसे हों जैसे कि अमरीका और कनाडा के आपस में हैं । परन्तु ऐसा करना दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है । माननीय विदेश मन्त्री के हाल ही के वक्तव्य से वहाँ के सैनिक शासन को समर्थन मिला है । पूर्वी पाकिस्तान के पृथक स्थायित्व के संरक्षण के लिये आस्ट्रिया का उदाहरण दिया जा सकता है । आस्ट्रिया की तरह पूर्वी बंगाल के पृथक स्थायित्व को बनाये रखना चाहिये अन्यथा विश्व की अन्य शक्तियाँ इस स्थिति से लाभ उठा कर इसके टुकड़े-टुकड़े कर देंगी । अतः हमें संघर्षों को हल करने के बारे में कोई नीति अपनानी चाहिये । केवल यह कह देना ठीक नहीं है कि किसी के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते ।

मध्यपूर्व में हमारी सरकार ने अपना काम और कठिन बना लिया है । इसरायल में अपना राजदूत नियुक्त किये बिना हम इनके संघर्ष का समाधान कराने में सहायता नहीं कर सकते ।

उस्सरी नदी के किनारे पर रूस और चीन में हुई झड़पों के बारे में प्रत्येक भारतीय रूस का ही समर्थन करेगा क्योंकि यह बात हमारे साथ भी हो चुकी है । परन्तु इसके साथ हमें चीन के अन्दर घट रही घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिये । बौद्ध धर्म को ध्यान में रखते हुए, जोकि आज भी चीन में पर्याप्त शक्तिशाली है, हमें समुद्र-पार के चीनियों से अपने सम्बन्ध सुधारने चाहिये । अतः चीन की हिन्सात्मक गतिविधियों की निन्दा करते समय हमें भविष्य पर भी नजर रखनी चाहिये । एक दिन मध्यपूर्व के इस क्षेत्र में चीन, रूस, मंगोलिया, तिब्बत और भारत के बीच बातचीत अवश्य आरम्भ होगी ।

ऐसी बात नहीं कि सरकार पख्तूनिस्तान के बारे में तथ्यों से अवगत नहीं है परन्तु सुस्ती तथा किसी डर से वह इस मामले को नहीं उठा रही है । यह मानवीय अधिकारों का मामला है । यह जानते हुए भी कि इग्लैंण्ड में हमारे देशवासियों का अपमान किया जा रहा है हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य बने हुए हैं ।

जिबराल्टर में भारतीयों को मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटेन के साथ समानता और पारस्परिक सम्बन्धों वाला रवैया अपनाया जाये।

माननीय मन्त्री ने अपने मन्त्रालय के प्रतिवेदन में बताया है कि भारतीय विदेशी सेवा सम्बन्धी समिति की पर्याप्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इसमें आगे चल कर कहा गया है कि जो सिफारिशें इस मन्त्रालय की प्रशासनिक क्षमता के अन्तर्गत आती हैं उनमें से अधिकांश को क्रियान्वित कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि उनके सलाहकारों ने उनको गलत जानकारी दी है। वस्तुतः केवल उन्हीं भागों को क्रियान्वित किया गया है जिससे स्वयं उनको लाभ होता है परन्तु पदोन्नति के हकदार अनेक लोगों को पदोन्नत नहीं किया गया है न ही उनको प्रोत्साहन दिया गया है। यदि इन मामलों में कोई सुधार नहीं किया जाता तो इनका उल्लेख करने का क्या अर्थ है ?

विदेश स्थित हमारे मिशन के एक उच्च अधिकारी ने जो गलती की है मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसकी पुत्री को जो कि विदेश में उसके साथ रहती है एक बच्चा हुआ है। अधिकारी ने विदेश कार्यालय विभाग में जा कर उस बच्चे के लिए उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। वहां के भारतीय समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है।

यह बड़े शर्म की बात है कि 15 अक्तूबर को प्रधान मन्त्री जिस होटल में ठहरी थीं उस पर भारतीय ध्वज को उलटा फहराया गया था।

मैं जानना चाहता हूँ कि वैदेशिक-कार्य मन्त्री ने गैर-सरकारी अभिकरणों तथा संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये हैं ? क्या उन्होंने विदेशों में स्थित अपने राजदूतों के कार्य का मूल्यांकन किया है। यदि माननीय मन्त्री में उत्साह है तो वह इस मन्त्रालय के फालतू विभागों को समाप्त करेंगे तथा ऐसी नीति बनायेंगे जिससे मानव शान्ति तथा भारत के राष्ट्रीय सम्मान का संरक्षण किया जायगा।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : मैं श्री सोंधी पर आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने सभा को गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उलटा फहराया गया था।

श्री म० ला० सोंधी : मेरे पास उसका फोटो है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ही इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री के० आर० गणेश : (अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : स्वतंत्र दल के माननीय सदस्य के भाषण से ऐसा प्रतीत होता था कि वह अभी भी 1920 अथवा 1930 की अवधि में रह रहें हैं ; पता नहीं वह भारत की वैदेशिक नीति की अलोचना कर रहे थे अथवा रूस की विदेशी नीति की। विरोधी दल सदा से ही यह कहते आ रहे हैं कि भारत की विदेश नीति असफल रही है, भारत की प्रतिष्ठा विश्व में कम हुई है और विदेशों में भारतीयों का सम्मान नहीं है। देश की विदेश नीति पूर्णतया असफल रही है।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 23वें सत्र में मैंने भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में भाग लिया था। मैंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत निकट से देखा है। संयुक्तराष्ट्र महासभा के कार्यसंचालन में भारत ने जो अंशदान दिया है उसको भी मैंने देखा है। हम जिस प्रकार इस सभा में विदेशी मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं वह ढंग अन्तर्राष्ट्रीय ढंग से बिल्कुल पृथक है।

यह सच है कि चार बड़ी शक्तियों को छोड़ कर संयुक्तराष्ट्र संगठन की अधिकांश समितियों में भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह हमारे देश के लिए एक सम्मान की बात थी कि एक भारतीय को छटी समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। यह समिति बहुत महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली है। यह भी सच है कि एफ्रो–ऐशियाई ग्रुप में यह एक मुख्य रोल अदा कर रहें हैं। यह भी सच है कि भारत ने संयुक्तराष्ट्र के कार्यसंचालन में तथा संकल्प पास कराने में मुख्य भाग लिया है चाहे ये संकल्प पश्चिमी-एशिया, वियतनाम, जातिवाद को समाप्त करने अथवा दक्षिण-अफ्रीका के स्वतन्त्रता-संग्राम का समर्थन करने तथा पुर्तगाल की बस्तियों के लोगों के बारे में ही क्यों न रहे हों।

भारत ने संयुक्तराष्ट्र की तीसरी समिति में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों में भाग लेने वाले बन्दियों को जेनेवा तथा हेग रूढ़ि के अन्तर्गत युद्ध के बन्दियों को दिये गये रुतबे को दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया था।

यह हमारी विदेश नीति की सफलता की निशानी है कि विश्व की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ अर्थात् रूस और अमरीका हमारे साथ परस्पर आधार पर अनेक विषयों के बारे में समय–समय पर बातचीत करती रहती हैं। देश की ठीक विदेश नीति के कारण ही आप लोगों में हमारे प्रति मित्रता की भावना पाई जाती है। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय जो देश हमारे पक्ष में नहीं थे उन्हों भी अब हमारे प्रति मित्रतापूर्ण रवैया अपनाया है।

प्रधान मन्त्री की लातीनी अमरीकी देशों की, आस्ट्रेलिया, बर्मा, न्यूजीलैन्ड की यात्रा से तथा जापान और इन्डोनेशिया की उनकी प्रस्तावित यात्रा से ये संकेत मिलते हैं कि हम अपनी नीति में लचक ला रहे हैं और नये मित्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारे प्रधान मन्त्री ने संयुक्तराष्ट्र महासभा के समक्ष जो भाषण दिया था उसको अधिकांश देशों द्वारा विश्व की समस्याओं के बारे में एक ठोस अंशदान माना गया है।

यह सच है कि विश्व में नई स्थिति उत्पन्न हो रही है और हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस स्थिति का विस्तार से अध्ययन करें। यह सच है कि सैनिक संधियाँ या तो खत्म हो गई हैं या फिर इनका महत्व खत्म होता जा रहा है।

अनेक छोटे और मध्यम श्रेणी के देश अपनी स्वतन्त्रता को मनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अनेक देश गुटों से पृथक रहने की नीति अपना रहे हैं।

जहाँ तक चीन का सम्बन्ध है अमरीका की राय में इस सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन हुआ है। अतः हमारे लिए इस परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान लगाना अनिवार्य है।

रूसी-चीनी झड़पों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य घटना घटी है और हमें इस घटना का गहराई में अध्ययन करना होगा। हमें यह देखना है इन घटनाओं की रोशनी में हम अपने राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार लाभ पहुँचा सकते हैं।

हमारी विदेश नीति के आधार श्री नेहरू द्वारा स्थापित किये गये थे और ये आधार हैं, गुटों से पृथक रहना, शान्तिपूर्ण-सह-अस्तित्व, विश्व में तनाव कम करना आदि। इनसे हमारे देश के हितों को लाभ भी पहुँचा है।

यह कहा गया है कि हमें तिब्बत के मामले को उठाना चाहिए और फार्मोसा से सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। हमें तिब्बती लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है परन्तु इससे हमारे राष्ट्रीय हितों को लाभ नहीं पहुँच सकता विशेषकर ऐसे समय में जबकि स्वयं अमरीका चीन से तनाव कम करने का प्रयत्न कर रहा है। यदि ऐसे समय में हम फार्मोसा से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो इसका अर्थ चीन से स्थायी रूप से तनाव को उत्पन्न करना है।

जहाँ तक वियतनाम का प्रश्न है स्वयं दक्षिण वियतनाम सरकार ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को मान्यता दे दी है और वह उससे बातचीत करने को तैयार है। अमरीका भी वियतनाम युद्ध से निकलने की तैयारी कर रहा है। उसके विचारों में भी परिवर्तन हुआ है, अतः दक्षिण वियतनाम में हो रही घटनाओं की निन्दा करने से हमारे राष्ट्रीय हितों को किसी प्रकार भी लाभ नहीं पहुँचेगा।

बार-बार यह कहा गया है कि हमें इसरायल को मान्यता दे देनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि अमरीका भी इस समय नई नीति अपनाने के बारे में विचार कर रहा है। चार बड़ी शक्तियाँ दोनों पक्षों को स्वीकार्य सूत्र निकालने का प्रयत्न कर रही हैं ताकि मध्य-पूर्व की समस्या का कोई शांतिपूर्ण हल निकल आये। अतः ऐसे समय में अपनी नीति में परिवर्तन करने से हमारे राष्ट्रीय हितों को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। जैसा कि इस सभा में पहले बताया जा चुका है अरबों के साथ हमारे व्यापारिक, सांस्कृतिक और अन्य राजनैतिक सम्बन्ध हैं। अरबों के साथ हमारा 80 करोड़ रुपये का व्यापार है।

हमारे माननीय मित्रों ने जो विकल्प बताये हैं उससे प्रशान्त महासागर से लेकर जिबराल्टर तक हमारे शत्रु ही शत्रु हो जायेंगे। हम तो पाकिस्तान और चीन के साथ भी मित्रता का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

ब्रिटिश सेनाओं के हटा लिए जाने से दक्षिण-पूर्वी एशिया में उत्पन्न होने वाली शक्ति-शून्यता का बार-बार उल्लेख किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें चिन्ता की क्या बात है। हमें तो इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए कि अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देश दक्षिण-पूर्वी एशिया से निकल रहे हैं।

विश्व के इस क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकता है। दूसरे, यदि इस क्षेत्र के देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना लें और अपने विकास-कार्यक्रमों में अपने लोगों

को शामिल करें तो शक्ति-शून्यता से डरने की कोई बात नहीं है। हमें इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध मजबूत बनाने चाहिए ताकि संकट के समय वे एक दूसरे का साथ दे सकें। अतः हमें इस क्षेत्र के बारे में परिवर्तनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

हमारे लिये वियतनाम में समझौता कराने तथा पश्चिम एशिया के संकट को हल कराने तथा अफ्रीका में पुर्तगाल की कालोनियों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को सहायता देना भी आवश्यक है। इस बात को देखते हुये पश्चिम-जर्मन का चीन के साथ व्यापार है और वह पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है। हमें जर्मन लोकतंत्रात्मक राज्य को मान्यता दे देनी चाहिये।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) मैं नये विदेश मन्त्री को बधाई देता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था कि वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय सुस्त तथा अकुशल है, नये मंत्री को इस मंत्रालय के कार्य-संचालन में तेजी लानी चाहिये।

मेरा अपना अनुमान यह है कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है और कम होती जा रही है। हमारे देश की विदेश नीति कुछ देशों के दबाव के अन्दर बनाई जाती है। हमारी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है।

हमारे देश की प्रतिष्ठा को कम करने में हमारे राजदूतों, उच्चायुक्तों तथा अन्य अधिकारियों का हाथ है जो कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते हैं अथवा इसके लिये जिम्मेदार मन्त्रियों द्वारा विदेशों में कही गई कुछ गैर-जिम्मेदारी वाली बातें हैं। श्री चागला ने 1964 अथवा 1965 में सिंगापुर की यात्रा की थी। उनके सम्मान में एक समारोह किया गया जिसमें सिंगापुर सरकार के अधिकारियों तथा भारतीय लोगों ने भाग लिया था। उसमें माननीय मन्त्री ने सिंगापुर सरकार को 8 घोड़े उपहार में देने की घोषणा की। इस बारे में सिंगापुर के समाचार-पत्रों ने बड़े-बड़े प्रशंसात्मक लेख लिखे।

हाल ही में मन्त्री-मंडल के एक सदस्य ने पौलेण्ड का दौरा किया और वहाँ प्रधान मंत्री के बारे में बातचीत शुरू होने पर उन्होंने कहा है कि मैं प्रधान मंत्री की बिल्कुल परवाह नहीं करता। विधि मंत्री, श्री गोविंद मेनन ने अमरीका का दौरा करते हुए भारत के बारे में कुछ असंगत बातें कहीं जब कि मद्रास के स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अनादुरै ने भारत सरकार की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाई। मैं यह कह सकता हूँ कि विदेशों में देश की प्रतिष्ठा खराब करने के जिम्मेवार व्यक्ति विरोधी दल में नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल में हैं।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय की नीतियों में लचकीलापन आना चाहिये। हमारे अधिकांश राजदूतों को देश में होने वाली घटनाओं कों जानकारी नहीं है। विदेशी मन्त्रालय देश में होने वाली घटनाओं से उन्हें तुरन्त अवगत नहीं कराता है। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये। भारत की प्रतिष्ठा में कमी आयी है और विदेशी मन्त्रालय को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। हम अपने मित्रों को शत्रु बना लेते हैं। हमने गत 20 वर्षों में कई देशों को अपना शत्रु बनाया है।

अब पाकिस्तान की सहायता न केवल चीन और अमरीका बल्कि रूस भी कर रहा है परन्तु हमने अपने आप को पृथक कर लिया है। हमें बताया जाता है कि हमारी विदेशी

नीति तटस्थता पर आधारित हैं। तटस्थता का अर्थ है कि विश्व के सभी देशों को मान्यता दी जाये। मुझे संदेह है कि सरकार देश की नीति स्वेच्छा से बनाती है। सरकार पर दबाव डाला जाता है कि कुछ देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाये रखे तथा कुछ देशों के साथ सम्बन्ध तोड़ दें।

गत कई वर्षों में विरोधी सदस्य तथा कुछ विचारवान कांग्रेसी सदस्य इस बात के लिए आग्रह करते रहे हैं कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाये जायें, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। शायद श्री दिनेश सिंह इसके कुछ आर्थिक कारण बतायें परन्तु मैं नहीं समझता कि उसमें कोई तर्क है। पश्चिम जर्मनी के चांसलर, श्री केसिंगर ने अपने भारत के दौरे के दौरान कहा था कि यदि भारत ने जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाये तो पश्चिम जर्मनी इसे अमैत्रीपूर्ण रवैया समझेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह दबाव डालना अथवा धमकी अथवा हस्तक्षेप नहीं है ?

पश्चिम जर्मनी से चीन को सैनिक सामान सप्लाई किया जा रहा है और अमरीका पश्चिमी जर्मनी को सैनिक सामान देता है। यूगोस्लाविया ने 1957 में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाये तब भी दोनों देशों के राजनयिक सम्बन्ध बने रहे। बर्मा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका ने पश्चिमी जर्मनी की धमकी की परवाह न करते हुये पूर्व जर्मनी के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान श्रीलंका की नागरिकता के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूँ। इन सम्बन्ध में मैं श्रीलंका के एक जिम्मेवार व्यक्ति से संसद् में द्रविड़ मुन्नेज कषगम के नेता श्री अंबांचेजियान को मिले एक पत्र की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि यद्यपि हम मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के इच्छुक हैं, श्रीलंका सरकार श्रीमोवो-लालबहादुर शास्त्री करार के अक्षत तथा भावना का उल्लंघन कर रही है। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

विदेशो में जाने वाले भारतीयों के प्रति रवैये में एयर-इण्डिया वालों तथा भारतीय दूतावासों में बहुत अन्तर है। एयरइ-इण्डिया वाले विदेशों में जाने वाले भारतीयों की सहायता करते हैं जब कि दूतावास उनकी बिलकुल परवाह नहीं करते। अधिक अच्छा होगा कि विदेशों में भारतीय दूतावास बन्द कर दिये जायें और समूचा कार्य एयर-इण्डिया को सौंप दिया जाये।

श्री दिनेश सिंह का यह कर्तव्य है कि वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय का पुनर्गठन करें और यह सिद्ध करें कि वह एक प्रगतिशील मन्त्री हैं जिनके विदेश मन्त्री बनने पर मन्त्रालय ने संसद् सदस्यों के सुझावों-अनुसार कार्य करना शुरू किया है।

वैदेशिक—कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : कुछ सदस्यों ने विदेशी नीति की आलोचना की है और कुछ ने कहा है कि हमारी विदेशी नीति है ही नहीं। इन बातों का उत्तर माननीय मन्त्री स्वयं देंगे।

हमारा देश शान्तिप्रिय देश है और हमारी इच्छा है कि हमारे सम्बन्ध अपने सभी पड़ोसी देशों से शान्ति तथा मित्रतापूर्वक रहें। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, पारस्परिक प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता के सम्मान के आधार पर विश्व के किसी देश के साथ बातचीत के लिए हमारे द्वार खुले हैं। इस आधार पर हम विश्व के यथासम्भव अधिक देशों के साथ, विशेषतया दक्षिण-पूर्वी एशिया, एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

श्रीलंका के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और हमारे प्रधान मन्त्री के श्रीलंका के पिछले वर्ष के दौरे तथा श्रीलंका के प्रधान मन्त्री के इस वर्ष भारत के दौरे में हमारे सम्बन्ध और सुदृढ़ हुए हैं। श्रीलंका में भारत मूलक व्यक्तियों की समस्या सफलतापूर्वक हल हो गई है। 1964 में भारत-श्रीलंका करार को दोनों पक्ष संतोषजनक तरीके से लागू कर रहे हैं। श्रीलंका में नागरिकता के लिये प्राथना-पत्रों पर शीघ्रता तथा सहानुभूति से विचार किया जा रहा है। वहाँ से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिये हमने पुनर्वास की योजनाय बनाई हैं। कच्चाटीवू का प्रश्न दोनों सरकारों के विचार-विमर्श से हल किया जायेगा तथा प्रधान मंत्रियों के बीच यह निर्णय हो चुका है कि कोई करार होने तक यथापूर्व स्थिति बनी रहेगी। हमें विश्वास है कि इस समस्या का संतोषजनक हल निकल आयेगा।

बर्मा के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। प्रधान मन्त्री ने हाल ही में बर्मा का दौरा किया है। आशा है कि कुछ समस्याओं का शीघ्र ही संतोषजनक रूप निकल आयेगा। वहाँ की मुख्य समस्या भारत मूलक लोगों की सम्पत्तियों के लिये प्रतिकर देने के बारे में है। कथित आर्थिक अपराधों के लिये अवरुद्ध किये गये भारतीय राष्ट्रजनों के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय करने के लिये बर्मा सरकार सहमत हो गई है। बर्मा-भारत सीमा का मामला संतोषजनक तरीके से चल रहा है और निर्धारित समय से पूर्व 240 मील सीमा की निशानदेही की जा चुकी है।

नेपाल के साथ हमारे युगों के सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध हैं। हमारे पारस्परिक मतभेद सहयोग तथा मैत्री की भावना में हल करने का प्रयत्न करते हैं। नेपाल के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में हमारी बहुत रुचि है। हम उस देश को यथासम्भव सहायता दे रहे हैं। नेपाल के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं में हमारा योगदान सर्वाधिक है। हमने नेपाल को अश्वासन दिया है कि उस देश में किसी प्रकार का उद्योग स्थापित करने में हम उनकी यथासम्भव सहायता करेंगे। नेपाल के साथ हमारा व्यापार संतोषजनक तरीके से बढ़ रहा है।

हमारे भरसक प्रयत्न के बावजूद पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य नहीं हुए हैं। हम केवल इस बात की आशा ही कर सकते हैं कि किसी न किसी दिन वे देश शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के महत्व को समझेंगे।

भारत का एशिया तथा हिन्द महासागर के देशों में सामरिक तथा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे तथा इस क्षेत्र के सभी देशों का हित इसी में है कि इस क्षेत्र में शान्ति तथा सहयोग हो

न कि तनाव। हमारी नीति यह है कि इस महासागर में किसी विदेशी शक्ति को सैनिक अथवा समुद्री अड्डे नहीं बनाने चाहियें।

विदेशों में भारतीय दूतावासों की जो आलोचना की गई है, वह ठीक नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारी समूची राजनयिक सेवा बेकार है। हमारे राजनयिक सुशिक्षित तथा सभ्य हैं और उन्हें हमारी संस्कृति, उद्योग तथा पृष्ठभूमि का पूरा ज्ञान है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करते समय उचित सावधानी बरती जाती है। उन्हें विदेशों में भेजने से पहले हमारी संस्कृति तथा आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में सफलताओं से अवगत कराया जाता है। फिर उन्हें 'भारत दर्शन' के लिए भेजा जाता है। बाद में दूतावासों के साथ लगातार पत्र-व्यवहार होता रहता है तथा उन्हें देश की सभी घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है।

सभी दूतावासों को स्पष्ट निदेश दिए गये हैं कि दूतावास में जाने वाले सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की पूरी सहायता दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मिली सभी शिकायतों की जाँच की जाती है। परन्तु उनकी कुछ वित्तीय तथा अन्य सीमायें होती हैं।

विदेशी दूतावासों के व्यय को यथासम्भव कम रखने के लिये यथासंभव प्रयत्न किये जाते हैं और उनमें मितव्ययता लाने के लिये कई उपाय किये जाते हैं।

हम अफ्रीका के देशों को अधिक महत्व देते हैं और उनके साथ सहयोग के लिए हमने पिछले कई वर्षों में कई कार्यवाहियाँ की हैं। अफ्रीका के बहुत से देशों ने अभी हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त की है। हमें उनकी सहायता करके प्रसन्नता होगी। गत फरवरी में अदीस अबाबा में हुई एक बैठक में मैंने बताया था कि भारत सरकार अफ्रीका के देशों के साथ सहयोग करने की बहुत इच्छुक है और हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं।

हम कई तरीकों से अफ्रीकी देशों को सहयोग दे रहे हैं। उनके विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियाँ दे रहे हैं, प्रशिक्षण सुविधायें दे रहे हैं और अफ्रीकी देशों में उद्योग स्थापित करने के लिए सामान भेज रहे हैं तथा वहाँ अध्यापक और तकनीकी विशेषज्ञ भेज रहे हैं।

भारत सरकार की नीति यह है कि अफ्रीकी देशों में साम्राज्यवादी शासन समाप्त होना चाहिये तथा पुर्तगाल आदि देशों के उपनिवेशों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। हमने प्रत्येक अवसर पर और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस मामले को उठाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ महा सभा में तथा 24 देशों की समिति में हमारे प्रयत्नों तथा अन्य मित्र देशों के प्रयत्नों में अफ्रीका में उपनिवेशवाद की निन्दा करने के कई संकल्प पारित किये हैं। हमें आशा है कि हम एक दिन विश्व-मत ऐसा बना लेंगे कि पुर्तगाल के लिए उन बस्तियों पर नियंत्रण जारी रखना सम्भव नहीं रहेगा।

स्वतन्त्रता के लिये संग्राम कर रहे देशों के लोगों को हमने शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराई हैं ताकि वे अपने देशों में जा कर स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर सकें।

रोडेशिया के बारे में हमारा विचार यह है कि वहाँ किसी भी संवैधानिक ढाँचे में एक-व्यक्ति-एक मत का सिद्धांत लागू होना चाहिये। हमारा विचार यह है कि रोडेशिया

को स्वतन्त्र कराने की जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार पर है। हम हाल ही के "फीयरलैंस" प्रस्तावों के विरुद्ध हैं। हमारा यह भी विचार है कि गैर कानूनी स्मिथ शासन को समाप्त करना भी ब्रिटिश सरकार की जिम्मेवारी है। हम ब्रिटिश सरकार द्वारा बल प्रयोग करने के पक्ष में हैं। हम ब्रिटिश सरकार के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि रोडेशिया को निर्यात अथवा आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से स्मिथ सरकार ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिये बाध्य होगी। जब तक उसे दक्षिण-अफ्रीका तथा अंगोला जैसी पुर्तगाली बस्तियों से सामान मिलता रहेगा इन प्रतिबन्धों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केनीया तथा कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में अफ्रीकीकरण की नीति से भारत मूलक लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उन देशों से निकलने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है जिसमें वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनमें जो भारतीय नागरिक हैं उनके प्रति हमारी पूरी जिम्मेवारी है। परन्तु जहाँ तक उन भारतीयों का सम्बन्ध हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, वे अन्य देश के नागरिक हैं परन्तु फिर भी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उनकी यथासम्भव सहायता करें। जब परिस्थितियों के कारण ऐसे लोग अफ्रीका छोड़ने के लिये बाध्य हो गये तो ब्रिटिश आप्रवास अधिनियम के अन्तर्गत उनका ब्रिटेन में दाखिल होना कठिन हो गया। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ एक करार द्वारा इस समस्या को हल किया गया है। वे कुछ समय के लिये भारत आ कर अन्त में ब्रिटेन जा सकेंगे तथा यदि वे ब्रिटेन न जाना चाहें तो भारत में रह सकेंगे। हम उन्हें कुछ सुविधायें भी दे रहे है।

उन व्यक्तियों की आस्तियाँ भारत में लाने के बारे में कठिनाई है। जहाँ तक भारतीय नागरिकों का सम्बन्ध है, हम यह सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास मामला उठा रहे हैं कि उन्हें अपनी समूची पूंजी भारत में लाने की अनुमति दी जाये। ब्रिटिश पासपोर्ट वाले व्यक्तियों का मामला हम उस प्रकार बलपूर्वक नहीं उठा सकते जिस प्रकार अपने नागरिकों का उठा सकते हैं तथापि उनका मामला उठाने का भी हमारा विचार है।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : गुटनिरपेक्षता का किसी देश को मान्यता देने के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मान्यता के लिये राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखना होगा। पाकिस्तान की भाँति इस्राइल भी धर्म के आधार पर बनाया गया है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान बनने से हमें कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की भाँति इस्राइल भी आक्रान्ता है।

जहाँ तक फार्मोसा का सम्बन्ध है, चीन के साथ हमारे सम्बन्ध पहले ही बिगड़े हुए हैं तथा यह देखना विदेश मंत्रालय का काम है कि उनमें और जटिलता न आने पाये। इसके अतिरिक्त 1962 को चीनी आक्रमण की फार्मोसा ने एक भी बार निन्दा नहीं की बल्कि उसने माओ-त्से-तुंग के पक्ष का समर्थन किया है। अतः उसे मान्यता न देने के पर्याप्त कारण हैं।

पूर्वी जर्मनी के प्रश्न पर पश्चिमी देशों के दबाव डालने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । परन्तु मैं पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने का समर्थन करता हूँ ।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या रोडेशिया के बारे में हमारी नीति कमजोर नहीं है ? ब्रिटेन ने रोडेशिया के प्रश्न पर कोई दबाव नहीं डाला है परन्तु एंगुएला में अपनी सेनायें भेज दी हैं ।

भारत के प्रति शत्रुता में पाकिस्तान तथा चीन दोनों का निहित स्वार्थ है । पाकिस्तान भारत के प्रति घृणा पर अपना अस्तित्व बनाये हुए है । भारत सरकार कई वर्षों से उससे बातचीत करने का प्रयत्न करती रही है परन्तु कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है । फ्रांस सदा हमारा मित्र रहा है । हमने चीन के साथ मतभेद दूर करने के लिए फ्रांस का बिलकुल कोई लाभ नहीं उठाया है । हमें पाकिस्तान में किसी भी लोकतन्त्रात्मक आंदोलन का समर्थन करना चाहिये ।

हममें इतनी शक्ति होनी चाहिये कि हम सोवियत संघ को भी स्पष्ट रूप से कह सकें कि पाकिस्तान को शस्त्र देकर वह इस क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है । चीन के साथ मैत्री करने के और प्रयत्न किये जाने चाहिये ।

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौंतीसवाँ प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

केरल में नारियल जटा उद्योग

COIR INDUSTRY IN KERALA**

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : नारियल जटा उद्योग का केरल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है । इससे केरल में 5 अथवा 6 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस उद्योग की सदा उपेक्षा की है, प्रथम योजना के प्रथम वर्ष में केन्द्र तथा राज्य ने 302 लाख रुपये व्यय किये हैं । उसमें से केन्द्र ने केवल 42 लाख रुपये का अनुदान दिया है और राज्य सरकार ने 141 लाख रुपये व्यय किये हैं ।

इस उद्योग में श्रमिकों की दशा दयनीय है । केन्द्र केरल से सदा उपनिवेश जैसा व्यवहार करता रहा है । वे केरल में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के संसाधन जुटाते हैं तथा बदले में कुछ नही करते हैं । अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये नारियल जटा उद्योग में सुधार करने की बहुत गुंजाइश है, फिर भी इस दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा है ।

**आधे घन्टे की चर्चा

**Half-an-Hour Discussion.

बड़े-बड़े व्यापारी छोटे-छोटे कारखाने स्थापित करते हैं ताकि उन पर श्रमिकों सम्बन्धी कानून लागू न हो । वे मजदूरों से 10 से 12 घंटे तक प्रति दिन कार्य करवाते हैं । कताई कारखानों में स्थिति और भी अधिक खराब है । उनमें महिला मजदूरों की मजूरी 25 पैसे से 1 रुपया तक है। इस में सुधार के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । भूसी की सप्लाई का कार्य सहकार समितियों को दिया जाना चाहिये । संशलिष्ट कपड़े की ओर से हमें बड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है । विदेशों में हमारी मंडियों में कमी होती जा रही है । नारियल जटा उद्योग को अपने उत्पादों में सुधार करना होगा। साथ में मजदूरों की स्थिति में भी सुधार करना होगा ।

राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक योजना केन्द्र सरकार को भेजी थी । इस योजना के गुणों को स्वीकार किया जाता है परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा। बड़े खेद की बात है कि उस योजना पर निराधार आपत्तियाँ उठा कर उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । केरल सरकार नारियल जटा योजना के लिये बहुत थोड़ी राशि नियत कर पायी है। उन्होंने केन्द्र से पर्याप्त सहायता की आशा में पंचवर्षीय योजना के लिये 15½ करोड़ रुपये की योजना भेजी है। इसमें कुछ अनुदान होगा और कुछ ऋण होगा ।

रिज़र्व बैंक से ऋण प्राप्त करना होगा। बैंक ने सहकारी क्षेत्र को ऋण देने के बारे में हाल ही में नियम बनाये हैं । परन्तु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने में वर्षों लग जायेंगे । कम से कम 5 से 8 बरस तक इससे उद्योग को बहुत धक्का लगेगा । अतः केन्द्रीय सरकार को स्वयं ऋण दे कर सहायता करनी चाहिये ।

नारियल जटा उद्योग से सरकार को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस सहायता के मिल जाने से यह आय दुगुनी से अधिक हो जायेगी। अतः सरकार से अनुरोध है कि माँगी गयी 15 करोड़ रुपये की राशि तुरन्त उपलब्ध करे। इस उद्योग को राष्ट्रीय उद्योग माना जाये और इस पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से विचार किया जाये ।

केन्द्रीय सरकार इंजीनियरी उद्योग के निर्यात के लिये राज-सहायता दे रही है । नारियल जटा उद्योग के बारे में भी ऐसा ही किया जाना चाहिये । सरकार खादी जैसे उद्योगों पर लाखों रुपया व्यय कर रही है। नारियल जटा उद्योग में 5 से 6 लाख तक लोग कार्यरत हैं और यह विदेशी मुद्रा अर्जित करता है । इसे भी राज-सहायता मिलनी चाहिये । सरकार को अन्य देशों को निर्यात करने के तैयार माल के मूल्यों के बारे में अन्य देशों से समझौते करने चाहियें। इस बारे में सरकार को भी कार्यवाही करनी चाहिये ।

हमारे देश में कुछ व्यापारी निर्यातक है । मजदूरों की यह लम्बे समय से माँग है कि व्यापारी निर्यातकों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। इस बारे में नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये ।

विदेशों से जो आर्डर प्राप्त होते हैं सरकार उन्हें कुछ बिचौलिया एजेन्सियों के द्वारा देती है। इन बिचौलिया एजेन्सियों की पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए राज्य व्यापार निगम की सहायता प्राप्त की जा सकती है। इससे मजदूरों को लाभ होगा ।

देश को आन्तरिक मन्डी के विकास के लिये सरकार कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर रही है। नारियल जटा बोर्ड को माल लाने तथा ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में अन्य अनेक प्रस्ताव भी केन्द्रीय सरकार के पास भेजे गये हैं। उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिए। मजदूरों की सहकार समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करती हूँ कि वह राज्य में आयें और मजदूरों की दशा का स्वयं अध्ययन करें और उनकी सहायता करें। नारियल जटा उद्योग के प्रति उपेक्षा का रवैया समाप्त किया जाना चाहिये। केरल राज्य को अन्य राज्यों के समान समझना चाहिए।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : कुछ दिन हुए केरल के मुख्य मन्त्री ने मुझे इस बारे में बताया था और मैंने कुछ करने का आश्वासन दिया था। मैं नारियल जटा उद्योग के महत्व को समझता हूँ। इसका केरल में तथा देश के निर्यात व्यापार में विशेष स्थान है। इस में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं। इस उद्योग के पुनर्गठन सम्बन्धी योजना का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आँकड़े प्रस्तुत करके बता सकता हूँ कि किस प्रकार केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष इस उद्योग और केरल सरकार की सहायता करती रही है। वैसे इसमें सन्देह नहीं कि इसमें अधिक धन लगाने की आवश्यकता है। केरल सरकार ने 15.56 करोड़ की एक योजना भेजी है। हमें देखना होगा कि क्या यह योजना इस बारे में निर्धारित कसौटियों पर पूरी उतरती है अथवा नहीं। इसके लिये इसमें अन्य राज्यों का भाग होना भी आवश्यक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इसमें पश्चिम बंगाल सरकार भी तो है।

श्री ब० रा० भगत : यह मुख्य रूप से केरल से सम्बन्धित है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करके 90 से 52 कर दी गयी है। यह योजना उनमें नहीं आती। यदि इसको उनमें शामिल किया गया तो बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी। मुख्य प्रश्न वित्त उपलब्ध करने का है। अतः इसके लिये कृषि मन्त्रालय अथवा उद्योग मन्त्रालय सहायता उपलब्ध कर सकते हैं।

मेरे सहयोगी श्री रघुनाथ रेड्डी 21 फरवरी को केरल गये थे और वहाँ उनकी केरल सरकार वालों से बैठक हुई थी। मैं मानता हूँ कि रिज़र्व बैंक द्वारा प्रक्रिया तैयार करने में समय लगता है। उसके द्वारा राशि मंजूर करने में समय लगेगा। इसमें होने वाली कठिनाई को मैं समझता हूँ। परन्तु कार्यकारी पूँजी का प्रश्न मुख्य प्रश्न है। इसे बैंकों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

ऐसी बात नहीं कि सरकार केरल अथवा इस उद्योग को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। केरल के लिये चौथी योजना तैयार की जायेगी और यह कार्यकारी पूँजी बैंकों से प्राप्त करनी होगी। वैसे हम योजना आयोग से सम्पर्क स्थापित करेंगे। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। केरल सरकार की योजना पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। अभी हम अन्तिम निर्णय नहीं कर सके हैं। हम महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नारियल जटा उद्योग का विशेष महत्व है। इसकी समस्याओं को हल करना हमारा कर्तव्य है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I want to know as how much coir goods were exported during 1968 and the value received from this and the share of Kerala and Centre in it ? I want to know further the scheme prepared for research to improve the technique of this industry ? What is the exact number of workers in this industry ? What are allocations made for this industry in Fourth five-Year Plan ?

श्री० ब० रा० भगत : चौथी योजना अभी तक तैयार नहीं । अतः मैं ठीक-ठीक आंकड़े नहीं दे सकता । 1967–68 में अप्रैल से जनवरी तक 10.73 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ । इस उद्योग में लगे व्यक्तियों के बारे में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । यह मैं बाद में दे सकता हूँ । उद्योग में अनुसंधान तथा विकास कार्य को देखने के लिये समन्वय बोर्ड है । यह नारियल जटा उद्योग के द्वारा होता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने विदेशों में बिकने वाले भारतीय माल के लिए कोई प्रयास नहीं किये हैं । नारियल जटा उद्योग उनमें एक है । पश्चिमी बंगाल में कोई अनुसंधान-कार्य नहीं हो रहा । नारियल से निकलने वाले रेशे में अनुसंधान करने की बड़ी गुंजाइश है । कलकत्ता में अनुसंधान के लिये जो केन्द्र बनाया गया वहाँ क्या प्रगति हुई है ? नारियल जटा से अनेक लाभ उठाये जा सकते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि चौथी योजना काल में सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : इस उद्योग में लगभग एक लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर प्रति वर्ष लगभग तीन लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं । हमें अपने संसाधनों के अनुसार चलना पड़ता है ।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : माननीय मन्त्री इस विभाग में नये हैं । केरल में इस उद्योग में लगभग 7 से 10 लाख व्यक्ति लगे हुये हैं । नारियल जटा, काजू और हथ-करघा—ये तीनों के मुख्य उद्योग हैं ।

श्री ब० रा० भगत : हो सकता है माननीय सदस्य के आंकड़े ठीक हों । मैं अपने आंकड़े वापिस लेता हूँ ।

श्री ई० के० नायनार : क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना को अपने हाथ में लेगी अथवा रिज़र्व बैंक को सौंपेगी ? रिज़र्व बैंक ऋण देने में कई वर्ष लगायेगा । हमारा अनु-रोध है कि सरकार इसे अपने हाथ में ले ले अन्यथा उद्योग का विकास नहीं होगा । इस उद्योग में लाखों व्यक्ति लगे हुए हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे आवश्यक सहायता प्रदान करे ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने अपनी कठिनाई स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दी है । फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं । यह आवश्यक नहीं कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में ही राशि प्राप्त हो सकती है ।

Shri Ramavatar Shastri : It is clear from hon. Minister's reply that Centre is not prepared to meet the demand of Kerala. The State Government to get rid of middlemen in the industry wanted that the exploitation of workers should end. It seems that the demands of State Government are not being met. I want to know the reaction of Central

Government on Kerala's request for setting up of an export house for coir ? Secondly, in regard to internal use, I want to know what steps have been taken to implement Government's decision regarding increased purchases of coir goods ?

Shri B. R. Bhagat : There is a scheme involving Rs. 50 lakhs and export house comes under that. Kerala Government can do that and finances can be provided under institutional finance for that. So far as the question of purchases is concerned, I have not got the details with me.

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री राज्य में जा कर स्थिति का अध्ययन करेंगे।

श्री बा० रा० भगत : जी हाँ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 8 अप्रैल, 1969/18 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 8, 1969/Chaitra 18, 1891 (Saka)

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad—3.